(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] षष्ठम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बयालीसवां दिवस [संख्या 13

1] [2

शनिवार,

दिनांक 11 नवम्बर, 1978

विधान सभा की बैठक म० पू० 11-03 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

स्वर्गीय रामरतन टिक्कीवाल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य को श्रद्धांजली

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

मुझे कल ज्ञात हुआ कि तारीख 17 जुलाई, 1978 को श्री रामरतन टिक्कीवाल का निधन हो गया। श्री टिक्कीवाल प्रथम विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। वह टौंक जिले के निवासी थे। वह अच्छे व्यवसायी थे और कांग्रेस दल के माननीय सदस्य थे। वे किसानों के उत्थान के लिये कार्य करते रहे। वे खादी अपने हाथ से बुनकर उससे बने हुए कपडे पहनते थे। वे एक सज्जन और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्त्ता थे। उनके निधन से टौंक जिले के सम्भ्रांत नागरिकों में से एक नागरिक उठ गया। मैं उनकी आत्मा की चिर शान्ति के लिये माननीय सदस्यों की ओर से और अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि परम्परागत रूप से दो मिनट मौन खडे होकर दिवंगत की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की व उन्हें श्रद्धांजलीअर्पित की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सदस्यों को जानकारी है ही कि आज प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा। अतएव मैं स्थगन प्रस्तावों पर अपनी व्यवस्था सुनाता हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

1. श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को राजस्थान नहर योजना में सिंचित भूमि आवंटित करने के कारण हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों को ऐसी भूमि से वंचित कर देने के विषय में,

2. श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से बाडमेर नगर के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं मिलने के विषय में,

3. श्री खेतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की राज्य सरकार से हुई समझौता वार्ता के विपरीत उपकुलपति द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में,

Page No 2

(2)

(श्री अध्यक्ष)

4. सर्वश्री अब्दुल अजीज व राम रघुनाथ चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से मकराना शहर में पिछले आठ दिनों से बच्चों को उठा कर ले जाने की घटनाओं के विषय में ।

मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं और इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री **शंकर लाल** (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, उस पर व्यवस्था नहीं आई ।

श्री **अध्यक्ष** : किस सम्बन्ध में ?

श्री **शंकरलाल** : बारां, जिला कोटा में मुस्लिम धार्मिक संस्था की भूमि पर सिनेमा निर्माण के बारे में ।

श्री **अध्यक्ष** : मैंने उसे अस्वीकार किया है। चर्चा करने की अनुमति देने में विवश हूं, माननीय सदस्य।

श्री **समरथलाल** (राजगढ़): मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव राजगढ़ नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा अवैध नियुक्तियां करने और वर्तमान प्रशासक द्वारा जिलाधीश के आदेशों की अनुपालना नहीं करने के सम्बन्ध में दिया है ।

श्री **अध्यक्ष** : उसको भी मैं अनावश्यक समझकर व्यवस्था में सम्मिलित करने में विवश हूं ।

श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं मिलने के कारण उनके अन्दर तीव्र रोष है । इस प्रश्न को लेकर वहां साल दर साल क्रमिक भूख हड़ताल करते हैं । अभी सितम्बर माह में मुख्य मंत्रीजी वहां पधारे थे तब भी कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर थे । मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि यह मांग वाजिब है और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे ।

बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर की जनसंख्या 50 हजार से अधिक हो गई है । इस सम्बन्ध में बाड़मेर के जिलाधीश ने भी 1975 में सिफारिश की और फिर 1976 में सिफारिश की कि यहां की जनसंख्या 50 हजार से अधिक हो गई है । लेगरेंज फार्मूले के अनुसार आज बाड़मेर नगर की जनसंख्या 54 हजार होती है । 194· से 1951 तक, 1951 से 1961 तक और 1961 से 1971 तक जिस प्रकार जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है, उस प्रतिशत से भी देखा जाय तो बाड़मेर नगर की जनसंख्या 50 हजार से अधिक होती है । बाड़मेर नगर में अधिक डिपार्टमेंट्स हो जाने के कारण वहां काफी अधिकारी और कर्मचारी हैं। मकान उतने अनुपात से नहीं होने के कारण उनको बहुत ज्यादा किराया देना पड़ता है । आज बाड़मेर में जोधपुर से भी ज्यादा मकान किराया हो गया है अधिकारी । और लेक्चरर्स जो आते हैं, उन्हें एक साधारण कमरे का 100 रुपये किराया देना पड़ता है । परिवार के लिये तो 250 और 350 रुपये मकान का किराया देना पड़ता है। जब इतना ज्यादा किराया उन्हें देना पड़ता है तो वह इसी कोशिश में रहते हैं कि बाड़मेर नगर से किसी प्रकार स्थानान्तर करवा कर दूसरे स्थान पर पहुंच जायें क्यों कि बाड़मेर में मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है और वह अपनी तनख्वाह से काम चला नहीं सकते । इसलिये यह प्रश्न बहुत ही विकट हो गया है । उनकी मांग बहुत ही वाजिब है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट और फाइनेन्स डिपार्टमेंट यह भी दलील देता है कि बाड़मेर नगर की सन् 1971 की जनसंख्या 50 हजार की नहीं है इसलिये हम मकान किराये भत्ते की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं । यही प्राब्लम पाली नगर

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

की भी थी, । वहां की जनसंख्या भी 1971 के आधार पर 50 हजार की नहीं थी लेकिन पाली का केस कन्सीडर करके वहां के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देना चालू कर दिया । बाड़मेर की भी वैसी ही प्राब्लम है । अगर गवर्नमेंट को डाउट हो कि बाड़मेर की आबादी 50 हजार से कम है तो आप सर्वे करवा लें जिससे आप किसी नतीजे पर पहुंच सकें । अगर हम कहें कि फेमेली कार्ड्स के आधार पर जनसंख्या की गणना हो तो आप कह सकते हैं कि वह मिथ्या हो सकते हैं । इसकी सम्भावना हो सकती हैं । इसकी आप जांच करालें और फिर निष्कर्ष पर पहुंचे । बाड़मेर नगर की पापूलेशन 50 हजार से अधिक है । वहां मकानों का किराया अधिक है । मैं कहता हूं कि जोधपुर शहर से भी अधिक किराया है । इसलिये मकान किराये की मांग है उसकी पूर्ति करनी चाहिये । राज्य सरकार को इस मांग पर कन्सीडरेशन करना चाहिए । मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जहां भी जिले के मुख्यालय हैं वहां सभी जगह यह समस्या है । आज जालौर की पापूलेशन भी 25 हजार है लेकिन जालौर के अन्दर भी मकान किराया ज्यादा हैं क्योंकि वहां पर विद्युत विभाग आ गया, पी.डब्ल्यू डी. का विभाग आ गया, अण्डर ग्राउन्ड बोर्ड का कार्यालय आ गया, सभी तरह के कार्यालय डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर आ जाते हैं तो समस्या पैदा हो जाती है। मकानों की इसलिये यह समस्या सारे जिलों के मुख्यालयों पर भी है । अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो आप निणय लेलें कि जिले के मुख्यालयों पर व्यवस्था कर दी जाय मकान किराया भत्ते की । आप बड़े बड़े शहरों में यह व्यवस्था करते हैं और जिनके मकान हैं उनको भी मकान किराया का लाभ देते हैं। बाड़मेर में जिनके मकान नहीं हैं और जो हमारे अधिकारी आते हैं उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है इसलिए उनमें बडा असन्तोष पैदा होता है । इस समस्या से वित्त मंत्री जी संबंधित ह, मुख्य मंत्रीजी का भी संबंध है इसलिये मैं चाहता हूं इस समस्या के ऊपर गवर्नमेन्ट गौर करे । जो सरकारी कर्मचारियों की वाजिब मांग है मकान किराया भत्ते की उसकी पूर्ति करके उन कर्मचारियों को सरकार सन्तोष दिलायें ।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह !

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव राजस्थान विश्वविद्यालय के बाबत दिया है । इस सत्र के प्रारम्भ में राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अन्दर 288 छात्रों को प्रवेश दे दिया गया । प्रवेश देने के बाद उनकी फीस जमा कर ली गयी, उनका होस्टल में दाखिला कर दिया गया और कुछ छात्रों, जिनको होस्टल मे स्थान नहीं मिला, ने किराये के मकान ले लिए । इस प्रकार से दाखिला होने के करीब डेढ महीने के बाद में उन छात्रों को यह नोटिस दिया गया कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है इसलिए जो दाखिला आपको दिया गया था उसे हम रद्द करते हैं । इसके बाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्ट्राइक की और उन्होंने अपनी ग्रिवान्सेस को विश्वविद्यालय की आथोरिटीज के सामने रखना चाहा । इस पर पुलिस ने शिशपालसिंह और कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया । जेल में जाने के बाद उन छात्र नेताओं ने वहां पर हंगर स्ट्राइक की, करीब सात-आठ रोज की हंगर स्ट्राइक के बाद श्री कल्याणसिंह कालवी, जो कि कृषि मंत्री हैं और श्री माणक चन्द जी सुराणा, जो कि आयोजना मंत्री हैं, और उनके साथ में जनता पार्टी के महा सचिव वहां पर गये । उन्होंने जाकर उन छात्र नेताओं से बात की । उनकी बात सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया । जो उनकी मांग थी उनमें से उन्होंने 5 मांगों को मंजूर कर लिया । वह मांग इस प्रकार से थी । पहली मांग तो यह थी कि विश्वविद्यालय से पुलिस को हटा लिया जाय । इस पर श्री माणकचन्द जी सुराणा ने कहा कि हम गवर्नमेंट को कह देंगे कि पुलिस आपके विश्वविद्यालय के परिसर से हटाली जाय । दूसरी मांग उनको एडमिशन के बारे में थी । यह मान लिया गया कि एडमिशन दे दिया

Page No 4

(५)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जाये । तीसरी मांग यह थी कि जिन 288 छात्रों को विश्वविद्यालय एडमिशन दे चुका है, जिन्होंने पूरी फीस भी अदा कर दी है और जिन्हें हटाया गया है उन्हें दाखिला मिल जाये। उनको दिये गये नोटिस विथड्रा करें। इसको भी तीनों माननीय सदस्यों ने मन्जुर कर लिया था । उन्हें यह आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से उनको नहीं निकाला जायेगा, आप अपनी हड़ताल तोड़ दें ।

इन आश्वासनों पर उन लडकों ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी । श्री कल्याण सिं. कालवी और माणकचन्दजी सुराणा ने उन्हें वहां पर मौसमी का रस पिलाया । इसके बाद इनको भूख हडताल समाप्त हुई । लडकों ने स्ट्राइक खत्म करने के बाद अपने साथियों का कह दिया कि हमारी तीन शर्तें मान ली है और बाकी की शर्ते मानने के लिए वह विवश हैं । फिलहाल जिन 288 लडकों को नोटिस दिये हैं उनको वापस एडमिशन मिल जायेगा । जब उनकी भूख हड़ताल समाप्त हो गयी तो उसके बाद लड़के इन्तजार करते रहे । इन दोनों ने तो मुख्य मंत्री जी की पैरवी करके मंत्री पद हासिल कर लिया और छात्रों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रह गयी । आज परिस्थिति यह है कि जिन 288 छात्रों को एडमिशन देने की बात कही थी वह पूरी नहीं की गयी.....

श्री शंकरलाल : उनको मंत्री पद इसी के कारण मिला है क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनमें से एक कारण यह है। पानीपत की लड़ाई के कई कारण थे इसी प्रकार मंत्री बनने के भी कई कारण हैं और उनमें से यह एक है ।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन लडकों का भविष्य अंधकार में है। अभी तक उस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ! मैंने उन छात्र नेताओं से बात की है । मैं खास तौर से, माननीय भंवरलालजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मिनिस्टर्स में सबसे सीनीयर हैं मगर आपने इस समस्या का समाधान नहीं किया है । निश्चित मानिये कि इसकी प्रतिक्रिया बहुत तीखी होगी। क्या यह उनके साथ खिलवाड़ की बात नहीं है कि जिन 288 छात्रों ने एडमिशन ले लिया, फीस जमा करा दी और जिन्हें होस्टल में दाखिला मिल गया उन्हें नोटिस दे दिया जाय ? जो दूर-दूर से आये हैं और जिन्होंने किराये के मकान ले लिये हैं उन छात्रों का क्या हाल है क्या आपने यह जानने की कोशिश की ? क्या आपको यह मालूम नहीं था कि आपके पास कितनी सीटें हैं और कितनों को दाखिला दे सकते हैं ? पहले तो आपने दाखिला दे दिया फिर नोटिस दे दिया छात्रों की इस कारण हड़ताल हुई, जेल गये फिर आपके जो वरिष्ठ सदस्य केबिनेट के है उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से मांग मान ली जाएगी । इस समस्या का उचित समाधान किया जाय वरना आप निश्चित मानिये, छात्रों का बहुत बडा आन्दोलन होगा जिसका मुकाबला करने में सरकार असमर्थ रहेगी अध्यक्ष महोदय, कृपा पूर्वक छात्र नेताओं से मिल कर समाधान निकालें वरना राजस्थान के सारी शिक्षा संस्थाओं में भारी असंतोष फैलने के कारण बहुत बड़ी विद्रोह की भावना पैदा होगी जिसका मुकाबला करना सरकार के लिये मुश्किल हो जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य, क्या कहना चाहते हैं यह तो स्थगन प्रस्ताव चल रहा है

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, पहले स्थगन प्रस्ताव होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होने दीजिये । आपको भी अवसर दिया जायेगा ।

श्री खेतसिंह राठौड : ये इसी विषय पर बोलना चाहते हैं । अगर दूसरा विषय लिया जाएगा तो फिर लिंक टूट जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, खेतसिंह जी के सुझाव से मैं सहमत हूं।

श्री हरीश शर्मा, गोपालसिंह कचेरा, नवरंगसिंह।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, विगत एक माह से सम्पूर्ण हाड़ोती क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़ में जबर्दस्त छात्र आन्दोलन खड़ा हो रहा है। छात्रों की, रोजगार देने की मांग है। हाल ही में 9 तारीख को वहां के श्री राम कैमिकल्स के मैनेजर श्री सी. आर. दास अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने लगे। छात्रों ने विरोध किया तो उन्होंने छात्रों पर चाकू से प्रहार करवाये। छात्रों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। छात्रों पर आरोप लगाया कि जबर्दस्ती उन्हें कालेज में लाया गया और मारा गया, कार के शीशे तोड़ दिये। उस रिपोर्ट को पुलिस ने तुरन्त स्वीकार कर लिया, दर्ज कर लिया। वहां स्थिति बहुत गंभीर है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उद्योग मंत्री सूर्यनारायण चौधरी कोटा पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि हम छात्रों को रोजगार देंगे। उन्होंने वायदा किया था लेकिन उसके बावजूद कोई परिणाम नहीं निकला। सन् 1971-72 में भी जबर्दस्त आन्दोलन इस विषय को लेकर खड़ा हुआ था। यह आन्दोलन पुन: जन्म ले रहा है मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, सरकार छात्रों की मांगों को स्वीकार करने के लिये, तत्काल कार्यवाही करने के लिये वचनबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के एक पुलिस अधिकारी श्री पवार प्रशासन में हैं। वह चोरियां करवाते हैं, गुण्डों को पैसा देकर छात्रों को पिटवाते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, समय रहते इस समस्या का हल नहीं किया गया तो स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी। श्री सी. आर. दास ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है उन्होंने जो बयान दिया, एफ. आई. आर. में जिन छात्रों के नाम दर्ज कराये हैं वह वहां हैं ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज भी....

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइन्ट आफ आर्डर है। वैसे तो स्थगन प्रस्ताव पर दो व्यक्तियों को बोलने की अनुमति होती है। आपने इनको अनुमति दे दी लेकिन यह तो विषय ही दूसरा है आप चाहे तो अनुमति दे सकते हैं लेकिन विषय का लिंक ही नहीं। वह कोटा की बात है। यह —

श्री अध्यक्ष : है तो सही माननीय सदस्य लेकिन विद्यार्थियों के आन्दोलन पर है। सरकार अवगत सदन के द्वारा हो जाय।

श्री शंकरलाल : तो फिर हमें भी इस बारे में बोलने की अनुमति दे दीजिये।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के समाचार पत्र में इस बारे में...

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में समाप्त करें।

श्री हरीश शर्मा : 80 प्रतिशत नौकरी देने की मांग को लेकर वहां के राजकीय महाविद्यालय के सामने सी. आर. दास का घेराव किया गया, उनकी विदेशी कार को जला दिया गया छोटी सी घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया, अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े ही दिन पहले वहां की पुलिस कालेज में घुस आई। वहां की प्रयोगशाला में प्रवेश कर छात्रों पर लाठियां बरसाई, छात्राओं पर लट मारे और वापस लौट आई। यह, अध्यक्ष महोदय, काफी गंभीर घटना थी। श्रीमान् इस महाविद्यालय की घटना की जांच करवाई जाय ताकि वास्तविकता सामने आ सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हम सदन में विद्यार्थियों की डेफिनिशन पर भी गौर करें। क्या विद्यार्थी शराब पीते ? कालेज में पढाई न करके गुण्डागर्दी की तरफ चले जायें, वह विद्यार्थी

(श्री अब्दुल अजीज)

हैं ? अध्यक्ष महोदय, हमने 21 से घटा कर 18 साल की उम्र के युवकों को राजनैतिक अधिकार दिये हैं....

(व्यवधान)

इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : कालेज में पुलिस अगर घुसने लग जाय, छात्रों को होस्टल में मारे....

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आखिर हमें कानून से बन्धे रहना है।

(व्यवधान)

मैं हामी हूं विद्यार्थियों का। उनकी बात को सुना जाना चाहिये। लेकिन मैं मानता हूं कि कानून को तोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो मेरे विधायक साथी हैं वे इस तरफ ध्यान देते हुए और ला एन्ड आर्डर का ध्यान रखते हुए सही मार्गदर्शन करें।

श्री हीरश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो ना पक्ष में बैठे हैं, न विद्यार्थियों के बारे में जो बात कही उस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज विद्यार्थी वर्ग में जो असन्तोष हैं वह क्या है ? जब हम असन्तोष को दूर करने की बात करें तो जो युवा वर्ग के प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं वे माननीय सदस्य युवा वर्ग की वकालात करने के बजाय उनके अधिकारों को दबाने के लिये कानून की बात करें तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो विद्यार्थी वर्ग में असन्तोष है उसको किसी भी प्रकार दबाया नहीं जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से डेढ़ साल पहले या दो साल पहले जो विधायक उन विद्यार्थियों के लिये लड़ते थे उनके लिये जो मांग करते थे आज की स्थिति में कोटा के जो छात्र आन्दोलन करते हैं, उन छात्रों में जो असंतोष है उस असन्तोष को उन्हें दूर करना चाहिये। छात्रों ने 80 प्रतिशत रोजगार देने की मांग की है। जो विधायक आज मंत्री पद पर बैठे हैं इन्हीं लोगों ने कहा था कि आन्दोलन करिये। आन्दोलन का आह्वान किया था और मांग का पूरा समर्थन करते थे। अफसोस है आज वे ही लोग उनको दबाने को चेष्टा करते हैं। आज जब कोटा के विद्यार्थी मांग करते है तो उन पर लाठी प्रहार करवाते हैं।

श्री शंकरलाल : वे सरकार में बैठ गये हैं, यह सरकार की अकर्मण्यता है।

श्री हरीश शर्मा : जो नेतृत्व कर रहे थे वे आज शान्त रहें तो यह एक लज्जा की बात है। आज से डेढ़ साल पहले जब आन्दोलन चला और रोजगार की मांग की तब हमने कहा था हमारा उसूल है कि बेरोजगारों को रोजगार दें। उस बात से हम नहीं मुकरना चाहिये। जब सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती है तो, श्रीमन् मेरी मांग है, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, जब तक सरकार ऐसे लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है तब तक उनको रोजगार भत्ता मिलना चाहिये। या तो उनको रोजगार दिया जाना चाहिये और यदि रोजगार नहीं देती है तो तत्काल उनको भत्ता दिया जाना चाहिये। जिनके नेतृत्व में बेरोजगार भत्ते की मांग करते थे, आंदोलन करते थे वही माननीय मंत्री महोदय घोषणा करें कि बेरोजगार लोगों को भत्ता दिये जाने की बात करेंगे। पिछली सरकार ने विद्यार्थियों की उपेक्षा की, कोई रोजगार नहीं दिया और उसके बदले लाठी प्रहार करती रही किन्तु यह हमारे उसूलों के खिलाफ है। युवा वर्ग को दबाना नहीं चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आज कोटा के औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान के लोगों

(श्री हरीश शर्मा)

को रोजगार दिया जाना चाहिये। आज जातिवाद और पूंजीवाद के आधार पर रोजगार दिया जाता है। चाहे वह कोई भी हो। मैं निवेदन करूंगा यह सदन विचार करें कि कोटा में हाडोती के लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। वहां के लोगों को रोजगार न देकर बाहर के लोगों को दिया जाये इस परम्परा को समाप्त किया जाय। जो भी कोटा में उद्योग लगाये जायें उनमें 80 प्रतिशत हाडोती के लोगों को रोजगार दें। चाहे किसी भी जगह का पूंजीपति वहां उद्योग स्थापित करे उसमें वहां के लोगोंको निश्चित तौर से 80 प्रतिशत रोजगार देने की व्यवस्था करें। जो दूसरे लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था चल रही है, उस परम्परा को बदलें कोटा में जो घटना हुईहैं वह निरन्तर जारी है उसको समाप्त करने की घोषणा करें। मैं समझता हूं मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज कोटा में बड़ा असन्तोष है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष । माननीय सदस्य, पहले. नवरंगसिंहजी को बोल लेने दें।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों की हड़ताल के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, उस पर मुझे भी निवेदन करना है। सचमुच में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने जो दिक्कत आई उनको दूर करने की उन्होंने मांग की थी, उनको लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। मैंने पता लगाया, यह सही है हमारे माननीय सुराणा साहब और माननीय कालवी साहब ने उन लोगों के बीच में आकर बातचीत की और आश्वासन दिया कि जो भी मांग है, वे निश्चित तौर से विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बातचीत करके पूरी करवा देंगे। तब यह निश्चित हुआ कि हड़ताल टूट जाय। किन्तु आज छात्रों को प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि जो विश्वविद्यालय में पुलिस की दखलन्दाजी है उसको दूर किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इतने दिन निकलने के बाद जो आश्वासन दिया गया था, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। जो उनकी समस्या है, वह ज्यों की त्यों है। यह सही कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों में इस बात का भयंकर असन्तोष है। राजस्थान सरकार के दो मंत्री जो पहले विधायक थे मंत्री नहीं थे, यह कहने पर कि निश्चित तौर से सरकार द्वारा उनकी समस्याओं की पूर्ति करवायेंगे भूख हड़ताल समाप्त हुई। उस आश्वासन की पूर्ति न होना सचमुच खेदजनक है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं लेकिन राज्य मंत्री शिक्षा, मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे जाकर बातचीत करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। राज्य सरकार पर यह पाबन्दी लगाये कि विश्वविद्यालयों में पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि विश्वविद्यालय के प्रधान या कुलपति विद्यार्थियों के हित का ध्यान नहीं रख सकते है तो निश्चित रूप से वे प्रधान और कुलपति रहने लायक नहीं है। मैं जानता हूं कि जो प्रोफेसर होते हैं, जैसा अभी मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा म उनकी बात से सहमत हूं कि कुछ प्रोफेसर द्वारा छात्रों को भड़काया जाता है। उनकी वजह से ही आज राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा ह और वे कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा उनको हटाया जाये, यह एक विषम स्थिति है। मेरा निवेदन है कि अगर ऐसे लोगों को नहीं हटाया गया तो राजस्थान विश्वविद्यालय में ही नहीं राजस्थान के अन्य विद्यालयों में भी असन्तोष बढ़ेगा। इसलिय मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माफत यही निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर से राज्य सरकार आश्वासन दें कि जो छात्रों की समस्या है जिनके ऊपर विधायकों द्वारा जो आश्वासन मिला है, उसकी पूर्ति होगी और उससे सदन को अवगत कराया जाय।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिडावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। केन्द्रीय सरकार के 14 लाख रुपये राजस्थान सरकार के पास पड़े हुए हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में विद्यार्थियों के असंतोष के समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते रहते हैं। मैं विशष रूप से कोटा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के नौजवानों में भयंकर असंतोष है, उसका प्रमुख कारण बेरोजगारी है। कोटा में अनेक फैक्ट्रियां प्राईवेट सेक्टर में हैं और पब्लिक सैक्टर में भी हैं। आज उनके सब अधिकारियों का रवैया यह है कि वे अपने परिचित लोगों को राजस्थान प्रदेश से बाहर से ला रहे हैं कोटा के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कुछ वष पहले आन्दोलन चला था उस आन्दोलन के बाद सरकार की ओर से इस बात के लिये उन्हें पाबन्द किया गया था कि अस्सी प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जावे लेकिन फिर भी बाहर के लोगों को लाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज लोगों को इन फैक्ट्रियों से घृणा होने लगी है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में जो कुछ कहना हो, कहें। आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अभी दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

मैं विद्यार्थियों के असंतोष पर ही निवेदन कर रहा हूं। कोटा में इन्स्ट्रूमेंटेशन की फैक्ट्री है जो कि पब्लिक सेक्टर में है। आज भी उसमें चपरासी तक पंजाब से लाया जा रहा रहा है। ड्राईवर बाहर से आता है। इस कारण से विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ गया इस असंतोष को लाठी से दबाया नहीं जा सकेगा। मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जे.के. की फैक्ट्री है, श्रीराम रेयन्स है, इन्स्ट्रूमेंटेशन है, इनमें आज भी राजस्थान प्रदेश के बाहर के लोगों को नौकरियों में लेते हैं। अगर आप इस असंतोष को मिटा नहीं सके और आपने समझा कि हम लाठी गोली से दबा लेंगे तो यह सम्भव नहीं होगा। आपको समय रहते कदम उठाना चाहिए। आप इन फक्ट्रियों को आदेश दें कि उन्होंने जो सरकार को वायदा किया था उसके अनुसार अस्सी प्रतिशत नौकरियां वहां के लोगों को दी जावें अन्यथा इस प्रकार से छात्र असन्तोष को दबाना सम्भव नहीं होगा।

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के बारे में मैं भी दो मिनिट निवेदन करना चाहता हूं।

वहां पर जो बसों का अपहरण हुआ है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-एक बोलें तो ठीक होगा। आप क्या कहना चाहते हैं, सुनने में नहीं आ रहा है।

श्री अब्दुल अजीज : मैं इसी सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं। पासिंग रेफरेंस मे मेरा नाम आया है।

श्री अध्यक्ष : आप किस सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं ?

श्री अब्दुल अजीज : इसी सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : छात्रों के असंतोष के सम्बन्ध में ?

श्री सुखलाल सेणचा : मैं भी छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : अगर इस तरह से सभी बोलने लगेंगे तो फिर कोई सीमा ही नहीं होगी ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम इसमें दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी चर्चा हो गई है । यह सरकार के चिंतन का विषय है ।

श्री रामनारायण चौधरी : इनका स्थगन प्रस्ताव है इसके सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव साढ़े दस बजे मिला है ।

श्री सुखलाल संणचा : दो मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष : फिर कल सम्भव नहीं होगा ।

(व्यवधान)

आपको दो मिनट देता हूं आपके बाद दो मिनिट बोलने की दाऊदयाल जोशी को मैं इजाजत दूंगा । इसके बाद किसी को इजाजत नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

अगर नहीं तो चर्चा अभी समाप्त करता हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी लेकिन मेरा निवेदन है ...

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था नहीं है, मेरा दृढ विश्वास है कि मेरे सुझाव को आप स्वीकार करेंगी, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे क्षेत्र का मामला है, अध्यक्ष महोदय । आप मुझे एक मिनट जरूर दें ।

श्री अध्यक्ष : मैं विवश हूं, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे क्षेत्र का विषय है । मैं बोलना चाहूंगी एक मिनट के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट के लिए भी नहीं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं छात्रा हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्या, आपको बहुत इज्जत की दृष्टि से देखता हूं । मेरी विवशता के प्रति सहानुभूति प्रकट करिये और अपना स्थान ग्रहण करिये ।

श्री सुखलाल संणचा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आज के राष्ट्रदूत में छपी हुई खबर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जोधपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर छात्रों में भारी असंतोष है । जो सिटी बसें हैं वहां करीब-करीब सारी बसों को भारी क्षति पहुंचाई गई है। जो बसें हैं वे प्राइवेट मालिकों की हैं इसलिये जिला प्रशासन को अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार होना चाहिये । यूनिवर्सिटी में आप जायें, कालेजों में जायें, आप चाहे हाई स्कूलों में जायें आप देखेंगे कि छात्रों के अन्दर दिनोंदिन भारी असंतोष बढ़ रहा है। उनका आचरण जैसा कि मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा ह, उस तरह का हो रहा है । छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है जोधपुर में क्योंकि बसों के अन्दर छात्रों को कंसेशन नहीं दिया गया । हमारे इलाके के जो गरीब छात्र जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जब उनको कन्सेशन नहीं मिलता है तो लड़कों के अन्दर भारी असंतोष होता है । आपका प्रशासन क्या कर रहा है ? आपका शासन आज उनको किस तरफ ले जा रहा है ? मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है इस कारण जोधपुर में कई आन्दोलन हुए हैं, इसलिये इस सम्बन्ध में विचार करना

(श्री सुखलाल सेणचा)

चाहिए। जिन बस मालिकों की क्षति हुई है उनको किसी प्रकार का मुआवजा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रों को बसों के अन्दर कन्सेशन नहीं दिया जाता है तो विद्यार्थियों को कन्सेशन देने की व्यवस्था की जावे। अध्यक्ष महोदय, यही बातें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, स्टूडेंट अनरेस्ट के बारे में जो कुछ जिक्र किया गया है ....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट, माननीय सदस्य। आपके बाद दो मिनट माननीय दाऊदयाल जोशी को। आपके बाद दो मिनट माननीय सदस्या को मैं दे रहा हूं।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुर) : दो मिनट मैं भी बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर का जो मामला उठाया गया है उसके सम्बन्ध में।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जब आप बहुत उदार हो रहे हैं तो सब को बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं पुनर्विचार करने के लिए विवश हो गया हूं।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों में बढ़ते हुए असंतोष पर सदन म चर्चा कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आने वाली पीढ़ी मायूस होती जा रही है उसके पीछे कारण क्या है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से बच्चों में असंतोष है? क्या इसके पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है? क्या यह सरकार, मौजूदा सरकार, इसका समाधान करने में सक्षम नहीं है ताकि उनको कमाण्ड कर सके? ये तमाम बातें हैं जिनके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अगर हम गहराई से विचार करें तो इसके पीछे बढ़ती हुई बेरोजगारी और कुछ हद तक गुंडागर्दी भी है। जैसा कि नवरंगसिंहजी माननीय सदस्य कह रहे थे, प्रोफेसरों की गुटबन्दी से ऐसा होता है तो, अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर किस के कमाण्ड में है? आखिरकार आपके प्रशासन को मानना पड़ेगा कि आपका प्रशासन नाकामयाब है अध्यक्ष महोदय, हमें बच्चों की सही तालीम के लिए अच्छी तरह का वातावरण पैदा करना है तो उनमें से कुछ चुने हुए बच्चों को यूनियन के माध्यम से, सिण्डीकेट समिति के माध्यम से समय-समय सुनते रहना चाहिए। विचारों का आदान-प्रदान वाईस चांसलर, स्टूडेंट यूनियन और सिण्डीकेट के दर्मियान होती रहनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं कि पुलिस स्ट्रक्चर के माध्यम से छात्रों को दबाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं इसके विरोध में हूं लेकिन यदि बच्चे होस्टल में रह कर गलत रास्ते पर चले जायें तो यह हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। उन तमाम गैर कानूनी और गैर इंसानी तरीकों को छुड़ाने के लिए उन विद्यार्थियों को ब्लेक लिस्ट करना पड़ेगा। हम उनको रोकने के उपाय करने पड़ेंगे। जब तक हम उनको वहां रखेंगे अपनी अपनी बीमारियां दूसरे रूप में फलायेंगे। मैं आने वाली पीढ़ी से, विद्यार्थियों से मायूस नहीं हूं। मैं अच्छा भविष्य देखता हूं उनके जीवन, में लेकिन कुछ न कुछ इस बारे में विचार करना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय, ताकि आने वाली पीढ़ी, जिसकी हम बड़ी-बड़ी योजनायें बना कर सम्भलाएं, देश को ठीक रास्ते पर चला सके। यह तभी हो सकता है जब कि उनमें सामन्जस्य हो। मैं अधिकारीगणों से आशा करता हूं कि वह इस ओर प्रयत्न करेंगे। उसके लिए हमें उनसे ताल्लुकात पैदा करने पड़ेगें, मीटिंगे करनी पड़ेंगीं और एक माहोल पैदा करना पड़ेगा चाहे इसके लिए एक कमेटी बनाने की जरूरत हो।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में जो छात्रों में असंतोष है, मैं आपके माध्यम से उसकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जब लोग खाली हाथ होगे, जब वह बेरोजगार होंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में क्रान्ति की भावना आती है । वही क्रान्ति की भावना किसी न किसी रूप में भड़क कर सामने पेश होती है । कोटा का एक तरह से विश्लेषण किया जाय तो वहां करोडों रुपयों की लागत के उद्योग खड़े हुए है फिर भी कोटा का नौजवान बेकारी से ग्रस्त होकर सडकों पर घूमें तो उसके मन में कटुता उत्पन्न होती है । यह सही है कि वहां पर लाला भरतराम चरतराम ने 4 बड़े-बड़े उद्योग लगाये हैं, लेकिन म दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी बडी-बड़ी पोस्टें हैं उन पर दिल्ली से आये हुए लोग भर्ती किये जाते ह । कोटा का एक भी व्यक्ति अधिकारी वर्ग में दीपक लेकर ढुंढन से भी नहीं मिलेगा । मजदूर वर्ग में भी लाला भरतराम चरतराम के कारखान में कोटा का आदमी नहीं मिलेगा यह दुर्भाग्य की बात है । दूसरे लाला जग्गीलाल कमलापत का कारखाना है,उसमें भी यही स्थिति है । कोटा का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा इसमें मिलेंगे कानपुर के व्यक्ति मजदूरों में चले जाय तो कानपुर के व्यक्ति, और आफिसरों में चले जायं तो कानपुर के व्यक्ति तीसरा । बड़ा कारखाना जो सरकारी क्षेत्र में है उसकी स्थिति यह है कि उसमें पंजाबवाद फैला हुआ है । उसके बडे अधिकारी पंजाबी हैं तो पंजाबवाद को प्रोत्साहन देते हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि आप कृपया कोटा की ओर ध्यान दें । म माननीय श्रम मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि कोटा के उद्योगों म कोटा के 80 प्रतिशत लोगों को ल । 80 प्रतिशत ही क्यों शत प्रतिशत आप राजस्थान वालों को नौकरी द, उसके बाद म अन्य प्रान्तों को । मरे राजस्थान के लोग भूखों मरे, मरे राजस्थान के नौजवान बेकारी से ग्रस्त रहें ।

एक माननीय सदस्य : मेरा कोटा ?

श्री दाऊदयाल जोशी : और दूसरी जगह के लोग आकर भर्ती हो जाय । जब अच्छे व्यक्ति राजस्थान में मिल सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि दिल्ली के लोग आकर, कानपुर के लोग आकर कोटा के लोगों का रोजगार लें, यह अन्याय है । मैं श्रम मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि चाहें उनको इसके लिए कानून लाना पडे लेकिन इसका प्रवन्ध किया जाय । जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, पश्चिम बगाल ने यह तय कर दिया कि मजदूरों में पहले वहां के लोगों को खपायेंगे कारखानों में और उसके बाद में दूसरों को । अगर राजस्थान का व्यक्ति उस क्वालिफिकेशन की पूर्ति नहीं कर सके तो दूसरी जगह के मजदूरों को काम पर लगायें तो मुझे आपत्ति नहीं है । राजस्थान में अच्छे तरीके का मजदूर मिलता है और अच्छे अच्छ टेक्निशियन्स हैं तो फिर यह क्यों ?

एक बात और मैं कहूंगा कि कोटा में जो नियोजन कार्यालय है उसमें बड़ी गडबड़ी है । माननीय श्रम मंत्रीजी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कोटा का व्यक्ति बनाक , कोटा का रहने वाला ह इस प्रकार का एफिडेविट ले कर नियोजन कार्यालय उन लोगों का नाम रजिस्टर में लिख देता है। वहां के नियोजन कार्यालय में भयंकर रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है । माननीय ललितकिशोर जी लोगों के साथ नियोजन कार्यालय पर पहुंचे तो वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ियां होती देखी । अधिकारी वहां पर कई सालों से जमे हुए हैं । वह किस प्रकार से राजनैतिक जोड़-तोड़ बैठाकर कोटा म बैठे हुए ह । उनका तबादला करने के बाद भी वह वापस कोटा में आ जाते हैं । आप वहां का निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के लोग और सिन्धी लोग चोरी से और तरकीब से नियोजन कार्ड पा लेते हैं ?

अब जोधपुर की बात आई है । मुझे दुःख ह कि विद्यार्थी आज तोड़-फोड़ में आगे बढ़े हुए हैं । आप खुले मस्तिष्क से सदन में

Page No 12

(12)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

विचार करें। जोधपुर में 33 पर्सेन्ट फीस वसूल की जाती है और जयपुर में 10 पर्सेन्ट वसूल की जाती है......

श्री अध्यक्ष : कहां जा रहे हैं, वक्त नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छात्र आन्दोलन के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय का भू गर्भ विभाग है, उसमें 40 सीटें तय की गई हैं। गत वर्ष जिन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा पास की है उनको नौकरी न देकर मध्य प्रदेश के इन्जीनियरिंग ग्रेजुएट्स को दी गई है। जब कि हमारे यहां के बच्चे तो बाहर जाय तो उनसे तो वहां वाले यह कहते है कि हम अपने प्रदेश वालों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं चाहे वह थर्ड डिविजन हो; फिर भी हमारे यहां के प्रथम श्रेणी म पास विद्यार्थी तो बेकार बैठे रहें और मध्य प्रदेश वालों को यहां पर नौकरियां दें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी का और सम्बन्धित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने उत्तर यह दिया है कि हम इसमें रोकथाम नहीं कर सकते हैं कि बाहर वालों को न दें। बाहर वालों को तब दे जब कि हमारे यहां की पूर्ति हो जाय और एक भी आदमी बेकार न बठा रहे। मेरा यह निवेदन है, आपके माध्यम से कि सरकार इस पर विचार करे। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि विद्यार्थियों के असन्तोष पर यदि सरकार ने विचार नहीं किया तो वह आन्दोलन करेंगे। ऐसा आन्दोलन होगा कि वह शक्ति के बाहर हो जायगा। इसलिए सरकार इससे पूर्व ही निर्णय ले कि अपने यहां के पास किये हुए विद्यार्थियों को ही नियुक्त किया जायगा और बाद में दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी दी जायगी, मेरा यही निवेदन है।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे यहां सर्विस की कमी है लेकिन हमारे यहां पर खनिज पदार्थ इतने हैं, राजस्थान में इतनी खनिज सम्पदा है कि हिन्दुस्तान में 75 प्रतिशत उत्पादन होने वाले खनिज हमारे यहां पर हैं। उनसे हम अपने लोगों को रोजगार देने के साथ ही बाहर वालों को रोजगार दे सकते हैं। अपने यहां पर जो पास किये हुए बैठे हैं आप उनकी बेकारी दूर कीजिये, उनके नाम नहीं छोड़ जाय। जिन लोगों ने अपने यहां प्रार्थना-पत्र दिये हैं उनको नौकरी मिले न कि बाहर वालोंको।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि परीक्षाओं की तिथियों को लेकर कई बार आन्दोलन किये जाते हैं। जयपुर में 10 प्रतिशत भी ऐसे लोग नहीं होते हैं जो यह चाहते हैं कि परीक्षा की तिथियों को बढाया जाय। 90 प्रतिशत विद्यार्थी समय पर परीक्षा देना चाहते हैं और 10 प्रतिशत विद्यार्थी उस समय को टालना चाहते हैं। इस वर्ष परीक्षाओं को यहां तक टाला गया है कि एल. एल. बी. के एग्जामिनेशन अगस्त में हुए। अब आगामी सत्र में छात्रों को कब भर्ती करेंगे और कब उनकी परीक्षाएं लेंगे? मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार इस प्रकार परीक्षाएं टाली गई हैं, जब कि 90 प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते थे, मई में परीक्षा होने वाली थी, जून, जुलाई में तय की गई और बाद में एक अगस्त तय की गई मैं निवेदन करना चाहती हूं सरकार इस बारे मे निणय ले। अधिकारी तय नहीं कर पाते है तो गलत आन्दोलन होते हैं। इस बार परीक्षा फल काफी देरी से आया है। अब 9 महीने रह गये हैं। इतने कम समय में परीक्षार्थी अपनी तैयारी नहीं कर पायेंगे, हम लोग कब पढ़ सकेंगे? मैं आशा करती हूं कि सरकार इसके बारे में शीघ्र ही निणय लेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कैसे बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, उत्तर देंगे।

श्री माधोसिंह कछावाह : अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय दें ।

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही है ।

श्री माधोसिंह कछावाह : आप मेरे निवेदन पर पुनर्विचार करें ।

श्री अध्यक्ष : मैं पुनर्विचार हरगिज नहीं करूंगा ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : (उद्योग-मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपने विचार रखे हैं, इस बात को सदन स्वीकार करेगा कि जैसे ही यह समस्या सामने आई, सत्ता पक्ष के दो विधायकों ने वहां जाकर उनसे सम्पर्क किया । यूनिवर्सिटी छात्रों का जो आन्दोलन चल रहा था, उसको समाप्त किया । विश्वविद्यालय के अन्दर नियमितता आवश्यक है । विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी तरफ से इस बात की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई है कि यह समस्या तुरत-फुरत सुलझ जायें । हमारे दो माननीय सदस्यों ने रात–रात भर जाग कर इसके लिए प्रयत्न किया है ।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या प्रयत्न किये हैं, वह भी तो बताइये ?

श्री मूलचन्द डागा : It is the reply of the Government ? At every question he is replying. Is it mandatory for him to reply in every matter. नियोजन मन्त्री ने क्या किया ?

श्री शंकरलाल : इसके बारे में क्या प्रयत्न किया गया है ?

एक माननीय सदस्य : खेतसिंह ने क्या कहा है, उनको खुद को मालूम नहीं है ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अब सुराणा जी आ गये हैं । वह इस बारे में प्रकाश डालेंगे, आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए वह बोल रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे ज्ञान की वृद्धि हो गई है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कोटा के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के पक्ष के बारे में राज्य सरकार के सामने प्रश्न आया है । मैं कोटा गया था, जैसा कि हरीशजी ने अवगत कराया है । हमने उन प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों को बुलाया । उनको हमने कहा कि स्थानीय लोगों की जो भावनाएं हैं, जो लोकल सेण्टीमेन्ट हैं उनका ध्यान रखें । समकक्ष योग्यता वाली नौकरियों में उनको प्राथमिकता दें । अन्यथा इन लोगों की भावनाओं पर विपरीत असर पड़ता है । उन प्रतिष्ठानों में से एक ने मेरे पास एक कापी अपने नियमों की भेजी है, जिसमें यह विशेष रूप से अंकित किया गया है और जिसमें स्थानीय लोगों को विशेष रूप से प्राथमिकता दिये जाने की व्यवस्था है । लेकिन यह बात सही है कि वहां के औद्योगिक घराने इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहे हैं । उसका भी रीजन रहा है । स्थानीय लोगों की उपेक्षा रही है । राजनैतिक लोगों के द्वारा इस बारे में प्रयत्न रहा है कि समकक्ष योग्यता वालों को प्राथमिकता के आधार पर वहां के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्थान दिलाया जाय । इसके बारे में जो लीडिंग प्रतिष्ठान हैं, उनको बुला कर, उनके प्रतिनिधियों को बुला कर शीघ्र ही बात भी कर रहे हैं । इसमें कोई दो राय नहीं है । बाहर से लेबर आती है तो एक विशेष समस्या पैदा होती है । इससे लोगों में रोष पैदा होता है । उनकी उपेक्षा के कारण उनमें हीनता की भावना भी आती है । राज्य सरकार इस तथ्य से पूर्णतया अवगत है । लेकिन राज्य सरकार वर्तमान में कोई कार्यवाही कर सकती है तो जो कानून और

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

नियम बन हुए हैं, उनके अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है। कुछ माननीय सदस्यों ने मांग की है कि उनके उत्पादन को बन्द कर दिया जाय। मैं समझता हूं यह देश हित में उचित नहीं है। जो विरोध पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, वह भी यह नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही हो। राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया जाना सम्भव नहीं है। लेकिन सरकार अपने अधिकारों के आधार पर निश्चित रूप से इस समस्या को सुलझायेगी

श्री मूलचन्द डागा : मैं निवेदन कर रहा हूं बार-बार कह रहे हैं। हमें लग रहा है, आप कोई डायरेक्टिव निकाल सकते हैं। स्थान देने की बात है, इसके लिये एक कोटा मुकर्रर कर दिया है फिर यह कैसे होता है? आप भेजिए श्रम मन्त्री जी को।

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। जब इन्दिरा जी आने वाली थी तो श्रीराम उद्योग, कोटा ने एक एग्रीमेंट किया था कि 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे लेकिन उद्योग विभाग ने उस मामले में कोई परवाह नहीं की। जब तक कानून में यह बात घोषित नहीं कर देंगे तब तक राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलने की स्थिति नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि सूर्यनारायण चौधरी साहब इसके लिए प्रयत्न करेंगे तो वह हां भर लेंगे।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फिर भाषण देने लगे। अब चर्चा नहीं होगी। कोई पाईन्ट हो तो बता सकते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध म जो प्रश्न आया था उस सम्बन्ध में जो एफर्ट्स किये गये हैं, उनके ऊपर माननीय सुराणा जी प्रकाश डालेंगे।

श्री माणकचन्द सुराणा : (आयोजना मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खेतसिंह जी ने राजस्थान विश्वविद्यालय के लॉ कालेज में जो 228 छात्रों के बारे में कहा है ....

श्री खेतसिंह राठौड : 288 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने के बारे में कहा है।

श्री माणकचन्द सुराणा : उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने विस्तार से विद्यार्थी नेताओं से जो उस वक्त जेल में थे और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से वार्ता की, उस वक्त वाइस चान्सलर बीमार थे। उनकी अनुपस्थिति में एक डी. सी. कमेटी जो चार प्रोफसरर्स की थी, जिसमें डा. दयाकृष्ण, डा. उनी थान और दो और थे, उन चारों से वार्तालाप किया गया था। हमने जो प्रयास किया उसके फलस्वरूप न सिफ यह कि विद्यार्थियों ने हड़ताल को तोडा बल्कि वाइस चान्सलर ने एक कमेटी का निर्माण किया। जयपुर के तीन प्रमुख नागरिक श्री जवाहरलाल जैन, श्री चिरंजीलाल अग्रवाल और भूतपूर्व शिक्षा सचिव श्री विशुदत्त जी शर्मा, तीन आदमियों की एक कमेटी मुकर्रर की गई जो कि इस विवाद को, विद्यार्थियों का कहना है कि पहले एडमिशन दिया गया और इसके बाद रद्द कर दिया गया, इस समस्या के मूल में जाने के लिए विचार कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यह कमेटी चान्सलर साहब ने मुकरर की है। उस कमेटी ने, सदन को जानकारी के लिए निवेदन कर दूं फंक्शन शुरू कर दिया है। वह उन सारे मुद्दों पर जायगी कि पहले विद्यार्थियों को एडमिशन दिया गया और बाद में क्यों रिफ्यूज कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कमेटी का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा, यह कानून को दोनों पक्षों से मिल कर तय किया था और मैं समझता हूं कि विदिन-ए-वीक उसकी रिपोर्ट पेश हो जायगी।

श्री मूलचन्द डागा : यह लिखित में है क्या? Is this in writing ?

श्री माणकचन्द सुराणा : A Committee was appointed by the Vice Chanceller.

श्री मूलचन्द डागा : Is it in writing or not ? What are the terms of the Committee ? It should have been in writing.

श्री माणकचन्द सुराणा : The V. C. had himself appointed the committee

श्री सूर्यनारायण चौधरी : They can do anything.

श्री ईश्वरचन्द्र : It is an important question.

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझा नहीं, जवानी बात कह कर आते हैं....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जवानी बातचीत होती हैं ।

श्री शंकरलाल : माननीय मंत्री महोदय इस पाइन्ट का जवाब जरूर दें कि जिन विद्यार्थियों को कालेज में एडमिशन दे दिया जिन्होंने फीस भर दी, क्या कमेटी उनको वापस लेने के बारे में विचार करेगी ?

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय शंकरलालजी जो अर्ज कर रहे हैं और डागा साहब ने जो पूछा, उस सम्बन्ध म मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले उनको एडमिशन दिये गये और उसके बाद रद्द किये, यही विवाद का मुद्दा है । विद्यार्थियों का कहना है कि जब एक बार एडमिशन दे दिया तो उसको रद्द कैसे कर सकते हैं । इस विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए ही कमेटी विचार करेगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप अब भी इसी को मंत्री की हैसियत से मानते हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : देखिये विवाद तो उनके बीच म था कि विद्यार्थियों को पहले एडमिशन दिया और फिर रद्द कर दिया गया । प्राइमाफेसी यह प्रत्येक इण्टेलिजेन्ट आदमी को लगेगा ।

श्री माधोसिंह कछवाह : क्या आप इस बात को मानते हैं कि....

श्री माणकचन्द सुराणा : आफ्टर आल आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि विवाद का यही मुद्दा था । वार्त्तालाप हुआ उस समय मैं किस स्थिति में था, चाहे आज हम मंत्री हैं पहले नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनिवर्सिटी ने जो आदेश दिये हैं उसके लिए मंत्री यह आदेश दे दे कि आदेश रद्द किये जाते हैं तो सरकार के इस काम पर रामनारायणजी खड़े हो जायेंगे और सरकार को ढेर सारी गालियां देंगे कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी पर प्रहार किया ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो यह मानता हूं कि सरकार सुप्रीम है, कोई आटोनामी नहीं है सरकार के सामने ।

श्री माणकचन्द सुराणा : विरोधी दल के माननीय नेता की यह राय हो सकती है यूनिवर्सिटी के मैटर में, लेकिन हमारी सरकार आटोनामी के प्रिन्सिपल की रक्षा करते हुए विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना चाहती है, इसलिये डायरेक्टली इण्टरफियर नहीं किया । हमने चान्सलर साहब से निवेदन किया और हमें खुशी है, अध्यक्ष महोदय, माननीय चान्सलर महोदय ने यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक कमेटी का गठन किया और हमारे सुझाव को स्वीकार किया ।

श्री रामनारायण चौधरी : चान्सलर कौन है ?

श्री माणक चन्द सुराणा : महामहिम राज्यपाल महोदय ।

श्री रामनारायण चौधरी : कौन हैं वे ?

Page No 16

(16)

श्री माणकचन्द सुराणा : श्री रघुकुल तिलक। वे खुद वाइस चान्सलर रहे हैं और विद्यार्थियों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने कमेटी बना दी है जिसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में आने वाली है। मेरा विश्वास है कि जो मूल विवाद का मुद्दा है उसका हल उस रिपोर्ट से हो जायगा।

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : यह कब तक हो जायगा ?

श्री माणकचन्द सुराणा : एक सप्ताह के भीतर, मैंने निवेदन किया कि रिपोर्ट आ जायगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने और श्री कालवी ने जाकर छात्र नेताओं को जेल में आश्वासन दिया था, वे लोग हंगर स्ट्राइक पर थे, उन की लीडरी को आपने तहस नहस कर दिया। आपने उनसे वायदा किया कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि एडमिशन मिल जायेंगे अगर उनको पहले एडमिशन मिल चुका तो। उनको पहले एडमिशन मिल चुका है, फीस भर चुके हैं और होस्टल में रह रहे हैं, फिर भी आज आप कहते हैं कि जब एक बार एडमिशन मिल जायगा तो रद्द कैसे हो सकता है। लेकिन यह जनता राज में हुआ है। आपने और श्री कालवी ने जाकर शिशुपाल की हंगर स्ट्राइक तुड़वा दी इस आश्वासन पर कि एडमिशन मिल जायेंगे, राजेन्द्र महला को एडमिशन मिल जायेगा। आपने शर्तों को मन्जूर किया उनकी हंगर स्ट्राइक तुड़वा डाली और आपने उनको जूस पिलाया। चार महीन हो गये उन लड़कों को एडमिशन दिये हुए, जुलाई के आखिरी सप्ताह में दिया गया था, चार महीनों के बाद आपने कमेटी बनाई है, अब वह रिपोर्ट देगी, फिर वाइस चांसलर के पास जायगी। यह आप छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह मजाक नहीं है।

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, चार महीने नहीं हुए हैं दो महीने हुए हैं, माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप गवर्नर साहब से बात करके इस समस्या का समाधान निकलवायें और लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सुराणाजी और कालवी साहब ने आश्वासन दिया उस समय वे दोनों मंत्री थे या नहीं थे ?

एक माननीय सदस्य : नहीं थे।

श्री सुरेश कुमार : तो श्रीमान् बातचीत में बड़ा फर्क पड़ेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : दोनों मंत्रियों के उत्तर हमने सुने। उद्योग मंत्री फरमाते हैं कि सेन्स आफ दी सोइल को नौकरी देने के लिए कानूनी दृष्टि से सरकार एम्प्लायर्स को मजबूर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सरकार अपने प्रभाव से नौकरी दिलवाने के लिए उन्हें बाध्य करेगी। यह क्या उत्तर है ? एक तरफ आप कानूनी दृष्टि से उनको बाध्य नहीं कर सकते तो फिर कौनसे प्रभाव से उनको बाध्य करेंगे ? कानून के खिलाफ ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय ने कहा......

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार की तरफ से उत्तर संतोषजनक नहीं है।

मेजर श्री फतेहसिंह (मीम) : व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 28 की ओर आकर्षित करता हूँ।

(मेजर श्री फतहसिंह)

'अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया-जब कभी अध्यक्ष खड़ा हो उसे शांतिपूर्वक सुना जायेगा और कोई सदस्य, जो उस समय बोल रहा हो या बोलने वाला हो, तुरंत बैठ जाएगा।"

मैं क्षमा चाहता हूं, हम लोग प्रायः इस नियम का उल्लंघन करते हैं जिस से इस सदन की गरिमा घटती है। मैंने इस समय यह व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उठाया कि विरोधी दल के नेता उस समय बोल रहे थे जब कि अध्यक्ष महोदय, खड़े थे। इस नियम का दृढ़ता से पालन करवाया जाए ताकि हमारे सदन की गरिमा बनी रहे।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : He is immune from the operation of the rules.

मेजर श्री फतह सिंह : You are also immune Everyone is committing mistake.

मैंने यह भी देखा है कि अध्यक्ष जब खड़े होते हैं तो मंत्रीगण भी इधर-उधर घूमते नजर आते ह। यह भी नहीं होना चाहिए, ट्रेजरी बेंचेज को आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : This is not the way to sit in the House. मैं एतराज करता हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बिल्कुल सही बैठा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : श्री फतेह सिंह ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया हैं उससे मुझे विरोध नहीं है। लेकिन जिस तरीके से, जिस समय उन्होंने उठाया और जो प्रक्रिया अपनाई उससे मेरा विरोध हैं। आसन के प्रति सम्मान रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आसन हमारे अधिकारों का कस्टोडियन है। यदि कोई सदस्य खड़ा हो उसके बाद आसन एकदम खड़ा हो जाएतो हम अपनी बात कैसे कह सकेगें। इसी सदन में, सदन के नेता, माननीय श्री भैरोंसिहजी जब यहां बैठते थे, जनसंघ दल के नेता थे, 1967 के अन्दर तब एक दिन श्री निरंजननाथ आचार्य अपने पैरों पर थे, बार-बार श्री भैरोंसिहजी से आसन ने कहा कि स्थान ग्रहण करें, आसन पैरों पर है, तो उन्होंने कहा मैं भी अपने पैरों पर हूं आप बैठिये..

मेजर श्री फतहसिह : भैरोंसिहजी गलती कर रहे थे तो आप भी करेंगे।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : गलत कह रहे हैं। प्रोसीडिंग्ज मौजूद हैं, हमारे नेता पर आरोप लगाना गलत है।

श्री रामनारायण चौधरी उस पर व्यवस्था हुई....

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : क्या भैरोंसिहजी की परम्परा को आप अपनाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : मैंने देखा था कि अध्यक्ष महोदय, खड़े थे और उस समय आप भी खड़े थे। आप कुछ कहना चाहते थे। फिर आसन को बैठना पड़ा। मैंने यह नहीं कहा कि आप ही गलती करते हैं, सभी गलती करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा होता रहा है कि माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो आसन बैठ जाता है और माननीय सदस्यों को सुनता है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : होता रहा है लेकिन अब नहीं होना चाहिए। इस नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : कम से कम विरोधी दल के नेता को तो शालीनता रखते हुए सदन की परम्पराओं व नियमों का आदर करना चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा : पहले जो गलती हुई वह अब नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : सदन को अच्छी तरह से चलाना है तो जरूरी है कि सदन में अपनी बात कहने के लिए सदस्य खड़े होकर अध्यक्ष से निवेदन कर सकते हैं। इसकी मन्शा यह नहीं है कि वह आसन के प्रति आदर नहीं करते। वह अपनी बात कहना चाहते हैं। अध्यक्ष खड़े होते हैं, फिर भी सदस्य दो शब्द कहना चाहते हैं तो अध्यक्ष स्वयं बैठ जाते हैं। हमेशा से परम्परा रही है।

(व्यवधान)

बाकी इस तरह से सदन सही तरह से नहीं चल पाएगा। इसलिए रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। विरोधी दल के पास एक ही चीज है, वह यह है कि अपनी बात सदन में रखता है। उसकी गार्जियनशिप अध्यक्ष महोदय, के पास है। श्री फतहसिंह ने जो बात रखी है उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि हमारा यह मतलब नहीं है कि हम आसन का किसी भी प्रकार से अनादर करें। अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष में बैठे हैं आप जानते हैं कि उसके पास कौनसा हथियार ह जिससे वह अपनी बात कह सकें ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जब अध्यक्ष खड़े हो जायेंगे तो जो कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो उसको बैठना पड़ेगा। अध्यक्ष नहीं बैठेंगे। वह आपकी इज्जत करने के लिए बैठ जाते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं विपक्ष में बैठे हैं, सदन की कार्यवाही को देखा है। केवल कानून से काम नहीं चलता।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में काफी चर्चा हो गई।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई चर्चा नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस पर कोई व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है, यह सर्वमान्य है। सदन में जो कार्यवाही चल रही है वह ढंग से चले तो मुझे आपत्ति नहीं। मेरा केवल मात्र संकेत यह है कि जब आसन खड़ा हो उस समय सदन के अन्दर व्यवधान नहीं हो तो सुचारु रूप से हमारी कार्यवाही चल सकेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका बहुत ही इनोसेंट आब्जरवेशन है, मुझे उस पर आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन उस वक्त तो भैरोंसिहजी व आचार्यजी के बीच वार्तालाप हुआ....

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय विरोधी दल के नेता को मना लीजिए बोलने के लिए।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है दूसरी व्यवस्था नहीं चाहिए हमको।

श्री नवरंगसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों की गरिमा कायम रखनी चाहिए।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है इसी संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान मैं नियम 296 की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें व्यवस्था के बारे में लिखा ह :

"296 अध्यक्ष व्यवस्था बनाये रखेगा और विनिश्चयों का प्रवर्त्तन करेगा:- अध्यक्ष व्यवस्था बनाये रखेगा और अपने विनिश्चयों के प्रवर्त्तनों के प्रयोजन के लिए उसे सब आवश्यक शक्तियां होंगी'।"

माननीय श्री फतहसिंह जी ने प्रश्न उठाया और उस पर आपने व्यवस्था दे दी यह आपके विवेक के ऊपर है। आप जिस उदारता से सदन को चला रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, हम सब को उससे सन्तोष है, आप किस तरह से उदार दिल से बोलने का माननीय सदस्यों को मौका देते हैं। बिल्कुल ही इन नियमों के तहत कड़ाई से पालन नहीं कर रहे ह । आपने व्यवस्था भी दे दी है तो मैं विरोधी दल के नेता महोदय से कहूंगा कि वह अब और इससे आगे कुछ न कहें ।

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यही था कि हाउस परम्पराओं पर चलता है, या आपके नियम बने हुए हैं इनके तहत चलता है ?

कुछ माननीय सदस्य: दोनों से चलता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

हाउस परम्पराओं से चलता है। हाउस नियमों की स्प्रिट से चलता है और वर्ड्स के ऊपर नहीं चलता है ।

(व्यवधान)

अब इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी ।

श्री ईश्वरचन्द्र : इस संबंध में नहीं है। मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में कहा था..

श्री अध्यक्ष : एक और स्थगन प्रस्ताव है। आधा घंटे की चर्चा होगी और फिर कार्यवाही दूसरी होगी ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैंने मकराना....

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय माननीय खेतसिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है मैं उसका जवाब दे रहा हूं

(व्यवधान)

नहीं चाहते हैं तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : आप उस समय उपस्थित नहीं थ, माननीय सदस्य ।

श्री रामनारायण चौधरी : एक दिक्कत है, दूसरे माननीय सदस्य बोलने के लिए रह जाय उसके लिए मैं झगड़ना नहीं चाहता और किसी तरह के विवाद मे नहीं पड़ना चाहता। मैंने यह समझा कि लास्ट में लेंगे...

श्री सूयनारायण चौधरी : आप बहुत बाद मे आये हैं। दूसरे स्थगन प्रस्ताव को लिया जा चुका है। उसके बाद आप तशरीफ लाये हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री खेतासिंहजी ने यूनिवर्सिटी के मामले में आखिर निवेदन किया उस पर मैं निवेदन कर रहा था। बीच में विपक्ष के नेता खड़े हो गए इसलिए मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। उन्होंने तीन मुद्दे उठाये हैं। हमने आश्वासन दिया था कि उन सब 288 विद्यार्थियों को भर्ती हो जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन टर्म्स में आप बता रहे हैं उन टर्म्स में यह बात सही नहीं है। हमने शुरू से ही यह कहा था कि हम चान्सलर महोदय द्वारा तीन महानुभावों को एक कमेटी गठित करवा-

(श्री माणकचन्द सुराणा)

यंगे। उनका यह कहना था कि इस कमेटी में आप ही रहें। हमने अपनी असमर्थता उसी समय प्रकट कर दी थी कि हम इस कमेटी में नहीं रह सकते। चान्सलर महोदय जिनको चाहेंगे उनको इस कमेटी मे रखेंगे इस कमेटी में खास तौर से राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं होने चाहिए। यह बात हमने उसी समय ही साफ कर दी थी.....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आपकी भाषा बदल गई। मंत्री हो गए ना।

श्री माणकचन्द सुराणा : मंत्री होने से कोई चार चांद नहीं लग गए और पहले भी कोई कमजोरी वाली बात नही थी।

श्री भंवरलाल ऐरन : अब आप मंत्री नहीं हैं इसलिए आपकी भी बोली बदल गयी है।

श्री माणकचन्द सुराणा : चान्सलर महोदय ने जो टर्म्स एण्ड रेफरेन्स कमेटी को दिये हैं उसमें राजेन्द्रसिंह महला का मामला भी सम्मिलित है। यह कमेटी निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेगी। दोनों मुद्दे यानि 288 विद्यार्थियों के प्रवेश का मामला और राजेन्द्र सिंह महला के रेस्टीकेशन का मामला इस कमेटी के टर्म्स एण्ड रेफरेन्स में हैं।

रहा सवाल पुलिस के बारे में और आर. ए. सी. को हटाने का, आपने कहा कि वहां पुलिस अभी तक लगी हुई है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटी में सिर्फ जो रूटिन विजिलेन्स पुलिस को रखनी है वही जारी है। कोई पुलिस सकड़ों की तादाद में तैनात वाली बात नहीं है। केवल दस पन्द्रह रूटिन विजिलेन्स में हैं। मैंने अभी-अभी जानकारी की है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो अण्डरस्टेंडिंग विद्यार्थियों को दी है वह चान्सलर महोदय ने कमेटी का गठन करके पूरी कर दी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 15 तारीख तक फैसला करवा दीजिए।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी मेरी सहानुभूति उन विद्यार्थियों के साथ है जिनको कि एडमिशन एक बार देने के बाद रद्द कर दिया है। यूनीवर्सिटी का भी एक पक्ष है। यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने एडमिशन के बारे में एक कमेटी बैठा कर जांच करवाई। उसने यह रिपोर्ट दी कि इनका एडमिशन रद्द कर दिया जाय। प्रोफेसर दयाकृष्ण ने कहा कि इस कारण से हमने इनका एडमिशन रद्द कर दिया है। इस मामले को री-ओपिन करने के लिए ही यह कमेटी बनाई गयी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मुद्दा क्योंकि एक सक्षम कमेटी के सामने विचाराधीन है और हमारी सहानुभूति आपकी तरफ जहां है वहां है लेकिन क्योंकि हम डायरेक्ट-इन्टरफियरेन्स नहीं कर सकते और चान्सलर महोदय ने विधिवत कमेटी बना दी है जो कि सक्षम निर्णय करके जो एडमिशन रद्द किये हैं उनके बारे में कोई भी आदेश दे सकती है इसलिए हम इसको अधिक विवाद का मुद्दा नहीं बनायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो एडमिशन दिला दीजिए झगड़ा खतम है।

श्री माणकचन्द सुराणा : जो जो निर्णय यह कमेटी करेगी निश्चित रूप से जो समस्या पैदा हुई है उस समस्या का समाधान उससे हो जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : गोल-मोल उत्तर है आपका। आप यह बतायें कि अगर उनकी भर्ती नहीं करते हैं तो ?

श्री माणकचन्द सुराणा : अगर नहीं करते हैं तो वाइस चान्सलर कमेटी की रिपोर्ट भी भर्ती करने के लिए नहीं होगी तो यूनीवर्सिटी पाबन्द है, चान्सलर भी पाबन्द है। हम उनके निर्णय को डिक्टेट नहीं कर सकते।

श्री **ईश्वरचन्द्र** : यह हाईपोथेटिकल है।

श्री **मूलचन्द डागा** : हाईपोथेटिकल तो आप बना रहे हैं।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : छात्र इसके लिए पाबन्द नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अब इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। उत्तर पर्याप्त रूप में मिल चुका है। चर्चा नहीं होगी।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : श्री खेतसिंह जी उसी राजेन्द्र महला की पैरवी कर रहे हैं जिसको इन्होंने मीसा में बन्द किया था और जेल डाला था।

श्री **अध्यक्ष** : कृपया इतिश्री इसकी होनी चाहिये।

श्री **अब्दुल अजीज** : अध्यक्ष महोदय, मकराना मे कुछ अव्यवस्था हो रही है विशेष तौर से बच्चों को उठा ले जाने के सनसनीखेज वाकयात हो रहे हैं। जिनसे वहां की आम जनता में बेचैनी फैल रही है। पुलिस विभाग इन समस्त समस्याओं को सुलझाने में असफल रहा है। इसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव मैंने पेश किया है। अभी करीब दस दिन पहले की बात है कि बदरी मालपानी के एक लड़के जिसकी उम्र करीब आठ दस साल की होगी, को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उठाया और हाथ पांव बांध कर किसी गड्ढे में शहर के बाहर डाल दिया। फिर कोई मोहम्मद भाई बच्चे को उठाकर दस घंटे के बाद शहर में लाया और स्टेशन चौक में उसको सबके सामने खोल कर उसके घर पहुंचाया। उस दौरान सारे परिवार के लोगों को बेचैनी हो गयी कि हमारा बच्चा कहां गया।

इसी प्रकार से दूसरे दिन व्यास परिवार का एक बच्चा जो कि शिव चौक मकराना में रहता है, जिसकी भी उम्र आठ नौ साल की थी, वह भी गायब हो गया। आठ दस घंटे की तलाश के बाद हाजिर हुआ। इसी तरह से एक रोड़ा वास मोहल्ले का बच्चा भी गायब हुआ और आठ–दस घंटे गायब होने के बाद मिला। बच्चों को उठाकर ले जाने की वहां एक सनसनीखेज बात बन गयी है। रात–दिन आदमी अपने बच्चों की गिनती में लगे रहते हैं। वहां मजदूर इलाका है। वह अपनी खानों में और कारखानों में जाते हैं। पुलिस वहां क्या करती है? जब रोजाना यह वाकयात हो रहे हैं और पुलिस के रोजनामचे में वाकयात दर्ज किये गये हैं तो पुलिस वहां क्या कर रही है? थानेदार क्या कर रहा है ला एण्ड आर्डर के बारे में। मैं विस्तार से अर्ज करूंगा लेकिन सरकार को भी इस संबंध मे बहुत ही ध्यान पूर्वक काम करना चाहिए और देखना चाहिये कि यह क्या बात है। बड़े शहरों में से बच्चे गायब हो जायें और पुलिस बिलकुल निष्क्रिय रहे और घटना को रोक नहीं सके मुझे बड़ा ताज्जुब होता है यह बयान करते हुए। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के जो वाकयात नजर आ रहे हैं क्या यह उसी प्रकार का षड्यन्त्र है जैसे पहले हम सुना करते थे। ऐसे वाकयात हुआ करते थे कि बच्चे गायब हो जाते थे अगर इस मामले में कोई फकीर पकड़ा जाता था तो उसको पीटा जाता है। बढती हुई नगरी में लोग रोजगार के लिये बाहर से आते है। उनके साथ यह घटना घटती है तो बड़ी शर्मनाक बात है राज्य के लिये। क्या यही बात है कि पुलिस अपनी झेंप मिटाने के लिए उनको केवल पीटना चाहती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं पुलिस विभाग सतर्क रहे। यदि किसी पुलिस अधिकारी से काम नहीं सम्भलता है तो उसको बदलिये। कौन ऐसा आदमी है जो इस प्रकार के प्रयास कर रहा है, हरकतें कर रहा है? अगर किसी के बच्चे चले जाते हैं तो यह बहुत ही पीड़ाजनक बात

(श्री अब्दुल अजीज)

होती है। इसलिये राज्य सरकार में जो बैठे हैं, लॉ एण्ड आर्डर के जो मंत्री हैं, होम मिनिस्टर साहब, वे शादियों में लगे हुए हैं, सारे काम शादियों में लग जाने से अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। कुछ व्यवस्था करें, यदि इस तरह की बैचेनी हो गई और कोई बच्चा चला गया तो राज्य की क्या हालत होगी ? हमारी ट्रेजरी बेन्चेज में बैठे हुए माननीय सूर्य नारायणजी, जो राज्य सरकार में काफी असरदार व्यक्ति हैं, से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की अव्यवस्थाओं को अतिशीघ्र दूर करें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके एक स्टेटमेंट 13 तारीख को दे दिया जायगा यदि आप किसी स्थानीय अधिकारी से रुष्ट हैं तो वैसे ही कह दें।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय मैंने आज तक किसी से कहा ही नहीं है।

श्री नूरा (मसूदा): आप बिना इनक्वायरी के कह रहे हैं। इनक्वायरी करने पर सामने आ जायगी।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है क्या ?

श्री नूरा : तीन बच्चे गायब हुये हैं, इसको आपने सीरीयसली नहीं लिया है।

(व्यवधान)

एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन बच्चे गायब हो गये हैं और आप इसको सीरीयसली नहीं ले रहे हैं, यह बड़े दुःख की बात है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या ?

(व्यवधान)

इसकी जानकारी कर ली जायगी और आपको सन्तुष्ट किया जायगा।

श्री अब्दुल अजीज : मैं किसी अधिकारी विशेष के ट्रान्सफर में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

आधे घण्टे की चर्चा
राज्य में सैकण्डरी स्कूल एवं उनमें उर्दू का विषय
(तारांकित प्रश्न संख्या 235)

माननीय अब्दुल अजीज !

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेना शुरू करें तब।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, उर्दू के सम्बन्ध में आध घंटे की चर्चा शुरू करने का मौका आपने मुझे दिया, इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। आज माननीय मंजूर अली जी यहां तशरीफ नहीं रखते है लेकिन मैं....

श्री रघुनन्दन व्यास : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, जिसने आधा घंटे की चर्चा मांगी है, आज वे तो सदन में उपस्थित हैं नहीं तो क्या दूसरे माननीय सदस्य चर्चा उठा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उठा सकते हैं, माननीय मंजूर अली जी किसी कारणवश सदन में उपस्थित नहीं हो सके इसलिये उन्होंने माननीय अब्दुल अजीज को यह अधिकार दिया है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मेरे दस्तखत हैं ।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है तो मैं यह प्रस्ताव रख देता हूं ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, उर्दू जो....

(व्यवधान),

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुरेश कुमार जी ने विचार किया है यदि आप उस पर विचार करते हैं तो माननीय सदस्य....

श्री अब्दुल अजीज: अध्यक्ष महोदय मैं आपकी दी हुई व्यवस्था को शिरोधार्य करता हूं और उसमें विश्वास करता हूं ।

श्री सुरेश कुमार : किसी माननीय सदस्य को एतराज हो तो मैं उठा सकता हूं मेरी जगह माननीय अजीज साहब को बोलने की स्वीकृति दे दें ।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे उर्दू से कोई एतराज नहीं है । मैं तो सिन्ध में जन्मा हूं और शाह अब्दुल लतीफ साहब का अनन्य भक्त हूं ।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, उर्दू की जुबान....

(व्यवधान)

आजादी के पहले इस देश की जबान चली आ रही थी । सवाल यह है कि यह जुबान दुनियां की तमाम अवाम की जुबान में बराबर का दर्जा रखती है । दुनियां के तमाम ग्रन्थ दुनियां के तमाम धर्म तथा दुनियां की तमाम धार्मिक किताबें उर्दू जुबान में हैं । उर्दू की जुबान कितने लोग बोलते हैं भारत में और भारत के बाहर कितने अखबार उर्दू में निकलते हैं । आज के दिन उर्दू जुबान की शोहरत का यह एक बहुत बड़ा सबूत है । अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि उर्दू जुबान के लिये जनता सरकार ने अपने मेनिफेस्टो में वोट लेने से पहले आम अवाम से यह कहा था कि हम आपकी उर्दू की तरक्की करेंगे, आप हमें वोट दीजिये । आपने अपने मेनिफेस्टो में कहा है और अवाम ने आपको राज्य इस नाम से दिया । माइनोरिटी के वोट के आधार पर आप कामयाब हुए उसने आपको राज्य बनाने में सक्षम किया । अध्यक्ष महोदय, उर्दू जुबान के लिये इस डेढ़ साल की अवधि में सरकार ने क्या किया ? उर्दू अकादमी उर्दू अंजुमन तरक्की, दूसरे राज्य की उर्दू के प्रति नियत तीसरी बात सरकार की योजनाबद्ध उर्दू की नीति को गिराना या कामयाब न करना, चौथी बात जो वजीर तालीम हैं उनके द्वारा उर्दू के प्रति कुछ न करना । शिक्षा का जो पूरा विभाग है, मंत्रालय है, उसमें उर्दू को कितने लोग-चाहने वाले हैं । पांचवी बात अध्यक्ष महोदय, मैं और अर्ज करना चाहता हूं. जो काम हम नहीं करना चाहें. हमें उस काम का जिक्र नहीं करना चाहिये अगर आपकी सरकार उस काम को नहीं कर सकती, उसको नहीं करना चाहती नियतन तो फिर उसका ढिंढोरा मत पीटिए और कह दीजिए कि हम उर्दू पढ़ें नहीं. केवल मुशायरे करें । मुशायरों में बड़े-बड़े नेताओं को बैठाने की बात एक एडवर्टाईजमेंट लगता है कम्पनी का कि हमारा यह प्रोडक्ट है । डालडा के एडवर्टाइजमेंट यह बनस्पति प्रोडक्ट है, की तरह से उर्दू मजलिश के अवाम को यह बताना चाहते हैं कि हम उर्दू के हामी हैं । आपने कितने लोगों को उर्दू पढाने का मौका दिया है, उर्दू माईनोरिटी की तहजीब का एक सवाल है । वह किसी न किसी कल्चर को छुपाए हुए हैं । अगर आप उसकी कल्चर को जिन्दा रखने के लिए, पनपाने के लिए, उसको सिखाने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए मौका देना चाहते हैं तो आपको पूरा मौका देना होगा। उनके लिए ..

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

Page No 24

(24)

(श्री अब्दुल अजीज)

अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरुआत हुई है इस बात की। मैं तो आपको प्रमाण दूंगा कि मौजूदा शासन की उर्दू को अन्दर ही अन्दर खत्म करने की क्या योजना है। आपने जब माईक दिया है, डायस दिया है तो मुझे बोलना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको तीस साल .....

श्री अध्यक्ष : फिर चर्चा, माननीय सदस्य, आधा घंटे में समाप्त हो जावेगी। इसका आप ध्यान रखें और बोलें।

श्री ईश्वरचन्द्र : हम लोग भी बोलेंगे पांच-पांच मिनट। हमारा नाम भी है। और लोग भी बोलने वाले हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे विरोध पक्ष वाले ज्यादा अच्छा बोलते हैं आप उधर वाले तो भांडगिरी करोगे।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री भी उत्तर देंगे, समय का ध्यान कृपया रखें।

श्री अब्दुल अजीज : उर्दू बच्चों को तालीम देने के लिए मैं चाहता हूं कि हम सोचें। उनके लिए इस सरकार ने कोई भी सराहनीय काम नहीं किया है नीचे के बेसिक पोइन्ट पर। अध्यक्ष महोदय, हमारा तीन जुबान का फार्मूला है। एक मादरे जबान, एक हमारे देश की भाषा और एक आप्शनल तो मादरे जबान उर्दू जो बच्चे रखते हैं, उनके परिवार के लोग रखते हैं और उर्दू लिखते हैं, बोलते हैं उनकी अपनी लफज जुबा के अन्दर, क्या हम उनके हामी बने हुए हैं क्या हमें उस फार्मूले की परवाह है? क्या हम उस सत्यवादी आन को निभाते हैं? क्या हर अवाम को उसकी अपनी जुबान का अख्तियार देंगे? हमें अपने मजहबी अख्तियारात हैं? हम कहते हैं कि कायदे के अख्तियारात देंगे। दुनिया भर की फ्रीडम, के लिए हम गौरव से कहते हैं, उसके लिए हकीकत में क्या आयन काबिल हैं? उसकी शोहरत और कामयाबी को देखें और उसकी हकीकत पर गौर करें तो क्या यह सही पायेंगे? यह मौजूदा निजाम में दौरे हुकुमत चाहे दिल्ली की हो, चाहे सूबों की हो, कहां तक इसमें कामयाब हुई है। सदरे मोहतरम इसका मुलाहिजा करियें कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह कितना सही है। कितने लोग अन्दर ही अन्दर पिसते हैं। मैं कहता हूं कि तीस साल में भी कुछ ज्यादा कामयाबी और तरक्की नहीं हुई है ....

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : तीस साल में कुछ नहीं हुआ है।

श्री अब्दुल अजीज : पिछली सरकार ने उर्दू अकादमी को कायम करके रख दिया। उर्दू के प्रसार की योजना बनाई। आपने उनको कहां तक आगे बढ़ाया? आज तक उर्दू अकादमी का आफिस नहीं खुल सका। इस सरकार ने अकादमी का चैयरमन भी वैसा ही बुजुर्ग बना दिया जैसी बुजुर्ग यह जुबान है। हमारी अकादमी के चेयरमैन बना दिए गए हैं। जब मैंने उनसे पूछा, चेयरमैन साहब, अब तक आपने क्या काम किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास तो चैयरमैनी के अलावा कुछ नहीं है। गजट नोटिफिकेशन करा दिया और जो कुछ खर्च का अधिकार था, 31 मार्च तक तीस हजार ट्रांसफर हुआ था, उसमें से मुझे एक पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जरा मुलाहिजा करिये, घोषणा कर देना, चुनाव के पहले चैयरमैन मुकरर कर देना अपने हिसाब से एक बात है लेकिन काम करना और बात है। अगर पिछली सरकार ने अपने हिसाब से चैयरमैन बना दिया तो आप अपने हिसाब से किसी और को चैयरमैन बना दें। मैं कहता हूं कि किसी को भी बनायें, अपनी मर्जी से बनायें लेकिन जिसको आपने बना दिया उसकी जुबान तक आप काट कर धर दें तो क्या फायदा? वह कहते हैं कि मैं एक टेबल कुर्सी तक नहीं खरीद सकता, अपना आफिस नहीं लगा सकता, एक भी पैसा बजट से लेने का अधिकार नहीं है। जब मुख्यमंत्री भैरोंसिंहजी बने तो इन्होंने वायदा किया कि हम उर्दू की तरक्की आपसे ज्यादा करेंगे। उन्होंने सदन में कहा, हमारे रामलीला ग्राउण्ड में कहा

(श्री अब्दुल अजीज)

छबड़ा चुनाव से पहले कहा था। मैं बड़ी इज्जत करता हूं भैरोंसिहजी की और उनमें बहुत विश्वास रखता हूं कि वे कुछ करेंगे लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता जाता है मेरा एतबार......

श्री मूलचन्द डागा : घटता जाता है।

श्री अब्दुल अजीज : घटता नहीं बल्कि उम्मीद से और भी बढ़ता है कि अब भी और कुछ न कुछ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब आपने उर्दू अकादमी का आफिस कायम किया तो उर्दू अकादमी के चेयरमैन को अख्तियारात दें कि वह अपना आफिस खोलें, वह अपनी व्यवस्था करें उर्दू की तरक्की के लिए जहां जहां जरुरत हो। अंजुमन तरक्की रजिस्टर्ड बोडी है, सब लोग उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू बोलने वाले उसके माध्यम से जो सुझाव देंगे उनको नाफिज करें।

यह पहला सबूत है कि उर्दू के साथ बहुत बड़ी गैर इंसाफी बरती गई है। चुनावों में जो वायदे किये गये थे उनको भुला दिया गया है, यह इसका सबूत है।

दूसरी बात उर्दू टीचर्स के तबादलों के बारे में है। मैं बताना चाहता हूं मौजूदा सरकार किस तरह तबादले कर रही है। मोती कटला स्कूल में आप जानते हैं कि उर्दू भाषा पढ़ने वाली बहुत सी बच्चियां हैं। इधर तो आप वादा करते हैं कि उर्दू टीचर्स को रखेंगे लेकिन उधर जान बूझ कर एक वर्ष से निरन्तर न मालूम किस नीयत से उर्दू पढ़ाने वालों को तितर-बितर कर दिया गया है जब कि आपका वायदा था कि उर्दू की तरक्की करेंगे। आप उर्दू टीचर्स का अपाइन्टमेंट नहीं करते। आप बता सकते हैं कि कितने उर्दू टीचर्स को इन संस्थाओं में लगाया? कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, उसके अन्दर कितने उर्दू लैंग्वेज के टीचर ताइद किए और इन पर कितना रुपया खर्च किया। केवल मुशायरों में बैठ कर, गजलें और शेर सुन लेने से और बड़ी-बड़ी बातें सुन करके हार-मालाय पहन लेने से उर्दू की तरक्की सम्भव नहीं है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ज्यादा अर्से तक इंसान को बहलाया नहीं जा सकेगा। मैं कह रहा हूं कि सरकार ने वायदे अवाम से किये हैं एक ट्रेनिंग सेंटर अजमेर में चलता है उसके बारे में मेरे पास डिटेल्स हैं। जो वहां पर एलोकेशन किया है एज्यूकेशन डिपार्टमेंट से हुकुमनामा निकला है स्टाफ एजूकेशन का उसमें उन्होंने सीनियर टीचर हिन्दी के लिए लगाया है, सोशल स्टडीज के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, जनरल साईन्स के लिए है, ड्राइंग वगैरह के लिए है लेकिन जिस जुबान के जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग में हैं, उस जुबान के लिए न तो सिंधी जुबान के लिए हैं, न उर्दू जुबान के लिए टीचर्स हैं आप ताज्जुब करेंगे कि जहां पर आप टीचर्स तैयार कर रहे हैं सिंधी और उर्दू जुबान के लिए वहां टीचर्स नहीं हैं। जो ढांचा पिछली सरकार ने बनाया था उर्दू की ट्रेनिंग देने का उसमें आपने क्या किया है? जो माइनोरिटी लिंग्विस्टिक का फार्मूला था उसको तोड़ कर रख दिया है। यह लैटर है वहां के टीचर्स का। उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या पता यह सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले ले। इस सरकार पर भरोसा नहीं है। उस टीचर की लिखी हुई चिट्ठी है उसमें लिखा है कि अभी तक हमारे पास न सिंधी जुबान का टीचर पढ़ाने वाला है और न कोई उर्दू जुबान को पढ़ाने वाला आया है। उन्होंने बार-बार लिखा है। जब आपने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए सीनियर टीचर दे दिया तो क्यों कहते हैं कि उर्दू तालीम के लिए हम सैकिंड ग्रेड का टीचर देंगे? आप बराबरी का दर्जा दीजिए। हम यह नहीं कहते कि हिन्दी की कुर्बानी करके उर्दू को पनपायें। हिन्दी हमारी मादरी जुबान है लेकिन जिनका कल्चर जिस जुबान से जुड़ा हुआ है, जिनकी तहजीब जिस जुबान से जुड़ी हुई है, जिस जुबान से वे पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं उसमें ही उनको जिन्दा रहने दीजिए। हिन्दुस्तान के अवाम की

(श्री अब्दुल अजीज)
भावनाओं की इज्जत करिये । जो लोग अपने देश के प्रेमी हैं, अलग-अलग कौमों के हैं, उनको जिन्दा रहने दीजिए । अगर आप चाहें कि आप उनको इस तरह से नहीं रहने देंगे तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे ।

मैं आपके माध्यम से अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया है । मैं फिर अर्ज करता हूं कि जब आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में सीनियर टीचर्स दिए हैं तो उस ट्रेनिंग सेंटर में उर्दू में भी सीनियर टीचर्स होने चाहियें । अभी क्या हो रहा है ? अजमेर ट्रेनिंग सेन्टर की जुबान हिन्दी है । जो लोग उर्दू पढ़ते हैं उनके पर्चे हिन्दी में भेजेंगे तो करेंगे क्या वे लोग ? जब आपने उस ट्रेनिंग सेन्टर को इस मकसद के लिये कायम किया है तो क्यों नहीं पर्चे उर्दू में भेजते, सिर्फ हिन्दी विषय को छोड़ कर साल भर हिन्दी में पर्चे भेजते रहे ।

इसके साथ-साथ सैकेण्डरी स्कूल मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वह हटा कर हायर सैकण्डरी मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी इस कारण 5-5 सीटें भी नहीं भरी जा सकी । इसका कारण क्या है ? इसके पीछे बड़ी भारी जहनियत है कुछ लोग हैं जो राज्य में उर्दू के जुबान को पनपने देना नहीं चाहते । मैंने देखा है, अमरबेल होती है वह दरख्त के पत्ते तक को खतम कर देती है । ऐसे लोग अमरबेल हैं देश में । यह जब तक रहेंगे, देश को पनपने नहीं देंगे । ये पेरेसाइट्स नहीं पनपने देते हैं हमें, अध्यक्ष महोदय, लोगों का नाम लेने से, पार्टी का नाम लेने से खलीम हो जाती है लोगों को । मैं कहना चाहता हूं कि वे अपनी राजनीति को सुधारें हमारे देश के कल्चर को जिन्दा रखने के लिये, परम्परा को जिन्दा रखने के लिये इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस उर्दू अकादमी को कायम रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें

श्री अब्दुल अजीज : इसके चैयरमेन यह मालूमात करें कि कितने बच्चे स्कूल में उर्दू पढ़ना चाहते हैं । कहां इसमें गड़बड़ है । वे शिकायतों को सुनते रहें । डायरेक्टिव देते रहें । उर्दू अकादमी के चेयरमैन हैं वह चिट्ठी का जबाब तक नहीं देते ।

श्री ईश्वर चन्द : पूरा आधा घंटा लिये जा रहे हैं ।

श्री नूरा : यह सरकार की मेहरबानी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सभी बातों पर प्रकाश डाल दिया है अब आप क्या चर्चा कर रहे हैं ?

श्री अब्दुल अजीज : शुक्रिया ।

श्री जहूर मोहम्मद : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर, शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री यहां पर मौजूद नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य ।

श्री सुरेशकुमार : अध्यक्ष महोदय, अन्य भाषाओं की तरह इस देश में उर्दू भाषा का भी विकास किया जाना जरूरी है । श्रीमान् मेरी मां खुद उर्दू भाषा में इतनी पारंगत है जितनी हिन्दी और अंग्रेजी में नहीं । इस भाषा का अपना साहित्य है, अपनी संस्कृति है, इसके अनेक अनुयायी हैं । ऐसी मीठी भाषा का विकास होना लाजिमी है लेकिन इस भाषा को एक धर्म और जाति से जोड़ दिया गया है । यह सारा झगड़ा इसी वजह से है । अगर इस भाषा का विकास करना है तो इसे धर्म और जाति से अलग करना होगा । मान्यवर जो लोग जाति से इसे जोड़कर रखना चाहते है वे उर्दू के समर्थक नहीं विरोधी हैं अरबी और फारसी विदेशी भाषा हो सकती है लेकिन उर्दू इसी भूमि से उपजी है । यह महान संस्कृति और मिठास की भाषा है । उर्दू को अन्य भाषाओं की तरह देश की भाषा समझ कर इसका विकास देश में होना चाहिये और इसके लिये पूरा-पूरा सहयोग सरकार की तरफ से मिलना चाहिये

(श्री सुरेश कुमार)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री करतारसिंह ।

श्री करतार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए आधा घण्टे की चर्चा का समय दिया । मैं, माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, राजस्थान में जनता पार्टी और केन्द्रीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें स्पष्ट लिखा हुं कि अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे और अल्प संख्यक भाषाओं को प्रोत्साहन देंगे । आज 15-16 महीनों के शासन में हमारी जनता सरकार ने इस भाषा को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उर्दू के प्रति जो भ्रामक प्रचार है उसको बन्द करें और इसकी तरक्की के लिय कोई मार्गदर्शन दें

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि मेरे प्रश्न सं. 235 के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि राजस्थान में दो सैकण्डरी स्कूलों में उर्दू विषय खोला गया है । फिर यह कह कर बन्द कर दिया गया कि इसमें विद्यार्थियों की कमी है । मैं कहना चाहता हूं कि विषय खोल दिया जाता है लेकिन अध्यापक लगाया नहीं जाता । राजस्थान में उर्दू पढ़ने वालों की कमी नहीं है । उर्दू के अध्यापक नहीं भेजे जाते इसी वजह से विद्यार्थियों की संख्या में कमी होती है ।

इसके अलावा अल्प-संख्यक वर्ग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे किशनगढ क्षेत्र में सिंधी विद्यार्थी थे उनके लिये सरकारने सिन्धी विषय को मिडिल स्कूल में शुरू किया, मुझ वहां के अध्यापकों ने जानकारी दी कि वहां आज भी सिन्धी का अध्यापक नहीं है । मैं कहना चाहता हूं केवल मात्र थोथी घोषणा करने से अल्प संख्यकों का विकास नहीं होगा । सरकार इनकी भाषा के विकास के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाती है ।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में मुस्लिम भाई है उनकी 1लाख की आबादी है । अन्य हिन्दू लोग उर्दू को जानने वाले होंगे लेकिन वहां केवल मात्र एक सैकेण्ड्री स्कूल उर्दू का है ।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

हमने मांग उठाई थी कि वहां एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खुलना चाहिये उर्दू का । मेरा निवेदन है कि उर्दू के विकास के लिये सहानुभूति के साथ विचार करें । जैसा कि जनता सरकार ने घोषणा की थी "अल्प संख्यको को आगे बढाने की" उसी के अनुसार आगे बढ़ाते रहे ।

श्री ईश्वरचन्द्र पिड़ावा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 235 के उत्तर में कहा गया है, इससे यह बात स्पष्ट दिखाई देती है मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के उत्तर ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है । कम से कम राजस्थान में उर्दू के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, यह हम निश्चित रूप से कह सकते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अब्दुल अजीज साहब बोल रहे थे तो उन्होंने इस मामले को राजनैतिक रंग देने की कोशिश की । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित 66की जो स्टेटिस्टिक्स की पुस्तिका है, उसमें पेज नं. 2 पर हमारे राजस्थान की जो बोलियां हैं उनके बारे में लिखा है। उर्दू बोलने वालों की संख्या सन् 1961 की जनसंख्या के अनुसार 2.53 पर्सेन्ट थी और सन् 71 में भी 2.53 पर्सेन्ट ही बोलने वाले थे । यह किताब आपके शासनकाल में निकली है । आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, इस बात को मानना पड़ेगा । इसमें अफसोस की गुन्जाइश है । सन् 77 में यह निकली और इसमें 71 तक के आंकड़े हैं । अब जब जनगणना होगी तो 2.53 प्रतिशत से आगे

(श्री ईश्वरचन्द्र)

आंकड़े नहीं आयेंगे। इसका कारण यह रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय संविधान का भूतपूर्व सरकार निरन्तर हनन करती रही है। हमारे संविधान के आर्टीकल 351 मे यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है, जिन भाषाओं के नाम आठवीं अनुसूची में दिय हुए हैं उनके प्रशिक्षण के लिए उनके प्रचार और प्रसार के लिए सरकारें प्रयत्न करेंगी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। हमने अभी देखा है कि पूरे राजस्थान में 1575 सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें से कुल 9 स्कूल्स में उर्दू है। यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारने गलत बयानी से जवाब दिया है। भाषा के मामले में गलत बयानी नहीं होनी चाहिये। इन्होंने यह कहा है कि जहां 10 लड़के हों वहां उर्दू का विषय खोल देते हैं। मैं समझता हूं कि यह गलत बयानी की बात है।

दूसरा इस पर यह कहना चाहता हूं, इसमें एक प्रश्न यह भी था कि कितने स्कूलों के अन्दर इस सत्र में उर्दू को वैकल्पिक विषयों में रखा गया है? इसका जवाब दिया गया है कि इस सत्र में उर्दू को वैकल्पिक विषय के रूप में किसी भी माध्यमिक विद्यालय में निर्धारित कोर्ट के अनुसार लड़के नहीं होने के कारण नहीं रखा गया। क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सम्भव है कि राजस्थान में जनता पार्टी के शासन में आने के बाद किसी भी स्कूल में चाहे वह बांसवाड़ा क्षेत्र में हो, चाहे वह जालोर क्षेत्र में हो, चाहे जोधपुर में हो कहीं भी 10 मुसलमान या 10 कायस्थ लड़के न हो, जो कि उर्दू की शिक्षा में दिलचस्पी रखते हों? लड़के निश्चित रूप से उपलब्ध हैं, वे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी नीति गलत है चाहे जो कारण इसका हो।

दूसरी बात बोलूंगा तो शायद हमारे पक्ष के भी ऐसे कई लोग हैं जो नाराज हो जाय यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान का हर मुसलमान आधा हिन्दू है और हर हिन्दू आधा मुसलमान है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, चाहिए, हमें यह मान लेना चाहिये कि शायर जायसी, कबीर आदि हमारे पुरखे थे। गोरी और गजनवी परदेसी लुटेरे थे। इसके बारे में सम्यक नीति बनाकर इस पर बहस होनी चाहिए जो हमारे विधायक हिन्दी के प्रति पूर्वाग्रह वाले हैं, संस्कृति के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं और हमारे बीच में बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी करने के पक्ष में हैं, मैं यह निवेदन करूंगा कि भाषा के सवाल पर अगर जनता सरकार यह काम करे तो हिन्दुस्तान को कैसे आगे बढ़ायेगी, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में उर्दू अनिवार्य कर देनी चाहिये इससे राष्ट्र की एकता बढ़ेगी और हिन्दु-मुस्लिम करीब आयेंगे इससे देश का विकास होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उर्दू के सवाल पर कितनी उपेक्षा हमारी सरकार करती है इसका मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। उर्दू के केवल 9 जगह पर स्कूल हैं। जो उर्दू का एक्जामिनेशन होता है तो जो एक्जामिनेशन पेपर्स होते हैं, सब विषयों के तो सारे के सारे पर्चे छपते हैं प्रिंटिंग प्रेस में लेकिन उर्दू के पेपर्स अधिकतर अपने हाथ से लिखकर 20 लड़के हों तो 20 क्वेश्चन पेपर्स उनके लिए बनाये जाते हैं उनको हाथ से लिखकर देना पड़ता है। उनके पर्चे छपवाने का कोई इन्तजाम नहीं है।

मैं अधिक समय नहीं लेते हुए यह निवेदन करूंगा सरकार से कि यह आपके घोषणा पत्र का या पार्टी का सवाल नहीं है। यह संविधान की आठवीं अनुसूची में है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय एकता का सवाल है, जिसके बिना जनता पार्टी पांच साल भी नहीं चलेगी। इस पर चिन्तन करें उर्दू किसी सम्प्रदाय विशेष की भाषा नहीं है। कबीर, अमीर खुसरो यह विदेशी नहीं थे। इसलिए निवेदन है कि सरकार को उर्दू नीति बनानी चाहिए सही मन से, सच्चे मन से तभी यह समस्या हल हल हो सकेगी।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, रूल-1 (3) के अन्दर मैं निवेदन करना चाहता हूं आज के समाचार पत्र में यह प्रकाशित हो

(श्री मूलचन्द डागा)

चुका हूं कि श्रीमान् विज्ञान मोदी अपना स्टेटमेंट सदन में देंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने लिखकर स्टेटमेंट भेज दिया है और आपने कोई तारीख मुकर्रर कर दी है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री मूलचन्द डागा : अखबारों में निकल चुका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विज्ञान मोदी से पूछ लें।

श्री मूलचन्द डागा : अगर ऐसा है तो उस स्टेटमेंट को सदन की मेज पर रख दें और वह पत्र भी रख दें जो कि उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को लिखा है।

श्री अध्यक्ष: मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री अयुब खां: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये मैं शुक्र गुजार हूं। यह जो उर्दू जुबान है इस जुबान के अन्दर हिन्दुस्तान का साहित्य, कला और संस्कृति मौजूद है। इस आधार पर हम यह कह सकते है कि उर्दू एक जिन्दा जबान है आज उर्दू के अन्दर जो शायरी है, नज्में हैं, कव्वालियां हे, उनसे हम लुत्फ लेते है, मजा लेते है हमारा लुत्फ और मजा तभी बरकरार रह सकता है जब कि हम इस जुबान को पूरी तरह से जारी रखें

हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दुस्तान हमारा,
सारे जहां से अच्छा, हिन्दुस्तान हमारा।

डा. इकबाल ने यह शेर कहकर हमारे यहां पर एकता पैदा की है। यह एकता हमारी उर्दू जुबान में मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, उर्दू का जन्म इसी हिन्दुस्तान में हुआ। यह बात अलग है कि मुगल शासनकाल में इस जुबान का विकास हुआ। मुगल शासन के बाद में यह आम फहम जुबान हो गई। इसको तकरीबन सारे हिन्दुस्तान में बोला जाने लगा। इस सम्बन्ध में सरकार से यह गुजारिश करता हूं आपकी मार्फत कि अगर इस जुबान का विकास करना है तो इसके ऊपर गौर फरमाए।

हमारे यहां शिक्षा विभाग के अन्दर एक आम चलन है, मैं उर्दू के लिए ही नहीं कहता हूं, जितने भी नये अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं वह देर से करते हैं। विलम्ब से करते हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि आपने नियम बनाये है कि 10 विद्यार्थी हो तो उर्दू का विषय खोल दिया जाय लेकिन जब उर्दू का अध्यापक नहीं होता है तो 10 विद्यार्थी भी नहीं हो पाते हैं फिर अध्यापक को हटाना पड़ता है। यह हमारा विभाग इस लिए करता है कि उनको छुट्टियों की तनख्वाह न देनी पड़े तो इस बात पर गौर करे सरकार।

एक बात यह है कि जितनी भी अल्प संख्यक भाषाएं है जैसे, सिन्धी है, उर्दू है, पंजाबी है, हमारे राजस्थान में इन तीनों को अल्प संख्यक भाषाएं माना है तो इन तीनों भाषाओं के विकास के लिए जब अध्यापकों की नियुक्ति करें तो क्वालिफिकेशन में कुछ ढील दें। उर्दू डिग्रियों में जैसे अदीब कामिल और मौलवी की डिग्रियां होती है उन डिग्रियों को मान्यता दें, जिस प्रकार हिन्दी संस्कृत में शास्त्री होते हैं, उसी तरह से उर्दू में मौलवी होते है। मं..दी मिल सकते हैं वह 150 रुपये में भी मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

मिल सकते हैं, अगर नहीं मिलें तो मैं जिम्मेदार हूं। अध्यक्ष महोदय, यह एक जिन्दा दिल जुबान है। यह जुबान किसी एक कौम धर्म की नहीं है, बल्कि सारे हिन्दुस्तान की जुबान है। अध्यक्ष महोदय, डा. इकबाल ने एक शेर में कहा है –

"खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली कि जिसमें खुद न हो अहसास अपने को बदलने का"

(श्री अयूब खां)

अध्यक्ष महोदय, उर्दू की तरक्की के लिए सरकार गौर करे, अहसास करे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यही मेरा निवेदन है ।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उर्दू को कई माननीय सदस्य अल्प संख्यकों की भाषा कहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह उर्दू जुबान मुसलमानों की ही भाषा नहीं है। यह सारे हिन्दुस्तान की भाषा है ।

श्री करतारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। अजमेर में हिन्दू भी ऐसे हैं जो उर्दू जानते हैं ।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन का समय बहुमूल्य है ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी केवल मुसलमान ही नहीं पहनते हैं ।

एक माननीय सदस्य : रतनलाल जी की मुसीबत हो जायगी ।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। उर्दू अकादमी को आज कोल्ड स्टोरेज में बन्द कर दिया गया है । उर्दू अकादमी को कोई पावर्स नहीं दी गई है । यह एक बहाना बनाया गया है । मेरा निवेदन है कि उर्दू अकादमी को पावर्स दी जाय, अन्यथा यही समझा जाएगा कि उर्दू के विकास के लिए जनता सरकार कुछ नहीं कर रही है, यह एक गलतफहमी ही होगी कि उर्दू के लिये जनता सरकार बहुत कुछ कर रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है ।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट दे दें ।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब को समय दिया जाय। इनका भाषण बहुत महत्वपूर्ण होगा । हम उससे वंचित रह जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब इतना हो गया है । पर्याप्त हो गया है ।

प्रभारी मंत्री महोदया ।

माननीय सदस्य । आपको ऐसी आपत्ति नहीं उठानी चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : ऐसी गलती नहीं करते हैं ।

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उर्दू के विषय पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, कुछ माननीय सदस्यों की ओर से बहुत शंका व्यक्त की गई है । यह सही कि मुस्लिम जनसंख्या 3.5 प्रतिशत है ।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं यह गलत है ।

श्री अब्दुल अजीज : यह गलत कहा जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य : यह 3.5 कोई नहीं मानता है

श्रीमती विद्यापाठक : नौ माध्यमिक सैकण्डरी विद्यालय हैं जहां उर्दू पढ़ाई जाती है । 10 उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहां उर्दू पढ़ाई जाती है । इसी प्रकार से कुछ मिडिल स्कूल है, उनमें उर्दू पढ़ाई जाती है

(श्रीमती विद्यापाठक)

यह शंका प्रकट की गई कि उर्दू के साथ भेदभाव किया जा रहा है या जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र से हट रही है।

श्री नवरंगसिंह : आप इस बारे में बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको 10 मिनट बाद में और दे दूंगा। माननीय सदस्य, अगर आपको कुछ कहना हो।

श्रीमती विद्या पाठक : गत वर्ष माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 व 10 में ऐच्छिक विषय के रूप में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 645 थी तथा तृतीय भाषा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1696 थी।

नागौर जिले में, नागौर तथा मकराना हायर सैकेण्डरी स्कूल के लिए पूछा गया है। वहां अध्यापकों की संख्या कम है, इसके बारे में निवेदन है, अभी तक पोस्ट की सैंक्शन की गई है, उसके साथ टीचर की सैंक्शन नहीं की गई थी. अब समायोजन द्वारा इस कमी की पूर्ति हो चुकी है। हायर सैकेण्डरी स्कूल में जहां भी 10 विद्यार्थी हैं, वहां पर एक टीचर की व्यवस्था है। जहां कहीं भी 10 छात्र हैं, वहां पर उर्दू विशेष भाषा के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था कर दी जाती है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को अधिकार दिये जा चुके हैं।

टीचर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में जो कहा गया है इसके बारे में मेरा निवेदन है कि जब और टीचर्स के लिये यह क्वालिफिकेशन है तो उर्दू टीचर्स के लिये क्यों नहीं हो? मैं समझती हूं कि यह सरकार का भी उत्तरदायित्व होता है।

अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए अजमेर में 50 विद्यार्थियों के शिक्षण की व्यवस्था है। उस संख्या को और भी बढ़ाने की बात विचाराधीन है। इस बारे में पत्र व्यवहार चल रहा है। जहां तक भाषायी अल्प संख्यकों की बात है या कोई पोस्ट की बात है तो उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं ताकि उनकी शिक्षा में कोई अव्यवस्था नहीं होने पाये। इसके अतिरिक्त अगर कोई और जानकारी दी जाती है तो उस पर विचार किया जाएगा।

जहां तक उर्दू पुस्तकों की पाठ्य पुस्तकों की बात है, उच्च प्राथमिक स्तर तक की पुस्तकों की व्यवस्था राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल करता है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर यह व्यवस्था करता है। उर्दू पढ़ाने के लिये ट्रेन्ड टीचर्स होते हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान की धारा 350 (बी) में माइनोरिटी लैंग्वेजेज के विषय में यह भी है कि जिस भाषा में रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय तो रिप्रेजेन्टेशन देने वाले को उसी भाषा में जवाब भी दिया जाय. इसकी जहांतक सम्भव हो हम व्यवस्था कर रहे हैं। 15 प्रतिशत से अधिक माइनोरिटी लैंग्वेज जानने वाले की जन संख्या कहीं भी हो या जहां पर इसके बोलने वाले हों जैसे राजस्थान में उर्दू जानने वाले नागौर और टौंक हैं, या ऐसी जगहों पर जहां अल्प संख्यक ज्यादा हैं वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाय और संभव हो तो इण्टर प्रेटर भी प्रोवाइड किया जाय। जैसे गंगानगर में पंजाबी अधिक बोली जाती है तो उसी भाषा में नोटिफिकेशन निकालने की भी व्यवस्था है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह कहा जाय कि जनता पार्टी अपने कमिटमेंट से पीछे हट रही है और अल्प संख्यकों के साथ न्याय नहीं कर रही है, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

अभी मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टीचर्स के ट्रान्सफर्स होते हुए भी उनको नहीं लिया जाता है। अगर माननीय सदस्य इस विषय में कोई जानकारी देंगे तो मैं शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों से बात कर सकती हूं। उर्दू के टीचर्स कितने

(श्रीमती विद्या पाठक)

लगाये जाने चाहिएं इस विषय में अभी मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं इसलिए यह कहना अभी मुश्किल है।

श्री मूलचन्द डागा :

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : एक बात और कहना चाहती हूं कि जहां तक उर्दू या अल्प संख्यक भाषाओं का सवाल है निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार की कोई भेद भाव की नीति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : उर्दू के कितने टीचर्स लगाये गये हैं, इनके आंकड़े नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इल्यूसिडेशन का ही प्रश्न है, बहुत लम्बी चर्चा नहीं होगी।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया के उत्तर से कुछ शंकायें पैदा होती हैं। क्या माननीय मंत्री महोदया यह नहीं जानती कि स्थान-स्थान पर राजस्थान में उर्दू के बहुत वर्षों से मकतब चल रहे हैं? वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे पाठशालाओं में जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं तो उर्दू की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको हिन्दी में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती हैं। उर्दू मकतब के लिए, मेरे ख्याल से जहां तक नसीराबाद का सवाल है, अनुदान प्राप्त है। शिक्षा मंत्रीजी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा शिक्षण संस्थाओं से ताल्लुक रहा है इसलिए मैं जानता हूं कि इस विषय में हमको कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। आगे जाकर उन छात्रों को उर्दू विषय छोड़ना पड़ता है और हिन्दी विषय लेना पड़ता है। क्या इस विषय में सरकार कुछ करने का प्रयास करेगी ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या जो कुछ कांग्रेस सरकार ने किया उसका पालन हमारी सरकार कर रही है ? इसके अलावा अपने विभाग से भी क्या कोई उर्दू के विषय में नीति निर्धारित की गई है ? कहीं उर्दू का प्रश्न दाढ़ी और चोटी के बीच में तो नहीं उलझ रहा।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है। मन्त्री महोदया, यह बताने का कष्ट करें, जैसा कि आपने अभी बताया, उर्दू के अध्यापक नहीं मिलते हैं, तो जिन लोगों ने सैकण्डरी परीक्षा पास नहीं की है और भाषायी परीक्षायें पास कर रखी हैं उनको क्या मान्यता देकर स्कूलों में स्थान देंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले उत्तर आने दीजिये। उत्तर आ जाय फिर इधर से प्रश्न हो जाय।

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दाढ़ी और चोटी की बात कह कर हमारे बीच में भेदभाव डालने की कोशिश की है।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूं आप समझते नहीं हैं। यह तो प्रतीक के रूप में कहा है, आप समझने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : ईश्वरचन्द्र जी की चोटी छोटी है और अयूब साहब की दाढ़ी लम्बी है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सदस्य भी प्रतीक के रूप में ही कह रहे हैं।

श्री पदम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूंछ के बारे में कोई बात नहीं करता।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि मिडिल स्कूलों के अन्दर उर्दू पाठ्यक्रम में है तो पुस्तक मण्डल से उर्दू की पुस्तकें क्यों नहीं मिलती हैं जब कि दूसरी भाषाओं की पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं ? क्या यह बात सही है, और सही है तो सरकार को इस तरह से पक्षपात नहीं करना चाहिए चाहे कोई भी सरकार हो।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है, क्या यह सही नहीं है कि विभिन्न विद्यालयों में अलग-अलग एजेन्सीज के द्वारा उर्दू की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं और इसी वजह से कोई पाठ्यक्रम स्टेण्डर्ड नहीं बन पाता है ?

तीसरा प्रश्न यह है कि उर्दू के कितने अध्यापक हैं और कितने स्थान रिक्त हैं ?

श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या यह सही है हिन्दुस्तान को मातृभाषा के रूप में उर्दू भाषा को मानने के लिये भारी मांग की जा रही है ? माननीय मंत्री महोदया से मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षकों की संख्या कितनी है और उर्दू भाषा के जानने वाले शिक्षक कितने हैं ? उनमें से कितने सामान्य तौर पर उर्दू भाषा को जानते हैं ? जहां पर उर्दू विषय की मांग है वहां पर यह विषय खोल कर क्या टीचर्स को लगाया जा सकता है ? राजस्थान की आकाशवाणी से भी कभी कभी उर्दू सम्बन्धी प्रोग्राम दिया जाना चाहिये। क्या सरकार इस बारे में प्रयत्न करेगी ?

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह शंका पैदा हो रही है कि उर्दू की वकालत यदि इसी स्क्रिप्ट आदि को रख कर की गई तो उर्दू मिट भी सकती है। उर्दू और हिन्दी के आपसी झगड़े इस प्रांत और देश में खड़े हो सकते हैं। मेरी दृष्टि से अगर उर्दू स्क्रिप्ट को बदला जाए और जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसमें उर्दू को लिखा जाए तो....

श्री अब्दुल अजीज : No, No

श्री टीकमचन्द कांत : तो यह भाषा अधिक लोकप्रिय हो सकती है और धीरे-धीरे जो हिन्दुस्तानी भाषा हम चाहते हैं उसका विकास हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : यह सुझाव तो विनोबाजी का भी है।

श्री टीकमचन्द कांत : मैं उर्दू जानता हूं और उर्दू का स्क्रिप्ट सीखा हुआ हूं। अगर हमको इस भाषा का विकास करना है तो उसका यही तरीका है। अभी अलीगढ़ की एक छात्रा ने लेख लिखा था, उसका नाम मुझे याद नहीं है लेकिन उसने कहा है कि उर्दू की वकालत जब तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की दीवारों के बाहर नहीं होगी जब तक उन गलियों में से, जहां मौलवी लोग बैठे हैं जो उर्दू की वकालत करके उसके सहारे अपना राजनैतिक जीवन जीना चाहते हैं, उनके अधिकार से जब तक उर्दू की वकालत नहीं निकलेगी तब तक उर्दू समृद्ध नहीं हो सकेगी। उर्दू को सब लोग प्यार करें इसके लिए आवश्यक है कि उसका स्क्रिप्ट देवनागरी हो।

कुछ दिन पहले मैं एक मुशायरे में गया था। उसमें मुझे लम्हा नामक नज्म सुनने का मौका मिला था। किसी राही नामक शायर की मार्फत आई थी। उस नज्म में हमीद और राम दोनों थे। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा खुसरो, कबीर, इकबाल ये संस्कृति के स्तम्भ हैं उसको जिंदा रखने के लिए आवश्यक है कि उर्दू में राम और गंगा व यमुना को भी शामिल करें।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त: उर्दू के विकास के लिए आवश्यक है कि सारी चीजों का समावेश किया जाए। उर्दू हमारी भाषा है किसी

(श्री टीकमचन्दकांत)

वर्ग विशेष, जाति विशेष की नहीं है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा, मात्र कुछ लोगों की संस्कृति की भाषा है। हिन्दुस्तान की अलग संस्कृति नहीं है तो उर्दू को समान लोगों की भाषा बनाने के लिए इस तरह की वकालत खतम करें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि स्कूलों में मास्टरों द्वारा उर्दू पढ़ाने के अलावा, उर्दू सिखाने के लिए सरकार के पास में उर्दू अकादमी के जरिए और कोई योजना है? सिर्फ 9-10 हायर सैकण्डरी स्कूलों में या कुछ मिडिल स्कूलों में विद्यार्थियों को उर्दू पढ़ाने के लिए मास्टर भेजे हैं, इसके अलावा भी कोई योजना है ?

क्या सरकार सोचती है कि आज राजस्थान में उर्दू प्रेस नहीं है? मुझे उर्दू का अखबार निकलवाना था, संयोग या तो मुझे दिल्ली में जाकर छपवाना पड़ा। गवर्नमेंट प्रेस में हिंदी प्रेस है, अंग्रेजी प्रेस है तो उर्दू प्रेस कायम करने का क्या सरकार विचार रखती है ?

तीसरी बात, सरकार के जन सम्पर्क विभाग की तरफ से जो मैगजीन्स और अखबार और कम्यूनिकेशन निकलते हैं वे हिंदी व अंग्रेजी में निकलते हैं। प्रेस कम्युनिकेशन या दूसरे गवर्नमेंट के पब्लिकेशन्स जो आपके द्वारा निकाले जाते हैं उसके लिए क्या सोचते हैं कि ये उर्दू में भी निकालना जरूरी है? क्या जनसम्पर्क विभाग उर्दू सेक्शन भी खोलना चाहता है ?

उर्दू जुबान हिंदुस्तान की जुबान है। हिंदुस्तान की जमीन बंट गई है, इंसान बंट गए हैं लेकिन जुबान का तकसमा नहीं हुआ। यह भाषा जितनी मुसलमानों की है उतनी हिंदुओं की है। हमारा कम्पोजिट कल्चर है। हिंदुस्तान की संस्कृति को जिंदा रखना है तो उर्दू के जरिये जिंदा रख सकते हैं। क्या सरकार ऐसा कोई कदम उठाना चाहती है जिससे यह संस्कृति जिंदा रहे ?

उर्दू जुबान जैसे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, एक हजार दो हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने से ही जिंदा नहीं रहेगी, इस भाषा ने जंगे आजादी में बड़ा फर्ज अदा किया है। हुब्बे-अल-वतन के लिए नौजवानों को आगे बढ़ाया, सरकार इस जुबान को जिंदा रखे, मुशायरे करायें, लेख लिखवाएं और उर्दू जानने वाले जो बड़े बड़े शायर हैं वे उसमें हिस्सा लें।

अंत में, मैं मदरसों की बात करता हूं। कुछ तो मस्जिदों के जेरे साया चलते हैं और दूसरे बाहर चलते हैं। क्या सरकार इन मदरसों को सहयोग देने के लिए, ग्रांट-इन-एड देकर, रूल्स को चेंज कर जिंदा रखने की कोशिश करेगी ताकि यह जुबान वतन की जुबान रह सके ?

श्री टीकमचन्द कान्त : इससे पहले आपने प्रणाली नहीं डाली ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय मंत्री महोदया ने अपने भाषण में संविधान की धारा 350 (बी) का हवाला देते हुए कहा कि उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन 350 (बी) सब-क्लाज 2 का पालन हो रहा है या नहीं ?

"There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.

It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament and sent to the Government of the States concerned."

Page No 35

(35)

(श्री शंकरलाल)

तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्टेट के पास ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं? उन रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में क्या डाईरेक्शन्स का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है, आपने खुद ने हवाला दिया है।

श्री **नूरा** : उर्दू के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उर्दू के लिए यह जो सरकार की तरफ से उत्तर आता है जैसा कांग्रेस के राज में था आज भी वही स्थिति है। जो उर्दू पढ़ाने वाले हैं जो उर्दू को जिंदा रखना चाहते हैं वे मसजिदों में पढ़ाते हैं और प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाते हैं। दूसरे लोग इसको महत्व नहीं देते क्योंकि वे समझते हैं कि सरकारी कामकाज में यह काम नहीं आयेगी या उर्दू का इस्तेमाल नहीं होगा। यह भाषा मिट न जाए, इसको जिंदा रखने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या इसे स्कूलों में अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाया जा सकता? जो भी स्कूलों में पढ़ाना चाहें उनके लिए स्कूलों में व्यवस्था करें ताकि उर्दू की खींचातानी समाप्त हो जाए। सरकार का जवाब आता है कि स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे आयेंगे, दिलचस्पी रखते हैं उनको सुविधायें मिलेगी। आज उर्दू पढ़ने वाले किसी स्कूल में जायं तो पढ़ाने वाले नहीं हैं। ऐसी हालत में प्राइवेट स्कूलों में अपना पैसा लगाकर दिक्कत उठाकर भाषा सीखेंगे। सरकार को बार बार उठने वाले इस प्रश्न को गंभीरता से लेकर व हमेशा के लिए इस समस्या को खतम करने के लिए उर्दू भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। पढ़ने वाले के दिमाग में यह विश्वास हो कि सरकार नौकरी में कहीं भी उर्दू पढ़े हुए व्यक्ति को स्थान दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों में ही नहीं बल्कि और दूसरे लोगों में भी उर्दू पढ़ने के लिए उत्साह होगा। इसको किसी समाज या धर्म की भाषा नहीं समझकर प्राथमिकता दें और जैसे दूसरी भाषायें पढ़ाई जाती हैं उसी तरह से सरकार को स्कूलों में उर्दू को भी अनिवार्य करना चाहिए जो नहीं पढ़ना चाहें उनको छोड़ा जाना चाहिए और जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाना चाहिए। अकसर करके मुसलमानों की ही यह जुबान है इसलिए समझा गया कि यह एक वर्ग विशेष की भाषा है लेकिन यह हमारी सब की पुरानी भाषा है। कहीं देखने जाते हैं तो शिलालेख वगैरह में भी देखा जाता है कि पुराने जमाने में भी इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था मिटने वाली भाषा को वापस जिन्दा किया जाना चाहिए। शिक्षा हमारा बहुत बड़ा धन है। उर्दू जुबान है इसको पढ़ने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब सरकार का जवाब आये तो यह आये कि हमने इसको इतना बढ़ाया है। प्राइवेट स्कूलों में जाने से रोका है और सरकार ने अपनी तरफ से फैसेलिटी दी है तो सरकार को इसको पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यही मुझे कहना है।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से उत्तर प्रदेश के अन्दर अकसर लोग उर्दू को ही मातृभाषा के रूप में लेते हैं इस लिए यू.पी., पंजाब और राजस्थान के बहुत बडे भू-भाग में जो कोर्ट भाषा रही है अदालती भाषा रही है वह उर्दू रही है। पिछले तीस साल में इसका प्रचार बहुत कम हुआ है। मैं समझता हूं कि जब तक सरकार इसको माइनारिटी भाषा कहना नहीं छोड़ेगी तब तक इसका प्रचार नहीं होगा। यह अल्पसंख्यक लोगों की भाषा नहीं है। साथ ही उर्दू साउथ में भी बहुत बड़ी जनसंख्या की मुख्य भाषा रही है इसलिये उर्दू और हिन्दी जानना राज्य सेवा के लिए अनिवार्य हो। जब तक अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य शिक्षा में से हटाकर उसकी जगह उर्दू को नहीं इन्ट्रोड्यूज करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आठवीं कक्षा तक उर्दू भाषा कम्पलसरीली स्टुडेन्ट्स को पढ़ानी चाहिए जिससे कि वह भारतीय संस्कृति सीख सकें। इसमें संस्कृत भाषा का भी योगदान हो और उर्दू भाषा का भी योगदान हो। हमारा जो आर्कीटेक्चर है उसमें उर्दू संस्कृति का बहुत भारी इन्फलुएन्स है। हमारे खान-पान, रहन-सहन और चाल-चलन मे उर्दू जिस कौम की भाषा रही है उसका बहुत बड़ा इन्फलुएन्स

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

रहा हूं। उसकी भावना को समझने के लिए यह जरूरी है कि हिन्दी के साथ ही साथ उर्दू को भी कम्पलसरी लैंगवेज करें। जाति और धर्म में न जाकर इसको कम्पलसरी करना चाहिए। जब हिन्दी को हमने राष्ट्रभाषा बनाया है और हिन्दी हमारी स्टेट की भाषा है तो यह आवश्यक है कि हम उर्दू को भी कम्पलसरी लैंगवेज अपने स्कूलों में बनायें। क्या सरकार इसके लिए सोचेगी ?

श्री शंकरलाल : हिन्दी के बारे में आपने कहा कि स्टेट की भाषा है। यह स्टेट की भाषा नहीं है यह आर्टिफिशल लैंग्वेज है :

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री ईश्वरचन्द्र : मंत्री महोदया को कुछ कहने दीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने चर्चा की कि रेडियो प्रोग्राम होता है या नहीं। इसके विषय में तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि अगर माननीय सदस्य कोई प्रोग्राम देना चाहें तो पब्लिक रिलेशन्स आफिस इसके लिए मना नहीं करेगा। रही बात अनुदान के बारे में तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान के बारे में कोई डिस्क्रिमिनेटरी पालिसी नहीं है कि उर्दू स्कूलों को नहीं दी जाय और दूसरे अन्य स्कूलों को दिया जाय। प्रोवाइडेड फिजिबिलिटी और एलीजिबिलिटी में आता है तो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर सुनने के बाद चर्चा समाप्त हो गयी, निश्चित रूप से।

श्री अचलाराम : रेडियो पर जो प्रोग्राम आते हैं वह उर्दू के बहुत ही कम आते हैं। न्यूज आती है वह भी हिन्दी अंग्रेजी और मारवाड़ी में आती है। उर्दू में भी 7 बजे न्यूज आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्याण सिंह सांखला !

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त असंतोष

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त असन्तोष के संबंध में शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्री महोदया बोलेंगी।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है वैक ग्राउन्ड तो वही देंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बोलेंगे हमारे रूल्स के अनुसार तो।

(विराम)

मंत्री महोदय इतना ही कह दें कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अनुदानित संस्थायें हैं उनके अनुदान के बारे में चर्चा उठाई थी। राजस्थान में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते आदि पर राज्य सरकार उनके कार्य के अनुसार अनुदान नियम 1963 के अन्तर्गत अनुमोदित (एप्रूव्ड) व्यय की 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अनुदान देती है अनुदान नियमों के नियम 4 (बी) के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य वेतन एवं भत्ते समान रूप से देने का प्रावधान है। इसलिए सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को राजकीय विद्यालय में कार्य करने वाले

(श्रीमती विद्या पाठक)

कर्मचारियों के समान वेतन एवं भत्ते देने हेतु राज्य सरकार ने कोई भेदभाव की नीति नहीं अपना रखी है।

सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के बदले अनुदान नियम 1963 के नियम 6 में भविष्य निधि का लाभ देने हेतु प्रावधान है जिसकी पूरी व्यवस्था है।

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता एवं चिकित्सा भत्ते पर अनुदान देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जो अपने विचारों में इस बात को बताया है कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को अनुदान नियम 1963 के नियम 4 (बी) द्वारा वेतन और भत्ते राजकीय कर्मचारियों के समान दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो यह कहा है तथा दूसरी ओर मकान किराया भत्ता ग्रेच्यूटी मेडिकल, बेनिफिट्स और पेंशन भत्तों के बारे में आपने कहा है कि हम उनको यह सुविधा नहीं देते हैं। फिर मैं कौनसी बात सही मानूं ? नियम 4 (बी) के तहत इस बात की गारन्टी है कि राज्य के कर्मचारियों के समान ही सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की स्थिति आजादी प्राप्त होने के बाद जो है, उससे आप सब लोग परिचित हैं। राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों ने आजादी में हिस्सा लिया है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है वह अत्यन्त ही सराहनीय है वह काम राजकीय कर्मचारियों ने नहीं किया है यह आज प्रत्यक्ष प्रमाण है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं और जितनी दूसरी संस्थाएं हैं उनमें जो विद्यार्थी पढ़कर निकलता है वह राजकीय संस्थाओं से अधिक अच्छा निकलता है। जहां तक रिजल्ट्स का प्रश्न है, वह भी आप कम्पेयर करके देख लें वह हमेशा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के रिजल्ट से ऊंचा रहा है। परन्तु हमारे भारत में उनके साथ भेदभाव की नीति बरती जा रही है राजस्थान सरकार ने उनके लिये श्रेणियों बना रखी है ए. बी. सी. और उसी के हिसाब से राज्य सरकार उनको अनुदान देती है।

अध्यक्ष महोदय, कितने शर्म की बात है जहां मध्यम वर्ग ओर गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं वहां तो 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और उन पब्लिक स्कूलों, जिनमें धनवानों के बच्चे पढ़ते है, को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, यह कितने शर्म और दुख की बात है। मैं मंत्री महोदय का करना चाहता हूं कि जिस ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित तरह अन्य प्रदेशों मे ग्रान्ट दी जाती है उसी तरह हमारे प्रदेश में भी ग्रांट दी जाय और उसी तरह से वेतन का भुगतान किया जाय आज यह बात कही जाती है कि शिक्षण संस्थाओं में करप्शन है यह बात सही है लेकिन इसका दोष भी सरकार पर है। आज जो 50 व 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है तो कहां से वे अन्य साधन जुटाकर वेतनों का भुगतान करेंगे। इस बात को जानते हुए भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है

अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रदेशों में जिस तरह यह व्यवस्था की गई है कि अध्यापकों का वेतन शत-प्रतिशत सरकार देती है और और राज्य के खजाने से ही अध्यापकों को वेतन आदि मिलता है उसी तरह बैंक में खाता खोलकर अध्यापकों का भुगतान किया जाना चाहिये तभी करप्शन मिट सकता है वरना नहीं मिट सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि उसी तरह राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के सर्क्यूलर सं. 933 एडेड (बी) 57, दिनाक 28-8-59 के अनुसार हाउस रेन्ट

(श्री कल्याणसिंह साखला)

को स्वीकृत अनुदान माना है और अनुदान दिया है किन्तु अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री महोदय यह बात कहते हैं कि राजस्थान के अन्दर हाउस रेन्ट नहीं देते हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, 1956 में अजमेर मर्ज हुआ था। 1956 के बाद राजस्थान वेतन श्रृंखला में अजमेर की सर्विसेज के लोग लगे उन्हें वहां 11 वर्ष तक हाउस रेन्ट मिला था वह क्यों बन्द कर दिया ? आप राजस्थान के दूसरे जिलों में काम करने वाले अध्यापकों को क्यों नहीं हाउस रेन्ट देते हैं ? अजमेर के अध्यापकों का बन्द इस कारण किया कि राजस्थान के अन्य जिलों में हाउस रेन्ट नहीं मिलता है। जो राष्ट्र निर्माता हैं, उनकी आप पूरी अवहेलना कर रहे हैं। आज छोटे-छोटे निगमों में छोटी-छोटी फैक्ट्रियों में हमारी सरकार दबाव डालकर दूसरी सुविधायें दिलाती है मगर स्वयं राज्य सरकार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को वह सुविधायें नहीं देती है। यह राज्य सरकार की घोर उपेक्षा है उनके प्रति।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि इस सम्बन्ध में अध्यापकों के साथ न्याय किया जाय। आप यह न समझें कि ये अध्यापक हैं, ये संघर्ष नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं आयेंगे। अगर पिछली सरकार को भाषा में ही आप भी समझते हैं, जो तोड़-फोड़ करेंगे उनकी ही बात सुनी जायगी और लोगों की बात नहीं सुनी जायेगी तो इसके लिये भी अध्यापक वर्ग पीछे नहीं रहेगा। महनशीलता की एक सीमा होती है। जब वह सीमा टूट जायगी तो वे भी संघर्ष से पीछे नहीं रहने वाले हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत गंभीर है और एक भयंकर स्थिति धारण किये हुए है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि अपने नियमों के अनुसार इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : No debate माननीय सदस्य गण, No debate।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी उदारता का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता हूं। केवल दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप नियम देखें, There shall be no debate.

श्री भंवर लाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से मेरा विगत 35 वर्षों से सम्बन्ध रहा है इसलिये दो मिनट मुझे भी बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : फिर तीसरे को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस नियम का श्री साखला ने उल्लेख किया है वह रूल 4 (बी) इस प्रकार है--

"The scales of pay and allowances to the staff of the institutions shall not be less than those prescribed by the Government for the staff of similar category in Government institutions In case of higher salary scale grant-in-Government scales only. The Government may in special cases allow grant on higher scales."

मुझे यह भी बताया गया है कि अलाउन्स की जो डेफिनेशन है उसमे हाउस अलाउन्स शामिल नहीं करते हैं। अगर ऐसी विसंगति है तो सरकार को दूर करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में दो हजार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें जो अध्यापक हैं उनको रुपया जितना दिया जाता है और जितने पर दस्तखत कराये जाते हैं उसमें भारी अनियमितता है। मैं विस्तार से इस पर बहस करना ठीक नहीं समझता हूं लेकिन जितनी विसंगतियां हैं सरकार उन विसंगतियों को दूर करे। मैं बताऊं, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य को पहले 800 से 1300 की ग्रेड दी जाती थी और

(श्री ईश्वर चन्द्र)

अब 1250 से 1700 कर दी है। उसी प्रकार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था के प्राचार्य को पहले 300 से 800 की ग्रेड दी जाती थी और अब 650 से 1270 कर दी है। इनमें तो 1700 कर दी और इनमें 1270 ही की हैं। कितना बड़ा अन्तर है दोनों में। इस प्रकार का शोषण प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अन्दर हो रहा है। सरकार को कोई कमेटी बिठाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिये और कोई नीति निर्धारित करके तुरन्त उसको क्रियान्वित करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री भंवरलाल एरन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिये सौभाग्य की बात है कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से मेरा विगत 35 वर्षों से सम्बन्ध रहा है। उनके अध्यापकों में आज असन्तोष क्यों है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अजमेर जिले का जहां तक सम्बन्ध है बहुत अर्से तक 90 प्रतिशत अनुदान वहां विद्यालयों को मिलता रहा है किन्तु राजनैतिक कारणों से एक कटेगराइजेशन कमेटी बनाई गई। उस कैटेगराइजेशन कमेटी ने विद्यालयों का कैटेगराइजेशन किया। जो कांग्रेस से सम्बद्ध थीं, उनको बी-ग्रुप दिया गया जिनको 90 प्रतिशत अनुदान मिलता था उनका 50-60 प्रतिशत अनुदान कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उन शिक्षण संस्थाओं के पास पर्याप्त धन नहीं रहा। धन के अभाव में उन्होंने शोषण प्रारंभ कर दिया। जहां अध्यापक और अध्यापिकाओं को 100 प्रतिशत या 90 प्रतिशत वेतन मिलता था उनको अब 60 या 70 प्रतिशत वेतन मिलता है। जब से जनता सरकार आई है. मैं बराबर इस ओर ध्यान दिलाता आ रहा हूं कि इन शिक्षण संस्थाओं का शोषण बन्द किया जाय और अनुदान 90 प्रतिशत किया जाय। इसी कारण सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं मृत प्राय: हो रही हैं। उनके पेमेंट का तरीका है, जहां तक मैं समझता हूं हालांकि चैक द्वारा किया जाता है लेकिन पहले जितना प्रतिशत काटना है, वह काट कर उनको चैक दिया जाता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार कि विसंगतियां हैं उनको दूर किया जावे। कम से कम 90 प्रतिशत प्रत्येक संस्था को बिना किसी भेदभाव के अनुदान दिया जावे ताकि अध्यापक और अध्यापिकाओं का शोषण बन्द हो यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्राण्ट इन एड रूल्स, 1963 बने हुए हैं उनके ऊपर एक सैकिंड लुक देने की आवश्यकता है। मैं भी, अध्यक्ष महोदय, एक डिग्री कालेज साइंस का चलाता हूं, जो संस्था है उसका मैं अध्यक्ष हूं.......

श्री बजरंगलाल शर्मा : भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो भूतकाल में रहा हूं, वर्तमान की बात कर रहा हूं।

आपने ग्राण्ट इन एड का पर्सेंटेज मुकर्रर कर रखा है। जितना भी ग्रांट इन एड देते हैं, अगर आपने 60 पर्सेन्ट 70 पर्सेन्ट रखा है तो वह हमको मिलती है। आपके रूल्स में ऐसा प्रावधान है कि एक तो एप्रूव्ड एक्सपेंडीचर होना चाहिए। दूसरे एप्रूव्ड एक्सपेंडीचर में सीलिंग मुकर्रर कर रखी है। मिसाल के तौर पर, अपने पाइन्ट को क्लियर करने के लिए निवेदन करूंगा कि बिजली और पानी का खर्चा जो संस्थाओं में होता है, उसके लिये आप ग्रांट-इन-एड देते हैं, परन्तु उसमें सीलिंग मुकर्रर कर रखी है। सीलिंग के अनुसार पांच सौ रुपये से ज्यादा नहीं देंगे चाहे वह साइंस कालेज हो, चाहे आर्टस् कालेज हो, चाहे कामर्स कालेज हो। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैं साइंस कालेज चलाता हूं उसके अन्दर बोटेनीकल गार्डन मेंटेन करना पड़ता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटेनी, जूलोजी की लेबोरेट्री मेंटेन करनी पड़ती है।

(श्री मथुरादास माथुर)

रेफरीजरेटर मेंटेन करना पड़ता है, इन सब में कितनी लाइट जलेगी यह आप अनुमान लगा सकते हैं। यह सभी बिजली का खर्चा है। आपने एक तरह का डिसिजन ले लिया कि साइंस कालेज को भी पांच सौ रुपया और आर्ट्स वाले कालेज को भी पांच सौ रुपया और कामर्स को भी पांच सौ रुपया। यह सीलिंग है, यह मुमकिन है कि पहले जब रूल्स बने थे उस वक्त ध्यान कम रहा हो। मेरा निवेदन है कि इस पाइन्ट आफ व्यू से रूल्स के रिवीजन की आवश्यकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज कल जिसको आप एप्रूव्ड एक्सपेंडीचर कहते हैं, किसी जमाने के अन्दर केरीकूलर एक्टीविटिज जितनी भी है, खेलकूद की एक्टीविटीज हैं वे सब एप्रूव्ड एक्सपेंडीचर में नहीं आती थीं क्योंकि उस वक्त इनका महत्व नहीं था। आज जितनी क्लास रूम स्टडी जरूरी है उतनी ही लाइब्रेरी की स्टडी जरूरी है। खेल के मैदान की स्टडी जरूरी है। आज कालेज की बिल्डिंग जितनी जरूरी है उतना ही प्ले ग्राउण्ड जरूरी है। माडर्न कन्टेक्स्ट में पुरानी परिभाषा को तब्दील करने की आवश्यकता है। फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदया, पुराने जमाने के अन्दर ये शिक्षण संस्थायें चलाने के लिए हमारे यहां के धनीमानी लोग केपिटल कन्ट्रीब्यूट करते थे। आजादी के पहले शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए काफी पैसा दिया करते थे लेकिन आज का मेरा तजुर्बा यह है कि केपेटेलिस्ट इतने स्वार्थी हैं कि इन कार्यों के लिए पैसा देना नहीं चाहते हैं। मंदिरों में दे देंगे, रोगी रसोड़े के लिए दे देंगे लेकिन शिक्षण संस्थाओं के लिए, गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए सहयोग नहीं देंगे। यह आजकल उनकी जहनियत के बाहर है। ऐसी सूरत में किसी भी संस्था, जैसा कि रूल्स में लिख रखा है कि पास में फण्ड होना चाहिए, फिक्स्ड डिपोजिट कम से कम एक लाख का होना चाहिए किन्तु आज कोई संस्था ऐसी नहीं है जिसका इतना फिक्स डिपोजिट हो सेंट जेवियर और सोफिया जो चलाते हैं उनकी बात दूसरी है, उनको बाहर से पैसा मिलता है, मगर राजस्थान को इण्डीजिनस इंस्टीट्यूशन्स के लिए एक लाख की फिक्स डिपोजिट रखना मुश्किल है। कोई भी संस्था नहीं रख सकती। रूल्स के अनुसार हमारे पास रुपया जमा है नहीं और संस्था चल रही है। सालों से चल रही है। बन्द कर नहीं सकते। जब आडिट वाले आते हैं तो आडिट पैरा लगा देते हैं, आपके पास फिक्स डिपोजिट नहीं है इसलिए ग्रांट रोक दो। फिर दौड़े दौड़े फिरो, सेक्रेटरी के पास जाओ, डायरेक्टर के पास जाओ। आब्जेक्शन चलते रहते हैं। मेरा इन सब बातों को कहने का अभिप्राय यह है कि मेहरबानी करके एक कमेटी मुकर्रर करें जिसमें हाउस के लोगों को भी रखें। इस हाउस में भी कई माननीय सदस्य हैं, ऐरन साहब हैं, भटनागर साहब बैठे हुए हैं जो शिक्षण संस्थायें चला रहे हैं, बड़ी-बड़ी संस्थायें चला रहे हैं। इन संस्थाओं के चाहे एकेडेमिक फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे गेम्स में हो, चाहे एन.सी.सी. में हो, आपकी यूनीवर्सिटी से रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल के रिजल्ट हमारे सामने हैं। ऐसी स्थिति में आप सोचिये, ये रूल्स आज बाधाएं डालते हैं। ग्रांट के अनुसार सोचते हैं कि पचास रुपये मिल जायेंगे लेकिन असल में मिलते हैं 30-35 रुपये ही। बड़ परेशानी है। आप कमेटी बनाकर रूल्स को चेंज कीजिए। बहुत ज़्यादा खर्चा भी इसमें नहीं है। प्रोवीडेंट फण्ड हम भी देते हैं, आपका कन्ट्रीब्यूशन है। हमारा जो डिग्री कालेज है, जोधपुर में एक ही साइंस कालेज है और एक यूनिवर्सिटी का है जो यूनिवर्सिटी से एफिलियेटड है, उससे हमेशा टक्कर रहती है। हमारे विधि मंत्री बिरदमलजी जानते हैं इसको। उसमें एक साल भी रिजल्ट में कमी हो जाय तो आप हमको कह देंगे कि तुम्हारी संस्था अच्छी नहीं है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट...

श्री भंवरलाल ऐरन : उनसे बेटर रिजल्ट आते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे कालेज से आए हैं। दस साल के रिजल्ट के आंकड़े मौजूद हैं। यह सब होने के बावजूद मेरा

श्री मथुरादास माथुर)

आपसे नम्र निवेदन है कि यूनिवर्सिटी वाले जो लेक्चरार हैं उनके बराबर हमने भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्केल हमारे लेक्चरार को दे रखी है आपके हुकुम के अनुसार । एक एम.काम, एम.एस.सी. को हम 1080) रुपया देते हैं । हाउस रेंट नहीं देते क्योंकि ग्रांट इन एड में यह प्रोवीजन नहीं है । मेडिकल रिएम्बर्समेंट फिक्स्ड अलाउन्स कर देंगे लेकिन पूरा मेडिकल रिएम्बर्समेंट नहीं है, वह हम नहीं देते । यूनिवर्सिटी में ये सब सुविधाएं मिलती है लेकिन हमारे यहां नहीं मिलती हैं । गवर्नमेंट कालेजों में मिलती हैं इसलिए लेक्चरार की इच्छा यह रहती है कि ज्योंही मौका आवे, जगह खाली हो तो दौड़ जाय । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर पूरा चिंतन कर लीजिए । उसके बाद रूल्स में तब्दीली ला सकें तो लायें । इस तरह से आप शिक्षण संस्थाओं के साथ बहुत बडा न्याय करेंगी और हम लोग, जो शिक्षण संस्थाओं के छोटे कार्यकर्ता हैं, आपके आभारी रहेंगे ।

श्री कल्याणसिंह सांखला : एक बात रह गई, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने सन् 75 में.....

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, आज आपने क्वेश्चन आवर नहीं किया है 11 बजे से जीरो आवर चल रहा है । एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन अशोक मेहता कमेटी का विचारार्थ आने वाला है मान्यवर, विरोधी पक्ष के सदस्यों की ऐसी मान्यता बन रही है कि सरकार का पंचायती राज में कुछ विश्वास नहीं है । पंचायती राज की इस रिपोर्ट पर. . .

श्री ईश्वरचन्द : 13 साल तक चुनाव नहीं कराए आपने तो । हमारा पंचायती राज में विश्वास है इसलिए यह टाइम रखा है बहस का । आप सदन का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं । कुछ तो कामनसेंस रख कर बात करें ।

श्री रामनारायण चौधरी : पंचायती राज कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जावे । जो राजस्थान के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के ढांच पर महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है, क्या करना चाहती है . . .

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला : एक प्रश्न इसमें रह गया है . . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों के विपरीत मैं आपको आज्ञा नहीं दूंगा ।

श्रीमती विद्यापाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जो कहा है दो बातें बताई गई हैं हाउस में, वेतन और अलाउन्सेज कम मिलते हैं और मिलते भी नहीं हैं । ये दो कण्ट्रोवर्सी हैं ।

अजमेर के मर्जर के पहले कुछ स्टाफ जो वहां पर कार्यरत था, को हाउस रेन्ट मिला करता था । जब सरकार का कन्ट्रीब्यूशन बन्द कर दिया तो कई लोगों का बन्द हो गया । 1-11-56 के बाद के जो एम्प्लाईज हैंउनको हाउस रेंट नियमों में प्रावधान नहीं होने कीवजह से नहीं मिल रहा है । अन्य सदस्यों ने भी कुछ इसके बारे में भावनायें व्यक्त की हैं, प्रश्न उठाये हैं । उनके बारे में स्पेसिफिक सुझाव माननीय सदस्य दें । ये सारे विषयों पर बात करना चाहते हैं तो उनके सुझाव निश्चित रूप से अलग से ले सकती हूं ।

संस्कृत कालेज के संबन्ध में जो भावनात्मक प्रश्न उठाया है ।

(व्यवधान)

इस सदन के बाहर भी मेरी आपसे बात हुई है । आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं, इस विषय में कमेटी की नियुक्ति हो चुकी है ।

माथुर साहब ने कुछ सुझाव दिये और कहा कि 1963 के जो ग्रण्ट इन एड रूल्स हैं उनको फिर देखने की आवश्यकता है ।

(श्रीमती विद्या पाठक)

ये प्रेक्टिकल बन सके इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। यह पहले से ही विचाराधीन है। कमेटी बन चुकी है। जितना शीघ्र हो सकेगा, किया जायगा।

इसके अतिरिक्त कुछ एक्सपेंडिचर समय के साथ, महंगाई के साथ अधिक हुए हैं उनके भी सारे प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री कल्याणसिंह सांखला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय गलत बता रही हैं बिल्कुल गलत बता रही हैं हम बरदाश्त ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो भी बात है आपने सुन ली सदन के समक्ष आ गई। चर्चा समाप्त हुई।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, कृपया 5 मिनट मुझे दें, आपने कहा था।

बन्धुआ मजदूरी का सवाल है, योजना विभाग जन-जाति कल्याण विभाग....

(व्यवधान)

मैं दो मिनट में कह दूंगा। आपकी कृपा हो जाय। यह डूंगरपुर, चितौड, बांसवाड़ा के सम्बन्ध में है। केवल दो मिनट में।

(व्यवधान)

केवल दो मिनट का समय देने की कृपा करें।

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, अजमेर में 1967 तक उनको 11 वर्ष तक हाउस रेन्ट दिया, यह बात गलत हो तो मंत्री महोदय बता दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय उत्तर नहीं देंगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

एक माननीय सदस्य : मैं इस बारे में निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप कक्ष में मेरे से जो बात कहेंगे उसके लिये मैं आपको कल तक समय दे सकता हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में बन्धुआ मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं। पिछली सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने बोण्डेड लेबर को आइडेन्टिफाई किया था...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं पांच मिनट चर्चा करने की आज्ञा दूंगा।

श्री **रामनारायण चौधरी** : कौन से नियमों में ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय बहुत बड़ी समस्या बोण्डेड लेबर की है। राज्य सरकार ने 6 हजार लेबर को आइडेंटीफाई किया था उन लेबर्स के पुनर्वास की योजना केन्द्र सरकार ने बनाई और राज्य सरकार को 14 लाख रुपया सैंक्शन किया। वे रुपये जमा हो चुके हैं। जो योजना बनाई गई है उसका बजट हेड (HEAD) भी राजस्थान में है। इसके बाद भी मैं निवेदन करना चाहता हूं डूंगरपुर में 120 चित्तौड में 200, कोटा में 700 बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी है लेकिन हमारे श्रम विभाग और हमारे योजना विभाग ने

(श्री ईश्वरचन्द्र)

इसके लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की है। वे रुपये लैप्स हो जाएंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार अब भी समय रहते जागरूक हो और वोण्डेड लेबर की समस्या को खत्तम करने के लिये 40 लाख की योजना दी हुई है उसको पूरा करें। मैं सरकार का ध्यान आर्कषित करता हूं कि इस बारे में कोई निर्णय करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय दिग्विजयसिंहजी !

प्रस्ताव

पंचायती राज समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रिपोर्ट आफ दी कमेटी आन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल !

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मंत्री महोदय ने सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस पर विचार किया जाय। इसकी रिपोर्ट हमें मिल गई। उसको हमने पढ़ा है। जब तक सरकार का अभिमत इस रिपोर्ट पर सदन के सामने नहीं आ जाता तब तक विचार करने का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिये––

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल जैसे यहां डिस्कशन हुआ बिजली बोर्ड पर तो माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट पहले पढ़ा था जिससे कोई समाधान हुआ। इसी प्रकार माननीय मंत्री महोदय, इस पर आपकी पार्टी क्या सोचती हैं, क्या दृष्टिकोण है थोड़ा बता दें तो आपको भी बीच में सहूलियत रहेगी और थोड़ा हमें भी सहयोग मिलेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट इसलिये रखी गई है कि माननीय सदस्यों के विचार सुन लें। उसके पश्चात राज्य सरकार अपना दिमाग बना कर निर्णय लेगी कि किस प्रकार इसे लागू करना है। इसलिये यह रिपोर्ट आपके सामने रखी गई है कि सदन के सामने आपके विचार आ जायं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय कौशलजी के बाद मेरा नाम है। वे नहीं हैं इसलिये मैं बोल रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री व्यास !

श्री रघुनन्दन व्यास : राजस्थान की सरकार ने इस समय....

श्री शंकरलाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया कि सदन के विचार आ जाएंगे उसके बाद में अपनी राय सरकार बनाएगी। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार की राय बनने के बाद मामला सदन के सामने आएगा या हमारी राय जानने के बाद सरकार विचार कर लेगी ?

श्री दिग्विजयसिंह : यह तो स्वाभाविक बात है कि आपके विचार व्यक्त करने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी ? उसके बाद फिर आपके सामने आयेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार है कि राजस्थान की सरकार ने और खास तौर से पंचायती मंत्रीजी ने रिपोर्ट

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप भी विरोधी दल के 15 वर्ष तक नेता रहे हैं। जब कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत होती है तो सबसे पहले विरोधी दल के नेता को बोलने के लिए कहा जाता है ताकि यह मालूम हो जाय कि वह क्या सोचते हैं ? उसके बाद में सत्ता पक्ष के सदस्य बोलते हैं। पहले ही सत्ता पक्ष वाले कैसे बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह बिल्कुल सच है, लेकिन बहुत सी रिपोर्ट्स पर सरकार अपना दिल दिमाग नहीं बना पाती है इसलिए वह सदन के विचार सुनना चाहती है। सरकार

(श्री अध्यक्ष)

के द्वारा इस पर पूर्णरूपेण विचार होने के पश्चात् जो सरकार करेगी वह सरकार करेगी ही अपनी इच्छा के अनुसार ।

श्री रामनारायण चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर यह नहीं है, पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जितने भी प्रतिवेदन पहले प्रस्तुत हुए हैं तो पहले प्रतिपक्ष की राय ली गई, उनको बोलने के लिए कहा गया । ऐसे प्रतिवेदनों के लिए आज तक यह परम्परा रही है । इस विधान सभा में पहले भी सत्ता पक्ष को मौका दिया और आज भी सत्ता पक्ष वालों को मौका दे रहे हैं ! मेरा निवेदन है कि जो डिबेट आज हो रही है वह प्रतिपक्ष की तरफ से शुरू हो । उनको पहले मौका दें । यह हमेशा की परम्परा रही है और इस आसन से उसको निभाया जाता रहा है ।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय; यह साधारण रिपोर्ट है । इस रिपोर्ट पर कोई भी मानस सरकार ने बनाया नहीं है ? सब के विचार सुनने हैं । इसलिए विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष की कल्पना विरोधी दल के माननीय नेता ने पंचायती राज के सम्बन्ध में उठाई कैसे . . . .

श्री अध्यक्ष: कृपया आप स्थान ग्रहण करिये ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नम्र निवेदन है, इस रिपोर्ट पर यह डिस्कशन प्रिलिमिनरी डिस्कशन है ? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सी कमेटियों का जिक्र किया था । सदन के माननीय सदस्यों की इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है वह जानने के बाद फिर सरकार कोई ड्राफ्ट बनायेगी, ड्राफ्ट बनाने के बाद इस सदन में लायेगी और फिर विचार होगा । मेरा यह निवेदन है, सरकारी पक्ष में बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनके हक का हम हनन करना नहीं चाहते, मगर आप लोगों को तो पार्टी में भी इस रिपोर्ट को डिस्कस करने का मौका मिलेगा ताकि आप अपनी गवर्नमेंट के मिनिस्टर को इस बारे में सुझाव दे सकें । हम जो इधर बैठने वाले हैं उनको यह मौका खास तौर से मिला है । इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई और बहस न हो तो उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को पार्टी में डिस्कश करने का मौका मिलेगा । हमको यह मौका मिला है । मेरा निवेदन यह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करें तो हम इसमें शामिल हो सकेंगे ।

श्री रतनलाल वर्मा : इस विषय में यह स्पष्ट होना चाहिए कि 75 प्रतिशत इधर वाले बोलेंगे और 25 प्रतिशत उधर वाले ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डिस्कशन प्रारम्भ होने से पहले मुझे संकेत दिया गया कि विरोधी पक्ष का अधिकार है तो यह बात में सुनूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, 12 सितम्बर, 1977 को लोकसभा ने एक संकल्प पास किया । उसको देखते हुए प्रधान मंत्री ने यह काम इस कमेटी को दे दिया । देने के बाद जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करवाई है। रिपोर्ट तैयार कराने के बाद जनता पार्टी ने अपना मानस इस हाउस में रखा । हमारी पंचायतों के चुनाव हो गये । एक फेज उसका अभी खतम हुआ है । क्या आपकी पार्टी ने अपना निर्णय नहीं बदला, यह मैं सुनना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष : यह निर्णय वही है । पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन पर जो रिपोर्ट है उस पर फुलफ्लेज्ड डिस्कशन हो जाय । यह रूलिंग पार्टी की तरफ से शुरू नहीं है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकारी पक्ष की ओर से धन्यवाद का प्रस्ताव रखा जाता है उस पर विरोधी पक्ष के नेता बहस शुरू करते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सरकार ने कहा नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह गवर्नमेंट की पालिसी बताता है । गवर्नमेंट अपनी पालिसी

(श्री मूलचन्द डागा)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के रूप में रखती है तो वह गवर्नमेंट की पालिसी बताती है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह आखिर में जनता पार्टी की सरकार का निर्णय है यानि सरकार ऐसा सोचती है या सरकार की कोई नीति नहीं है।

(व्यवधान)

जो रघुनन्दनजी व्यास बोलेंगे वह सरकार की नीति की बात होगी ?

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आखिर कई दिनों से भिन्न-भिन्न विषयों पर चर्चा का प्रारम्भ इसी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। आज जिस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है उसमें कोई नई बात नहीं है। मुझे केवल एक बात नजर आ रही है कि कल की छुट्टी है इसलिए विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को पहले बोल कर घर जाने की जल्दी लग रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रात के 12-12 बजे तक सदन चलता है और आप लोग चले जाते है पहले कौन बोले इसका विवाद नहीं है लेकिन आप यह कहें कि 12 बजे तक बैठेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि डागा साहब जल्दी से बोलकर पाली भाग जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अच्छी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

सरकार कोई भी मैटर लायेगी यही सदन उसको पारित करेगा। पंचायतों के चुनाव हों यह बहुत ही चर्चा का विषय है। वह अधूरे पड़े है। अब रिपोर्ट आई है इस पर अब इधर-उधर से डागा साहब, विरोधी पक्ष या सरकारी पक्ष वालों का कोई ख्याल हो वह इस पर प्रकाश डाले यह समस्या नहीं है सरकार की नीति वर्तमान रिपोर्ट में प्रस्तुत है। इस रिपोर्ट पर डिस्कशन हो।

श्री व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास : आदरणीय अध्यक्षजी, माननीय विरोधी दल के नेता ने यह प्रश्न उठाया है कि यह रिपोर्ट सरकार ने बनाई है। किंतु यह रिपोर्ट एक कमेटी ने बनाई है। उस कमेटी के सदस्यों के नाम है, श्री अशोक मेहता, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री प्रकाशसिंह बादल, श्री एम. जी. रामचंद्रन श्री बी. शिवरमन, श्री मंगलदेव, श्री कुंवर महमूद अली खां, श्री अन्ना साहब पी शिन्दे श्री इ. एम. एस. नम्बुद्रीपाद श्री एस० के० डे, श्री सिद्धराज ढढ्ढा, श्री इकबाल नारायण, श्री वल्लभ भाई पटेल। इसमें भारत वर्ष के सभी विचारों के लोग आ जाते हैं जिन्होंने ग्रामदान में जीवन पर्यन्त काम किया, इसमें कोई पार्टी का विचार नहीं, उन सारे विचारों को लेकर भारत सरकार ने....

श्री मूलचन्द डागा : अशोक मेहता हमारी पार्टी का मेम्बर नहीं।

श्री रघुनन्दन व्यास : एक कमेटी का निर्माण किया।

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से डागा साहब से निवेदन करना चाहता हू कि इस प्रकार से बीच में रोक-टोक न करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : भारत सरकार ने एक कमेटी का निर्माण किया। वह कमेटी सारे भारतवर्ष में घूमी। इसके पहले तीन रिपोर्ट आई। इस पंचायती राज पर बलवन्तराय मेहता कमेटी रिपोर्ट, गिरधारी लाल व्यास कमेटी जिसने राजस्थान यूनिट पर रिपोर्ट दी, की रिपोर्ट और तीसरी यह रिपोर्ट तीनों ने पंचायती राज पर सुझाव दिये। इन तीनों रिपोर्ट को लेकर और उन्हें पढ कर मैं चर्चा कर रहा हूं। सब के बाद जो रिपोर्ट है वह श्री अशोक मेहता की रिपोर्ट जिसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान की मौजूदा जनता सरकार ने 13 वर्षों के बाद पंचायतों के चुनाव कराये। चुनाव के बाद की प्रक्रिया

(श्री रघुनन्दन व्यास)

क्या हो, पंचायत समिति बने, जिला परिषद बने, उनकी व्यवस्था कैसे हो, और सबसे बड़ी बात जो योजना आयोग है उसके द्वारा हमेशा से योजनाएं ऊपर से थोपी जाती रही वह ग्रामतन्त्र के विचार की नीचे से प्रस्तुत योजना को स्वीकार करें, और नीचे से बनी हुई योजना ऊपर तो जाय, पर सिर्फ फाइनेन्स का विचार करने के लिए जाय इस पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन की रिपोर्ट में विस्तार से इसका सर्वेक्षण किया गया। मैं माननीय अशोक मेहता साहब और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पंचायती राज के बारे में, व्यवस्था के बारे में पुन: विचार करके ईमानदारी के साथ में इसको लागू करने का निर्णय किया। राज्य सरकार ने यह निर्णय किया कि सम्पूर्ण लोगों की सहमति और विचार इस पर लिये जायें। उसके बाद राजस्थान की सरकार आगे कुछ संकल्प के रूप में निर्णय सदन के सामने लायेगी। खुले मन से इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आज का जो दिन निश्चित किया है उसके लिये मैं, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं।

राजस्थान में पंचायतें थीं। भारत वर्ष में प्रारम्भ से ही वैदिककाल को लें, पौराणिक काल को लें, चन्द्रगुप्त के काल को लें, चाणक्य के काल को लें, उन कालों में भी पंचायतें थी। ग्राम हमारा सर्वोपरि जीवनतन्त्र था, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि सड़क पर जो कचरा फैलायें उसे दंड दिया जाय, सड़क पर जो बिना मतलब के पानी डाले उसको दण्ड मिलें। सिरोही के नजदीक आप भंडारा गांव को देखिये जहां ढाई हजार वर्ष की बनी हुई नालियां, और सडकें मिली है हमारे गांवों में यह व्यवस्था थी। जिस जागीरदारी प्रथा को आप बदनाम करते हैं उस समय यह परम्परा थी। हमारी शादी विवाहों में गांव में रहने वाले जो अन्य लोग होते थे, उन सभी को बुलाया जाता था। लेकिन अब उन परम्पराओं में विकृतियां आ गई हैं। शादी विवाहों में सभी वर्गों के लोग आते थे, बैठते थे। सब की सम्मिलित व्यवस्था थी। गांव की अगर लड़की किसी गांव में बाहर ब्याही होती तो उसका गांव की बेटी के रूप में ही स्वागत होता था। आज जो गांवों के पंच बन गये हैं या सरपंच बन गये है, अगर गांव से कोई किसी लड़की को उठा कर ले जायें तो वह पंच और सरपंच कुछ नहीं कर सकते हैं। गांव में अगर कोई गड़बड़ हो जाय तो वह कुछ नहीं कर सकते है क्योंकि राजस्थान पंचायत राज कानून के तहत उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। अभी चार पांच तारीख की ही घटना है चौहटन से कुछ लड़कों को उठाकर पाकिस्तान ले गये। सरपंच कुछ नहीं कर सका। आज जो इसके माध्यम से राजनीति को लाने का प्रयत्न किया गया है उसी का परिणाम यह है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे बिन्दु हैं उन पर हमको विचार करना चाहिये। ग्राम विकास के बारे में स्पर्धा होनी चाहिए। ग्राम विकास के लिए कम्पीटीशन होना चाहिए किगावों का विकास कैसे होगा? बिजली लग गई है। नल पहुंच गया है। नाली बन गई है। गांवों की जो यूनिट है, जो परिवार है उनके विकास के लिए रिपोर्ट में पढ़ने को मिलेगा। परिवारों के आधार पर विकास का चिन्तन किया जाये। हम परिवारों को लेकर चलें। परिवारों का विकास कैसे होगा?

श्री मूलचन्द डागा : वह हमने पढ़ लिया है।

श्री रघुनन्दन व्यास : आप पढ़िये।

मैं अपनी पंचायत समिति की लिमीटेशन के बारे में बात करना चाहता हूं पहले गांवों में रहने वाले सभी परिवार एक दूसरे की सुख-सुविधा का ध्यान रखते हुए एक होकर रहते थे। इसलिए कहा जाता था "ग्रामे वसन्ती देवानाम्।"

श्री मूलचन्द डागा : और जयपुर में जो बसते हैं?

श्री रघुनन्दन व्यास : वह आगे बताऊंगा। गांव में कोई भी परिवार भूखा रह जाये, या कोई भी गडबड हो जाय, यह नहीं हो सकता था। गांवों में कभी निमन्त्रण होता था तो पूरे गांव में चूल्हे नहीं जलते थे।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

2.44 म. प

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष पदासीन)

पूरे गांव का सभी वर्गों का भोजन होता था। सभी मिल कर निर्णय लेते थे। अंग्रेजी राज आया, तब भी यह चला है। अब पंचायत राज के माध्यम से पंचायत की इन्स्टीट्यूशन खड़ी की है लेकिन जो सहयोग और प्रेम आना चाहिए वह नहीं है। आपस में झगड़े हो गये हैं। सर फुटौवल हो गई है।

यह जो रिपोर्ट अशोक मेहता ने दी है, उन्होंने इसमें एक बात कही है कि पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन को इस प्रकार का बनाया जाय कि इसके द्वारा हर परिवार को आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ–साथ किसी भी प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष नहीं हो। ग्राम विकास के लिए कुक्कुट पालन, कुटीर उद्योग, अस्पताल आदि के काम प्रारम्भ किये जायं। इन सारे मामलों को नीचे के स्तर से ऊपर लायें।

(व्यवधान)

हां, इसमें मुर्गा-मुर्गी भी है। हिन्दुस्तान एक बड़ा देश है। समुद्र के किनारे रहने वाले ब्राह्मण भी मांस-मछली खाते हैं। हिन्दुस्तान में सब तरह के लोग हैं। इस समय एक लाख की आबादी पर एक पंचायत समिति बनाते हैं। एक लाख में कितने परिवार होंगे। राजस्थान में एक कहावत है, बारह कोस . . . । इस रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा है। बीस हजार की आबादी के ब्लाक्स बनाकर छोटे छोटे रूपों में विकास योजनाएं बनायें यह नहीं कि एक जीप दे दी, अध्यापक लगा दिया। अध्यापक भले ही पढ़ाने नहीं जाय वेतन उनके घर पर भेज दें। सारे ग्राम तन्त्र के रूप में 20 हजार की आबादी का एक ब्लॉक बनाया जाय। ब्लाक में सारे विकास के काम लिये जाय फिर उनके आधार पर जिला परिषदों का गठन किया जाय नगरपालिका और को-आपरेटिव उद्योग भी उसमें आयें। इन सारे साधनों को लिया जाय। इस प्रकार की भावना से समृद्धि की ओर लाये जाने का प्रयास किया जाये। पंचायत राज को मजबूत करने के लिए यह रिपोर्ट रखी गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके आधार पर इसके छोटे छोटे ब्लाक बनाकर पंचायत समितियां बनाई जानी चाहिए। यह नहीं हो कि चुनाव हो तो पंच को पकड़ कर ले जायें। तीन-तीन दिन तक गायब रखें। प्रधान का चुनाव हो तो ऐसा करें। चुनाव काफी खर्चीले हो गये हैं। 20 हजार की आबादी में मुश्किल से पांच छः पंचायतें आयेंगी। छोटी-छोटी पंचायतों के आधार पर ही ग्रामों का विकास होगा। वर्तमान पंचायत समितियों के ढांचे को, इतने बड़े रूप को तोड़ दिया जाये और छोटे ब्लॉक्स बनाये जायें। हां, न्याय पंचायतों का विकास साथ में नहीं हो सकता है। न्याय पंचायतों के, कमेटी के जो सरपंच बनते हैं, उसके बारे में कहा है कि सरपंच नहीं होने चाहिए, कोई न्यायविद होना चाहिए। अन्यथा यह होगा कि मूलचन्द डागा आ गये या किशनसिंह आ गये। मूलचन्द डागा हमारे विरोधी हैं फिर न्याय नहीं होगा। न्याय पंचायतें रखी जायें लेकिन उनका अध्यक्ष कोई न्यायिक व्यक्ति रखा जाय। वह घूमता ही रहना चाहिए। वह न्याय पंचायत के माध्यम से कुछ न कुछ न्याय करे। इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाय।

श्री ओंकारलाल चौहान : वकील वगैरह का भी होगा।

श्री रघुनन्दन व्यास : निश्चित रूप से होगा। आज कोआपरेटिव में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार धारा 74 के मुकदमे बनाते हैं सौ में से 99 मुकदमे कोआपरेटिव का इन्सपेक्टर टैक्निकल असिस्टेन्ट या सहायक रजिस्ट्रार किसी भी सदस्य को बदनाम करने के लिये उसको तंग करने के लिए बनाता है लेकिन सहायक रजिस्ट्रार के यहां पर कोई वकील नहीं जा सकता। फिर वह भाग कर डिप्टी रजिस्ट्रार के यहां पर जाता है इसलिए सहकारी अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि न्याय पंचायत में न्यायविद वकील होगा तो वाजिब न्याय मिल सकेगा। इस रिपोर्ट

Page No 48

(48)

(श्री रघुनन्दन व्यास)

में यह कहा गया है या नहीं, मैं नहीं कह सकता ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत मोटी रिपोर्ट है, मैं पढ़ नहीं सका पूरी रिपोर्ट को, हो सकता है गलती हुई हो ।

मौजूदा पंचायत समितियों को तोड़कर बीस-बीस हजार के क्लाक्स कायम किये जायं शिक्षण संस्थाएं जिला परिषदों को दी जाय जैसा कि गुजरात राज्य के अन्दर है, वहां पर सरकार शिक्षण संस्थाएं नहीं चलाती केवल अनुदान देती है 145 करोड़ का । हमने शिक्षण संस्थाओं को चलाया, सरपंच वहां पर अंगूठा छाप बैठ गये, बच्चे आ गये मास्टर साहब उन्हें पढ़ायेंगे तो पढ़ेंगे । इस कारण शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने के बाद शिक्षण संस्थायें बढ़ी हैं इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता । मेरे क्षेत्र में 1951 में पांच लाख की आबादी के जिले में केवल सातवीं कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध थी । बेशक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं । मुझे खुशी होगी कि प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा दी जाकर राजस्थान का विकास किया जाय । कम्युनिटी डवलपमेंट चिकित्सा, कृषि और हर क्षेत्र में राजस्थान का विकास हो । इन सारे विषयों को जिला परिषदों के सुपुर्द किया जाय । लेकिन एक-एक परिवार से काण्टेक्ट होना चाहिए । जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है मौजूदा पंचायत समितियों को तोड़ कर छोटे-छोटे क्लाक्स बना कर नये सिरे से व्यवस्था की जानी चाहिए । मेरा अनुरोध है कि जनता सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे । पंचायतों में चुनावों के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी हो ताकि राजस्थान विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, इसी भावना के साथ मैं माननीय सदस्यों से पंचायत राज पर जो रिपोर्ट है उस पर मनन करने का अनुरोध करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि ग्राम विकास की ओर राजस्थान को किस प्रकार ले जा सकते हैं । जिला परिषदों तक की प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री एच.एन.शर्मा ।

श्री समरथलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो माननीय सदस्य शुरू-शुरू में बोलते हैं उनको 15 से 20 मिनट का समय दिया जाता है और बाद में बोलते हैं उनके लिये समय की खींचातान रहती है । निवेदन करूंगा कि शुरू से ही बोलने वाले संयम बरतें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी यही चाहूंगा । बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही थक जाते हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 10 मिनट का समय रख लिया जाय ।

माननीय श्री एच. एन. शर्मा !

श्री एच. एन. शर्मा (बैंगू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज के ऊपर अशोक मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर बहस करने के लिये आज समय रखा गया है । सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार का आभारी हूं कि पहले जो पंचायतों को अनुदान दिया जाता था कांग्रेस की सरकार के जमाने में वह चार आने दिया जाता था अब इस नई सरकार ने 10 प्रतिशत करके ढाई रुपया कर दिया है । इसी से यह जाहिर हो जाता है कि हम पंचायतों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की जो विकास करने की मंशा है वह इसी से जाहिर हो जाती है ।

जो यह कमेटी ने रिपोर्ट दी है इसमें बड़े अच्छे सुझाव आये हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी ओर से कुछ और सुझाव मैं पेश करना चाहता हूं । मुझे आशा है माननीय मंत्री महोदय उन पर गौर फर्मायेंगे ।

(श्री एच० एन० शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार जो पंचायतों के चुनाव हुए वे दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर हुए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में भी चुनाव दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर होने चाहिएँ। तभी जाकर हम गांवों का विकास कर सकते हैं। अगर ग्राम पंचायतों के चुनाव दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठ कर नहीं हुए

(व्यवधान)

हां, इसमें लिखा हुआ है, श्रीमान, मैं आपको पढ़ कर सुना दूं, यह पेज नम्बर 8 पर लिखा हुआ है।

"राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को दलीय आधारों पर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए और यदि प्रतिष्ठित किया जाना आवश्यक हो जाए तो उन्हें छः महीने के भीतर-भीतर किसी निर्वाचित निकाय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए।"

इसमें लिखा हुआ है, इसलिए कह रहा हूं कि पंचायतों के चुनाव दलीय राजनीति के आधार पर नहीं कराये जाने चाहिए

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि पंचायतों को स्वयं निर्णय करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना तैयार करने का पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए। जब तक योजनाओं के ऊपर और विकास के कार्यों के ऊपर स्वयं उनका अधिकार नहीं होगा तब तक गांवों का विकास नहीं हो पायेगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर गौर फर्मायेंगे और पंचायतों को योजनाओं और विकास कार्यों में स्वयं निर्णय लेने का पूरा-पूरा अधिकार मिलेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हर जिले में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिये एक कार्यपालक अधिकारी होना चाहिए जो यह देखे कि जो विकास के कार्य हाथ में लिये गये हैं वे पूरे हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजें। तभी, श्रीमान, इसकी क्रियान्विति हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा विकास के मामले में जिला स्तर पर जो भी बैठकें हों उनमें जन प्रतिनिधि और अन्य स्थानीय अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। उस बैठक का चेयरमैन जनप्रतिनिधि होना चाहिये चाहे एम. पी. हो या एम. एल. ए. हो। कलेक्टर को उसका चेयरमैन नहीं बनाया जाना चाहिए। आज कहा जाता है कि कलेक्टर को आप चेयरमैन बनाते हैं, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है। अगर जन-प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया तो मैं आशा रखता हूं कि विकास के कार्य जो कई वर्षों से इन्कम्पलीट पड़े हुए हैं वे पूरे किये जावेंगे। मुझे आशा है माननीय मन्त्री महोदय इस सुझाव पर जल्दी से जल्दी विचार विमर्श करेंगे और निर्णय लेंगे कि जन-प्रतिनिधियों को उचित अवसर प्रदान किया जाये।

साथ ही यह भी निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि गांवों में जो भ्रष्टाचार पैदा होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी सुना होगा, गांव में कहावत है कि ऊपर करतार और नीचे पटवार गांवों में जो भ्रष्टाचार पैदा करते हैं वह पटवारी करते हैं। बेचारे पंच और सरपंच पटवारी को बुला बुला कर थक जाते हैं कि बैठक में पधारिये लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

एक पटवारी के बजाय ग्राम पंचायत स्तर पर भले ही दो पटवारी करें। उसको ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी नियुक्त कर दें जिससे सरपंच, पंचों व पटवारी के बीच में

(श्री एच० एन० शर्मा)

कोई कड़ी जुड़ सके और ग्राम पंचायत स्तर पर जो पटवारी द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है, उस पर अंकुश लग सके ।

मंडल पंचायतों के बारे में रिपोर्ट में विस्तार से विवरण दिया गया है । इसमें 15 हजार से 20 हजार की आबादी की बात कही गई है । लेकिन खाली आबादी को ही आधार नहीं माना जाना चाहिए ।

स्कूलों के बारे में भी माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई कि आबादी को आधार नहीं मानना चाहिए । उसके साथ क्षेत्र भी सीमित किया जाए । ऐसा न हो कि 15 हजार की आबादी हो और 200 किलोमीटर का क्षेत्र आ जाय । तो इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए एरिया तय किया जाए ।

पंचायत समिति स्तर पर आपने देखा होगा पहले प्रधान होता था उस पर खर्चा बिल्कुल बेकार था । प्रधान बीच में फोकट का दलाल होता था । सरकार के सामने जो समस्यायें होती हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना विधायक का काम होता है । और गांव की समस्या के समाधान के लिए सरपंच था । अगर बीच में प्रधान आता है तो विधायक अकर्मण्य हो जाता है । हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य वापस प्रधान बनाने की प्रक्रिया को लागू करने की सिफारिश करें लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है । तो जिस प्रकार की मंडल पंचायतों के बारे में कमेटी द्वारा सिफारिश की गई है वह सही नहीं है ।

अभी न्याय पंचायतों की बात माननीय सदस्य कर रहे थे । न्याय पंचायतों का सभापति सरपंच होता है । यह सही है कि उनको कानूनी जानकारी नहीं होती इस कारण कई समस्यायें पैदा हो जाती हैं । मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि कुछ वकील ऐसे हों जो ग्राम पंचायतों में आनरेरी न्यायाधीश का काम करें । सरपंच व पंचों को सिखायें कि कानून क्या है । अगर ऐसा किया गया तो जो जटिलतायें हैं जिनके कारण से न्याय में कमी आ गई है वे दूर हो जायेंगी । हालांकि रिपोर्ट में खाली मजिस्ट्रेट की बात कही गई है लेकिन मजिस्ट्रेट के बैठने से बजाय न्याय मिलने के जटिलतायें पैदा हो जाती हैं । इसलिए जो लॉ ग्रेजुएट्स बेकार बैठे हुए हैं उनको अगर आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाकर बिठाया जाय तो ग्राम पंचायत स्तर पर जनता को सस्ता व सुलभ न्याय मिल सकेगा......

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो सुझाव है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि हाई कोर्ट के सर्क्यूलर्स हैं कि जो वकील न्याय पंचायत में बैठते हैं शायद उस क्षेत्र में उनको प्रेक्टिस करने से डिबार भी किया जाता है ।

श्री एच.एन. शर्मा : जो नए-नए लॉ ग्रेजुएट्स आए हैं उनका सहयोग लिया जा सकता है ।

इस रिपोर्ट में छोटे जिले बनाए जाने के बारे में भी विचार रखे गए हैं । मेरा निवेदन है कि छोटे जिले बनाए जाने चाहिए तभी विकास की गति आगे बढ़ सकती है और गांव का विकास हो सकता है । इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए हैं । जो विधायकों की मांगे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी छोटे जिले बनाए जाने चाहिए ।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा, आपने देखा होगा कि आज देश के दरिद्र लोग गांवों में बसते हैं उनके अन्दर 70-80 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग हैं । इसलिए जैसा रिपोर्ट में कहा गया है, उनका प्रतिनिधित्व निश्चित किया जाना चाहिए । अगर ऐसा किया गया तो गांव के दरिद्र नारायण का उद्धार हो सकेगा ।

मैं अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार द्वारा माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रख कर जल्दी से जल्दी इन पर अवश्य निर्णय लिया जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज रिपोर्ट पर आज विचार विमर्श किया जा रहा है। पंचायतों के चुनाव हुए करीब एक साल हो गया। उससे पहले चुनाव न होने के फलस्वरूप पंचायत राज सिस्टम के अन्दर जो कार्यकर्त्ता हैं उनके दिल में मायूसी, कमजोरी आई हुई थी......

श्री कौशल किशोर जैन : 6 महीने हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का समय जल्दी व्यतीत हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने तो गिरधारीलाल व्यास कमेटी रिपोर्ट को ही कार्यान्वित नहीं किया।

कई माननीय सदस्य : 13 साल की बात नहीं करेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं मानता हूं कि लंबे अर्से से चुनाव न कराने के फलस्वरूप पंचायत राज की सीढ़ियों में कमजोरी आई। लेकिन इसका मुख्य कारण यह रहा कि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी।

पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को कायम हुआ था उस समय 12।। लाख रुपये हर एक ब्लाक को सहायता मिलती थी। पंचायत समिति में उद्योग, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, शिक्षा, सोइल कन्जरवेशन, सारे विभाग के प्रसार-अधिकारी लगाए हुए थे। जिला अधिकारियों को हिदायत थी कि जब कभी पंचायत समिति की मीटिंग हो वे उसमें जायें। जब तक यह सिस्टम रहा, लगातार 6-7 साल तक अच्छी तरह से चला और सफलता से चला मान लीजिए किसी गांव में जानवरों में बीमारी फैल गई। पंचायत समिति मीटिंग में सरपंच अपनी बात कहता था, उसमें प्रसार अधिकारी व संबंधित जिला अधिकारी भी होता था, इसलिये फौरन चिकित्सा मिल जाती थी। धीरे-धीरे सारे प्रसार अधिकारियों को खींच लिया और जिला अधिकारियों ने भी पंचायत समिति की मीटिंग में जाना बंद कर दिया। तब से पंचायत समिति के पास कोई मुख्य रिसोर्सेज नहीं रहे। तब से जो उनको 12 लाख मिलते थे वे बन्द हो गए और पंचायत राज कमजोर होना शुरू हुआ। उसके बाद जो सिस्टम के अन्दर कमजोरी आई उसका मुख्य कारण यह था कि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। ट्रान्सफर्स भी सचिवालय से होने शुरू हुए तो अपने आप पंचायत राज कमजोर होना शुरू हुआ। उस कमजोरी के कारण से लोगों में दिलचस्पी नहीं रही। लम्बे अर्से तक चुनाव नहीं हो सके उससे यह पंचायत राज का ढांचा बिल्कुल गड़बड़ा गया।

अब मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट अच्छी है इसमें कोई शक नहीं लेकिन यह रिपोर्ट तभी अच्छी सिद्ध होगी जब कि इस रिपोर्ट के अन्दर जो जो बातें बताई गई हैं सही रूप से आप उनको कार्यान्वित करो। इसके साथ ही कुछ और पावर्स आप पंचायतों को और मण्डल पंचायतों को दें। जिला परिषदों के लिए इसमें बहुत अच्छा प्रावधान है लेकिन आज मैं कहता हूं कि जो जिला परिषदों को पावर्स दी गयी हैं यह पावर्स राज्य सरकार कभी उनको नहीं देगी और इसलिए नहीं देगी कि मंत्रि-मण्डल में बैठे हुए सदस्य यह सोचेंगे कि यह इतने पावरफुल हो जायेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा ? इस रिपोर्ट को इसी रूप में यदि आप कार्यान्वित करवा लेते हैं तो सही रूप में पंचायत राज जिला स्तर पर पहुंच जायेगा।

जहां तक पंचायतों का सवाल है पंचायतें पुराने एक्ट के तहत बनी हुई हैं। उसके तहत जो प्रावधान हैं और पावर्स उनको मिली हुई हैं वह अभी भी पंचायतों के पास में हैं और सरपंचों के पास में हैं। एक निर्णय लिया है कि हम 2।। रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान देंगे। इसमें कई बाधायें हैं। जोधपुर के अन्दर जो जिला विकास अधिकारी हैं उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कि जो उनके अन्दर बकाया है वह उस से काट लेंगे और बाकी बचा हुआ अमाउन्ट देंगे। यदि इस तरह की बात आप करेंगे तो 2।। रुपया देने का मकसद हल नहीं होगा। इसलिए इसमें कोई अड़चन मत डालिये और जितना पैसा मिलना चाहिए उतना ही आप दीजिये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपका टोटल लैण्ड रेवेन्यू 9 करोड़ रुपये का है। आज आप 5।। करोड़ रुपया 2।। रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। बाकी 3।। या 4 करोड़ का मामला है तो क्यों नहीं सारा का सारा लैण्ड रेवेन्यू पचायत को दे दें। वही वसूल करें और वही खर्चा कर दें। यह बहुत अच्छा सुझाव है। यह आपके हित में अच्छा सुझाव होगा मानें या नहीं मानें यह आपकी मर्जी है।

दूसरे मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्राम सेवकों को आप सेक्रेटरी मुकर्रर कीजिए। जहां ग्राम सेवक नहीं है वहां पटवारी को कीजिए। आखिर पटवारी भी तो उसी पंचायत में काम करता है। लेकिन मेरे पूर्व वक्ता ने जैसा कहा है कि पटवारी अपने आपको इन्डिपेन्डेन्ट फील करता है। वह कभी आर.ए.एस. का नाम लेता है। पंचायत की मीटिंग में जब म्यूटेशन के काम आते हैं तो हाजिर नहीं होता और पंचायतों की बैठक में नहीं आता इसलिए उस पर अंकुश होना चाहिए कि हर पंचायत की मीटिंग में वह जायेगा। अगर सरपंच उसकी शिकायत करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होता है तो पटवारी पहले की तरह काम करता रहेगा।

इसी प्रकार से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय पंचायतों के लिए जो वर्तमान में प्रावधान है वह ठीक है। डेजर्ट के अन्दर ई. सी. जी. नहीं आते। पहले न्याय पंचायतें बनी थीं तो न तो हमारे पास फण्ड्स थे और न ही वह ठीक तरह से फंक्शन कर सकी थीं नतीजा यह हुआ कि न्याय पंचायतों को तोड़ना पड़ा। आपने एक उप-समिति बना दी है। तो ऐसा कौनसा कानूनी बड़े पेचीदगी वाले केश आते हैं कि जिसके लिए मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि उनके लिए काबिल आदमी होना चाहिए। पंचायतों के अन्दर जो मामले आते हैं वह सब मामूली होते हैं इसलिए वह अपने आप निश्चित रूप से न्याय कर देते हैं। इसलिए जो अभी परिपाटी है वह ठीक है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हड्डियों के ठेके जिला लेवल पर होते हैं इसके अधिकार पंचायतों को दे दिये थे। हड्डियां पूरी नहीं आतीं इसलिये अगर पंचायतों को अधिकार दे देते हैं तो उनकी थोड़ी आमदनी बढ़ जायेगी उस पर पंचायतें भी निगरानी रखेंगी और पंचायतों को लाभ मिलेगा।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हर पंचायत के अन्दर जितनी सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स हैं चाहे वह वैद्यखाना हो, शफाखाना हो, एड पोस्ट हो, उनके सम्बन्ध में सरपंचों को दाखिल होने की इजाजत होनी चाहिए। सरपंच जाकर देख सकता है कि वैद्य जी आते हैं या नहीं, दवाइयां हैं या नहीं है, कितनी दवाइयां हैं कितनी नहीं हैं। इसी तरीके से स्कूल के अन्दर जाकर छात्रों की संख्या देख ले। इसमें किसी को क्या एतराज है? लेकिन आज वहां के हैड मास्टर उनको अंदर नहीं आने देते, वैद्य जी उनकी परवाह नहीं करते। जितनी इन्स्टीट्यूशन्स है वह पंचायतों से अलग हैं यह गलत बात है। इसलिए आप इसके बारे में सोचिए। इन सारी इन्स्टीट्यूशन में सरपंचों को जाने की इजाजत होनी चाहिए। फिर सरपंचों की शिकायत आये तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। यदि उस पर कार्यवाही नहीं होती है तो सरपंचों का जाना भी व्यर्थ होगा।

इसके बाद यह भी कहूंगा कि जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी सरपंचों के सामने रहती है वह यह रहती है कि वह कुछ चन्दा करते हैं और कुछ रुपया सरकार की तरफ से अनुदान का आता है। उसमें से खर्चा करते हैं। कमरा बनाते हैं और काफी मेहनत से बनाते हैं। फिर कहते हैं कि इसमें ओवरसियर का

(श्री खेतसिंह राठौड़)

सर्टिफिकेट लाइये । तो यह सर्टिफिकेट बहुत मुश्किल से मिलता है। ओवरसियर पी. डब्ल्यू. डी. से आता है इसलिए वह छोटी घी की पीपी से राजी नहीं होता है। इस लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी आप व्यवस्था कीजिए, नहीं तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरपंच कहीं दिलचस्पी से काम नहीं करेगा क्योंकि वह समझेगा कि पूरा काम नहीं हो सकेगा और ओवरसियर के मैजरमेंट के हिसाब से काम पूरा नहीं होगा और मैं मारा जाऊंगा इसलिए इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आप निश्चित रूप से कोई न कोई कार्यवाही करें।

साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि विकास अधिकारी, एस.डी.ओ., चिकित्सा प्रसार अधिकारी या एजूकेशन आफिसर्स हैं यह जितने भी पंचायतों में जाते हैं तो हर एक सरपंच के यहां ही जाते हैं। सरपंच को चाय पिलानी पड़ती है और दौड़ भाग भी करनी पड़ती है। आप तो यहां सम्पचुअरी अलाउन्स ले लेते हैं और सरपंच को कुछ नहीं देते हैं। इसलिए पंचायत फण्ड में से कुछ खर्च करने की इजाजत उनको होनी चाहिए। आप इजाजत नहीं देते हैं। हर सरपंच की माली हालत अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं कहता हूं कि खर्च करने की इजाजत होनी चाहिए और उसके लिए आडिट पैरा नहीं बनना चाहिए जिससे वह अपना काम ठीक तरह से चला सके।

जहां तक पंचायतों का सवाल है मैंने कुछ सुझाव दिये है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय समय बहुत कम दे रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां तक मंडल पंचायतों का प्रश्न है पहले पंचायत समितियां थीं। पंचायत समितियों के काम ठीक तरह से हो रहे थे। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, जिला अधिकारी आकर शिकायतें सुना करते थे। अब इस नयी प्रणाली में दो तीन मण्डल पंचायतें बन जायेंगी। जहां तक डेजर्ट एरिया का ताल्लुक है यदि आप दस से पन्द्रह हजार की आबादी पर मण्डल पंचायत बनायें तो वह बहुत बड़े क्षेत्र की हो जायगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि दस से पन्द्रह हजार के बीच की आबादी में एक मण्डल पंचायत होनी चाहिए डेजर्ट के अन्दर। इस बात को मैं मानता हूं कि जहां पंचायत समिति के क्वार्टर्स रहे हैं वहां सभी विकास के काम हुए हैं। वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हैं, हाई स्कूल भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है और रोड्स भी है। सारे विकास कार्य वहां हुए हैं। आप मण्डल पंचायतों को वही स्टेटस देने जा रहे है जो कि पंचायत समितियों को दिये हैं तो यह निश्चित रूप से अच्छी परम्परा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह से और भी विकास होगा। सरपंचों को ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि वह मण्डल पंचायत में आ जायगा। लेकिन मण्डल पंचायत में कितने बाबू रहेंगे, किस तरह का ढांचा होगा और क्या काम होगा, वह आपने साफ नहीं बताया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मण्डल पंचायत का आफिस पंचायत समिति के आफिस से थोड़ा छोटा हो लेकिन आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि इसकी बैठक में ब्लाक के आफिसर्स भी हों, डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स भी हों ताकि वह उनकी समस्या का समाधान कर सकें और मण्डल पंचायतों को ठीक तरह से फंक्शन करा सकें।

इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करता हूं कि जहां तक जिला परिषदों का सवाल है। उनमें एम.एल.ए. को कहीं नहीं रखा है। उसे सिर्फ रखा है आयोजना कमेटी में। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आयोजना मंत्री तो यहां नहीं हैं। श्री माणकचन्दजी सुराणा आयोजना मंत्री हैं, मैंने पूछा था उनसे कि मिनिस्टर बनने के बाद क्या हाल हैं तो कहने लगे कि एक फाइल आई है। तो आयोजना ऐसा नाम है कि नाम तो बड़ा है लेकिन काम छोटा है.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मत कहिये। आयोजना मंत्री माथुर साहब रहे हैं और सारी फाइलें उनके पास आती रही हैं।

श्री **मथुरादास माथुर** : और यह मेरे डिप्टी रहे हैं। बराबर का रहा है।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : माथुर साहब की बात और थी, मुख्य मंत्री जी, और उनकी बात कुछ और है। सांप और छछुन्दर वाली बात लागू होती है हर एक पर।

तो मेरा निवेदन है कि आप एम एल. ए. से इतना क्यों घबराते हैं ? उनको लेंगे तो क्या हो जायगा ? एम. एल. ए जिला परिषद में बैठता है तो जिले की सारी समस्याओं को सुनेगा, सारी समस्या उसके सामने आयेंगी। कहां फेमिन पड़ रहा है, कहां पानी की कमी है, कहां सड़कों का विकास होना चाहिए, कहां विकास हो रहा है और कहां विकास नहीं हो रहा है ये जब सारे मामले वहां डिस्कस होंगे। वहां एम एल. ए. भी होगा तो उनको सुनकर याद रखेगा और जब विधान सभा में आयेगा तो उन बातों को वह कहेगा। इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है ? मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एम. एल. ए. इतने जिम्मेदार हैं और लोग उसको बनाना भी चाहते हैं तो कौनसी दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं ?

आज एम. एल. ए. के पास कौनसा काम है ? मन में तो सभी जानते हैं। ९ बजे भैरोंसिंह जी रवाना कर देते हैं तो न कोई पूछ न कोई ताछ है। इसलिए जिला परिषद में मेहरबानी करके फुल पॅलिज रखिये ताकि जिले की समस्याओं को विधान सभा में रख सकें।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : अब आप बिराजें।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : घंटी बज गई ?

श्री **मदनसिंह दांता** : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने वालों का नाम बता दें। कोई खाना खान चला जाय तो मिस न हो जाय।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं पहले भी विचार आया था कि जिला परिषद् का सेक्रेटरी किस केडर का होना चाहिये। अगर जिला परिषद के सेक्रेटरी को कलेक्टर से नीचे का रखते हैं तो जिले में भावना यह रहती है कि कलेक्टर सीनियर आफिसर है, इस जिले का जिलाधीश है। जिलाधीश है इसलिये 15 अगस्त का दिन हो या 26 जनवरी का दिन हो, हमेशा सेल्यूट वे लेते हैं और हमेशा अपना रुतबा रखते हैं। माननीय भैरोंसिहजी, आप जब इधर बैठते थे तो बहुत बात करते थे...

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : 30 वर्ष तो जिलाधीश के नीचे रहे और अब ऊपर लाना चाहते हैं ?

श्री **मथुरादास माथुर** : 30 वर्ष तक आप इधर बैठते रहे और अब उधर बैठे हैं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : इधर बैठे तब तो जिलाधीश ठीक थे और अब उधर बैठने लगे तो जिलाधीश दुश्मन हो गये।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : खैर, मैं यह निवेदन जरूर करूंगा कि जिला परिषद का सेक्रेटरी आई.ए.एस. होना चाहिये और जिलाधीश से सीनियर होना चाहिये.....

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : एक जानकारी करना चाहूंगा। आप जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं बहुत वर्षों तक यह बता दीजिये कि पंचायतों की आय किस प्रकार बढ़ाई जाय ? इस पर रोशनी डालिये।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : आय बढ़ाने के बारे में हमने भी कोशिश की थी कि टैक्स लगाये जाय लेकिन जो प्रधान आते हैं वे कहते हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उनका कहना था कि हम जहां जायेंगे सरपंच और पंच शिकायत करेंगे। एजुकेशन सेस भी लगाते हैं तो उसका भी विरोध होता है। इसलिए मेरा सुझाव है जितने भी टैक्सेज होंगे वे तो सब स्टेट लेवल से ही लगेंगे। नीचे ऐसा स्तर नहीं है जो टैक्सेज लगा सके और उसका ठीक प्रकार रियलाइजेशन कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश कुमार !

श्री मदनसिंह दांता : हमारे टर्न का पता लग जाय तो हम खाना खाकर आ जायं ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आज खाया ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप चाहेंगे तो मैं बाद में आपको बोलने का अवसर दे दूंगा।

श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंज मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश ग्रामीण अंचलों से भरा पूरा देश है । ग्रामीण अंचल से भरा पूरा देश होने के कारण ग्रामीण का हम किस तरह सहयोग ले सके, उनकी भावनाओं को किस प्रकार केन्द्रीभूत करके विकास के पथ पर हम कदम बढ़ा सके, इसी के लिये पंचायती राज की स्थापना की गई थी किन्तु शनैः शनैः जैसे जैसे दिन निकलते गये सरकार पंचायतों का ह्रास करती रहीं । उनको यह पसन्द नहीं आया कि शिकायतों को नीचे के स्तर पर पंचायतें हल करें। वे यह चाहते थे लोग हमारे पास आये, उनकी शिकायतें को हम सुने तथा हम ही उनका फैसला करें। इसलिए धीरे–धीरे सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बारे में सरकार उदास होती गई । सत्ता के विकेन्द्रीकरण का दम भरने वाली पिछली सरकार ने भी इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया और न अब यह सरकार ध्यान दे रही है । शनैः शनैः उनके अधिकारों को छीन लिया गया जब इस रिपोर्ट को देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई और लगा कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि इसके साथ साथ चैक एण्ड बेलेन्सेज का सिद्धान्त जोड़ना पड़ेगा अन्यथा वापस पंचायत राज का ढंग बिगड़ जायगा। इसलिए यह आवश्यक है कि अवरोध और सन्तुलन को रखा जाय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गहन चिन्तन का विषय है ।

इसके साथ ही हमें सोचना पड़ेगा कि ग्रामीण उत्थान के लिये, ग्रामीण विकास के लिये प्रमुख आधारभूत सिद्धान्त क्या है ? जैसे इसमें जिले का उदाहरण दिया है । एक जिला है उसको छोटा करने के बारे में हमारी सरकार हिचकिचायेगी लेकिन जब तक इकाइयों को छोटा नहीं किया जायगा, तब तक हम उनकी गहराईयों को नहीं पकड़ सकेंगे । इसलिये छोटे जिले बनायें जिसमें ताल्लुकेदार हो । हम पंचायती राज के जरिये ग्रामीण विकास करने जा रहे हैं तो उस पर सब दृष्टि से विचार करने के बाद आप सरपंचों को अधिकार दें । क्या हम उनको सही रूप दे रहे हैं, यह भी देखना होगा । जैसे राजस्थान में रेगिस्तान का मामला है रेगिस्तान वाला क्षेत्र है आखिर उसका विकास कैसे हो, रेगिस्तान को कैसे डवलप किया जाय, उसके बारे में क्या धारणा है ? उस राय को मजबूती से कौन रख सकता है ? वहां के लोग ही रख सकते हैं । उसके साथ ही इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि क्या यह जरूरी है कि सुझाव आये हैं जो बातें आई है सरकार उनको माने? क्या राज्य सरकार मानने के लिये बाध्य है ? क्या कोई बाध्य करने के इस प्रकार के प्रावधान है ? नहीं हैं, तो फिर इसकी वजह से यह हुआ कि धीरे धीरे गांव पिछड़ गये । आज स्थिति यह आ गई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जैसे इन पंचायतों के बारे में कई बातें सोचने लगे । हमारे भिन्न–भिन्न मत हो गये कि टू टायर सिस्टम रखा जाय या थ्री टायर सिस्टम कर दिया जाय । मेरा निवेदन है कि यदि हमें लोकतन्त्र के सिद्धान्त को जीवित रखना है तो इसकी चेन को मजबूती से पकड़े रखना होगा । अगर यह टूट जाती है तो निश्चित रूप से सरकार और जनता के बीच खाई बढ़ेगी, इसलिए जो सुझाव आये हैं वह श्रेष्ठ सुझाव है । व्यवहारिक दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में एक प्रकार का शोषण चलता है । बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं और राज्य सरकार छोटी इकाइयों का स्थानीय निकाइयों का शोषण करती है और ऐसे ढंग से शोषण करती है कि उसका पता नहीं रहता है । मार्क्स ने एक बड़ा कमेन्ट दिया है कि छोटा आदमी बड़े आदमी की प्रशंसा करता है लेकिन बड़ा आदमी उसको इस प्रकार खाता है कि उसको

(श्री हरिशकुमार शर्मा)

उसको पता ही नहीं चलता है कि मुझे खाया जा रहा है । इसी प्रकार पंचायतों का शोषण किया जाता है पंचायतों के बारे में अपना मस्तिष्क इतना संकीर्ण कर लिया कि अपने वैभव के आगे उनको ग्रामीण वैभव नजर नहीं आता था, ग्रामीणों के अधिकार नजर नहीं आते थे । शासन का सबसे बड़ा महत्व होता है । इस नाते जनता पार्टी की सरकार ने इसको महसूस किया, जनता पार्टी का शासन आने के बाद वास्तव में गांवों में विकास किस तरह से मजबूत किया जाय, इस पर सोचा गया । आज गांवों का आदमी यह महसूस करे कि जिस सरकार को मैंने मत दिया था वह मेरे बारे में भी कुछ सोच रही है और जो कर मैं देता हूं सरकार को, उसका लाभ मुझको मिल रहा है ये ये चीजें मुझे प्राप्त हो रही हैं । आज स्थिति यह है कि जितने भी स्कूल पंचायत समितियों के अन्तर्गत हैं उन स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं । चार-चार पंचायतों के बीच में एक एक ग्रुप सचिव के कार्य करने से पंचायतों का कार्य नहीं चलने वाला है । यही कारण है कि मेरे कोटा जिले की शाहबाद पंचायत में दो-दो साल तक, साल-साल भर तक, छः-छः महीने तक अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते और वेतन लेकर घर आ जाते हैं। इस स्थिति में कैसे अध्यापन कार्य हो सकता है बच्चों का ? आखिर उन पर कौन निगरानी रखेगा, कौन उन पर अपनी आंख गड़ाये रखेगा ? इस स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा इस रिपोर्ट में बताया है कि किस आधार पर हम इसके ढांचे को खड़ा रखें । गांधीजी ने ग्राम स्वराज के बारे में कहा था उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास चले सोसाइटियों के माध्यम से उसके लिए इसमें जो स्वरूप दिया गया है उसमें मुर्गीपालन का सुझाव, मेरे खयाल से रह गया है ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : साथ में है ।

श्री हरीश कुमार : इसके साथ ही मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पशुपालन की दृष्टि से ग्राम पंचायतों को विशेषाधिकार दिये जावें । यह मेरा दृढ़ मत है । मैंने चुनावों के रिजल्ट देखे हैं, पंचायत के चुनाव में हारे हुए हैं उन्होंने दूसरों पर आक्रमण किये हैं । उसकी नाक काट कर रख दी, उसको पीटा गया, उसकी हत्या कर दी गई । इसका एक मात्र कारण है, श्रीमान, राजनैतिक द्वन्द्व । राजनैतिक द्वन्द्व भयंकर रूप से घर घर पहुंचा दिया गया है । सरपंच के बारे में यह कहते हैं कि जीतने के बाद वह कहता है, उसका चबूतरा तुड़ा दो, उसका रास्ता बन्द करवा दो, उसकी जमीन छीन लो । ये सब कारण रहे हैं उसके पीछे। इन कारणों को कैसे दूर किया जाय ताकि सरपंच के सामने निर्वाचित होने के बाद में केवल मात्र एक ही लक्ष्य रहे कि मुझे मेरी पंचायत का विकास करना है । इस नाते जिला परिषद के सेक्रेटरी वास्तव में कलेक्टर ही होने चाहिएं न कि आई.ए.एस. अधिकारी या दूसरा कोई अधिकारी । कलेक्टर ही सेक्रेटरी हो । उस जिले का जिलाधीश ही जिला प्रमुख के सेक्रेटरी का काम करने वाला हो ताकि दोनों इकाइयां मिल कर रह सकें । सरकारी अधिकारी जन प्रतिनिधियों के नीचे काम करें। जो सुझाव मैंने रखे हैं इनको ही काफी मानते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा !

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि प्रधान भारत गांव में बसा है । लोगों को सस्ता न्याय मिले, गांवों का उत्थान हो, इस के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत की, पंचायतें बनीं, पंचायत समितियां बनीं उस के साथ उनको अधिकार दिए गए, साधन भी जुटाए गए । उस समय ऐसा अवसर था, लोगों को आशा थी हुकूमत से कि इस पंचायती राज से आगे सुविधायें मिलेंगी । पर, उपाध्यक्ष महोदय, क्या पता था कि पंचायत समितियां और पंचायतें तत्कालीन सरकार की दुकानें बन जायेंगी क्या पता था कि पंचायतों को चलाने वाले

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

पंच, सरपंच, पंचायत समितियों के प्रधान सिर्फ तत्कालीन सरकार के मोहर बन कर रह जायेंगे। यही कारण है कि जो आशायें पंचायतों से थीं, जो विश्वास पंचायतों पर जमा था वह धूमिल हो चुका है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार ने अपने मोहरों को बनाए रखने के लिए पंचायतों के चुनाव 13 साल तक नहीं करवाए। अपनी जमी हुई दुकानों से उन्होंने लोक सभा और विधान सभा के चुनाव जीत कर बराबर पंचायतों के चुनाव आगे से आगे स्थगित कराये तो उसके पीछे मंशा क्या थी ? यही थी कि इन मोहरों से चुनाव जीता जाय। उस समय की सरकार ने बन्दरबांट की तरह से गांवों के साधनों का दुरुपयोग किया, सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्पष्ट है कि पंचायतों में करोड़ों रुपयों का गोलमाल है। करोड़ो रुपयों के गोलमाल का आखिर जिम्मेवार कौन है ? पंचायत समितियों के चुनाव लगातार स्थगित करने की जिम्मेवारी किसकी है ? गांवों के अन्दर जो निर्माण कार्य होना चाहिये था, जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ उसका जवाबदार कौन है ? तत्कालीन सरकार है। गांवों में योजनायें चलती थीं तो हर गांव में यह आशा थी कि हमारे यहां पर स्कूल होंगे, हमारे यहां सड़कें होंगी, तालाब होंगे। लेकिन हम जब गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि आज वहां पर कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है इस राजस्थान की सरकार का और राजस्थान का कि तत्कालीन सरकार ने तीस साल तक निहित स्वार्थों के आधार पर इस ढांचे को खड़ा रखा। उसने अपने मोहरों को बनाए रखने के लिए 13 साल तक चुनाव नहीं कराए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जिस समय स्कूल खुले, उस समय अध्यापक कौन बन सकता था। प्रधान, जिला प्रमुख, तहसीलदार के यहां दिन में दो बार जो हाजरी देता था सिर्फ वही गांव में अध्यापक रह सकता था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापक का उच्च स्थान है लेकिन तत्कालीन सरकार ने ..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पिछले इतिहास की बात को छोड़िये। अशोक मेहता रिपोर्ट पर बोलिये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मैं उसी पर बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि उस अध्यापक की क्या स्थिति थी ? सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के यहां दिन में दो बार हाजरी दिए बिना वह वहां रह नहीं सकता था। यही कारण है कि हमारे गांवों का सत्यानाश हुआ है। तत्कालीन सरकार द्वारा पंचायत समितियों, जिला परिषदों का दुरुपयोग करने के कारण यह हुआ है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि आज पंचायती राज में टू-टायर सिस्टम हो, थ्री टायर सिस्टम हो, कौन सा सिस्टम रखा जावे। मैं अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट की प्रशंसा करूंगा, इसमें यह लिखा है कि सही मायने के अन्दर गांवों में अच्छी व्यवस्था हो, गांवों में पढ़े लिखे आदमी रहें, गांवों का उत्थान हो, योजना गांवों से बने और जो लोग गांवों से शहर की ओर दौड़ते हैं उनको रोकें। इसके लिए एक ही आधार हो सकता है कि पंचायत समितियों की जगह मण्डल इकाइयां बनायें। मंडल इकाइयों का आधारभूत मजबूत बनाया जावे उनको सक्षम बनाया जावे जिसके कारण जो तीस साल के अन्दर गांवों की दुर्दशा हुई है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। गांव मजबूती से खड़े हों इसके लिए मेहता कमेटी की रिपोर्ट की क्रियान्विति राजस्थान में करें। इसके साथ ही इस मेहता कमेटी से जो लाभ गांवों को होगा, वह यह होगा कि जो मण्डल इकाइयां होंगी, जो पंचायत इकाइयां भी वह इकाई पंचायतों से हट कर मण्डल तक होंगी जिससे गांव का उत्थान होगा देश का उत्थान होगा। हम चाहते हैं कि योजना का स्वरूप नीचे से बने। वह तब ही बनेगा जब कि इकाइयां छोटी होंगी। इकाइयों का सही रूप हो, मेरा निवेदन है कि मण्डल की मार्फत जो योजना बनेगी वह सही योजना होगी।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि आज तक जो विकास की सारी योजनायें बनी हैं वह एक तरह से नौकरशाही के द्वारा बनी हैं। आप चाहे मण्डल समितियां बनावें, जिला परिषद बनावें, कुछ भी बनावें, मेरा निवेदन है कि जो मण्डल इकाई बने, जो जिला परिषद बने उसका सुपरविजन हो और उसके सेक्रेटरी के रूप में कलेक्ट हो। तीस साल तक जिलाधीश जिले का धीश बना रहा है। लेकिन अब उसको महसूस होना चाहिए कि जन प्रतिनिधि उसके ऊपर हैं। चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई आई. ए. एस. अफसर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या कोई सेक्रेटरी हो, उसको महसूस होना चाहिए कि जन प्रतिनिधि चाहे सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है वह उससे ऊपर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत एक प्रकार से सक्षम बनें मजबूत बनें इसके लिये और राशि देकर पंचायतों को दृढ़ करना होगा. उनके लिये साधन जुटाने होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि पंचायत क्षेत्रों में जितने तालाब हैं वहां की मछलियों का ठेका पंचायतों को मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार से पंचायतों को साधन दें, ट्रेक्टर दें आप अन्त्योदय परिवारों को ट्रेक्टर जैसी बड़ी वस्तु पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, डी.पी.ए.पी के काम के अन्दर और इसी प्रकार से दूसरे जो संगठन हैं उनके अन्दर जन प्रतिनिधि शामिल किये जायें। काश्तकारों को 30 साल से लोन लेने की जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने के लिये जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय जिससे उनको अधिक से अधिक राहत मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसके साथ ही अंतिम बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा। जिस प्रकार से नगर पालिकाओं को चुंगी के अधिकार दिये हुए हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत क्षेत्रों में भी प्रस्ताव पास करके टैक्स लगाने के जो प्रस्ताव राज्य सरकार को पंचायतें भेज देती हैं उन पर राज्य सरकार की स्वीकृति मिलनी चाहिये।

धन्यवाद।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे जितना आप ठीक समझें समय दें। कमेटी की रिपोर्ट काफी महत्व की है। मैं इसके एक-एक बिन्दु पर बहुत शोर्ट में बोलूंगा।

1957 में बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट बनी जिससे हमारे यहां पर प्रजातंत्र का विकेन्द्रीकरण हुआ। उसके बाद में पंचायती राज का जो ढांचा बना वह माननीय सदस्यों के सामने है। वह चलता रहा, उसमें कई ऊंच-नीच आई वे इतने महत्व की नहीं लेकिन इसके बाद देश में जो बड़ी-बड़ी क्रांतियां हुई, बड़ी-बड़ी तब्दीलियां आई और यह प्रश्न सामने आ गया कि आज पंचायती राज का ढांचा किस प्रकार का खड़ा किया जाय। 1957 के बाद हमारे यहां खेती में बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण हुआ। स्थान-स्थान पर बिजली पहुंची, नये हल, नये बीज उपलब्ध कराये गये, सभी तरह की क्रांतियां आई, रूरल औद्योगीकरण हुआ, इंडस्ट्रीज खड़ी हुई, बैंक्स गांवों में खुल गये। विकास के दृष्टिकोण से ये बातें गांवों और देहातों में हुई। विकास की बढ़ती हुई दिशा में जो उस वक्त पंचायती राज बनाया गया वह सक्षम नहीं रह गया। पंचायती राज का जो ढांचा था, उसके काम करने के तौर तरीके थे, वह ढांचा अब इतना सक्षम नहीं रह गया कि इन बातों को बरदाश्त कर सके। इसलिए जनता सरकार ने एक कमेटी जिसे अशोक मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं, की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिये मौका दिया है। सबसे पहले मुख्य मंत्रीजी, जो पंचायती राज में जुटे

(श्री मथुरादास माथुर)

हुए हैं, उनके दिमाग में और आपके दिमाग में पुराने तौर तरीके हैं, उनमें क्रान्ति लानी पड़ेगी। अगर वे ही वेल्यूज पुरानी रही तो हम इस अशोक मेहता कमेटी को चुपचाप बन्द करके रख दें तो अच्छा है। यह बड़ी क्रान्तिकारी रिपोर्ट है। हमें यह सोचना है, इसका किस तरह गांवों में उपयोग करें जिसकी वजह से गरीब-गरीब न रहे, अमीर की अमीरी हमेशा के लिये न बनी रहे। हमें यह नहीं सोचना है कि हम एम. एल. ए. हैं, हम जिलाधीश बनें, जिला परिषद में बैठें। अगर ऐसा हो तो अशोक मेहता कमेटी बिल्कुल बेकार होगी। इस वक्त हमको तीन चीजों का विकेन्द्रीकरण करना होगा। मुख्य मंत्रीजी, आपकी सत्ता कम होगी, सरकार का काम कम होगा। हमारे यहां जो आथोरिटी, रेस्पोंसिबिलिटी और रिसोर्सेज हैं ये तीन चीजें डीसेंट्रलाईज करनी पड़ेगी। आज महत्व की बात यह है कि पंचायती राज में कोई क्रान्ति नहीं है, कोई आन्दोलन नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें इस पर आगे बढ़ना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इस बैक ग्राउन्ड के साथ जो रिपोर्ट अशोक मेहता ने दी है उसके अन्दर फाइनेंसेज और पावर को डील किया हैं कि पंचायती राज का राजस्थान में थ्री टायर सिस्टम हो, पंचायत समिति और जिला परिषद। माननीय सदस्य खूब जानते हैं और मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं मैं भी इस सदन का वर्षों से कार्यकर्ता रहा हू, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी तब से बराबर पचायती राज का अध्ययन करने में मेरा हिस्सा रहा है। इसके बारे में मेरा तजुर्बा है। गांवों का एरिया इकानोमिकली वाएबल हो सके, इस ढंग से आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। सामंतवाद से प्रजातंत्र, प्रजातंत्र से विकेन्द्रीकरण की ओर चल रहे हैं इसलिये गांवों के लोगों का मानस इस प्रकार से तैयार हो कि वह अपना फर्ज अदा कर सके। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हम लोगों ने क्या किया? हमने अपनी पंचायतों, अपनी पंचायत समितियों को नजर अन्दाज कर दिया। इसलिये पंचायती राज पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। चुनाव नहीं हुए लेकिन इससे पंचायती राज खोखला नहीं हुआ। वह वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। वह नियम सबको पता है। जो फंड देते थे वह देना बन्द कर दिया तो को-आपरेटिव सोसायटी हो गई। यह बातें आप समझते हैं कि इस सरकार में क्या हुआ मगर हाउस में नहीं कहना चाहते। अशोक मेहता कमेटी ने एक दिशा हमको दी है उस दिशा से एक क्रांति और एक इन्कलाब हमारे देश में आयेगा। आप मेरे इस सुझाव को सपोर्ट करें, आप भारत सरकार के प्रधान मंत्री पर दबाव डालें कि भारतवर्ष के संविधान में वह 43 वां अमेंडमेंट यह लायें कि जो हमारी तीन लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कान्करेन्ट लिस्ट, उनके साथ ही एक लोकल सैल्फ गवर्नमेंट लिस्ट बनानी चाहिए। पचायती राज की जो हमारे डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल के चैप्टर में आर्टीकल 40 है उसको वहां से हटा कर एक नया चैप्टर बनाना चाहिए। कई दफा लोग कहते हैं, यह भावना चली जा रही है कि पचायती राज की दिशा में प्रगति तब तक नहीं होगी जब तक कान्स-टीट्यूशन में उसकी प्रविष्टि न हो।

डिवेल्यूशन आफ फाइनेंसल रिसोर्सेज के बारे में हम चाहे इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों हमेशा फाइनेन्स कमीशन के सामने मांग करते हैं कि हमें भारत सरकार से ग्राण्ट ज्यादा मिलनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो पैसा है वह जनता का पैसा है। भारत सरकार जो टैक्स लगायेगी वह डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल तक से लिया जाता है। अगर यहां की राजस्थान सरकार टैक्स लगायेगी तो भी वही होता है, चाहे आपकी मंडल पंचायत या जिला परिषद टैक्स लगायेगी तो उसके भी रिसोर्सेज वहीं के वही हैं। अलग-अलग संविधान ने पावर्स दिये हैं। हमारे पास जो पैसा है वह सब जनता का पैसा है। इस बात को समझ लें कि जो हमारे पास पैसा है वही जिला परिषद के पास है। वह पावर्स आप उनको दे देंगे

(श्री मथुरादास माथुर)

तो वह पैसा वसूल कर लेगी। ग्रान्ट्स के बारे मे रिजर्वेशन्स है। भारत सरकार के पास रिजर्वेशन्स हैं। स्टेट्स और भारत सरकार के बीच में हमेशा फाइनेन्शल कन्सीडरेशन्स का सवाल रहता है। पोलीटिकल पावर्स को छोड दें। सैन्टर को मजबूत रखा जाय लेकिन फाइनेशल रिसोर्सेज की मांग करने के लिए चारों तरफ से आवाज उठ रही है तो इसी तरह से यह मंडल पचायतें और जिला परिषद आवाज उठायेगी तो मेरा सुझाव यह है कि भारत के संविधान में इसकी प्रविष्टि हो। अभी भारतीय संविधान में पंचायती राज सीधा नहीं आता है। वह डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल में आता है।

दूसरा मेरा सुझाव है कि जिस तरह से हम लोगों के लिए फाइनेन्स कमीशन बनता है उसी तरह से उनके लिए बने। मैंने इस पाइंट को ले लिया है यह आल इंडिया का पाइंट है। भारत सरकार जो रुपया इकट्ठा करती है तो फाइनेन्स कमीशन डिवेल्यूशन आफ ग्रान्ट टू एवरी स्टेट करता है। फाइनेन्स कमीशन उसमें से पैसा हमको देता है। पपीहा जैसे पानी के लिए आसमान की ओर आंख करके तकता रहता है उसी तरह से हम आज सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं। मैंने अभी योजना मंत्रीजी से पूछा था कि फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आ गई ताकि हम जान सकें कि राजस्थान को आगे आने वाले जमाने में किस तरह से साधन मिल पायेंगे जिससे कि हम मुल्क की खिदमत कर सकें और राजस्थान की जनता को ऊपर ला सकें। इसी तरह से मेरा यह सुझाव है कि स्टेट के बीच में और लोकल सैल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज के बीच में इस तरह का फाइनेन्स कमीशन बनना चाहिए जो डिवोल्यूशन आफ ग्रान्ट्स स्टेट्स और पंचायती राज के बीच में कर सके।

तीसरा मेरा सुझाव फाइनेन्शल पावर के बाद में उसके स्ट्रक्चर के बारे में है। स्ट्रक्चर के अन्दर जो टू टायर सिस्टम के लिए कहा है उसका सेन्ट पर्सेन्ट हामी हूं। एक तो जिला परिषद होनी चाहिए। अगर हम रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स करें तो सबसे ज्यादा स्टेट के बाद में जिले पर रेस्पान्सिबिलिटी आती है तो वहां पर जिला परिषद मौजूद है। जिला परिषद बननी चाहिए। जिला परिषद के बारे में मेरा निवेदन है कि इनमें प्रतिनिधि विलेजेज से आने चाहिए, चाहे पंचायत हो या न हो। यह बाद में फाइनल हो सकता है, अगर चाहे तो पंचायत समिति भी अपने प्रतिनिधि भेज दे। पंचायत समिति पोस्ट आफिस की तरह काम करती है। बीच में पंचायत समिति आती है वह बहुत बड़ी बन गई है तो गांवों में कई चीजें परकोलेट हो सकती है और आप डिसेन्ट्रेलाइजेशन के मकसद तक नहीं पहुंच सकते हैं। इनका सुझाव है कि 25-30 हजार की आबादी पर पंचायत मंडल बनाये जाने चाहिए। बीच में पहले जो पंचायत समिति थी वह 60 हजार की आबादी तक की हुआ करती थी। जिन स्टेटों में पंचायत समितियां हैं वहां ट्रान्जिशनल पीरियड में काम करती रहें जिला परिषद् की एक्जीक्यूटिव बोडी के रूप में। वह नान स्टेट्यूटरी बोडी होगी। वह कोई कानूनी संस्था नहीं होगी तो उसके लिए हमें पंचायत समिति एक्ट को रिपील करना होगा। वह एक डिग्नीफाइड घोडी की तरह उनके हुक्म बजायेगी। पंचायत समिति को न जाने किस मकसद से नहीं रख कर पंचायत मंडल रखा है। वह चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायत एक्ट को तब्दील करना पड़ेगा तो किस प्रकार आप संशोधन करना चाहते हैं ? आपकी भावना शुद्ध है तो यह सारा अमेंडमेंट होगा और अमेंडमेंट के बाद राजस्थान में चुनाव करायेंगे। पंचायत समिति को बदल कर पंचायत मंडल रखा है तो उसका नाम बदल कर चुनाव करा लें।

श्री मूलचन्द डागा : तो पंचायतों के वापस चुनाव होंगे।

श्री मदनसिंह दांता : यह रिपोर्ट जब आने वाली थी तो केवल अपना नाम करने के लिए और कांग्रेस को बदनाम करने के

(श्री मदनसिंह दांता)

लिए चुनाव कराये गये हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आपको मालूम था तो चुनाव क्यों करवाये। यह चुनाव पुराने एक्ट के मुताबिक हुए हैं। जब ढांचा ही नया होगा तो फिर चुनाव क्यों कराये गये ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं वाद-विवाद को खतम कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि नये रूप में पंचायत समिति पंचायत मंडल होगा और जिला परिषद-जिला परिषद होगी लेकिन कई पंचायत मंडलों की एक जिला परिषद होगी। जो अभी आपने पंचायतों के चुनाव कराये हैं वह पंचायत एक्ट में करवाये हैं। वह पंचायत एक्ट रिपील होगा, जिला परिषद एक्ट रिपील होगा और जो चुनाव हो गये हैं वह भी रिपील होंगे। जो इसके अन्दर प्रक्रिया दी गई है...

श्री भंवरलाल ऐरन : सारे के सारे नये एक्ट बनेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : वही मैं निवेदन कर रहा हूं कि वह रिपील होंगे और नये एक्ट बनेंगे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हम पोलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सबको डिसेन्ट्रेलाइज करके विलेज लेवल पर देना चाहते हैं तो 15-20 हजार पर पंचायत मण्डल बना दिये जायं तो बीच में, मैं बड़ा सेक्रामेंट नहीं हूं 15 हजार पर भी हो सकते हैं और 20 हजार पर भी हो सकते हैं, डेजर्ट एरिया में वह बनायेंगे तो इन्टरिम पीरियड के लिए जो सजेशन दिया है तो राजस्थान के लिए मैं उससे सहमत नहीं हूं। ख्वामख्वाह बीच में उनको खड़ा रखेंगे। ट्रान्जिशनल पीरियड की बात को ख्वामख्वाह रखा गया है। शुरू से ही चलने दें। पंचायत समितियों की जगह पंचायत मण्डल बनायेंगे तो एक-एक पंचायत समिति की जगह तीन-तीन पंचायत मण्डल बनेंगे। विलेज कमेटी, पंचायत को एक लिमिटेड दायरे में रखना चाहिए। उसका कान्टेक्ट सारे आम-अवाम से हो।

श्री मूलचन्द डागा : मारवाड़ जंक्शन में 47 पंचायतें हैं। मारवाड़ जंक्शन की तहसील में, खारची की तहसील में या पाली की तहसील में 20-20 हजार की आबादी पर पंचायत मण्डल बनायेंगे तहसील के लेवल पर तो एक-एक तहसील में 3-3 पंचायत मण्डल हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने हो जायेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार 15-20 हजार की आबादी पर एक पंचायत मण्डल होगा। एक पंचायत समिति की आबादी 60 हजार होती है।

श्री मूलचन्द डागा : अब एक लाख हो गई है।

श्री मथुरादास माथुर : जो कुछ भी बने यह डिटेल की बात है, परन्तु प्रिन्सीपल की बात यह है कि जब आप टू टायर सिस्टम एक्सेप्ट करते हैं और पंचायत मण्डल बनायेंगे और वह एक्जीक्यूटिव बोडी होगी, इम्पलीमेंटिंग बोडी होगी। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल होगी तो जिले की वह जिला सरकार होगी। उसका चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर जिला सेक्रेटरी बनेगा। जिला परिषद का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर हो जायेगा। मुख्तलिफ कमेटियां बनेंगी तो उन मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरमैन वह स्टेंडिंग कमेटी के मेम्बर बन जायेंगे, और हैड आफ दी डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के आफिसर होंगे जैसे इन्जीनियर, एग्रीकल्चर आफिसर वह सेक्रेटरी बन जायेंगे। नीचे के जो एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं, काम करने वाले बी.डी.ओ. और एक्सटेन्शन आफिसर वह मण्डल लेवल पर चले जायेंगे और क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स वह उनमें ट्रांसफर हो जायेंगे। यदि इस

Page No 62

(62)

(श्री मथुरादास माथुर)

नीति पर रहेंगे तो उनके राइट्स वहां पर रहेंगे। वह काम वहां पर करेंगे और उनके डिसिप्लिन में होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक जानकारी करनी थी। इस कमेटी की रिपोर्ट में जिस तरह का ढांचा है, उसके अनुसार आपने कहा है, पावर्स मण्डल समिति को देनी हैं। जो म्युनिसिपैलिटी की पावर्स हैं, सफाई आदि की, अभी मैं उस पर अधिक कहना नहीं चाहूंगा। पावर्स के डिसेन्ट्रलाइजेशन की स्थिति में जो पंचायतों को जो पावर्स हैं, वह लेनी पड़ेंगी। पंचायत समिति की लेनी पड़ेंगी। दोनों की पावर्स जिला परिषद में वेस्ट करनी पड़ेगी। इस दृष्टि से क्या पंचायती राज इकॉनामिकली वायबल न होकर जो प्रिलिमिनरी प्रोसेस में काम करता था उसी प्रकार का रह जाएगा? क्या हम वह वापिस ले लेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहूंगा Political power without responsibility and resources is meaningless. वह पोलिटिकल पावर का अर्थ नहीं होता। यह मेरी पर्सनल राय है। आप मिनिस्टर बन जायें, आपके पास पावर्स नहीं हों तो क्या करेंगे? डिप्टी मिनिस्टर की अमूमन यह शिकायत रही है। हमें डिप्टी मिनिस्टर बना दिया है फाइल एक भी नहीं आती है। यह पंचायतें जो हैं, इसमें पोलिटिकल पावर डिसेन्ट्रलाइज होकर जा रही है। पंचायतों के क्या अधिकार थे? मैंने सुना है आपकी बहुत अच्छी भावना है। गांवों में जैसे पेयजल की समस्या है, बिजली लगे, इस प्रकार के कार्य वह करायें। यह नहीं हो सकता है कि कोई लड़की भाग जाये तो वह ले आयें। यह हो नहीं सकता है। यह तो कहने की बात है। जो डेजर्ट एरिया में, ट्राइबल एरिया में हो सकता है वह होगा लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि यह जो पंचायत राज बनाया है, इसमें शिड्यूड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी आये हैं। वीमेन आई हैं, माइनोरिटी कम्युनिटी के लोग आये हैं। लेकिन दूसरी संस्था जैसे कोआपरेटिव है, उसमें भी वह आ जायें। मैं नम्बूदरीपाद से सहमत हूं कि जो इलेक्टेड बॉडी है, उसमें मण्डल के जो चेयरमैन हैं, वह भी इलेक्टेड होने चाहिए ताकि झगड़ा बार-बार नहीं हुआ करे।

अब आया टू टायर सिस्टम। अब मैं दूसरे विषय पर चलता हूं। जल्दी खतम करने की कोशिश करूंगा।

(4.05 म. प.)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति पीठासीन)

यह टू टायर सिस्टम बन गया। अब इसमें सबसे बड़ा काम प्लानिंग का है। बलवन्त राय मेहता कमेटी ने और अशोक मेहता कमेटी ने भी यह कहा है कि प्लानिंग का भी डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिए। प्लानिंग में इनका रिप्रेजेन्टेशन नहीं पाता है इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्लानिंग में इनका रिप्रेजेन्टेशन हो। प्लानिंग कमेटी होगी वह पूरी जिला परिषद होगी उसमें उनका रिप्रेजेन्टेशन हो। नहीं तो एम.पी. कहेंगे, हम भी जायें। एम.एल.ए. कहें हम भी जायें। वह आकर सेन्ट्रल और स्टेट रिप्रेजेन्टेशन के झगड़े में फंस जाते हैं। मैं इससे सहमत हूं कि एम.एल.ए. और एम.पी. को जिला परिषद का सदस्य नहीं रहना चाहिए। जो प्लान बनाने की कमेटी होगी उसमें उनको रहना चाहिए तभी जाकर हम कुछ कर सकते हैं।

अब रह गया रिसोर्सेज। एक बात, सभापति महोदय, मैं यह भी कहता हूं कि आपको पंचायत राज फाइनेंस कार्पोरेशन बनाना पड़ेगा। गांव वाले लोन लेने जाते हैं उसमें आप कण्ट्रीब्यूट करेंगे। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन में यही होता है। आप पंचायत राज कोआपरेटिव बैंक और दूसरे रिसोर्सेज को बिल्ड अप करेंगे। यही रिसोर्सेज होंगे।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आप के सामने वह स्कीम होगी, डिस्ट्रिक्ट की

(श्री मथुरादास माथुर)

स्कीम होगी जो स्कीम इसमें टेक्निकली इन्क्लूड नहीं है। आपको ट्रांसफर आफ स्कीम करना पड़ेगा। तो आप पोलिटिकल पावर ट्रांसफर करके पैसा नहीं देकर यह कहें कि टैक्स लगाओ तो वह टैक्स क्या लगायेगी। वही टैक्स लगेगा जैसा कि लैण्ड रेवेन्यू है। यह आपको देना पड़ेगा। वह ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे हाउस टैक्स है, एण्टरटेनमेण्ट टैक्स है यह आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा।

फण्डामेन्टली यह मान लें, गांवों में पैसा बिखरा हुआ है। वह भारत सरकार भी लेती है और राज्य सरकार भी लेती है। उस पावर का आप ट्रांसफर करेंगे। अब भी आप देते हैं। स्कूलों के लिये देते हैं वैसे ही ग्रांट देनी पड़ेगी। एनीमल हजबैण्डरी का काम ट्रांसफर करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है, मुख्य मंत्री जी, You will have to find your own decentralisation of powers एक बहुत बडा इतिहास बनाने का मौका मिला है, आपके दस्तखतों से यह होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ताली बजाओगे।

श्री मथुरादास माथुर : अच्छा काम करोगे तो ताली बजायेंगे। नहीं तो हू-हू भी करेंगे और सहयोग भी नहीं देंगे।

इसलिए, मुख्य मंत्रीजी, आपको इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि फण्ड्स कहां से आयेंगे ? एक बात और निवेदन करना चाहता हूं—

श्री सभापति : कृपया जल्दी ही समाप्त कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

इसमें अब हाइआर्की डवलप हो जायगी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर चिन्तन करें। पटवारी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, तहसीलदार, एस.डी.ओ. और कलेक्टर यह पुरानी रेवेन्यू की एजेन्सी बनी हुई है। जब लैण्ड रेवेन्यू ट्रांसफर कर दिया गया तो रिकार्ड ट्रांसफर हो जायगा। कलेक्टर के पास रेगुलेटरी फंक्शन रह जायगा, कुछ फंक्शन्स जिला परिषदों को देने पड़ेंगे और डवलपमेंट एजेन्सी जिला परिषदों को देनी पड़ेगी। इसलिए कलेक्टर कहीं भी पिक्चर में नहीं आता है। अशोक मेहता ने यह एक चमत्कारी कदम उठाया है कि कलेक्टर को वहां से हटाया जाय। इससे पंचायती राज हेल्दी नहीं हो सकता। कलेक्टर अभी भी रहेगा रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

वह लॉ एण्ड ऑर्डर भी देखेगा। वह कॉर्डिनेशन कर सकता है।

आपने, सभापति महोदय, थोड़ा समय मुझे बख्शीश दिया चेयर की तरफ से उसमें मैंने अपने विचार रखे हैं। अन्त में मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इसके बारे में कभी सिम्पोजियम के फॉर्म में विचार करने के लिये एम.एल.ए. बैठ जायं तो इस पर डिटेल में चर्चा की जा सकती है। योजना मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी इस पर पुनः चिन्तन करें। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि यह रिपोर्ट एक ऐतिहासिक डाक्यूमेंट है इसको हम राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए लागू करने की कोशिश करेंगे और एक नया स्ट्रक्चर गांव वालों को देंगे तो मेरा ख्याल है कि आने वाले जमाने में जो गैप रह जाता है वह पूरा हो जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूं कि नेता महोदय इस पर अपनी बात कह दें। नेता महोदय, पहले अपना भाषण दे दें। We want to hear him on all these points.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा आपके विचार सुनने के बाद बोलने का इरादा है।

श्री सभापति : माननीय श्री मदनसिंह दांता !

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज, मैं समझता हूं भारतवर्ष के अलावा दुनियां के किसी भी देश में नहीं है। यह जो डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर है मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से वर्डन हो गया है। विश्व में जहां भी प्रजातन्त्र है, वहां जनता को राहत देने का गवर्नमेंट का काम है। चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे एम.एल.ए. हों, हमको जनता ने वोट दिलाकर जिताया है इसलिये हमारा फर्ज है कि हम उनको राहत पहुंचावें और उनके डवलपमेंट के काम करें। लेकिन जो पावर है वह तो एग्जिक्यूटिव में निहित है। इसलिए यह जो आज पंचायती राज की व्यवस्था है इस पर हमारे भारतवर्ष के नेताओं ने अपना वर्डन दूर करने के लिये बेगार रख दी, Begar with no power. यह क्यों नहीं कहते कि पहले जागीरदार लोग बेगार लेते थे और अब गवर्नमेंट ले रही है।

श्री किशनसिंह भाटी : नया आउट लुक है।

श्री मदनसिंह दांता : नया तो होगा ही, राज भी नया है। इसलिए आज यह विचार रख देते हैं।

प्रधान को पहले पंचायत समितियों में पावर होती थी, आज उनको दलाल कहा जाता है। अगर वे दलाल हैं तो हम भी दलाल हैं, भारत का प्रधान मंत्री भी दलाल है और एम.पी. भी दलाल है। पहले की गवर्नमेंट ने उन्हें साधन नहीं दिये इसलिए यह आक्षेप लगाया जाता है। मंडल बनाने से कौन से भगवान राम और कृष्ण आ जायेंगे? आदमी कहां से दूसरे आ जायेंगे? अगर वृत्ति नहीं पलटी तो क्या परिवर्तन हो जायगा? मैं ऐसा मानता हूं कि लड्ढा साहब ने बहुत ऊंचे विचार रखे हैं। ग्राम सभाओं को पावर मिल जायगी तो प्रजातंत्र सही रूप से चल सकेगा। अध्यक्ष महोदय, यहां हम जनता से वोट लेकर आते हैं और बोलने के लिए खड़े होते हैं। वोट देने के बाद जनता तो इस प्रकार खाली हो जाती है जिस प्रकार से पानी के बादल गायब हो जाते हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारी पटकती है। हमारी हालत भी यही है, सत्ता पक्ष में तो भैरोंसिंहजी वोट ले लेते हैं और इधर हमारे विरोधी पक्ष के नेता जो कुछ रहता है वह ले लेते हैं। सभापति महोदय, यह तो इस प्रकार बंट जाता है जिस प्रकार कि पुराने जमाने में अनाज बांटा जाता था। इसलिए पावर की बात अलग है, प्रजातन्त्र का एक प्रकार से मखौल हुआ है। जैसे पहले जागीरदार किया करते थे उसी प्रकार से गवर्नमेंट कर रही है। जिस प्रकार से लोगों की आस्था उनमें होती थी उसी प्रकार से प्रजातन्त्र में आस्था होनी चाहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि पंचायती राज का पहले टू टायर और थ्री टायर सिस्टम था। अब यह मंडल पंचायत होने से फोर टायर सिस्टम हो गया। पहले तीन टायर थे अब मण्डल और हो गये। Begar with no power Two tyre system is no system यह डिसेन्ट्रलाजेशन ऑफ पावर नहीं है। पहले गांव वाले तहसीलों में मिल लिया करते थे अब वे नहीं मिलेंगे। मैंने पहले भी आब्जेक्शन किया था कि जिला परिषदों का मुख्य संचालक कौन होगा? उससे डिसेन्ट्रलाइजेशन की भावना खतम हो जायेगी। इस पर मेहता साहब चमके थे। मुझे मालूम है कि मुख्य मन्त्रीजी ने इस पर विशेष जोर दिया था और सारे सदस्यों ने थ्री टायर की सिफारिश की थी। वह एक अच्छा सिस्टम था जिससे गांव के आदमी एक साथ बैठ सकते थे। अब तो मैं यह समझा कि मेरे पंचायत क्षेत्र के टुकड़े हो गये हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि थ्री टायर सिस्टम में कोई दोष नहीं था। उनको उपयोगी नहीं बनाया गया इसलिए गवर्नमेंट के लिये भी, मैं समझता हूं, मुसीबत हो गई। पहले के टाइम में पंचायत समिति के आदेश होते, पंचायत समिति अपना संगठन तैयार करती थी और खट से काम हो जाता था। अ

(श्री मदनसिंह दांता)

डीसेंट्रलाइजेशन आफ पावर से उठ कर गवर्नमेंट ने डीसेंट्रलाइजेशन आफ बर्डन कर दिया है। राजनैतिक आधार पर अलग अलग मंडल पंचायत जैसे पचायती राज को चलायेंगी वैसे चलेगा। इससे तो अच्छा था कि ग्राम सभाओं को ताकत दी जाती। उस रूट आफ डेमोक्रेसी को खतम कर दिया इससे तो अच्छा होता कि पंचायतें न होती। मैं समझता हूं, ग्राम सभा में ही एक तालमेल है, सारे ग्रामों के लोग बैठकर तय करते हैं, उनके दिमाग में योजना जैसे बनती है वैसे काम करते हैं। वही सिस्टम प्रजातन्त्र का हो सकता था। भगवान राम के जमाने में भी नगर सभा थी, खुद राम उसमें आकर बैठते थे। यह नहीं होना चाहिए कि एक दिन आदमी को अपने मत का महत्व नजर आता है, वह सोचता है कि मैं वोट दूंगा, उसके बाद वह अपनी राय प्रकट नहीं कर सकता। राजस्व अभियान सफल क्यों हुआ, क्योंकि कलेक्टर जाता है, मजिस्ट्रेट जाता है, सारी जनता से पूछता है कि पटवारी कैसे काम करता है। दरअसल सही पावर जनता में है। पुलिस के अन्दर भी यही होता है, एस.पी. जाकर गांवों में पूछता है कि थानेदार रिश्वत लेता है क्या, तो जनता को अपनी राय जाहिर करने का मौका मिलता है। सही रूप से पंचायत राज तब होगा जब जनता को अपनी राय जाहिर करने का मौका मिलेगा। जिस वोटर ने पावर दी है आपको, उसका अधिकार पंचायत सिस्टम से लिया जा रहा है। मैं ज्यों-ज्यों पंचायती राज का अध्ययन कर रहा हूं, क्या पावर थी, क्या दिमाग की शक्ति थी, लॉ एण्ड आर्डर की ओर पंचायत समिति क्यों नहीं ध्यान दे सकती थी, त्यों-त्यों मुझे लगता है कि वह एक इकाई थी जहां सारे जिले के लोग मिल सकते थे; उसको आपने तितर बितर कर दिया। जब एक पंचायत समिति आपसे नहीं सम्भल पायी तो मंडल पंचायत कैसे आपसे संभलेगी? इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं। यह जो कमेटी बनाई है, राजनैतिक चाल है। जैसे एक रोते हुए बच्चे को लाल मोटर देते हैं। वह चुप नहीं होता है तो हरी देते हैं। मुख्य मंत्री का थोड़ा नाम हो जाएगा कि उनके कारण एक नया सिस्टम चला। वह चलेगा तब मालूम पड़ेगा। पुराना सिस्टम ग्राम सभा इकाई का था उसमें सभी लोग एक जगह मिल सकते थे। हमारे गांव 6-6 पीढ़ियां बीत गई आपस में नहीं मिले। मंडल पंचायत बन जाएगी तो दांता रामगढ़ वाला दूसरे गांव से नहीं मिलेगा। धन्यवाद।

सूचना

सभापति तालिका से त्याग-पत्र

श्री सभापति: मुझे एक सूचना देनी है।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि सभापति-तालिका से श्री रामनारायण चौधरी ने त्याग-पत्र दे दिया है। उनके स्थान पर माननीय अध्यक्ष ने श्री रामेश्वर दयाल यादव को मनोनीत किया है। फलतः पुनर्गठित सभापति तालिका इस प्रकार होगी:—

1. श्री ओंकार लाल चौहान
2. सैयद मंजूर अली
3. श्री रघुनाथ विश्नोई
4. श्री रामेश्वर दयाल यादव

पंचायती राज समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री बजरंगलाल शर्मा!

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क): सभापति महोदय, यह जो रिपोर्ट पंचायत राज पर आई है, पंचायत राज की कल्पना केवल इस रिपोर्ट के माध्यम से करें, ऐसा नहीं है। गांधीजी के प्रोग्राम में सबसे अधिक ध्यान पंचायत राज पर गया और जो डाइरेक्टिव प्रिंसीपल बनाये उनमें पंचायत राज पर जोर दिया गया। उसके बाद बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके बाद पंचायतें बनीं। लेकिन यह जो रिपोर्ट है इसमें पंचायत राज की बात कहते हुए पंचायत को नष्ट कर दिया गया है। इसलिए विचार यही करना है कि देश की परम्परा क्या है? पंचायत की इकाई को चालू रखना है तो डीसेंट्रलाइजेशन के बजाय

Page No 66

(66)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

हम पंचायत राज की बात करें। पंचायत गांव की इकाई है। यदि पंचायत नहीं रही तो पंचायत राज की बात कहना हिपोक्रेसी होगा, दम्भ होगा, झूठ होगा। इस रिपोर्ट को इसलिए डिस्कार्ड करना चाहिए कि पंचायत राज की बात करते हुए इसने पंचायत को समाप्त कर दिया है।

दूसरी बात, पंचायत हमने पैदा नहीं की। जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी दूसरे देश में यह सिस्टम इतना सुदृढ़ नहीं था, जितना भारत में था। विचार बदले, मुसलमान आए, उसके बाद अंग्रेज आए लेकिन किसी भी व्यवस्था ने यहां के पंचायत सिस्टम को नहीं छेड़ा, अक्षुण्ण रहने दिया। इसी कारण गांव सशक्त रहा। जब रोम और दूसरे स्थानों की सभ्यता अक्षुण्ण नहीं रह सकी, तब भी भारत की सभ्यता इसलिए बनी रह सकी कि गांव में पंचायत थी। ट्रेडीशनल पंचायत की मजबूती से हमारी सभ्यता सदा अक्षुण्ण रही। इसलिए जिस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि पंचायत न रहे, उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरी बात, जब 1959 में पंचायत राज कायम किया उस समय भारत का ट्रेडीशनल कन्सेप्ट नहीं अपनाया। पहली बार पंचायतों को तोड़ा गया 1959 में। पंचायतों की जैसी आज हमारी कल्पना है वह कोई गांधीजी के विचारों के अनुसार नहीं है। आज 10 गांवों की पंचायत है। इस तरह की पंचायत का कहीं कोई अस्तित्व लोगों के दिमाग में हो, ऐसा नहीं है। आज गांव की कोई बात होती है तो टैक्निकल तरीके से आपके द्वारा स्थापित पंचायत में जाती है लेकिन गांव में झगड़ा हो जाता है, निपटाना होता है, अगर गांव में सार्वजनिक मसले पर विचार करना होता है तो अकेले एक गांव की यूनिट ग्राम पंचायत बैठकर विचार करती है। इसलिए पंचायत के ट्रेडीशनल सिस्टम, जो सदियों से सुरक्षित को अक्षुण्ण रखने के लिये उसे ध्यान में रखकर पंचायत राज का ढांचा तैयार करेंगे तो जन मानस में अधिक सुरक्षा भावना होगी। तो जो नया स्ट्रक्चर बनायें, उसमें ध्यान रखें कि गांव की इकाई की पंचायत अक्षुण्ण रहे भले ही इकाई बने। 10 या 100 या 500 गांवों से क्षेत्रीय पंचायत में पंचायतों के प्रतिनिधि जायं।

आप स्टेट लेविल पर लड़ें, नेशनल लेविल पर लड़ें लेकिन यह जरूरी है कि गांव के परिवारों में झगड़ा न हो। जब से पंचायत राज आया है तब से गांव के परिवार आपस में लड़ रहे है। गांव-गांव में जो जहर फैलाया है उसको समाप्त करना है, तो बजाय प्रोग्रेसिव होने के थोड़ा कन्जरवेटिव होना पड़ेगा। आप कहते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर से गांव वाले माल ले आयें। माथुर साहब खरीद सकते हैं इसलिए उनकी निगाह इस पर है, अशोक मेहता डिपार्टमेंटल स्टोर से माल ले सकते हैं लेकिन गांव के आदमी को सवा साल की ट्रेनिंग भी दी जाए तो डिपार्टमेंटल स्टोर से माल आज भी नहीं ले सकता। वह डिपार्टमेंटल स्टोर से न खरीद कर एक छोटी दुकान पर चला जाएगा, गली की दुकान पर चला जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान खरीद कर नहीं ला सकता तो निश्चित तौर से इस कमेटी के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है उसमें जिस तरह का काम्पलैक्स सिस्टम है, इस रिपोर्ट का आधार क्या है? इसमें लिखा है Democratic management of rural development इतने बढ़िया-बढ़िया शब्द हैं, इन शब्दों का हिन्दी क्या मारवाड़ी तर्जुमा भी करके बतायें तो समझ में नहीं आयेगा।

श्री सभापति : डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन भी लिखा है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का भी मतलब समझ में नहीं आयेगा।

(श्री ब्रजरंगलाल शर्मा)

मेहता साहब ने इसका श्रृंगार करके और सजा कर जिस तरह से रखा है इस को यूनीवर्सिटी का कोई प्रोफेसर तो एप्रीशियेट कर सकता है लेकिन गांव का कोई आदमी एप्रीशियेट नहीं कर सकता । इसलिए मैं कहता हूं कि डिपार्टमेन्टल स्टोर, जिसमें बड़े-बड़े सामान हैं, से गांव का आदमी तो सामान नहीं खरीद सकता । इस रिपोर्ट के आधार पर यदि आपने पंचायती-राज का निर्माण किया तो गांव में रहने वाले आदमी, जिसका हमारी सरकार अन्त्योदय के माध्यम से उत्थान करना चाहती है, को आप जिला हैडक्वार्टर पर भेजेंगे कि तुम्हारी मुक्ति वहां से होगी । यहां डीसेन्ट्रलाइजेशन का अर्थ उन्होंने लिया कि हिन्दुस्तान के सिटिजन ने मिल कर भारत रिपब्लिक को बनाया, उसके बाद प्राविन्सियल यूनिट बनी और अधिक से अधिक नीचे जायें तो जिले तक जायेंगे । तो यह जो ऊपर से नीचे आने की प्रक्रिया है इसके बजाय यह मान कर चलते कि अगर कोई डेमोक्रेसी हो तो डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हो । हिन्दुस्तान जैसा मुल्क एक राष्ट्र बन गया है इसलिए यहां डाइरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चल सकती । नेशनल लेवल पर डाइरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन नीचे के लेवल पर डाइरेक्ट डेमोक्रेसी सम्भव हो सकती है । इसलिए आप जो भी स्ट्रैक्चर बनायें उसमें डाइरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम रखिये । मैं यह कहता हूं तो कोई अपने मन से नहीं कहता ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

महात्मा गांधी ने इस देश को कल्पना दी कि रामराज्य हो । जन-जन में राम रम रहा है तो राज्य भी जन-जन में रमना चाहिए । जन-जन को सिर्फ वोट देने का ही अधिकार नही हो बल्कि अपनी तकदीर का फैसला करने का अधिकार भी उस को होना चाहिए । यह सम्भव तभी हो सकता है जब कि गांव के आदमी का हर काम में यह अधिकार रहे कि उसका पार्टीसिपेशन हो और इनवाल्वमेंट हो । आप जो भी कल्पना करें उसका आधार यह होना चाहिए कि गांव का हर आदमी हर परिवार अपनी तकदीर का फैसला करने में किसी हद तक हिस्सेदार हो । तभी राम राज्य की कल्पना होगी, तभी देश सावरिन होगा, तभी देश इन्डिपेन्डेन्ट होगा और तभी महात्मा गांधी की कल्पना के अनुसार "जन जन में राम रम रहा है" की बात चरितार्थ होगी । मैं समझता हूं कि इधर और उधर बैठने वाले भाई जानते होंगे, प्रोग्रेसिव विचारों की बात करने वाली श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि सोशलिज्म में क्रांतिकारी बात है तो वह गांधीज्म की बात है । गांधी जी ने सदा ही अपनी निगाह गांवों के किसानों की तरफ रखी है । उन्होंने यह कहा कि इन्सान इतना मजबूत हो कि वह सारे अत्याचारों के खिलाफ स्वयं लड़ सके । आप गांव के आदमियों को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्वावलम्बी गांव बनें लेकिन आप रिपोर्ट के पैरा 56, 59 को पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि करना तो कुछ चाहते थे लेकिन समाज से दूर रहने से और जो साधारण जीवन का वातावरण रहता है उससे दूर रहने के कारण वह बात दे नहीं पाये । उनकी मजबूरी है कि वह उसको समझ नहीं पाये और कोई आदर्श चीज नहीं दे पाये ।

गांव अपने आप में एक इकाई हो, ऐसी जरूरतें, जो अकेले गांव पूरी नहीं कर सकते हैं, दस और बीस गांव मिल कर पूरी करें, इस तरह की यूनिट हो । इसलिए टू टायर सिस्टम किया है । इस तरह के सिस्टम, जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और जिसमें आदमी अपने घर के दरवाजे पर चीज को प्राप्त नहीं कर सके, उससे मैं सहमत नहीं हूं । इसलिए इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । गांव के आदमी को ऐसा लगे कि उसकी अपनी जरूरत और आवश्यकताएं चाहे वह विकास की आवश्यकता हो या सुरक्षा की आवश्यकता हो, की पूर्ति उसके अपने दरवाजे पर ही हो । यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि वह इकाई समर्थ हो और अपने आप में स्वावलम्बी हो . . . .

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : थोडा समय और लूंगा ।

श्री सभापति : और दूसरे माननीय सदस्य भी हैं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा: माथुर साहब ने एक बात और कही, बड़ी इन्कलाबी बात कही और मुख्य मंत्री जी से अपील की कि वह दिल्ली जाकर अपना प्रभाव डालकर 43वां संशोधन कान्टीस्ट्यूशन में करायें, जिसके द्वारा फोर्थ लिस्ट शिड्यूल में एड की जाये । एक तो सेन्ट्रल लिस्ट है जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कान्करेंट लिस्ट है । वह चाहते हैं कि चौथी लिस्ट पंचायती राज के लिए हो। अगर चौथी लिस्ट प्रोवाइड की जाये तो माथुर साहब का कहना यह है कि इन इन्सटीट्यूशन को कानून बनाने की ताकत देना चाहते हैं । उन्होंने इतनी बडी क्रांतिकारी बात को जोड़ा है तो उसका स्वरूप समझ लीजिए । एक तरफ कहते हैं ग्राम पंचायतें नहीं रहें और दूसरी तरफ कहते हैं कि उनको कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाये। मैं समझता हूं कि जहां तक उन्होंने सुझाव दिया है इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स के बारे में तो यह बात ठीक तो हो सकती है यदि हम इस सिस्टम को अडाप्ट करें । लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप गांव को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो आप उन को कर्ज के भार से मत दाबिये । सरकार मदद करे यह ठीक है, जैसे 4 आने की जगह 2।। रुपया कर दिया । इस रिपोर्ट ने भी उसे एप्रीशियेट किया । 4 आने के बजाय 2।। रुपया होना चाहिए लेकिन इसके साथ ही साथ उनको कर्ज के भार से भारान्वित करते जायेंगे तो, जैसे कि आज भी बहुत सा कर्ज गांव के लोगों पर है, उस कर्ज को गांव–गांव तक पहुंचाते चले जायेंगे । कर्जा देने की प्रथा आप इस ढंग से कीजिए कि मदद की आदत लोगों में न पड़े। अपने पावों पर खड़ा होने के लिए सबसिडी या ग्रान्ट के तौर पर लोगों को मदद मिल जाये लेकिन लोन नहीं हो । पंचायती राज के अन्दर बोर्ड या कार्पोरेशन की बात भी कही गयी है । यह बोर्ड या कार्पोरेशन बन गया तो निश्चित तौर पर ऐसी इकाई बन जायेगी जो कि पंचायत को सदा-सदा के लिए अपने यहां गिरवी रखेगी । जहां-जहां भी बोर्ड बनाये हैं उनका जिन्दा रहना, मरना कार्पोरेशन की मेहरबानी पर रहा है । जब भी चाहे समाप्त कर सकते हैं और जब चाहे चला सकते हैं । तो मेरा निवेदन करना यह है कि जिन यूनिट्स को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं उनमें ऐसे आइटम्स, जिनके जरिये उनमें शुरू से ही बीमारी पैदा हो जाये और स्वस्थ नहीं हो सके, नहीं होने चाहिएं ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक मिनट अन्तिम निवेदन और करना चाहता हूं । हमने पंचायतें बनाईं और आज उनको हम तोड़ना चाहते हैं । जब इस सरकार ने सारे देश और राजस्थान की एक बात में अगुवाई की, अन्त्योदय स्कीम में, उस स्कीम का दूसरा फेज चला, उसमें मुख्य मंत्री जी ने दायित्व डाला ग्राम पंचायतों पर । गांव के हर पांच परिवार का चयन वह करें । अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये चलायेंगे तो उस गरीब, जिसके पास रहने और सोने का भी ठिकाना नहीं है, जिला मुख्यालय पर जाना पड़ेगा, जब कि हम उसको सर्विस देना चाहते हैं दरवाजे पर । इसलिए जिस तरह अन्त्योदय के माध्यम से हमने नये विचार और एक नयी योजना दी है उसी तरह से पंचायती राज के बारे में राजस्थान के अन्दर जब भी विचार हो तो इस दृष्टि से होना चाहिए कि गांव के आदमी को दूर नहीं जाना पड़े चाहे मेहता कमेटी की रिपोर्ट मानी जाये या नहीं ।

सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण एक बात का समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं, माननीय माथुर साहब ने जो कहा है वह उचित है । अवधि के कारण कम समय में कहना पड़ा इसलिए पूरे तौर से डील नहीं कर पा रहा हूं । केवल एक निवेदन है कि इस बारे में कोई सेमीनार

Page No 69

(69)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

रखी जाय या कोई सिम्पोजियम हो जाय जिसमें हम भी भाग ले सकें तो ज्यादा बेहतर विचार होगा, यही मेरी प्रार्थना है ।

श्री सभापति : श्री अब्दुल अजीज ! इनको नमाज के लिये जाना है ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : सभापति महोदय, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इस बात का कि पंचायत राज के माध्यम से हम जनता को अधिक से अधिक आजादी और सहूलियतें इस देश के बदलते हुए दौर में देने की इच्छा रखते हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, इससे पहले कि यह सदन मेहता कमीशन की रिपोर्ट को पास करे मैं एक स्केलटन सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं उनको बरकरार रखा जाय और पांच पांच सरपंचों का एक ब्लाक बने। जो करीब 15-20 हजार की आबादी रखता हो । उसका जो चेयरमेन बने वह जिला परिषद के अन्दर नुमाइन्दगी करे। जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनको चुनने का राइट तमाम सरपंचों को हो तो यह टू टायर सिस्टम का जो तरीका होगा वह सफल होगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि पांच-पांच सरपंचों का एक अपना ब्लाक चुन लें और 15-20 हजार की आबादी का उसमें ध्यान रखा जाये । जिला परिषद का जो अध्यक्ष है उसको तमाम सरपंच चुने । जिला परिषद की बैठक में जो राइट आफ वोटिंग है वह उन तमाम सरपंचों को हो । साथ में उस क्षेत्र के एम.एल.ए. और एम.पी. भी उस मीटिंग में बैठने के लिये अधिकृत हों, वोट देने का भी उनको अधिकार हो । यह तो मेरा सुझाव है स्ट्रक्चरल पाइन्ट आफ व्यू से ।

अब मैं आता हूं इस पर कि इन छोटे-छोटे ब्लाक्स को उनके क्षेत्र में, उनकी सीमा परिधि में विलेज इन्डस्ट्रीज के लिये । चाहे हड्डियों का मामला हो, चाहे ऊन का मामला हो, खरीद फरोख्त के पूरे अधिकार होने चाहिये, अगर वह इन्डस्ट्री रेवेन्यू का बेस बन सकती हों ।

दूसरे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये जो ढाई रुपया पर यूनिट दे रहे हैं, एक आदमी के ऊपर वह ब्लाक लेवल पर मण्डल को मिले । वह पांच पांच ब्लाक्स को मण्डल पंचायत का सामूहिक पैसा हो-तो वह अपने गांवों की सड़कों का, इन्स्टीट्यूशन का जो भी विकास करना चाहेंगे वह उस फण्ड से कर सकेंगे ।

सभापति महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन हों तो मैं समझता हूं, ऐसा समय आया है और बहुत अच्छा मौका है बशर्ते कि राजनैतिक दिमाग से परे हटकर ब्लाक्स को चुनलें, मेहता कमीशन की रिपोर्ट कामयाब हो जायेगी इसमें उलझे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नये चुनाव कराये जाय जो सुझाव मैंने दिये हैं अगर सदन के माननीय सदस्य उनसे सहमत हों तो मैं समझता हूं यह टू-टायर सिस्टम कामयाब रहेगा ।

एक मैं चाहता हूं कि मण्डल का अध्यक्ष जो हो, ब्लाक का जो अध्यक्ष हो उसको, जो सरपचों के अधिकार हैं और जो पंचायत समिति के प्रधान को अधिकार हैं वे ही पूरे अधिकार प्रदान कर दीजिये । जो पंचायत समिति के अधिकार और नियम थे वे ही अधिकार उनको प्रदान कर दिये जायं, कोई माइनर चेन्जेज करना चाहें तो भले ही कर लें ताकि जो पंचायतों की शक्ति है, वह मण्डल में आ जाय । इस प्रकार सस्ते न्याय के लिये, आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिये और विकास के लिये वे चाहेंगे तो ज्यादा बेहतर सुझाव देंगे अपने विकास के लिये । उसके बाद हम एम.एल.ए. कानून बनाने में, विकास करने में और अधिक सहयोग उनको कर सकेंगे। छोटे-छोटे लेवल से जो सुझाव देंगे वह सही रूप में कार्यान्वित हो जायगी। तो उनको काम करने का मौका भी

(श्री अब्दुल अजीज)

मिलेगा, छोटे-छोटे यूनिट में ज्यादा काम कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। अशोक मेहता समिति ने जो रिपोर्ट दी है वह सराहनीय है। उसमें जो छोटी-मोटी तब्दीली है, वह आप कर सकते हैं लेकिन उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं– न चुनाव की आवश्यकता है और न किसी और चीज की आवश्यकता है। उचित समझें तो मैं पास कराने के मत में हूं। ढाई रुपया पर यूनिट जो दे रहे हैं, उसके अलावा भी उन ब्लाक्स को और अधिक आर्थिक सहयोग देना चाहिये।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल सारस्वत

श्री बंशीलाल सारस्वत :-माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज के विषय में मेरा निवेदन है कि आज यह पंचायती राज चौराहे पर खड़ा है, इसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। नागौर में आज से 20 वर्ष पूर्व नेहरूजी ने अक्टूबर में इसका मशाल जलाकर उद्घाटन किया था और यह कल्पना की थी कि देश की यह सशक्त संस्था स्वराज्य होगा और एक अधिकृत और योजना होगी मय स्वराज्य का स्तम्भ। साथ-साथ में यह भी कल्पना की थी कि यह जो संस्था होगी, बहुत ही सफल संस्था होगी। मगर दुख है कि 7 वर्ष की शैशव अवस्था ही नहीं हुई कि नेहरु जी का देहांत हो गया। उस समय तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री श्री एस.के.डे को यह कहना पड़ा कि पंचायती राज का राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल नागौर में उद्घाटन हुआ और मुझे लगता है कि उसकी समाधि भी वहीं बन रही है। यह सारी स्थिति क्यों हुई ? गम्भीरता से इस प्रश्न पर गहन चिन्तन की जरूरत है। वास्तव में इसकी समाधि बन रही है तो यह समाधि से दूरस्थ हो इसके लिये क्या कोई रास्ता अख्तियार किया गया है ? यदि कोई रास्ता अख्तियार किया गया है तो वास्तव में वह समाधि से बचने का माकूल और समुचित रास्ता है, अगर नहीं है तो वह समाधि यहीं बनी रहेगी। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी समाधि बनने का सबसे बडा कारण यह था कि केन्द्र सत्ता और राज्य सत्ता यह चाहती थी कि पंचायती राज जिसके देश में कहीं-कहीं दो बड़े टायर हैं या कहीं-थ्री बड़े टायर हैं, को किसी भी प्रकार की सत्ता न दी जाय और जो सत्ता हमारे पास है वह पूर्ववत् बनी रहे। केवल संविधान का जो आर्टिकल 40 है वह केवल मात्र निर्देश के रूप में बना रहे और सत्ता और शक्ति का जहां तक प्रश्न है वह उनको कतई न दी जाय। जहां तक माकूल साधन का प्रश्न है वह भी किसी प्रकार उन्हें न मिलें। जिस पार्टी का चाहे राज्य में शासन था और चाहे केन्द्र में वह सत्ता चिपकी रही। प्रतिदिन उसके द्वारा यह कोशिश की गई कि ये स्वायत्त शासन-संस्थाएं, चाहे जिला परिषद की संस्थाएं हो, चाहे पंचायत समितियां हो और चाहे ग्राम पंचायतें हों, उनके अधिकारों को सीमित रहने दिया जाय।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री माणकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंचायती राज की रिपोर्ट पर बहस के लिए सदन का समय कम से कम दो घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जावे।

श्री सभापति क्या सदन की राय है कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जावे ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

पंचायती राज समिति के प्रतिवेदन पर विचार

मेरा निवेदन है माननीय सदस्यों से, It should be very brief and to the point मेहता कमेटी की रिपोर्ट है उसी पर ही अपने विचार रखें तो आपका समय बचेगा और हाउस का समय भी बचेगा। That is my earnest and sincere request to all the Hon'ble Members.

श्री बंशीलाल सारस्वत : माननीय सभापतिजी, आपका निर्देश उचित है लेकिन जब तक इसके इतिहास को ध्यान में नहीं

(श्री वंशीलाल सारस्वत)

रखा जाएगा तब तक इसकी जैसी कल्पना कर रहे हैं वह नहीं हो सकेगी। इसकी भ्रूण हत्या हो जाएगी। हम लोगों की भी वही हालत होगी जो पूर्व की सरकार की हुई। इसलिए ही यह चिन्तन का जो विन्दु रखा गया है उस पर थोड़ा सा निवेदन कर रहा था।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि वास्तव में काफी साहस, ईमानदारी और सच्चाई के साथ में मेहता कमेटी ने यह बात रखने की कोशिश की है, यह प्रयास किया है कि संविधान में परिवर्तन किया जावे। उसके बारे में उन्होंने अपने सुझाव भी दिये हैं इसमें यह सुझाव दिया है कि संविधान में परिवर्तन इस सीमा तक कर दिया जावे, जो शिड्यूल संविधान की धारा के अन्तर्गत हैं उसमें परिवर्तन किए जावे। मगर जिस साहस के साथ कहना चाहिए उस साहस के साथ यह नहीं कहा कि जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं हो जावेगा संशोधन नहीं हो जावेगा तब तक पंचायती राज मृत प्राय: ही रहेगा। संविधान में जो सच्चे स्वराज्य की कल्पना है वह सही रूप से मूर्त रूप नहीं ले सकेगी मेरा निवेदन है कि कमेटी ने प्रपोज जो किया है, प्रस्ताव दिया है, वास्तव में वह सही है और उसका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। साहस के साथ कहने में यह कमेटी असमर्थ रही है। मेरा निवेदन है चाहे राज्य में बैठने वाले हों या केन्द्र में बैठने वाले हों जब तक सत्ता से दूर हट कर यह जो बहुत बडा स्वराज्य का पहिया है, स्वराज्य का बहुत बड़ा अंग है, उसको जब तक माकूल सत्ता नहीं देंगे, माकूल साधन नहीं देंगे तब तक यह मूर्त रूप, सही रूप नहीं ले सकेगी।

दूसरा मैं यह निवेदन करता हूं कि पंचायतों की जो आत्मा है, वह आत्मा वास्तव में यह है जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में प्रकाश डाला भी है कि जो प्रतिनिधि आते है वह जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं क्या हालात है, क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कतें आती हैं और किस काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किस को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए ये सारे विचार नीचे से, नीचे की श्रेणी में यानि सामान्य नागरिक से आने चाहिए। चाहे लोक सभा हो, चाहे केन्द्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनमें यह कहने वाला प्रतिनिधि तो मिलता है, मगर संवैधानिक हालत क्या है ? जो सुझाव सामान्य नागरिक का है उसको क्या इसी रूप में स्वीकार किया जा सकता है ? चाहे महत्ता मण्डलों को दी गई है चाहे महत्ता जिला परिषदों को दी गई है, चाहे काम करने का प्रश्न हो, चाहे प्रस्तावों का प्रश्न हो किस तरह से काम किया जावे यह सारा इसमें दिया हुआ है। मगर ग्राम की यूनिट है उसको महत्ता नहीं दी गई है। इस देश का इतिहास रहा है इस तरह का कि एक व्यक्ति कितना ही ज्ञानवान हो वह अपने पड़ौस में बैठने वालों से अपने पड़ौस में रहने वालों से विचारों का आदान प्रदान कर सकता है जब तक विचारों को एकत्रित करके विचार नहीं रख सकता तब तक समस्याओं को ठीक तरह से हल नहीं किया जा सकता। इसलिए यह जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में और ग्राम सभा को बहुत सीमा तक बिल्कुल निष्क्रिय रूप दिया गया है। यदि मैं कहूं कि गौण रूप दे दिया गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब तक ग्राम और ग्राम सभा को महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक चाहे कोई काम हो उसका विस्तार और विकास अच्छी तरह से हो नहीं सकेगा उसमें सही रूप और सही आत्मा समाहित नहीं की जा सकेगी।

तीसरा मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें दो चीजें हैं जिनको अपने को साथ में रखना पड़ेगा। हालांकि बहुत ईमानदारी के साथ इस रिपोर्ट को पेश करने वालों ने माना है कि राजनीति जो है वह केवल ग्राम पंचायतों में नहीं है। जब तक राज्य और केन्द्र में राजनीति है, तब तक यहां दूर नहीं की जा सकती. तब तक जिला परिषदों और मंडल पंचायतों से भी इसको दूर नहीं किया जा सकेगा। इसके दूर होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए राजनैतिक पार्टी के आधार पर चुनाव की प्रणाली अपनाने के विचार का प्रतिपादन किया गया है और

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

साहसपूर्वक, ईमानदारी के साथ इनका समावेश किया गया है। पुरजोर शब्दों में कहता हूं कि चुनाव में बड़ी रकम खर्च होती है, बहुत पैसा खर्च होता है। चाहे एक तरफ पंचायतों के चुनाव हों, परिषदों के चुनाव हों, मण्डल पंचायतों के चुनाव हों और दूसरी तरफ विधान सभाओं और लोक सभा के चुनाव हो, मेरा निवेदन है कि चुनाव राजनीति से दूर नहीं हट सकते, राजनीति को इनसे दूर नहीं किया जा सकता तो क्यों कुछ लोग, जिनको राज सत्ता में रहने की हविश है, यह चाहते हैं कि इनको राजनीति से दूर रखा जाय यह परिपाटी वर्षों तक रही है। इन्होंने कभी भी पंचायत समितियों, जिला परिषदों के चुनाव लोक सभा के साथ में, विधान सभा के साथ में इसलिए नहीं कराये कि इन्हें राजनीति से दूर रखा जाय। वास्तव में राजनीति से इन्हें दूर रखने का विचार उचित नहीं है। यदि ये साथ में रहें तो क्या हाल होगा? यदि किसी तरह से सरपंचों को, प्रधानों को अपना बना लें तो इनके माध्यम से वोट खरीद सकेंगे, इनसे सहयोग ले सकेंगे और जीत कर हम किसी तरह से भी सत्ता का प्रयोग कर सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं समझता हूं कि देश का बहुत पैसा चुनावों में खर्च होता है। लोक सभा के चुनाव में करीब चालीस करोड़ रु० के खर्चे का अनुमान है। देश में एक चुनाव पर इतना पैसा खर्च होता है इतने का इतना रुपया पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनावों में खर्च होगा। मेरा निवेदन है कि इनकी भी पांच साल की अवधि है और उनकी भी पांच साल की अवधि है तो फिर दोनों के चुनाव साथ साथ क्यों नहीं हों? इस समय नहीं किये जा सकते तो अगले चुनाव साथ साथ हो सकते हैं। अगले चुनाव हों, उनके साथ साथ चुनाव की पद्धति अपनाई जानी चाहिए। इसमें यह भी किया गया है कि चुनाव अधिकारी, चुनाव आयुक्त के नियंत्रण में, उनके निर्देशों पर काम करेंगे। जब चुनाव आयुक्त बाकायदा काम करेंगे उनके निर्देशों पर काम होगा तो उनकी पांच वर्ष की अवधि को जाकर साथ-साथ चुनाव कराना देश की मितव्ययता के लिए बहुत बड़ा अभियान होगा और देश का काम भी सही ढंग से किया जा सकेगा।

दूसरा एक सुझाव मैं और देना चाहता था और वह है न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में। कुछ यह कहते हैं कि जो व्यक्ति इसमें हों वे न्याय पंचायतों में नहीं हों। कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग गठन होना चाहिए इसी आधार, इसी सिद्धांत का इसमें प्रतिपादन किया गया है। जो व्यक्ति सामान्य पंच की हैसियत से चुना जाय उसका पार्टीसिपेशन न्याय पंचायत में नहीं होना चाहिए। यह बात तो ठीक है मगर साथ साथ इसको एक्सप्लायट करें यह उचित नहीं है। यदि आप यह चाहते है कि न्याय की प्रणाली बिलकुल अलग रहे तो उसमें यह जरूरी नहीं है। ग्रामों में सस्ता न्याय प्रत्येक घर तक उपलब्ध हो मगर प्रत्येक घर का खुद का उपयोग किया जा सकता है मगर न्याय पंचायतों की जो व्यवस्था रही है, जो पिछला इतिहास रहा है और जो घटनाएं हुई हैं वे किसी से छिपी नहीं हैं। केवल कल्पना के रूप में न्याय पालिका रखी गई है। उनको कोई अधिकार नहीं हैं। दावा कर नहीं सकते। इसलिए अगर जज वहां पर जाकर प्रिसाइड करे यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल ! श्री बहादुरसिंह (90) !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, काफी बोल चुके हैं। अब जाकर श्री बंशीलालजी बोल पाये हैं।

श्री शंकरलाल : हम भी तो विरोधी पक्ष के हैं?

श्री सभापति : माथुर साहब बोले हैं।

श्री शंकरलाल : हमारे नेताओं ने नाम दिये हैं और आपने कर्टेल कर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : वे आपकी तरफ के माननीय सदस्य थे। काफी आवश्यक काम था उनको।

श्री शंकरलाल : काम तो हमें भी है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज माननीय सदस्य, बहादुरसिंहजी !

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, पंचायती राज मंत्री भी नहीं, सदन के नेता भी नहीं। सारी बेंचें खाली पड़ी हुई हैं।

श्री सभापति : वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : मैं लिख रहा हूं।

श्री मदनसिंह दांता : मुख्य मंत्री जी ने एलान किया था कि मैं रहूंगा।

श्री कौशल किशोर जैन : राजस्व मंत्री जी विराजमान हैं।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : सभापतिजी, विरोधी पक्ष की ओर से शोर हो रहा है इसलिये इनको ताड़ना दीजिये।

श्री शंकरलाल : पंचायत मंत्री नहीं, मुख्य मंत्री नहीं।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये।

श्री समर्थलाल : व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति जी। प्रगतिशील दल से अब तक किसी को नहीं सुना गया है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। जनता पार्टी के एक तो सदस्य बोलने आये हैं

श्री नूरा : यही आपका हिसाब रहेगा तो 150 का पता नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला : सभापतिजी, नूराजी प्रधान रहे हुए हैं।

श्री बहादुरसिंह : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमें जो रिपोर्ट मिली है वह ऐसे वक्त पर मिली है कि हम पूरी स्टडी नहीं कर पाये हैं। फिर भी मैं कुछ सुझाव हाऊस के सामने रखना चाहूंगा।

सभापति जी, पंचायती राज का मकसद यह था कि गांव शहरों के मोहताज न बनें प्रशासनिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर। पंचायतों के द्वारा गांवों के विकास की ओर ध्यान दें। पंचायतों को इंडिपेन्डेन्ट बनाने की कोशिश करें ताकि गांवों की कुछ उन्नति कर सकें। पिछले सालों के तजुर्बे हमें बताते हैं कि पंचायती सिस्टम कैसे नाकामयाब रहा? गांवों के विकास की ओर पंचायत ध्यान क्यों नहीं देती? इसलिये अगर हम पंचायती राज के उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें निश्चय ही पंचायती राज के ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारी पंचायत समितियों के लोग आज विनाश समितियां पुकारने लग गये क्योंकि ये पंचायत समितियां गांवों के विकास में योगदान नहीं दे सकीं और ज्यादातर धन राशि का दुरुपयोग किया गया। अगर हम चाहते हैं कि गांवों का विकास करें और पंचायती राज का उद्देश्य पूरा हो तो पंचायत समितियों और जिला परिषद् के ढांचे में भी हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि पंचायतों को आर्थिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर इतना सुदृढ बनाया जाय कि वे उनके सामने आने वाली रुकावटों को दूर कर सकें।

(74)

(श्री बहादुरसिंह)

अशोक मेहता कमेटी ने मण्डल पंचायतों का जो सुझाव दिया है, मैं उसका विरोध करता हूं । 1, 2 या 3 गांवों की पंचायतें ज्यादा से ज्यादा हों ताकि लोगों को प्रशासनिक सुविधा उनके घर पर मिल जाय। अगर हमने 15-20 गांवों की पंचायतें बना दीं तो ग्राम पंचायतों के चुनाव महंगे हो जाएंगे जैसे नगरपालिकाओं के हैं। लोगों को साधारण बात के लिये भी दूर जाना पड़ेगा। उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जो दिक्कतें आज आ रही हैं प्रशासनिक तौर पर वे खड़ी हो जाएगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायतें बड़ी नहीं होनी चाहियें। 5 या 10 हजार के बीच की आबादी की पंचायतें बनाई जाय ।

दूसरे पंचायतों के आर्थिक साधन इस प्रकार के कर देने चाहियें कि पंचायतों की पैदावार जो शहरों में आती है, जो टैक्स नगरपालिकाएं और कृषि उपज मंडियां लेती हैं उसका आधा पंचायतों को मिले। पंचायतों को नगरपालिका की तरह ट्रीट किया जाय और प्रशासनिक अधिकार उसके मुकाबले के किये जायं। आज पंचायतों को अनुदान मिलता है 2-50 रुपये प्रति व्यक्ति और नगरपालिकाओं को 5 रुपये ।

मेरा निवेदन यह है कि अगर हम चाहते हैं कि पंचायत सही ढंग से काम करें और स्वावलम्बी बन कर काम करें तो उनको आर्थिक तौरपर और अधिक मजबूत करना पड़ेगा। उनको अनुदान की राशि 5 रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से नगरपालिका के बराबर में मिलनी चाहिए ।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत इकाइयां राजस्थान प्रांत के आर्थिक ढांचे के मुकाबले की होनी चाहिए ताकि हर पंचायत सेंटर को वह एमिनिटीज और फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जा सके जो कि एक तहसील हैडक्वार्टर पर है । वहां पर जुडिशियल अदालतें रहें। पंचायत हैडक्वार्टर सड़क से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वहां पर पोस्ट आफिस की सुविधा होनी चाहिए। दूसरी पब्लिक सर्विसेज हैं हास्पिटल वगैरह की वह फैसिलिटीज भी वहां पर होनी चाहिए, वह पंचायत लेवल पर होनी चाहिए। बहुत छोटे गांव हों तो 2-3 को मिलाकर एक पंचायत बनाई जा सकती है ।

इसके बाद सवाल आता है कोआर्डिनेशन का। इसके बारे में मेरा यह निवेदन है आज राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट इतने बड़े हैं कि बहुत सी जगह तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर पहुंचने में बहुत समय लग जाता है और काफी पैसा भी खर्च हो जाता है। इसलिए पंच और सरपंच जो पंचायत के काम से अगर बार-बार डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जायेंगे तो उनको बड़ी मुश्किल हो जायगी । इसलिए तहसील हैडक्वार्टर पर ऐसी कन्ट्रोलिंग एजेन्सी होनी चाहिए जो पंचायतों का कोआर्डिनेशन करके पंचायतों को कन्ट्रोल कर सके, उन पर निगरानी कर सके चाहे वह सरपंचों के द्वारा ही चुनकर बनाई जाय, चाहे उसको पावर्स कम दी जायं। उसको पंचायतों के कोआर्डिनेशन और विकास के काम न दिये जायं, लेकिन एक ऐसी एजेन्सी तहसील हैडक्वार्टर पर होनी चाहिए जो कि पंचायतों को कन्ट्रोल कर सके । विकास के काम जिला परिषद् और पंचायतों में ही निहित रखें। अगर हम विकास के काम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् में बांट देंगे तो ढांचा वही हो जायगा जो कि आज चल रहा है। जो आज ढांचा चल रहा है उससे ग्राम के विकास का कार्य नहीं हो रहा है । इससे प्रशासनिक खर्चा इतना बढ़ जाता है कि ग्रामीण योजना में जो पैसा दिया जाता है वह ज्यादातर प्रशासनिक खर्चे में चला जाता है और नाम लिखा जाता है ग्रामीण विकास के। यही वजह है कि ग्रामों का विकास नहीं हो रहा है। गांवों के विकास के लिए दिया जाने वाला पैसा सरकारी कार्यालयों,दफ्तरों और प्रशासन में ही खर्च हो जाता है । मैं निवेदन करूंगा कि साधनों के तौर पर पंचायतों को इतने पावर्स और अख्तियार दिये जायं और इतना पैसा दिया जाय कि अपने विकास के लिए टैक्स लगाकर अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकें। उसके बाद में जिला परिषद् के पास

(श्री बहादुरसिंह)

में विकास की पावर्स होनी चाहिएं ताकि जिले के सामूहिक विकास का प्लान बनाकर जिले का विकास किया जा सके। जिले को इस तरीके के अख्तियारात दिये जाने चाहिएं कि वह कृषि उपज मंडियों के माध्यम से पचायतों पर टैक्स लगाकर अपने साधनों को बढ़ाएं। प्रशासनिक खर्चे और विकास के लिए जिला परिषदों को अनुदान दिया जाय ताकि उससे वह गांवों का विकास कर सकें।

सभापति महोदय, मुझे इतना थोड़ा समय दिया गया है इसलिए मैं यही सुझाव दूंगा कि यह बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है इसके लिए फिर समय रखा जाय। बजरंगलालजी ने भी यह सुझाव दिया था कि हाउस में इस पर विचार करने को और समय दिया जाय ताकि इस पर विस्तार से चर्चा की जा सके।

श्री सभापति : माननीय श्री नूराजी।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति जी, समय समय पर पब्लिक सरकारों ने कमेटियां बनाकर यह जानकारी चाही कि कैसे गांवों का विकास हो? सादिकअली कमेटी बनी, गिरधारीलाल व्यास की कमेटी बनी यह कमेटियां काम करके चली गईं और कांग्रेस सरकार भी चली गई। वह कुछ काम करके नहीं गयीं। यह कमेटी बनाना और सुझाव इकट्ठा करना एक पूंजीवादी सरकार का तरीका है। विकास के तरीके पर जायेंगे नहीं। कमेटी बनायेंगे और कमेटी के सुझावों को कार्यान्वित करने के बजाय जो चल रहा है वही चलता जायगा। समय-समय पर पंचायती राज में परिवर्तन करके पंचायत का ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया कि किसी न किसी प्रकार से उनमें संतोष रहे ताकि राजनैतिक पार्टियों की चुनाव में व्यवस्था जमी रहे। बलवन्तराय मेहता कमेटी बनाई, उसने काफी सुझाव दिये। जहां पर भी सरकार....

श्री सभापति : यह अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट है बलवन्तराय मेहता कमेटी नहीं। —

श्री नूरा : अशोक मेहता की जो कमेटी बनी है उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें यह नहीं लिखा है कि पंचायतें क्यों फैल हो गई? गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं हुई? अगर ग्राम पंचायतों के स्तर पर थोड़ा स्टाफ देते तो पंचायतें फैल नहीं होतीं। सरपंच लोग मीटिंग करके दफ्तर को ताला लगाकर घर चले जाते थे और गांव के लोग उनके पीछे-पीछे फिरते रहते थे। दफ्तर के समय ताला नहीं खुलता था। पंचायतों को फंड दिये जाते थे और उनसे काम कराये जाते थे लेकिन उनको अधिकार नहीं था। कांग्रेस सरकार के लोग यह सोचते थे कि प्रधान चुनकर आ गया है वह उनकी जान को खतरा हो गया है तो उन्होंने प्रधान को अपना चाकर बना दिया। वह नाम मात्र का प्रधान रह गया और पंचायत समितियां नाममात्र की रह गई। जिला परिषद की भी वही हालत है। थोड़ा सा भी ग्राम पंचायतों के पास स्टाफ होता तो आपने जो अधिकार उनको दिये थे, उनका पालन होता और गलत तरीके से काम नहीं होते। समय पर दफ्तर खोले जाते जनता को वह समय पर मिलते और पंचायतों के सरपंच मीटिंग करके रिजोल्यूशन पास करके अपने अपने घर नहीं चले जाते। इस कारण उनको जनता से मिलने का मौका नहीं मिला और वह योजना जहां की तहां रह गई।

मेरा कहना यह है कि जैसे म्यूनिसिपैलिटियां बनी हुई हैं और कमेटियां बनी हुई होंगी उसी तरीके से पंचायत समितियों के अधिकार बढ़ाते तो पंचायत समितियां सफल तरीके से चलतीं। पंचायतों और जिला परिषदों के बीच में पंचायत मंडल बनाकर राज्य सरकार रोड़ा खड़ा कर रही है जिससे ग्राम पंचायतें समय पर काम नहीं कर सकेंगी। उनके पास न तो काम करने की जगह है, न समय पर दफ्तर खुलते हैं और न समय पर उनके पास पैसा पहुंचता है। स्टाफ भी नहीं है जिसकी वजह से दरख्वास्तों और कागजों का जवाब समय पर नहीं मिलता है। मेरी ऐसी मान्यता है कि ग्राम पंचायतों का दायरा जो

(श्री नूरा)

बड़ा करने का सुझाव है वह किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को बड़ा करके जंगल की आमदनी उसी गांव को दी जानी चाहिए। तालाबों की आमदनी उसी गांव को दी जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में उनको देने का कहा है तो उसको मान्यता दी जानी चाहिए और उनकी आमदनी उनको दी जानी चाहिए।

दूसरा सरकार कर्जा लेती है और कर्जा लेकर विकास के काम के लिए साधन जुटाती है उसी तरह से पंचायतों को अपने इलाके के विकास के काम के लिए, तालाब बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए कर्जा लेने का अधिकार होना चाहिए या जो पैसा उनको मिलता है उसके उपयोग करने का सही अधिकार उनको होना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटियां बनी हुई हैं शहरों में। मेरा सुझाव यह है कि म्युनिसिपैलिटियों और ग्राम पंचायत का सीधा ताल्लुक जिले पर आकर जोड़ दिया जाय। उसकी आथोरिटी जिला परिषद को रहे। अगर कोई बात ऐसी हो कि ग्राम पंचायतों के फैसलों के खिलाफ अपील करनी हो तो जिला परिषद में जायं। अगर बजट वगैरह की या प्रशासनिक खर्च की मंजूरी लेनी है तो जिला परिषद से लेनी चाहिए। साथ ही इसमें एक म्यूनिसिपैलिटी का भी मेम्बर होना चाहिए या म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन इसका सदस्य होना चाहिए।

शहरों के बारे में मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। सभापति महोदय, शहरों में गांवों से अनाज बिकने के लिए आता है। शहर में और चीजें बिकने के लिए आती हैं। उसका लाभ म्यूनिसिपैलिटी ले जाती है। वह गांवों में पंचायतों को मिलना चाहिए ताकि गावों को भी फायदा मिले।

साथ ही पंचायतों को सचिव दिये गये हैं। उनको अधिकार दिये गये थे कि वह ग्रुप सचिव रख सकती हैं। एक एक ग्रुप सचिव को कई पंचायत दे रखी हैं। नतीजा यह होता है कि पंचायतों में ताले पड़े रहते हैं। मेरा निवेदन है कि हर पंचायत को सचिव देना चाहिए।

साथ ही मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने ग्राम का सर्वे करने के बारे में कहा है। अगर एक सरपंच अपने गांव का सर्वे कराता है तो उसको दिन भर लग जाता है। किन्तु वह दिन भर का कोई भत्ता वगैरह नहीं ले सकेगा। विधान सभा के सदस्यों को भत्ता मिलता है लेकिन ग्राम पंचायत का सरपंच उस खाते से उस बजट से कोई पैसा नहीं ले सकता है इस प्रकार के बहुत सारे रोड़े हैं। लीगल जानकारी नहीं होने से और पैसा नहीं मिलने से कोई काम नहीं हो पाता है। पंचायतों के चुनावों के समय में गरमी आती है फिर काम में रुकावट आती है। मेरा मानना है कि सरपंचों को भी भत्ता मिलना चाहिए। पंचायतों और जिला परिषदों में टेक्निकल स्टाफ बढ़ाना चाहिए। साथ ही कलेक्टर ही जिला परिषद् का सेक्रेटरी होना चाहिए कलेक्टर ही जिला अधिकारी होता है। इसके पास सारा स्टाफ होता है। टेक्निकल स्टाफ नहीं बढ़ाया तो पैसा वैसे ही खर्च होगा और पैसे का दुरुपयोग होगा। बहुत से सरपंच बन जायेंगे। टू टायर सिस्टम को जिला परिषदों से जोड़ना है, वह जोड़ना चाहिए और बीच के रगड़े को खत्म करना चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि किसानों से सम्बन्ध बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। पंचायत को जिला परिषद् से सीधा जोड़ देना चाहिए ताकि गांवों का विकास हो सके। कलेक्टर जिले का अधिकारी है। सारे अधिकारी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिले के अधिकारियों को सारे अधिकार हैं। मैं कहता हूं कि कुछ अधिकार जिला अधिकारियों के पास रहें और कुछ जिला परिषद् के पास रहें। मेरा मानना है कि जिला परिषद् के पास भी अधिकार आने चाहिएं। जिला परिषद में जन-प्रतिनिधि

Page No 77

(77)

(श्री गूरा)

बैठते हैं। उनको अधिकार होंगे तो उनके द्वारा काम करना आसान होगा। चुने हुए प्रतिनिधि यह जानते हैं कि अगर न्याय नहीं देंगे तो आने वाले चुनावों में जनता उनको नहीं आने देगी। पंचायतों को यह अधिकार दिये जाने चाहिए कि वह अपने बनाये हुये कायदों को लागू कर सकें। उनके काम में कमी होशियार सेक्रेटरी नहीं होने से होती है।

इसमें एक मोटी बात यह कही गई है कि मजिस्ट्रेट रखा जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मजिस्ट्रेट किसी भी तरह से नहीं रखा जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट को अपील आथोरिटी की तरह से रखा जाना चाहिए अन्यथा चुने हुए आदमी होने चाहिएं। ताकि गांवों का विकास हो सके। यह मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है। नहीं तो जो पैसा आता है वह शहर वाले खा जाते हैं। गांवों को देने का मतलब है वह पैसा उनके विकास में लगेगा। राजस्थान सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वह बढ़ाया जाना चाहिए। ताकि गांवों का विकास किया जा सके।

श्री सभापति : श्री समरथ लाल।

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब है, जो नाराज होकर आपसे बात करें, उन्हीं को आप समय देते हैं।

श्री सभापति : काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। आप इस पक्ष से हैं। इससे राज्य सरकार को ही फायदा होगा।

श्री समरथ लाल : सभापति महोदय, हमारे जो पंचायत मंत्री हैं, आपके माध्यम से मैं, उनको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सभापति महोदय, अभी तक जो पंचायती राज रहा है, उसका जो भी आधार रहा है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामों के विकास के लिए पंचायतों का निर्माण किया गया था। निर्माण करते समय जो कल्पना रखी गई थी, व कल्पना पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए यह सुझाव दें कि पंचायतों को खत्म कर देना चाहिए तो मैं यह मानता हूं, सभापति महोदय, यह कोई गलत काम नहीं है। गांवों के अन्दर झगड़े फसाद, और आतंक बराबर बना रहता है। वहां पर इसका काफी सामना करना पड़ता है। पिछली सरकार ने इसको कायम रखा है और यह सरकार भी कायम रखेगी, क्योंकि इसके जरिये से गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले में एजेन्ट मिलते हैं।

इस कमेटी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। इसके अन्दर टू टायर सिस्टम करने की बात कही गई है। दूसरे न्याय पंचायतों को अलग करने की बात आई है। इन दोनों बातों का मैं स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, पंचायतों के चुनाव हुआ करते थे। कई बार देखने का मौका मिला। बड़े भारी झगड़े हुए। लाठी, बरछी और भाले लेकर भी लोग रहा करते थे। कभी कभी इस प्रकार की स्थिति आ जाती थी कि मर्डर भी हो जाते हैं। अपने यहां आप जानते हैं कि पहले पंचायतों के चुनाव में काफी झगड़े हो जाते थे।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, जो मंडल और जिला परिषदों का गठन किया जायगा उसमें एम. एल. ए. का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह कह सकता हूं कि पंचायतों के चुनाव अगर पार्टीबाजी के आधार पर नहीं हो तो गांवों के लेवल पर जो झगड़े होते हैं, वे नहीं होंगे।

अभी जो टू टायर सिस्टम है, उससे पंच और सरपंच दूर हो गये हैं। उनकी मीटिंग अवश्य होनी चाहिए जिससे विचारों का आदान प्रदान हो सके और जन जीवन, ग्रामीण जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, उसका विकास हो सके।

इसके अलावा, सभापति महोदय, यह जो पंचायती राज फेल हो गया इसमें सरकार की तरफ से तो उदासीनता रही ही है लेकिन जो अधिकारी हैं जो पंचायत राज के गांव लेवल से राज लेवल तक सम्बन्धित अधिकारी

(श्री समरथ लाल)

होते हैं उनकी भी इस पंचायती राज को फेल करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मेरा कहना है कि जिला लेवल के आफिसर्स को इस प्रकार से फांस दिया है, इस प्रकार से इनको फिट कर दिया गया है कि वे पंचायत राज के अन्दर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके अन्दर पंच और सरपंच को एग्नोज कर दिया गया है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकते हैं। अगर वे कुछ करना चाहते हैं तो आज यह हालत है कि पटवारी नहीं करने देता, वह इसलिए कि उसका मालिक जिलाधीश है, सरपंच उसका मालिक नहीं है। सरपंच अगर कोई बात कहता है या कोई सिफारिश करता है कि यह काम होना चाहिए तो वह कुछ काम नहीं करता है। सरपंच अगर यह कहता है कि यह एक गरीब आदमी है इसका काम होना चाहिए तो वह कहता है कि इसको अलग से भेजो। अलग से भेजा जाता है तो उस गरीब से दो सौ रुपयों की रिश्वत मांगी जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि पटवारी को पंचायती राज की व्यवस्था के अन्दर फिट नहीं किया जाय जिससे उसकी मोनोपली दूर हो। मेरा यह भी कहना है कि जितने भी आफिसर्स हैं तहसील लेवल से जिला लेवल तक वे सब मंडल में फिट कर दिये जायेंगे। इस आधार पर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार के पास जो सदरेचार की कार्यवाही का अधिकार है। अगर किसी निर्दोष सरपंच से किसी मन्त्री का द्वेष है या कोई स्थानीय एम. एल. ए. किसी पंच या सरपंच से गलत कार्यवाही करवाना चाहता है और वह नहीं करता है तो राज्य सरकार सदरेचार की कार्यवाही करने का अधिकार रखती है। यह एक प्रकार से उसके प्रति अन्याय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदाचार की कार्यवाही के लिए कोई न्यायाधिकरण होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि पंचायती राज बना है तो उसको राजनैतिक आडम्बर से दूर और मुक्त रखना पड़ेगा। इस प्रकार की पावर को हटा देना चाहिए और एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण की स्थापना करनी चाहिए।

इसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षा है जब उसका संचालन जिला परिषदें करेंगी, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, तो मेरा सुझाव है कि माध्यमिक शिक्षा के संचालन का काम भी उनको सौंप दिया जाय और मैं समझता हूं कि जिला परिषदें उनको संभाल लेंगी।

इसके अलावा न्याय पंचायतों की बात है। यह सभी जानते हैं कि गांवों के अन्दर लोगों को सही न्याय नहीं मिलता है। खास तौर पर कमजोर तबके के लोगों को न्याय नहीं मिलता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि न्याय करने वाले कमजोर तबके के लोग होने चाहिएं। यही मेरा कहना है।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाबचन्दजी कटारिया !

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, पता नहीं क्यों इस देश के अन्दर एक ऐसी परिपाटी बन गई है कि हर काम के लिए कोई न कोई कमेटी बना दी जाती है। कमेटी मानों कोई जड़ी-बूटी हो या कोई पारस पत्थर हो जिससे सारी समस्यायों का निदान हो जायेगा! यह पहली बार कमेटी नहीं बनी पहले भी बहुत सी कमेटियां बनी हैं जिन्होंने सुझाव दिये मगर उनसे जनता का उत्थान नहीं हो सका। एजूकेशन में मुदालियर कमीशन आया, कोठारी कमीशन का गठन हुआ। राजाराम कमीशन बनाया गया लेकिन उनमें से एक ने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जनता को कोई राहत मिली हो। मुझे ऐसा लगता है कि मन को संतोष देने के लिए और बड़े लोगों को कुछ काम मिल जाय इसके लिए कमेटी का गठन किया जाता है। यद्यपि इस कमेटी की रिपोर्ट भी वास्तव में एक क्रान्तिकारी रिपोर्ट है। लेकिन मैं आज भी इस सदन के प्रांगण पर कह देना चाहता हूं कि यह न तो आज

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्रियान्वित होने वाली है और न कभी भविष्य में इसकी क्रियान्विति होने वाली है। हाउस में जो भी सुझाव दिये गये हैं वास्तव में अगर उनकी क्रियान्विति के लिए कदम उठाये जाते हैं तो मेरी यह मान्यता है, मैंने पहले भी निवेदन किया है, इस कमेटी की रिपोर्ट को क्रियान्वित कर दिया जाय तो भारतवर्ष का नक्शा ही बदल जायगा। हमने जो प्रयोग पहले किया था क्या वह खराब था? वह भी एक अच्छा प्रयोग था लेकिन उसके अन्दर जो काम करने वाले लोग थे, वे खराब थे जिसके कारण से हमको असफलता का सामना करना पड़ा। हमारे देश का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में यद्यपि बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, अच्छी योजनायें बनाने वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे सुझाव देने वाले लोग हैं, किन्तु काम को कराने वाले और काम करने वाले अच्छे लोगों का हमारे देश में अभाव है, उसी कारण से हमको असफलता मिलती है। श्रीमन्, यह प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं हमारे देश में गुजरात और महाराष्ट्र में भी यह प्रयोग किया गया है। उन्होंने जिला परिषदों को बहुत शक्तिशाली बना दिया था लेकिन श्रीमान्, राज्य सरकार के लोगों को यह सोचना पड़ गया था कि उनकी शक्ति के कारण हम कमजोर होते जा रहे हैं। उसके कारण से उस समय के कांग्रेस शासन ने उनकी शक्ति छीन ली। गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार आज फिर से इस बात पर विचार कर रही हैं कि जिला परिषदों को जो ताकत दी गई है उसको किस प्रकार से कम किया जाय। जहां हम एक ओर प्रयोग कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर प्रयोग करके वापिस लौटना चाहते हैं। जब हम इसका अनुसरण करना चाहते हैं तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार से सोचते हैं। मध्य प्रदेश में टू टायर सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। केरल और आन्ध्र प्रदेश ने इसको स्वीकार किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो पहले सिस्टम था, वह भी उचित था केवल उसको ठीक तरह से गति देने की आवश्यकता थी। हमारे देश में बार-बार प्रयोग किये जा रहे हैं, प्रयोग हमेशा होते रहे हैं लेकिन उसका कोई फल नहीं निकलता है। श्रीमान् इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि शिक्षा को जिला परिषदों को सौंप दिया जाय। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इससे संपूर्ण राजस्थान की शिक्षा का भट्टा बैठ जायगा। आज भी हालत यह है कि अध्यापक पंच या सरपंच के बच्चों को पढ़ाता है, उसके घर पर काम करता है। स्कूल में जाकर उसके बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा निवेदन है कि अध्यापकों को राजनीति का सेहरा नहीं बनाया जाय। शायद अब तक सोचा गया कि अध्यापक को पहरेदार बना कर रखो। मुझे लगता है कि शायद शिक्षा को पंचायत समितियों को सोंपने के पीछे यही उद्देश्य रहा हो कि गांव में तुम्हारा कोई आदमी बैठा रहे, जो राजनैतिक वातावरण पैदा करता रहे। अगर यही दृष्टिकोण रखा गया तो शिक्षा का काम कभी भी ठीक तरह से नहीं चल सकता। इसलिए सबसे पहली और मुख्य बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम शिक्षा को राजनीति के चंगुल से निकाला जाय। चाहे वह जनता पार्टी की राजनीति हो या चाहे कांग्रेस की हो। राजनीति से जब तक फ्री नहीं करेंगे तब तक बच्चों का विकास नहीं हो सकेगा।

श्री मदन सिंह दांता : इसका मतलब यह हुआ कि नौकर शाही के हाथ में शिक्षा ठीक हो रही है।

श्री सभापति : Is there any doubt?

श्री मदनसिंह दांता : इनको सारा ही राज दे दो फिर तो हमारी भी जरूरत नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अब आप टू टायर सिस्टम प्रारम्भ करेंगे। पता नहीं, कब प्रारम्भ करेंगे? एक छोटी सी अवधि सरपंचों को मिलती है। वह केवल ट्रायल एण्ड एरर के बीच में समाप्त हो जाएगी। जब तक उस उद्देश्य तक नहीं पहुंचते तब तक पुरानी व्यवस्था को तो सजीव किया जाय।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इस रिपोर्ट में आर्थिक दृष्टि से अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे यहां अजीब सिस्टम है, जो कलेक्शन होता है वह ढाणी-ढाणी में केन्द्रित होता है, फिर तहसील में केन्द्रित होता है, फिर जिले में जाता है। फिर प्रदेश की राजधानी में आता है और फिर दिल्ली में जाता है। इसको ले जाने में कितना पैसा व्यय होता है? फिर वापस आना प्रारम्भ होता है, एक एक सीढ़ी उतर कर आता है। क्यों नहीं ऐसा सिस्टम दें, जिससे गांव का पैसा, चाहे आप कम या अधिक कार्यक्रम दें, बाहर जाने की जरूरत न रहे। वहीं पैसा कलेक्ट हो, वहीं पर योजना बनायें और उसको क्रियान्वित करें।

साथ साथ में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि अशोक मेहता की रिपोर्ट हमको अच्छी लगी होगी, लेकिन हमारे दिल में ईमानदारी नहीं यदि पैरेलेल संगठन बन जाएगा, शक्तिशाली संगठन बन जाएगा तो वह बार बार देश की राजनीति को ललकारेगा। उस समय टांग खींचने की आवश्यकता पड़ेगी। यह आवश्यकता न पड़े। यदि वास्तव में केन्द्र को शक्तिशाली बनाने की मन्शा है, मन में कल्पना है तो मैं समझता हूं कि यह केवल कल्पना है, यह व्यावहारिक नहीं है। जो योजना व्यवहारिक पक्ष को नहीं देखती, वह असफल होती है। अगर वास्तव में गांवों को उठाना है तो पुरानी व्यवस्था के आधार पर हमें ग्राम पंचायत को मजबूत करना पड़ेगा

इसमें मंडल समितियों के लिए लिखा है। इनका क्या उपयोग होने वाला है? इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे ग्राम पंचायतों को तो बिल्कुल बेकार करके रख देंगे। उनका समुचित विकास नहीं हो सकेगा। हमारी मनःस्थिति बिगड़ चुकी है। हम सोचते हैं कि 20 हजार के समूह के लिए बैठा हुआ व्यक्ति सोचेगा कि हमें सभी का विकास करना है। हमारे यहां ही सदन में लिस्ट बनती है, कम से कम सबको बोलना चाहिए लेकिन उसका भी कठोरता से पालन नहीं कर सकते। इसके कारण हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप केवल दो बातें, एक तो शिक्षा को राजनीति के चंगुल में निकाल कर शिक्षा विभाग को दें तो देश का भला होगा और दूसरी यह कि गांव वालों के जो पैसे कलेक्ट होते है वहीं उनको खर्च करे।

श्री सभापति : श्री दाऊ दयाल जोशी 7 बजे तक समय बढ़ गया है इसलिए सभी के नाम आ जायेंगे।

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, हम अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। इस समिति का गठन किया गया। उसमें सभी प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व था। मुझे खुशी है कि आज मेरी सरकार कथनी और करनी में अन्तर की स्थिति में नहीं है। पिछली सरकार केवल कथनी-कथनी पर चलती थी। मुझे अच्छी तरह याद है पंचायती राज के संबंध में स्वर्गीय गिरधारीलाल व्यास के नेतृत्व में एक समिति 7 साल तक विचार करती रही

कई माननीय सदस्य : स्वर्गीय ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं क्षमा चाहता हूं। भगवान उनको दीर्घायु करे।

श्री मदन सिंह दांता : जहां विधायक ऐसे होंगे तो इनके सरपंच कैसे होंगे ?

श्री दाऊदयाल जोशी : नई सरकार ने चुनाव कराए। उसके साथ साथ-उनका क्या स्वरूप बने, इस मसले पर हम विचार कर रहे हैं। सुझाव काफी अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है। श्री कटारिया ने सुझाव दिया और मैं भी यह महसूस करता हूं कि जिला स्तर के अधिकारियों श्री टायर सिस्टम में पंचायत समिति भवन पर पहुंच चुके थे लेकिन अगर टू टायर सिस्टम किया तो छोटे-छोटे यूनिट्स का जिला मुख्यालयों पर जाना

(श्री दाऊदयाल जोशी)

संभव नहीं होगा । आज गांव के व्यक्ति को पंचायत समिति के माध्यम से न्याय मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है टू टायर सिस्टम में उसका सीधे नगर में आकर, जिला परिषद में आकर अधिकारियों के दर्शन करने पड़ेंगे क्योंकि 20-25 हजार की आबादी के जो मंडल बनेंगे उन मंडलों तक अधिकारीगण जायं यह संभव नहीं होगा । अगर हमने अधिकारियों को पहुंचाने की कोशिश की तो प्रशासन में शिथिलता आएगी और राज्य सरकार के खर्चे में बढ़ोतरी होगी । फिर हमको मंडल स्तर पर अधिकारियों को जीप प्रोवाइड करनी पड़ेगी । यह संभव नहीं है कि मंडल का निर्वाचित अधिकारी साइकिल पर जाए । पिछले सत्र में हमने विचार किया था कि विधायक को तीन दिन के लिए पूल की जीप देनी चाहिए । जो समस्या हमारे सामने है वही मंडल के अधिकारियों के सामने आयेगी इसलिए हम जिस भविष्य की कल्पना करते हैं, जैसा भविष्य हमको थ्री टायर सिस्टम के आधार पर ही प्राप्त होता है । यह भी सरकार पर छोड़ा है कि यदि सरकार चाहे तो थ्री टायर सिस्टम अपना सकती है । हम कल्पना करते हैं कि देश का नेतृत्व नीचे से ऊपर की ओर चले, पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, फिर विधायक और फिर एम.पी. । एक लिंक इनमें है । मुझे अच्छी तरह याद है अधिकतर विधायक प्रधानों के रूप में काम कर चुके हैं । इसलिए नेतृत्व जो उभरकर सामने आता है अगर थ्री टायर सिस्टम नहीं रखा तो वह समाप्त हो जाएगा ।

इसमें लिखा है कि जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधा जनता करे । मुझे याद है कि पूज्य जयप्रकाशजी ने कहा है कि देश का जो चुनाव है वह महंगा है । महंगे चुनाव होने की स्थिति में अगर सीधा जिला परिषद का चुनाव किया तो चुनाव के खर्चे में बढ़ोतरी होगी । मेरी एक फूटी कोड़ी चुनाव में खर्च नहीं हुई....

श्री मदन सिंह दाता : फूटी कोड़ी नहीं, रुपया खर्च हुआ ।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक पाई भी भी खर्च नहीं हुई ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अपने हाथ दूसरों की जेब पर रखे होंगे ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप जैसे यारों ने दिया ।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि हमने सीधे सीधे चुनाव कराने प्रारंभ कर दिये मुझे याद है कि अभी अभी स्कूलों में विद्यार्थियों के चुनाव हो रहे हैं । मैं अभी आने लगा तो टोंक के राजेन्द्र जाट का बोर्ड लगा हुआ था । मैंने पूछा कि कौन जीता ? तो बताया गया, राजेन्द्र जाट जीता । उसी समय एक ने कहा कि 33 हजार रुपया कालेज के प्रेसीडेंट के लिए खर्च किया । अगर इसी तरह हमारे जिला परिषदों में चुनाव करा दिये....

श्री मदनसिंह दाता : आपका मतलब था कि जोशी होता तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती ।

श्री दाऊदयाल जोशी :.. अगर इसी तरह से जिला परिषदों के चुनाव हुए तो गंगानगर सीकर और झुंझुनूं केक्षेत्र में लोग लाखों रुपया खर्च करके जीत प्राप्त करेंगे । इसलिए मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार से जिला परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव होता है उसी प्रकार पंच, सरपंच और विधायक का भी चुनाव हो जाये ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मुझे खुशी हुई कि यह सुझाव दिया गया है कि यह चुनाव होंगे यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के तहत राज्य सरकार की सलाह से होंगे और उसकी घोषणा की जायेगी । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यह जो चुनावों का समय रखा है यह 5 साल किया जाये । अगर देश में चुनाव का खर्च बचाना है तो चारों चुनाव एक साथ करा दिये जायें । एक व्यक्ति एक साथ वोट डाल

(श्री दाऊदयाल जोशी)

दे। पंच-सरपंच का चुनाव एक साथ हो जाये और उसके साथ में एम. एल. ए. और एम. पी का चुनाव भी हो जाये जिससे चुनावों का खर्चा बच जाये। इसी तरह नगर परिषदों के भी चुनाव हो जायें। जो भी रांड निपूती होनी हो एक बार ही हो जाये वरना तो रोज ढोल बजते हैं और नगाड़े बजते हैं। बार-बार के बजाय चुनाव एक ही साल हो जायें। तो इन चुनावों का कार्यकाल पांच साल का कर दिया जाये।

मैं समझता हूं कि पिछले शासन ने गलती की और 13 साल तक चुनाव नहीं कराये इसलिये यह चाहते हैं कि पंचायतों को बनने नहीं दिया जाये तो इसके लिए प्रावधान रखा है कि किसी व्यावहारिक कारण से भंग भी कर दी जाये तो 6 महीने में तुरन्त चुनाव करा दिये जायेंगे।

शिक्षा को इसके तहत नहीं दिया जाना चाहिए, यह भी कहा गया। उन्होंने शिक्षा को देते समय साफ तौर से लिखा कि कमेटी शिक्षा विभाग के तहत बन जानी चाहिए जो कि सब प्रकार के पद स्थापन और स्थानांतर की देखभाल करे। अक्सर देखा यह गया है कि मास्टर पढ़ाने नहीं जाते। किसी भी इन्टर, बी.ए. पास वाले को कह देते हैं तुम जाकर पढ़ा आओ और उसको सौ रुपया दे देते हैं

श्री सभापति : ऐसा उदाहरण माननीय मंत्री जी को नोट करा दें।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : जहां सिंगल टीचर स्कूल है वहां यह स्थिति है। जैसे मैं नवलराय बच्चाणी को कह दूं कि तुम पढ़ा आया करो, तुमको सौ रुपये दे दूंगा। बाकी के 250 रुपये अपनी जेब में रख लूं। यह स्थिति थी बारां क्षेत्र में, गम्भीरसिंह जी के क्षेत्र में जहां से वह जीत कर अभी सदस्य बने हैं

श्री **दिग्विजयसिंह** : कोई स्पेसिफिक जगह आप बता दें।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : बारां विधान सभा क्षेत्र में। आज से चार दिन पहले ही हवाला दिया था।

श्री **मदनसिंह दांता** : मैं आप की ताईद करूंगा, दांता रामगढ़ के अन्दर नवरात्री में सारे ब्राह्मण मास्टर वहां थे और सारे विद्यार्थी पढ़ाने गये थे।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : यह मेरा आरोप झूठा नहीं है, सौ प्रतिशत सही है। लोगों ने बंधिया बांध रखी थीं। 6 महीने तक ऐसा हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **सभापति** : समाप्त कीजिए।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : इसके अलावा मैं कहूंगा कि सरपंचों को भी आनरेरियम दिया जाना चाहिए। वह नहीं मिलता है इसलिए उनका इन्ट्रेस्ट खतम हो जाता है। कौन सरपंच होगा जो कि जिला परिषद् की मीटिंग में आयेगा, पहले पैसा खर्च करेगा और फिर बाद में पेमेंट लेगा? जिस तरह से विधायकों को बसों की सुविधायें मिलती हैं उसी प्रकार से जिला परिषदों के सदस्य, जो चुने जायें, को भी बसों की सुविधा जिला परिषद के माध्यम से दी जानी चाहिए।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

श्री **सभापति** : श्री वृद्धिचन्द्र जैन :

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : माननीय सभापति महोदय, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट हमारे समक्ष है, इस संबंध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ग्राम पंचायतों को स्वतन्त्र इकाई अगर नहीं मानते हैं तो मैं यह समझता हूं कि ग्राम पंचायतों का महत्व बिलकुल घट जाता है। ग्राम पंचायतों के महत्व के ऊपर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी जोर दिया है। हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी उसमें भी ग्राम

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

एक स्वतन्त्र इकाई था। अशोक मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें ग्राम पंचायत की जो इकाई है उसको बिलकुल समाप्त कर दिया है, वह समाप्त नहीं की जानी चाहिए। उसके बदले में सुझाव दिया है मण्डल पंचायत और जिला परिषद का, टू टायर सिस्टम के लिए सुझाव दिया है

मण्डल पंचायतों के बारे में मैंने पूरी तरह से विचार किया। अगर मण्डल पंचायत 10 से 15 हजार की आबादी पर बने तो जहां हमारी 8 पंचायत समितियां हैं वहां 40 मण्डल पंचायतें बनेंगी। बाडमेर डिस्ट्रिक्ट में 40 मण्डल पंचायतें बनेंगी। अब 40 मण्डल पंचायतों के लिये एक्सटेन्शन आफिसर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्टाकमैन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्टाफ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इम्पलीमेंट करें तो जीप का प्रावीजन भी करना पड़ेगा। यह सारी व्यवस्था राजस्थान प्रदेश नहीं कर सकेगा और स्कीम किसी सूरत में सफल हो नहीं सकेगी। यह इम्प्रेक्टीकेबल है। अगर आप फण्ड्स की व्यवस्था कर दें और जीप की व्यवस्था कर दें, एक्सटेंशन आफिस की व्यवस्था कर दें तो सबसे बढ़िया स्कीम है लेकिन व्यवस्था नहीं कर सकते। पैसे नहीं हैं। इस तरह से मण्डल पंचायतों का गठन करने का प्रयास करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगी। इसलिए इस संबंध में आप अच्छी तरह से गौर कर लें।

अब जिला परिषदों के बारे में प्रश्न आता है। इसको सुदृढ़ करना चाहिए। पहले बलवन्तराय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर हमने जिला परिषदों की सर्वे की एडवाइजरी कमेटी बनाई वह इसलिए बनाई कि हम डरते हैं। राज्य की जो शक्तियां हैं वह हम वितरण करके डिस्ट्रिक्ट में दें इससे हम घबराते हैं। मेरे मित्र कह रहे थे कटारिया साहब गुजरात और महाराष्ट्र में जो हुआ है, उस सिस्टम को अडाप्ट करें। डिस्ट्रिक्ट्स को पावर्स देने में बड़ा भारी संघर्ष होगा। मिनिस्टर्स से भी ज्यादा पावर्स डिस्ट्रिक्ट्स को दे देते हैं तो आज एम.एल.ए. को भी उतनी पावर्स नहीं हैं जितनी डिस्ट्रिक्ट्स को मिल जाती हैं। सारे विकास के कामों के लिये चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर उनके अण्डर में है, सब विकास की चीजें उनके अण्डर में हैं। तो यह शक्ति देना चाहिये जब कि हम यह कह रहे हैं और आज आवाज उठ रही है कि केन्द्र में शक्ति ज्यादा है। हम फाइनेन्शल आस्पेक्ट्स के बारे में जोर देते हैं कि प्रोविन्सेज को ज्यादा फाइनेन्स मिलना चाहिये। इस बात को हमारे कई नेताओं ने भी प्लीड किया है। सेन्ट्रल से अधिक शक्ति लेना चाहते हैं तो हमारे अन्दर भी थोड़ी टोलरेन्स पावर होनी चाहिये। जो सुझाव अशोक मेहता कमेटी ने दिये हैं वह अच्छे हैं। प्रोजेक्ट्स स्कीम वगैरह सब उनको देनी पड़ेगी। जिला परिषद के लेवल में जब शक्तिमान हो जाते हैं और ताकत दे देते हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर हमारे चीफ सेक्रेटरी के समान काम करेगा। जो चेयरमैन होगा वह हमारे चीफ मिनिस्टर के समान काम करेगा। मगर यह बात जरूर है कि पावर्स देने के बाद संघर्ष होगा।

यह भी हो सकता है कि उसमें कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन हो जाय। इलेक्शन के अन्दर भी मैम्बर्स उसके खड़े होंगे और यह स्थिति बन सकती है कि सारे एम.एल.ए. उसके आयें, सारे एम.पी. उसके आयें। फिर आप सोचें कि यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है तो गलत होगा।

ये तो मैंने सिस्टम के बारे में अपने विचार रखे हैं। अब न्याय पंचायतों के बारे में मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर निवेदन करना चाहता हूं। पहले जो न्याय पंचायतों की व्यवस्था बनाई थी उसमें फंड की व्यवस्था नहीं की थी। यदि न्याय पंचायतों में फंड की व्यवस्था नहीं करते हैं तो व कभी भी सफल नहीं हो सकती है। उप न्याय पंचायतें बना कर एक्जीक्यूटिव को जुडिशियरी का काम सौंपा था, पहले जो

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

गलती की थी उसको ठीक किया था फिर आपने न्याय उप समिति बना कर शक्ल चेन्ज कर दी। एक्जीक्यूटिव को ही पावर्स दी तो मेरा मानना है कि इसमें संघर्ष होगा, पक्षपात होगा और किसी प्रकार का न्याय नहीं होगा, इन्साफ नहीं होगा। जो गिरधारी लाल व्यास कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि इनको बन्द कर देना चाहिये। अगर फाइनेन्सेज नहीं दे सकते हैं तो न्याय पंचायत का कार्य बिलकुल बन्द कर दीजिये। मजिस्ट्रेट को ही पावर्स दीजिये कि वे ही काम करें। न्याय पंचायतों के कारण ग्रामों में फूट पड़े, संघर्ष चले यह हम कदापि नहीं चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि न्याय पंचायतों वाले मामले को एग्जामिन करना चाहिये।

चुनाव के बारे में यह बात स्पष्ट है कि चुनाव फाइव ईयर में होने चाहियें...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। सुझाव के तौर पर ही कहूंगा।

चुनाव की जो टर्म है वह फाइव ईयर की कर देनी चाहिये। यह जो सुझाव दिया है, वह बिलकुल ठीक है। चुनाव किसी सूरत में स्थगित नहीं होने चाहियें। अगर कहीं किसी कारण पंचायत को सुपरसीड करते हैं तो 6 महीने के बाद ही चुनाव करा देने चाहियें। कोई एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये। पंचायत मंडल का सिस्टम अडाप्ट करें तो वह प्रश्न अलग है। पंचायत मंडल का सिस्टम बने और उनको सुविधा दें उस पर थिन्क करें लेकिन ग्राम पंचायतें तो बननी चाहिये। चुनाव हर सूरत में स्थगित नहीं करने चाहिये। जब हम पावर डिसेन्ट्रलाइज करते हैं तो एम.एल.एज. को भी सेक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी असेम्बली में अपना परफार्मेन्स देना पड़ता है। एम. एल. एज. को पूर्ण जानकारी होनी चाहिये इसलिये उनको एसोसियेट मेम्बर बनाना चाहिये। वोट देने का अधिकार एम.एल.एज. को नहीं होना चाहिये। एम.एल.ए. चेयरमैन भी नहीं होना चाहिये नहीं तो इन्टरफियरेन्स करेगा इसलिये एसोसियेट मेम्बर ही होना चाहिये। इससे वे सारी डवलपमेंट एक्टिविटी की जानकारी रख सकेंगे और असेम्बली में भी परफार्मेन्स दे सकेंगे। बहुत से एम.एल.एज. को डिस्ट्रिक्ट्स की जानकारी नहीं रहती है इसलिये वे एसोसियेट मेम्बर होना चाहिये। उनको कोई वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इस तरह की मेरी राय है, जो समिति बने वह प्रपोर्शनेट रिप्रेजन्टेशन के बेसिस पर बननी चाहिये। यह व्यवस्था करनी चाहिये ताकि प्रप्रार्शनेट रिप्रेजेन्टेशन आधार पर सभी को डवलपमेंट का अवसर मिल जायगा।

सहकारिता के बारे में निवेदन करूं, इसको पंचायत राज का भाग नहीं बनाना चाहिये यह इसकी रिकमन्डेशन है। अभी भी सहकारिता को अलग रखा है। मैं कहता हूं सहकारिता को पंचायत राज का पार्ट एन्ड पार्सल बनाना चाहिये। नहीं बनायेंगे तो सहकारिता का मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरी राय है कि इसको अलग नहीं रखना चाहिये।

टैक्सेज के बारे में मेरी स्पष्ट धारणा है कि आज जिला परिषद, ग्राम पंचायत कोई भी टैक्सेज लगाये तो उसका विरोध होगा। आज टैक्सेज इतने लग गये हैं कि इनका बड़ा विरोध होता है। कोई टैक्स हमारी सरकार भी लगाना चाहती है तो उसको इकट्ठा करना और उसको पूरी तरह रियलाइज करना मुश्किल हो जाता है। जो अशोक मेहता कमेटी ने रिपोर्ट में अपनी राय दी है उसको नम्बुद्रीपाद ने भी सही माना है कि जितने फन्ड्स हैं उन सबका प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट करे। टैक्सेज किसी भी सूरत में न तो जिला परिषद लगाये, न ग्राम पंचायत लगाये। आज जितने टैक्सेज लग रहे हैं आखिर वे आते तो हैं ग्रामों से ही, गांवों की जनता से ही आते हैं, नगरों की जनता से भी आते हैं। तो जब उनसे पहले ही टैक्सेज आते हैं तो फिर और लगाने की जरूरत नहीं है।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इसी के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री उगमराज मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री ओमप्रकाश शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री माणकलाल ठाकोर।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, स्वराज के लिए डाक्टर राममनोहर लोहियाजी ने चो-खम्बा राज की कल्पना की थी। इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार हो, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद जिला परिषद और फिर पंचायती राज। ये चार प्रकार के खम्भों की कल्पना उन्होंने की थी, उसका पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन काफी हद तक स्वरूप इस रिपोर्ट में दृष्टिगत हो रहा है। इसलिये अशोक मेहता समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अभी तक जिन बन्धुओं ने समिति के प्रतिवेदन की आलोचना की है वे इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करेंगे तो वे भी यही महसूस करेंगे। वास्तव में अशोक मेहता समिति जो बनाई गई उसने प्रदेश प्रदेश में जा करके सबसे राय ली और राय लेने के बाद जो रिपोर्ट पेश की है वह बहुत मूल्यवान रिपोर्ट साबित होगी।

जैसा माननीय मथुरादासजी माथुर ने, माननीय शर्माजी ने और अन्य महानुभावों ने बताया, मैं पुरजोर शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के जो अधिकार हैं वह संवैधानिक अधिकार हैं उसी प्रकार निश्चित रूप से जिला परिषद और पंचायतों के जो अधिकार हों वह संवैधानिक होने चाहिए और संविधान में उनको स्थान दिया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि उनको खिलौना समझ लिया जावे। जब चाहा पंचायत समिति भंग कर दी, जिला परिषद भंग कर दी, जब चाहा सरपंच को भंग कर दिया। उनको अधिकार होना चाहिए। साथ ही जैसे केन्द्रीय सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों और राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए लोकपाल जैसी व्यवस्था रखी गई है उसी प्रकार से जिला परिषद और पंचायतों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं कर सके, किसी प्रकार से अपने अधिकारों का जघन्य दुरुपयोग नहीं कर सकें। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए चाहे लोकपाल के रूप में हो चाहे और किसी रूप में। चूंकि समय कम है इसलिए साधारण सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं।

एक बात समझ में नहीं आती, मान लीजिए पंचायत समिति को कायम रखना चाहते हैं तो नगरपालिका के क्षेत्र की जो जिला परिषदें हैं उनमें किस तरह से उपयुक्त समझा जाता है वे वहां जाकर बैठ सकते हैं, नगरपालिकाओं के और जिला परिषदों के अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं लेकिन पंचायत समितियों की नगरपालिकाओं के जो नागरिक हैं वह उसमें भाग नहीं ले सकते। यह बड़ी अजीब बात है। यह बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी और भेदभावपूर्ण नीति है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि पंचायत समितियों को रखा जाता है या पंचायत समितियां जब तक रखी जाती हैं तब तक नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होने चाहिए। यह बात अवश्य है कि जो बड़ी नगरपालिकाएं हैं जो नगर परिषदें हैं और नगर निगम हैं उनके बारे में अगर प्रतिबन्ध कर दिया जाता है तो उसमें कोई बात नहीं है।

जहां तक टू टायर और थ्री टायर सिस्टम का झगड़ा है यह मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि पंचायतों का जो स्वरूप है वह पंचायतों का स्वरूप को नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए। जहां तक मंडल की व्यवस्था है, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जब तक

(श्री माणकलाल ठाकोर)

इतने मंडलों का खर्चा हम नहीं कर सकते तब तक यह आवश्यक हो जाता है कि पंचायत समितियों का स्वरूप इसी रूप में बने रहने दिया जाय तो ज्यादा व्यावहारिक होगा और जो विकेन्द्रीकरण की नीति है उसके अनुरूप होगा। जिला परिषदें उनके साथ में कायम रखी जा सकेंगी।

जहां तक विधायकों के सहयोग का प्रश्न है, मैं निवेदन करूंगा, जैसा माननीय वृद्धिचन्द्रजी जैन साहब ने कहा, एसोसियेटेड मेम्बर के रूप में या किसी रूप में विधायक का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से उनका इसमें स्थान अवश्य होना चाहिये।

चूंकि समय बहुत कम है और मुझे भी जाना है, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकृष्णदासजी गुप्ता।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सभापतिजी, राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना के लिए यह अति आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण राजनैतिक और आर्थिक दोनों रूपों से राज्य स्तर से चालू होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि हमारे ग्रामों की पंचायतें अधिक शक्तिशाली हों परन्तु हमें सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ यह सोचना होगा। आज की बीसवीं शताब्दी में आधुनिकरण हो रहा साईंस का विकास हो चुका है, क्षेत्रफल की दूरी आधुनिक साधनों से घट गई है, संचार व्यवस्था का विकास हो गया है, आधुनिक विकास योजनाओं के लिए हमें बड़ी धनराशि की आवश्यकता है, आधुनिक टैक्नोलोजी की आवश्यकता है, अधिक वॉटर व्यवस्था की आवश्यकता है, जहां एक गांव दूसरे गांव पर ही नहीं, एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो गए है, एक आदमी दूसरे आदमी पर निर्भर हो गया है वहां एक गांव सेपरेट आइडेंटिटी रख कर विकास कर सके यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज जो पंचायतें हैं उनमें पांच छः छोटे गांवों को शामिल किया जाता है। आर्थिक अभाव होने के कारण वह अपनी स्वयं की योजनायें नहीं बना सकतीं और उनको एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकतीं। मैं समझता हूं कि गांवों का जो आधार है उसको चेंज करके हमें समूह के रूप में सोचना होगा। हर गांव की एक पंचायत कायम नहीं की जा सकती। आज बीसवीं शताब्दी में आठवीं शताब्दी की बात करते हैं। पहले एक गांव अपने आप में इन्डिपेंडेंट इकाई था। राजस्थान के अन्दर पिछले समय में पांच सौ स्टेट्स थीं। जब कि हम आधुनिक समय में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो हमें मंडल पंचायतों के बारे में निश्चित तौर से सोचना होगा। अशोक मेहता की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेगिस्तानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों में मंडल पंचायतें होनी चाहिए। जहां जनसंख्या का अभाव हो, क्षेत्रफल का अभाव हो वहां पर इस जनसंख्या के आधार पर मंडल पंचायत की स्थापना की जा सकती है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में 15 लाख की जनसंख्या 30 मील के एरिया में आएगी। तो वहां आबादी या जनसंख्या का आधार कम किया जा सकता है। परन्तु हर गांव में पंचायत की स्थापना नहीं करके इकाई बनायें। प्रथम चरण में पांच सात पंचायतों को मिलाकर मंडल पंचायत बनानी चाहिए। मंडल पंचायत में सामूहिक विलेजेज हों और इंडिविजुअल गांव के पंच, एक गांव एक वार्ड बने और आठ दस पन्द्रह गांवों की एक पंचायत बने अभी एक गांव के कई वार्ड बनते हैं।

श्री सभापति : Committee has also recommended like that.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसके लिए आवश्यक है कि हम जिला परिषद को अधिकार दें। हम जिला परिषद को अधिकार नहीं दे सकते जब तक जिलाधीश की इंस्टीट्यूशन की वैल्यू को कम नहीं किया जाएगा। जिलाधीश स्तर पर स्टेट की एक्जीक्यूटिव

Page No 87

(87)

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

को बांटना होगा। विकास सम्बन्धी, वेलफेयर सम्बन्धी एण्ड अदर फंक्शन एक्सेप्ट टू मेन्टेन लॉ एण्ड आर्डर जिला प्रमुख के पास होनी चाहिये । लॉ एण्ड आर्डर मेंटेन करने का काम सिटी मजिस्ट्रेट का होना चाहिए परन्तु जहां तक विकास के काम कराने हैं, जहां चाहे विकास की योजना हो, सोसाइटीज की स्कीम हो, वे जिलाधीशों के मातहत विभागों के मातहत न रह कर जिला प्रमुख के मातहत रहनी चाहिये । जिला प्रमुख हैड होने चाहिये । जैसे मंत्रियोंका एडवाइस देने के लिये आज आई.ए.एस.,आर.ए.एस. की श्रृंखला है उसी प्रकार जिला स्तर पर जिला प्रमुख को स्टेट मंत्रियों के समान..

श्री दाऊदयाल जोशी : यानि 26 असेम्बली हो जाय तो अच्छा है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : क्यों नहीं ?

श्री सभापति : ये माननीय सदस्य के विचार हैं ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : और राज्य के पास वे ही अधिकार रहने चाहिए जो कि एक जिले से दूसरे जिले से संबंधित मामले हों या एक राज्य से दूसरे राज्य की योजनाओं के मामले हों वे मामले राज्य के पास रहने चाहिए । जिलों के विकास की जितनी योजनाएं हैं, स्कीम हैं, उनका प्लानिंग जिला स्तर पर, जैसे अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में है, करना चाहिए । पहले मण्डल पंचायतें, फिर जिला परिषद और फिर राज्य । जैसे डा. लोहिया जी के विचार थे हर गांव की पंचायत रख कर मण्डल पंचायत के रूप में रख सकते हैं । हमारी सरकार को जिलाधीशों से सारे अधिकार लेने होंगे । जहां तक मेरा खयाल है आज की शासन व्यवस्था के लिए यह असंभव है । आज जैसे राज्य स्तर पर मुख्य मंत्रीजी को सारे अधिकार हैं आज सारे मंत्री हैं They are not the equals. But in my opinion from Prime Minister to Chief Minister & Ministers all are equal.

श्री सभापति : Therefore they are having independent charge of portfolios too.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जब तक राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण विभागों में खास तौर से राज्य स्तर पर लाने की कोशिश नहीं करेंगे उस समय तक हम जिला स्तर तक वे अधिकार नहीं दे सकेंगे । यह तो अवश्य है कि जिला विकास समितियां बनी हुई हैं, अभाव अभियोग समितियां बनी हुई हैं अन्त्योदय समिति बनी हुई हैं किन्तु उनके चेयरमेन कलेक्टर बने हुए हैं। उनको टाइम नहीं है। कितना ओवर बर्डन कर दिया है जिलाधीशों को । आज राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री सत्ता संभाले हुए हैं, बीच के लोग मुख्य मंत्री जी की मुट्ठी में हैं । सारी शक्ति तो सी. एम. के पास है । ऐसी मानसिक स्थिति है तो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट कहां तक लागू कर पाएंगे ? आपको जन-प्रतिनिधियों की एक सामान्य समिति निश्चित रूप से बनानी होगी जो जिले की योजना बनायें और जिले की विकास संबंधी समस्याओं को हल करे । जिले के शासन के लिये अगर जयपुर में लोग अलग रखे गये तो अननेसेसरीली पैनल बन जाएगा । तो जिला स्तर पर जिला प्रमुख हो । विधायक का कोआर्डिनेशन रहे इसके लिये जिला परिषदों के गठन में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना आवश्यक है ।

दूसरा सवाल है टैक्स लगाने का । मैं समझता हूं फाइनेन्स कमीशन एक जरिया है जिससे केन्द्र की आय में से राज्यों को हिस्सा मिलता है । इसी प्रकार से राज्य के स्रोत हैं जो आय होती है उसमें पंचायतों और जिला परिषदों का हिस्सा होना चाहिए । मैं यह चाहूंगा कि अधिकार और ड्यूटी एक साथ चलनी चाहिए । अगर कोई जिला परिषद अपने बजट का कोई निश्चित अंश स्थानीय क्षेत्र

Page No 88

(८८)

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

से वसूल नहीं कर पाती तो ऐसी संस्था का गठन कोई मायने नहीं रखता ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सबसे बढ़िया स्रोत आय का आज कृषि उपज मंडी है । जो क्षेत्र की पैदावार है उस पर जो मण्डी टैक्स लगता है वह जिला परिषद या मण्डल पंचायत का आर्थिक बैक-बोन हो सकता है ।

दूसरे गांवों में आज पटवारी की समस्या है और लगान संबंधी झगड़े हैं इसके लिये मैं समझता हूं कि लगान लेने का अधिकार मण्डल पंचायतों को हो । रेवेन्यू रिकार्ड मण्डल पंचायतों में मेन्टेन किया जाना चाहिए । अगर पटवारी, तहसीलदार, एस. डी. ओ, और कलेक्टर मण्डल पंचायतों के अन्तर्गत काम करेंगे और लैण्ड रेवेन्यू मण्डल पंचायतें वसूल करेंगी तो गांवों के झगड़े कम हो सकेंगे । गांव वालों को रिलीफ मिल सकेगी । मेहता कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है, जो रूपरेखा है उसको थोड़ा हेरा फेरी करके लागू किया जा सकता है । आप निश्चित रूप से उसे लागू करें । अगर हमने राज्य सत्ता को मण्डल पंचायतों तक, विलेज लेवल तक नहीं पहुंचाया तो यह प्रजातांत्रिक महल कभी ढह सकता है और तानाशाही लागू हो सकती है इसलिए यह सरकार जिला स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करके अपनी मानसिकता का परिचय दे ।

श्री **सभापति** : श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (पाली) : मेरी इच्छा तो यह है कि पूरे देश में सभी राज्यों में पंचायती राज का एक ही स्वरूप हो। आपके सामने यह चर्चा आई थी, संविधान के अनुच्छेद 40 में यह माना गया है कि राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे पंचायतों का गठन करें । राज्यों का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 12 में दिया गया है जो केन्द्रीय राज्यों से भी है और राज्य से भी है, स्टेट प्रोविन्स दोनों आते हैं ।

हमारे सामने एक बात श्री माथुर साहब, बजरंगलाल जी, माणकलाल जी ठाकार ने कहा कि हमारे संविधान में इस प्रकार का संशोधन आना चाहिए जिससे कि इन पंचायतों को कान्करेंट लिस्ट में जोड़ा जाय, जैसे अंतिम सूची राज्य सूची है वैसे ही पंचायत लिस्ट भी हो तभी सभापति महोदय, यह संभव हो सकेगा । यह भी संविधान में आ जाय कि पंचायतों का गठन कैसा हो । वह भी पूरे देश में समान रूप से स्वीकृत किया जाय । फिर यह नहीं होगा कि गुजरात और राजस्थान में अलग-अलग दो या तीन टायर सिस्टम हो । यह स्थिति आ जाय तो यह हमारे लिये सबसे सुन्दर स्थिति होगी । हमारे पूरी प्राविन्सेज के लिये पंचायतों का एक ही स्वरूप हो चाहे टू टायर का सिस्टम हो या थ्री टायर का सिस्टम हो। नहीं तो वह सम्भव नहीं होता है ।

दूसरी बात और चर्चा में आई थी, जिस समय यह चुनाव हो रहे थे तो मैंने भी शंका व्यक्त की थी, और आज हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी यह शंका व्यक्त की है माथुर साहब को इन्टरप्ट करते हुए कि पंचायतों के चुनाव अभी हाल में कराये हैं । पंचायती राज की रिपोर्ट अगर स्वीकार करें तो नया एक्ट बनाना पड़ेगा और उसके अन्तर्गत पंचायतों के चुनाव वापस कराने पड़ेंगे । इस प्रकार जो यह पंचायतों के चुनाव कराये हैं वह सारे बेकार जायेंगे । इस संबंध में, सभापति महोदय, मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । हमारे यहां राजस्थान में पंचायत एक्ट अलग है और पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट अलग है । 1953 में पंचायत एक्ट बन गया था और इसमें बार-बार संशोधन हुए हैं । बलवन्त राय कमेटी की रिपोर्ट 1959 में इसी सदन में पेश हुई थी, तब मैं भी इस सदन का सदस्य था । जो पंचायत राज के अन्तर्गत पंचायतों के चुनाव कराये हैं उनको खतम करने की जरूरत नहीं है । अगर आप जिला परिषद और पंचायत समिति एक्ट को देखें तो

(श्री शंकरलाल)

आपको यह शंका करने की जरूरत नहीं है. यह शंका निर्मूल है। यह स्पष्ट हो कि इनका स्वरूप क्या हो ? पंचायत समिति और जिला परिषदों को रखेंगे या नहीं ? सभापति महोदय, एक बड़े आदमी, जिसका मैं नाम नहीं जानता ने एक प्रोवर्ब कहीं है, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं "Fools quarrel for the form of the Government What is administered best is the best Government."

इसमें क्वारल वगैरह कुछ नहीं करनी चाहिए, चाहे थ्री टायर सिस्टम हो या टू टायर सिस्टम हो। पंचायत समिति के रूप में तब्दीली होती है और पंचायत समिति को तोड़कर मण्डल पंचायत बनाना चाहते हैं तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल हो जायगी और उसी डिस्ट्रिक्ट की बची हुई, पंचायतों के चुनाव हो जायेंगे। मण्डल पंचायत की बात को छोड़ना पड़ेगा। अगर पंचायत समिति नहीं रखनी है तो मण्डल पंचायत की बात मेरे विचार से ठीक नहीं है। पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं उन्हीं से डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल बना दें।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पंचायत एक्ट की धारा 24 के शिड्यूल 3 के अन्दर पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं वह इतने विस्तृत अधिकार दिये गये हैं कि उन अधिकारों के मुकाबले में पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन कोई चीज नहीं है। आप उन अधिकारों को पंचायतों से मत छीनिये। उन अधिकारों को उनके पास रहने दीजिये। जो डागाजी ने बात कही है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह गठन की बात है। पंचायत समिति एक्ट रहे और जिला परिषद अधिक से अधिक शक्तिशाली बने।

(7.33 सायं)

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिला परिषदें अभी केवल टेलीफोन आपरेटर का काम करती हैं। पंचायतों के साथ में जिला परिषदों को भी शक्तिशाली बनायें। जिला परिषद और पंचायत समिति एक्ट में संशोधन करके जिला परिषद का पुनर्गठन करें और पंचायतों को यों का यों ही रखें।

अब रहा सवाल यह कि एम. एल. एज. और एम. पीज. उनके मेम्बर रहें कि नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप लेजिस्लेचर को एक्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं तो कोई चिन्ता नहीं है। तब सारी एक्जीक्यूटिव पावर्स, जो कि गवर्नमेंट की पावर्स हैं, पंचायती राज को दे दें और लेजिस्लेचर को एसोशियेट न करें। इसका काम लेजिस्लेशन तक रखें। अगर आप यह नहीं करते तो जो विधान सभा के सदस्य हैं और विधान सभा में बैठते हैं उनको जिला परिषदों में जाकर इस बात की जानकारी लेनी होगी कि कानून के द्वारा कौन सी बात हो रही है। उस बात को विधान सभा में उठायें तो यह जरूरी होता है कि विधान सभा के मेम्बर रहे। मेम्बर को आपको जरूर जिला परिषदों में रखना पड़ेगा। उसका काम विधान सभा का और जिला परिषदों के बीच कोआर्डिनेशन का होगा। उसके बिना यह नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करूंगा कि एक बात उपयोगी इसके अन्दर यह आई है कि जिला परिषदों का कलेक्टर को सचिव बनाना पड़ेगा। फिर ब्यूरोक्रेसी के बारे में इस पंचायती राज की रिपोर्ट में कहा गया है कि वह कलेक्टर जो आज जिलाधीश बना हुआ है, नहीं रहना चाहिए उनको सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा। जिलाधीश को सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा ताकि सीधा सरकार से सम्बन्ध रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री बालकृष्ण थानवी : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री शंकरलाल : कोरम तो है ।

श्री किशनसिंह भाटी : We are short of quorum, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : कोरम की घंटी बजा दें

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति)

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी की यह हालत है ।

श्री किशनसिंह भाटी : इक्वल रेस्पान्सिबिलिटी है ।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पंचायती राज पर वाद विवाद के बारे में यह सीरियस नहीं है । बात क्या है ? अपनी गलती को स्वीकार करें ।

मैं अपने भाषण को जारी रखते हुए निवेदन करूंगा कि पंचायती राज की रिपोर्ट में एक और उपयोगी बात न्याय पंचायत के लिए कही गई है । वैसे तो न्याय और प्रशासन अलग-अलग होना चाहिए इसलिए न्याय पंचायतें अलग होनी चाहिए । उसमें रिटायर्ड जज को चेयरमैन बनाने की बात कही गई है वह बुरी नहीं है । हो सकता है कि रिटायर्ड जज मिल जाय उसका सभापतित्व करने के लिए । परन्तु न्याय पंचायतों के लिए रिटायर्ड जज मिल जायेंगे और वह सेवा दे देंगे सभी जगह इसमें मुझे शंका है । इसलिए न मिले तो कहीं ऐसा न हो कि न्याय पंचायतें कायम ही न करें । इसलिए न्याय पंचायतों को अलग रखा जाना चाहिए ।

तीसरा मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें वीकर सैक्शन की बात कही गई है । पहले हमारे यहां पर कम्युनिटी डवलपमेंट ब्लाक बना । उसके बाद में सन् 1961 के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी कम्युनिटी डवलपमेंट की उसकी रिपोर्ट में वीकर सैक्शन को जोड़ने के लिये कहा गया था जिसका हवाला रिपोर्ट के पेज 81 पर है । मैं सदन का ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन किस प्रकार से वीकर सैक्शन के लिए जयप्रकाश नारायण समिति की रिपोर्ट में कहा गया है वह बताता हूं । वीकर सैक्शन को गांवों के अन्दर जब तक पंचायतों से नहीं जोड़ा जायेगा और उनको फायदा नहीं होगा तब तक आपका पंचायती राज बनाने का उद्देश्य और मंशा बिल्कुल अलग हो जाती है । इसलिए वीकर सैक्शन को जोड़ने की यह बात रिपोर्ट में कही गई है कि पापुलेशन के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व हो । अभी जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का उसके अन्दर कोप्शन होता है, जो काप्शन होता है म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतों के अन्दर वह आबादी के हिसाब से नहीं है । इसमें आबादी के हिसाब से कहा गया है । उसके हिसाब से कर देंगे तो उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा बढ़ेगा । यह बात इस रिपोर्ट की स्वीकार करनी चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस पंचायती राज की रिपोर्ट में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की ही बात कही गई है लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेज भी हैं । जो बैकवर्ड क्लासेज हैं राजस्थान में उनको भी सम्मिलित किया जाय जैसे कि पंचायती राज एक्ट में पट्टे दिये जाने के नियम हैं उनमें । शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज दिया हुआ है । इनके अलावा जितने वीकर सैक्शन्स हैं उनको प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए चाहे इसमें नहीं कहा गया हो लेकिन उनका प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स की बात कही गई है । एक जगह तो इसमें कहा गया है कि पोलिटिकल

(श्री शंकरलाल)

इन्टरफियरेन्स न हो और दूसरी जगह कहा गया है कि पोलिटिकल पार्टीज को इसमें भाग लेना चाहिए। यह कान्ट्राडिक्टरी बात कही गई है। पंचायती राज को आपको राजनीति से बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा। अगर पंचायती राज के अन्दर मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पोलिटिकल पार्टीज काम करने लग जायेगी तो पंचायतों का स्वरूप बिगड़ जायगा और महात्मा गांधी ने भारत के लिए जो स्वप्न संजोया था वह टूट जायगा। उसमें भी वही तरीके अपनाये जायेंगे कि हमारी पार्टी का आदमी आये चाहे वह खराब हो। तो यह गलत हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं केवल मौजूदा पंचायतों की हालत सुधारने के लिए पंचायत मंत्री जी को सुझाव दूंगा। एक तो यह बात है कि इस समय हमारे यहां पंचायतों में जो अधिकारी दिये गये हैं, उनका किस प्रकार का काम है। रिकार्ड की चाबी लेकर क्लर्क ही चला गया तो तीन दिन तक नहीं आया। यह जो योजना है, यह ब्यूरोक्रेसी टाइप की है। इसको समाप्त करें। प्रत्येक पंचायत में सचिव नियुक्त कीजिए। उसकी उनके द्वारा ही नियुक्ति की जानी चाहिए। इसमें कहा गया है, अभी पंचायतों को इससे बहुत दिक्कत हो रही है। आपकी पुरानी पंचायतों ने जो पट्टे 1968 में दिये है, उनको कैन्सिल करने के लिए कलेक्टर के यहां से नोटिस आते हैं। आपने एक्ट में स्पष्ट लिखा है, एक पंचायत के आर्डर को दूसरी आने वाली पंचायत रद्द नहीं कर सकेगी। वीकर सेक्शन को पट्टे दिये गये हैं, उनको कैन्सिल करने के लिए कलेक्टर ने नोटिस दिये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बार-बार घंटी का बजाना इस बात का द्योतक है कि मैं शीघ्र ही समाप्त करूं।

केवल एक ही बात और निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि माननीय रामकृष्णदास गुप्ता ने कहा था, इस प्रकार का रिप्रेजेण्टेशन होना चाहिए कि जिला परिषद की बात को कैबिनेट में रखा जा सके। इसके लिए एक कैबिनेट का रिप्रेजेण्टेटिव होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी रतनलालजी बोल रहे। आपका नाम नीचे है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिणाय) उपाध्यक्ष महोदय, इस पंचायत राजका तीस साल तक कांग्रेस ने मखौल उड़ाया है। अब जनता पार्टी उड़ाना चाहती है। अब ढाई रुपया प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है और कांग्रेस के राज में 4 आना प्रति व्यक्ति दिया जा रहा था। न्याय पंचायतें बनाई गई लेकिन काम धेले का नहीं है पंचायतों का ढांचा सुधारने के बारे में कोई सुधार व्यवस्था नहीं की गई है। मैं 1954 से सरपंच रहा हूं। 10 साल तक प्रधान का काम भी किया है। ताजा उदाहरण दूं। यह विज्ञप्ति सरकार ने निकाली है। पंचायतों से कोई काम नहीं निकला है। पंचायतों के द्वारा कोई काम बिना नक्शे के हो नहीं सकता है। पंचायत समितियों में काम था उसको विथड्रा कर लिया। कहीं पुरानी कांग्रेस सरकार का आदमी नहीं था तो उसको हटाया गया। मुझ को तीन बार सस्पेण्ड किया गया है।

एक माननीय सदस्य : गड़बड़ी की होगी।

श्री रतनलाल वर्मा : मुझे परेशान करने के लिए मुकदमें चलाये गये। अगर इस राज में भी इससे छोटी इकाई, जिसको धेला भी नहीं दिया जाता है, के साथ ऐसा किया जाय तो ठीक नहीं होगा। हां, जिसने गबन किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर गलती से, प्रेक्टिकल अनुभव नहीं होने के कारण कुछ हो जाय और ऐसा किया जाये तो यह ठीक नहीं है। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने रिपोर्ट दी और इस कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है। जो सदन के महानुभाव हैं, वह जानते हैं इस कमेटी में कई प्रकाण्ड पंडित हैं। हिन्दुस्तान के अच्छे लीडर इस कमेटी में हैं लेकिन उनको ग्रामीण जीवन

(श्री रतनलाल वर्मा)

का अनुभव नहीं है। वह गांवों में नहीं रहते हैं। गांवों की समस्याएं नहीं समझते हैं। उन्होंने बंगलों में बैठ कर, कारों में घूम कर गांवों की स्थितियों का मूल्यांकन किया है। पंचायती राज की हम बुरी गत कर रहे हैं। पहले तो यह टैम्पू था थ्री टायर वाला अब इस कमेटी ने उसको साइकिल बना दिया, टू टायर बना दिया। गांधी जी का जो सपना ग्राम सभा का था, वह हम भूल गये है। प्रजातन्त्र की जड़ बुनियाद पंचायत है उसको नष्ट कर दिया है। उनका अस्तित्व खतम कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता हैं कि मैं आज की सरकार को क्या निवेदन करूं। मेरी बात को आगे पहुंचा दें। मैंने लिखा भी है। जब 1959 में नागौर में नेहरूजी ने पंचायत राज का उद्घाटन किया था तब कागज की तश्तरी दी। वहां कोई भी नहीं आया। कांग्रेस के धोली टोपी वाले केवल आये। सब लूट लूट कर खा गये। मैंने पहले भी कहा देखो डवलपमेन्ट हो रहा है या कि डबल पेमेन्ट हो रहा है...

कई माननीय सदस्य : Once more, Once more.

श्री रतनलाल वर्मा : यह कविता, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी है। फिर कभी पूरी सुना दूंगा

तो, उपाध्यक्ष महोदय, वहां उस वक्त क्या हालात थी। अफसरों को कोई बीमारी हो जाये, किसी पर मुसीबत आ जाये, किसी की डिलीवरी हो जाये तो ग्राम सेविका को बैठाकर ले गये। पंचायतों में जाकर नोट बदल कर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं उन सरपंचों को उनकी जरूरत के लिए सरकार ने नौकर रखा। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने संघर्ष किया है। उस वक्त हरीसिंहजी विकास आयुक्त थे, एक मोहन मुकर्जी भी विकास आयुक्त रहे हैं उनसे टकराव हुआ। वह सीधे आ गये। कहा, मैं विकास आयुक्त हूं। ताला खोलो। मैंने कहा कि पहले यह बताइये कि आप क्या खाना चाहते हैं? इस पर वाद विवाद हो गया। झगड़ा हो गया। मैं कहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति थी। कभी पंचायत प्रसार अधिकारी है, वह काका जी जांच करते हैं। रिपोर्ट देते हैं। जिन्होंने दस-दस, बारह बारह, पन्द्रह साल से आडिट नहीं कराया कांग्रेस के जमाने में, उनका कुछ नहीं हुआ तो इस तरह से जो गलत संरक्षण मिलता था, मैं यह निवेदन करूं पंचायत मंत्री महोदय से कि पंचायत राज में किसी को गलत संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यदि रतनलाल वर्मा हो तो उसको भी संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : और प्रधान मंत्री का बेटा खाता हो तो ?

श्री रतनलाल वर्मा: मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट अंग्रेजी में है इसलिए मैं इसका बहिष्कार करता हूं। इसकी हिन्दी करके दी है उसमें सैकड़ों गलतियां है। उसमें कहीं भी लिंक नहीं जुड़ता इसलिए मैं....

श्री माधोसिंह (रेवदर) : पंचायत राज की हिन्दी हुई है।

श्री रतनलाल वर्मा हिन्दी हो रही है, हम कर रहे हैं। इसलिये इस हिन्दी की रिपोर्ट को भी मैं ठिकाने लगाता हूं।

अगर सरकार जनता को वास्तव में राहत देना चाहती है, सहूलियत देना चाहती है और हकीकत में कोई विकास का काम करना चाहती है तो मौजूदा व्यवस्था में आप ग्राम सभाओं को पावरफूल कर दीजिये और चार टायर कर दीजिये। पंचायत समिति हैडक्वाटर पर, उपाध्यक्ष महोदय, विकास अधिकारी आर.ए.एस. हो और वही एस.डी.ओ. का काम करे। तहसीलदार या मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का हैडक्वार्टर भी पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर होना चाहिए। सहायक अभियन्ता, पी.डब्ल्यू.डी.

(श्री रतनलाल वर्मा)

और सहायक अभियन्ता सिंचाई, जंगलात के रेन्जर इन लोगों का हेडक्वार्टर भी वहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक रेफरल हॉस्पिटल, जिसमें इलाज के पूरे साधन हों, वहां होना चाहिए। एक विधान सभा सदस्य का क्षेत्र भी एक पंचायत समिति होना चाहिए। उसमें प्रधान बनाने की जरूरत नहीं है विधायक ही वहां का काम देखे, वही जीप का उपयोग करे और क्षेत्र में घूम कर विकास के कार्यों की निगरानी करे। महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए और...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं बहुत जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं

जिला स्तर पर जिला परिषदों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। तमाम अधिकारियों को उनके अण्डर में रखना चाहिए। उनकी अध्यक्षता प्रमुख को करनी चाहिए। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया, कलेक्टर उसका सेक्रेटरी होना चाहिए। कलेक्टर की पोस्ट प्रशासनिक अधिकारी की हो जो रेवेन्यू और दूसरे जो काम हैं उनको देखे। दोनों इक्वल आदमी होने चाहिए। जो प्रशासनिक कार्यों के अलावा विकास के कामों में कोई दखल नहीं दें। जितने भी अधिकारी हैं वे सबके सब जिला परिषद के अण्डर में काम करें....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं बहुत जल्दी ही समाप्त करना चाहता हूं।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री माणकचन्द सुराणा (आयोजना मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय जब तक अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट पर चर्चा समाप्त न हो जाय तब तक के लिए बढ़ाया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि जब तक अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट पर चर्चा समाप्त न हो, तब तक के लिये समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय चर्चा समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

पंचायती राज समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि न्याय पंचायत अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। वह भी पंचायत समिति के हेडक्वार्टर पर होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र भिनाय के रहने वाले 40 मील दूर-दूर तक रहते हैं। दो मील की दूरी पर ही बूबकिया, रेन और सोन गांव के लोग हैं जो केकडा क्षेत्र में आते हैं जब कि गाजि मेरे क्षेत्र में आता है जो 40 मील दूर पड़ता है: इसलिए एक गोल दायरा होना चाहिए। इसलिए ऐसा नक्शा....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

बनाया जाना चाहिये चाहे हमको नक्शों में परिवर्तन ही करना पड़े। केवल किताबी कार्यवाही करने से किसानों को उलझाने के अलावा कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि सभी आफिस एक स्थान पर होने चाहिए और सुप्रीम आथोरिटी उस क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। यह मेरा निवेदन है। इसके बारे में और कभी फिर डिस्कशन होना चाहिए, केवल इतने डिस्कशन से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक कमेटी बनायी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रतनलालजी सदन का समय बढ़ाया गया है, आपका समय नहीं।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं तो समझा था कि मेरा समय बढ़ाया गया है।

अब मैं मौजूदा समस्या पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और भू-सर्वेक्षण विभाग

(श्री रतनलाल वर्मा)

के लिये आदेश नहीं निकाल सकते तो मुख्य मंत्रीजी से सम्पर्क करके आदेश निकाल दीजिये कि जितने भी टेक्निकल अधिकारी हैं उन्होंने जो भी पंचायतों ने योजनायें बनाई हैं 31 मार्च तक फूड फोर वर्क की उनको युद्ध स्तर पर लागू किया जाय। अगर नहीं करेंगे तो मैं कह रहा हूं पहले भी आपकी योजनाओं को शहद लगा कर चाटा है अब भी यही होगा और इससे मजदूरों को कोई काम नहीं मिलने वाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए तत्काल 13 या 14 तारीख को आदेश निकालिये ताकि विकास के कार्य प्रारम्भ हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नवरंगसिंह!

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अशोक मेहता कमेटी के रिपोर्ट के बाबत इस सदन में चर्चा चल रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी के बाद हमने पंचायतों का एक्सपेरीमेंट किया था। मैं यह भी मानता हूं कि लोकतन्त्र में एक्सपेरीमेन्ट चलने चाहिए। हमने सन् 1952 में विकास खण्ड और सामुदायिक विकास योजनायें बनायी। उसके बाद में इस सदन में सन् 1953 में पंचायत राज के लिए एक्ट पास किया गया उसके बाद में बड़ी पंचायतें बनीं, पांच सात गांवों को मिलाकर। उसके बाद सारे मसले, जिस पर आज विचार चल रहा है, पर केन्द्रीय लेवल पर भी विचार चला। भारत सरकार ने जैसे अशोक मेहता की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गई उसी प्रकार से बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी 57 में बनायी। उसने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और राजस्थान में पंचायत एक्ट में संशोधन 1958 में हुआ। उसके अनुसार ग्राम पंचायतें, तहसील पंचायतें और जिला बोर्ड होते थे। उसमें भी संशोधन हुआ उसके फलस्वरूप ग्राम पंचायतें, पंचायत और जिला परिषदें बनाई गई। यद्यपि पहले जो ढांचा बनाया गया था वह बढ़िया था। बजट आता था और पंचायत समिति कुछ काम भी करती थी। लेकिन धीरे-धीरे ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई, धीरे-धीरे ऐसा वातावरण छा गया कि पंचायत समिति केवल राजनैतिक अड्डा रह गई, ग्राम पंचायतें केवल प्रधान तक ही सीमित रह गई और इतनी स्थिति खराब हो गई कि पिछली सरकार ने सारी समस्या पर विचार करने के लिए गिरधारीलाल व्यास की अध्यक्षता में एक समिति कायम की। वर्तमान सदन के माननीय सदस्य भी उस कमेटी के सदस्य थे . . .

श्री बालकृष्ण थानवी: गणक नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति)

श्री नवरंगसिंह: मैं निवेदन कर रहा था कि पिछली सरकार ने गिरधारीलाल व्यास की अध्यक्षता में कमेटी बिठाई जिसने 1973 में रिपोर्ट पेश की। उसने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि पंचायतों के शीघ्र चुनाव कराये जायं। उसके बाद में एक नया परिवर्तन आया और देश व इस प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार आई। उसके बाद में केन्द्रीय स्तर पर इस समस्या पर विचार हुआ। भारत सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी कायम की है जिसकी रिपोर्ट इस सदन में आ चुकी है और जिस पर आज चर्चा जारी है।

इस रिपोर्ट में दो तरह का ढांचा दर्शाया गया है। टू-टायर सिस्टम पर जोर दिया गया है– जिला परिषद व मंडल पंचायत। यदि साउण्ड, संपन्न तरीके से मंडल कायम किए जायं तो बुरा नहीं होगा। मंडलों को वे तमाम अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो 1959 में पंचायत समितियों के पास थे

(श्री नवरंगसिंह)

उनको अनुदान व सहायता मिलती थी ताकि वे अपना सारा कार्य कर सकें। अगर गांव के स्रोतो पर मंडल पंचायतों को छोड़ देंगे तो किसी प्रकार से वे मंडल पंचायत ठीक प्रकार से नहीं चल सकतीं। इसलिए राज्य की स्थिति देखते हुए उनको सहायता देने के प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। मंडल जहां बनें वहां इस बात का ध्यान रखना होगा कि पशुपालन अधिकारी उसका सचिव हो, ग्राम सेवक व पटवारी उसके मातहत हों लेकिन इससे मंडल का बहुत खर्चा होगा।

इसके अलावा ग्राम स्तर पर कमेटी हों। इसमें भी ग्राम समिति का सुझाव दिया गया है। पंचायतों की जो मूल रूप से कल्पना की थी वह आज नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक ही पंचायत में 5-5 7-7 गांवों तक शामिल हैं। इसलिए मंडल स्तर पर ऐसी व्यवस्था की जाए और उनको ऐसा बजट दिया जाए कि कुछ हद तक पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी होकर काम कर सकें। केवल गांवों के स्रोतों से मंडल पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेंगी।

साथ ही साथ में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो जिला परिषद का ढांचा सुझाया गया है उसमें कहा गया है कि जो बड़ी नगरपालिकायें होंगी उनमें प्रतिनिधि भी इनमें शामिल करेंगे। मैं इस बात के खिलाफ हूं। जिला परिषद में नगरपालिका के प्रतिनिधि की क्या आवश्यकता है? क्या उनका काम है? राज्य सरकार नगरपालिका को सीधा पैसा देती है। पंचायतों को 2।। रुपए प्रति व्यक्ति मिलता है जब कि नगरपालिकाओं को 5) प्रति व्यक्ति मिलता है; तो जिला परिषद में नगरपालिका के प्रतिनिधि को किसी हालत में सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए।

दूसरे, समिति ने सिफारिश की है कि जिला परिषद में कोई विधायक और एम. पी. चुनाव में भाग लेने के लिए नहीं खड़ा हो सकेगा। मेरा निवेदन है कि विधायक व एम. पी. जन प्रतिनिधि हैं। उनके सहयोग के बिना कोई काम नहीं चल सकता क्योंकि इस सदन में वह सारी समस्याओं को रखते हैं। राज्य सरकार व पंचायत के बीच में उनके द्वारा समन्वय होता है इसलिए उनका जिला परिषद में होना जरूरी है। यदि जिला परिषद में विधायक व एम. पी. चुनाव में खड़े होते हैं और जिला प्रमुख बनते हैं तो बुरा नहीं है। इसलिए इस तरह का प्रतिबंध जो रिपोर्ट में है, वह नहीं होना चाहिए।

इस रिपोर्ट में न्याय पंचायतों की बात कही गई है। यह सही है कि ग्रामों में छोटे-छोटे केसेज के निपटारे के लिए इस तरह की न्याय व्यवस्था हो जो निष्पक्ष हो। इसके लिए गांव में जजेज तो मिलेंगे नहीं गांव में भले आदमी हैं जो राजनीति से अलग हैं उनका चुनाव नहीं करके नामीनेशन के तरीके से उनको लेकर न्याय व्यवस्था की जाय तो गांव में छोटे-मोटे मामले जो हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं समझौते से सुलटाए जा सकते हैं। इससे किसान बहुत बड़े बोझ से बच जाएगा लेकिन इसमें निष्पक्षता की आवश्यकता है।

इसी प्रकार कमजोर वर्ग जैसे हरिजन व पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। उनके आमदनी के स्रोत आर्थिक आधार पर निकालने पड़ेंगे। छोटे-मोटे काम उनके हाथ में होने चाहिए और राज्य सरकार द्वारा उनको सहायता देनी चाहिए तभी ये छोटे वर्ग के लोग और किसान आगे बढ़ सकेंगे।

उपाध्यक्ष जी, सारी समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जाए। ढांचे को हम परिवर्तित करें उससे पहले गंभीरता से सोच लिया जाए। यह टैक्निकल बात है कि हमने ग्राम पंचायतों के चुनाव करा दिए। उसके बाद हम किस तरह से मण्डल पंचायतों के चुनाव करायेंगे, उनकी क्या भूमिका होगी और उस स्थिति में पंचायत समिति का क्या अस्तित्व होगा? यदि मण्डल पंचायतें बनानी हैं तो फिर ग्राम पंचायतों को ग्राम समिति के रूप में रखिये और 7-7 पंचायतों को

(श्री नवरंगसिंह)

मिलाकर एक मण्डल कायम करिए और मण्डल पंचायत के चुनाव सरपंचों व पंचों द्वारा कराइये। नहीं तो पंचायत भंग करके दुबारा चुनाव करायेंगे तो इससे राज पर भार पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जहां अच्छे कालेज लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, विद्यार्थी, किसान हैं वहां इस मामले में बहस होनी चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष निकाल कर सदन में पुनर्विचार होना चाहिए और उसके बाद में कानून सदन द्वारा बनाया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो पंचायती राज पर रिपोर्ट पेश हुई है इस रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होता है इसमें एक बात लिखी है कि मण्डल पंचायतें बनेंगी। मुख्य मंत्री सदन में हां कर गये और माथुर साहब बोल गए। दोनों ने ही इसको नहीं पढ़ा है और दोनों हां में हां मिलाकर चले गये, इस बात का मुझे ज्यादा दुःख हुआ मैंने एक बार पंचायत के बारे में बातें कही थीं। मैंने यह कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं है यदि आप एक एम. एल. ए. का क्षेत्र कायम करें। उसमें एक तहसीलदार होना चाहिए और एक एम. पी.। उस तहसील का जो ब्लाक है उसमें जितनी भी पंचायतें हैं उनका जब चुनाव हो तो पंच, सरपंच और प्रधान का चुनाव एक साथ होना चाहिए। वह चुनाव उस यूनिट में होना चाहिए। एस. डी. ओ. प्रधान के नीचे रहना चाहिए। एस. डी. ओ. के जितने रेवेन्यू आफिसर्स हैं वह प्रधान के नीचे काम करें। जो रेवेन्यू के इलाके में आते हैं वह सारे लोग सोर्जेज पैदा कर सकते हैं। मेरे इलाके की एक पंचायत एक पंचायत समिति एक क्षेत्र में और दूसरी दूसरे क्षेत्र में है मैं जब एम. पी. था तो तीन जगह काम करता था। आप तो एक यूनिट कायम कर दीजिये। आप प्रधान का चुनाव उसी दिन करायें जिस दिन सरपंच का करायें चाहे एस. डी. ओ. हो या एस. एच. ओ. या पटवारी हो या रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो पहले सलामी दें प्रधान को।

इसमें क्या लिखा है ? इस कमेटी में बड़े-बड़े समझदार और ऊंचे ऊंचे नेता थे अशोक मेहता जैसे। मैं पार्लियामेंट में था मैं पूछता था कि यह रिपोर्ट कहां बैठकर बनाते हैं ? बलवंतराय मेहता ने एक रिपोर्ट बनाई थी उसमें लिखा था कि गांव की आखिरी पंक्ति का आदमी समझे कि हिन्दुस्तान को बनाने में उसका भी उतना ही हिस्सा है जितना कि कुर्सी पर बैठने वाले का और वह भी देश का मालिक है। यह उनकी भावना थी।

एक पंचायत समिति में 4 मंडल पंचायतें बना दीं। मान लो मेरे क्षेत्र में एक लाख की आबादी है तो मेरे यहां 5 सर्किल बनेंगे। उसमें 100 आदमी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव डाइरेक्ट होंगे। तो आपने गांवों में नया झगड़ा पैदा कर दिया। पंचायत आप फोरेस्ट का एरिया दीजिए, पंचायत को जमीन दीजिये 100 रुपया बीघा और कहिये कि उसकी आमदनी तुम उठाओ। यह जमीन तुम्हारे काम आयेगी। इसमें फल लगाओ गार्डन लगाओ। सरपंच को पूरे अधिकार दे दीजिये उसके। मैं अशोक मेहता को एक लैटर लिखूंगा। वह अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं:–

Generaly speaking, all staff of gazetted rank in class I and II should continue to remain on the cadres of the State Government while class III and class IV should be fully handed over the Panchayat Raj institutions.

कलेक्टर के लिए आर्डर निकालो पंचायत मंत्री जी, ग्राम का जिस दिन सरपंच आये तो कुर्सी से खड़ा हो जाये। यों नहीं कि सिगरेट पीता हुआ बैठा रहे। वह उसका पहले सम्मान करे। गांव का पंच आये तो कलेक्टर कहे कि आइये बैठिये, कैसे पधारे, आपका क्या हुक्म है ? जिला परिषदें कुछ नहीं हैं। एक बार मुखिया चुन लिया जाये और कलेक्टर उसके नीचे हो जाये। उसको सिर्फ प्लानिंग और कोआर्डिनेशन का काम करना है। बड़ी–बड़ी समस्यायें

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं, दो पंचायतों में कोई बड़ा झगड़ा आ गया है तो वह उसको डील कर सकता है। सब ने भाषण दे दिया और रिसोर्सेज की बात कह दी। रिसोर्सेज क्या अपने आप पैदा कर लेंगे ? आप पंचायतों को सेल्फ सफीशियेन्ट बनाना चाहते हैं या नहीं। पटवारी किस का ? पंचायत का। सरपंच कहता है कि रिकार्ड बताओ तो उसे रिकार्ड दिखाना पड़ेगा....

श्री किशनसिंह भाटी : He is village servant.

श्री मूलचन्द डागा : हां। अगर गांव में थानेदार आ जाय तो पहले सरपंच को सलामी दे कि मैं हाजिर हूं। आपके गांव में कोई तकलीफ तो नहीं है।

हमने यह कल्पना की थी और गांधी जी की भी यही कल्पना थी कि गांवों में स्वराज्य आये। रतनलालजी वर्मा ने प्रैक्टिकल बातें कही हैं। कमेटी में पढ़े लिखे–विद्वान लोग थे उनको क्योंकि कुछ न कुछ रिपोर्ट में लिखना ही था इसलिये यह बातें लिख दी। रूस घूम कर आये तो हमने एक नयी योजना बनाई। नंगे पैर घूमने वाले डाक्टरों की आपके राज नारायण जी ने योजना बनाई थी। वह योजना चल रही है और लाखों रुपया उस पर खर्च होने जा रहा है। पंचायत मंत्री जी क्षमा करें मैं बहुत छोटा हूं आपसे। गिरधारीलाल जी व्यास की भी इस पर रिपोर्ट हैं। मैं कहता हूं कि जितने एम.एल.ए. एम० पी० हैं और प्रधान हैं वह बैठ जायें और बात करें। एस. डी ओ. का काम लैण्ड रेवेन्यू का काम है, इन्जीनियर उसके नीचे है। सारा जितना स्टाफ है प्रधान के नीचे हो। आडिट वगैरह कुछ नहीं। कानून और नियमों का एक जाल सा बना रखा है। नियम 700 पेजेज के बना दिये। जो हुकूमत का मालिक है उसने जो किया ठीक किया। ऑडिट वालों के आब्जेक्शन की क्या जरूरत है ? यह नियम हमें नहीं चाहिए। पंच, सरपंच व प्रधान पर विश्वास करो। उसमें कोई रिटायर्ड आदमी को लगा देंगें। ये नये-नये अखाड़े बनाने की क्या जरूरत है। Who will bear all this expenditure ? राजस्थान लेवल पर एक सिस्टम करो। तो जो वर्माजी ने सुझाव दिया उसके अनुसार पंचायतें बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह मण्डल बन्डल हो जायेंगे। आप पंचों की क्वालिफिकेशन रख दीजिये। अच्छा पंच आ जाये जो कनविक्टेड नहीं हो और चुनाव हो जायें.....

श्री रतनलाल वर्मा : ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा बेईमान होते हैं।

श्री मूलचंद डागा : यह बात भी सही है।

श्री मदनसिंह दांता : आप हम किन में हैं ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह बात सही है सुविधाभोगी समाज ज्यादा गुनहगार होता है यह बात तो मैं मानता हूं।

जो अशोक मेहता कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसको, पंचायत मंत्री जी आप नहीं पढ़ें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। आप कह दें कि इसको वापस दिल्ली भेज रहे हैं। गिरधारी लाल व्यास कमेटी को मानिये। आप चुनाव नहीं करवायें और कमेटियां बना दें जो सारी पंचायतों के सर्किल को पलट देने की रिपोर्ट दे, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी पंचायत है तो दो सर्किल बना दीजिये। पुलिस की एजेन्सी है वह भी उनके नीचे रख दीजिये। सारे फण्ड्स उनको अलाट कर दीजिये ताकि आपकी यह नौकरशाही उन पर हावी नहीं हो सके। तो, श्रीमान यह पंचायत राज की रिपोर्ट पर अगर टाइम दें तो मैं अपने विचार विस्तृत रूप से रखूं। लेकिन आपने टाइम नहीं दिया है इसलिये मेरे जो आइडिया हैं वे दे दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह ।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में और सारे हिन्दुस्तान में अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट का बड़ी बेताबी के साथ इन्तजार था लेकिन जब मेहता कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई तो हमको हैरानी हुई । अशोक मेहता एक अच्छे विद्वान हैं, एक अच्छे इकोनोमिस्ट भी हैं लेकिन यह कहते हुए दुःख होता है कि ग्राम जीवन और ग्राम विकास से उनका निकट का गहरा सम्बन्ध हमें नजर नहीं आया । मैं पूर्ण श्रद्धा से मेहता कमेटी की राय से असहमत होते हुये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में पंचायत राज और पंचायत व्यवस्था को दो रूप में देखना होगा । यदि इसको हम ग्राम विकास की संस्था के रूप में देखें तो इसका एक अलग रूप है । इसके साथ ही साथ इसको प्रशासनिक उत्तरदायित्व दिया जाय तो हमें दूसरे एंगिल से भी देखना पड़ेगा ।

जहां तक ग्राम विकास और सारे हिन्दुस्तान के गांवों के विकास का प्रश्न है, हम लोग ग्राम विकास को ज्यादा सफल तभी बना सकते हैं जब कि पंचायत राज संस्थाओं के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाय इससे हम ज्यादा नतीजे हासिल करेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में अब तक पंचायत राज की तीन कड़ियां हैं- पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीन कड़ियां तीन कड़ियां ही रहें या दो कड़ी कर दें यह ज्यादा महत्व की बात तो नहीं है महत्व की बात तो यह है कि हम गावों के विकास के लिए कितनी सिन्सीयरिटी के साथ सोचते हैं । तो उसके अनुरूप ही व्यवस्था भी करें केवल रिपोर्ट ही प्रकाशित नहीं करवायें ।

पंचायत राज का दीपक नागौर में बहुत पहले जलाया गया था । पंचायत राज का लम्बा अनुभव हमारे पास है । उसमें कुछ उपलब्धियां भी हुई हैं तो कुछ असफलता भी हुई हैं । पिछली उपलब्धियां और अनुभव को देखकर हमें आगे चलना होगा, मेरा ऐसा मानना है, इस देश के गांवों के विकास के लिए जो मेजर प्रोजेक्ट स्कीम्स हैं, जिनको स्टेट हैन्डिल नहीं कर सकता है, जो विकास के लिए जरूरी हैं, उनको भारत सरकार पूरा करे । जो सैकिन्ड स्टेज की स्कीम है वह चाहे डवलपमेंट की हो, चाहे इरिगेशन की हो चाहे पावर की हो चाहे विद्यालयों की हों, शिक्षा के क्षेत्र में उनको स्टेट अपने जिम्मे ले । तीसरी एक स्थिति आती है हमारी छोटी योजनाओं की जो जिला स्तर पर तैयार होनी चाहिए । वह योजना जिले की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए । गांवों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए और उसका एक्जीक्यूशन भी जिला स्तर पर होना चाहिए । जब हम यह गांवों के विकास के लिये जिला स्तर पर पंचायत संस्था के जरिये योजनाओं का एक्जीक्यूशन कराना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो योजना हैं जैसे माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं, उनका सारा खर्च डिस्ट्रिक्ट की पंचायत संस्था को प्राप्त होना चाहिए । उसका सुपरविजन, उसका एक्जीक्यूशन, जिला परिषद या जिले की कोई संस्था, जिसका कुछ भी नाम रखा जाय, के द्वारा किया जाना चाहिए । इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी एजूकेशन माध्यमिक एजूकेशन और जो कम्युनिटी डवलपमेंट के प्रोग्राम्स जिला परिषद अच्छी तरह हैन्डिल कर सकती है, उनका क्रियान्वयन कर सकती है । स्टेट गवर्नमेंट के बजाय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका ज्यादा अच्छा सुपरविजन हो सकता है, इफेक्टिव कन्ट्रोल हो सकता है । वह बिना किसी हिचकिचाहट के जिला पंचायतों को सौंपनी चाहिए और उसके लिये अलग फण्ड की व्यवस्था भी करनी चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि स्टेट सारा फण्ड उनको दे दें और जिला परिषद फाइनेन्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल करे । मैंने पहले भी कहा कि जो बड़ी योजनाएं हैं जिनका फाइनेन्सेज का इन्तजाम नहीं हो सकता है वह स्टेट द्वारा क्रियान्वित करवाया जाय चाहे एन्टरटेनमेंट टैक्स हो या चाहे लैन्ड रेवेन्यू हो वह स्टेट के पास आता है । शिक्षा की व्यवस्था है; वह जिला परिषद या और कोई करे

(श्री गोपालसिंह)

किन्तु जिले की स्थिति को देखते हुए, राजनीति को देखते हुए वहां जो उद्योग लगाये जाने चाहिए उनके लिये साधन खड़े करें। इन सब बातों को करने के बाद जिला परिषद अपने आप में एक सक्षम संस्था बने और उसमें अनावश्यक दखल नहीं होना चाहिए। उसका निर्णय खुद का निर्णय होना चाहिए, तभी मैं समझता हूं कि हम एक निश्चित इरादे के साथ में गांवों के विकास के बारे में सोच सकते हैं, अन्यथा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अशोक मेहता के प्रति सम्मान के साथ पुनः उनकी रिपोर्ट से असहमत होना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमने बहुत पब्लिसिटी करा दी, इस रिपोर्ट का बहुत इन्तजार किया लेकिन मैं तो इस रिपोर्ट को वास्तविकता से परे समझता हूं।

जहां तक इनके कांस्टीट्यूशन का प्रश्न है, जिला परिषदें कैसे बनें, पंचायत समितियां बनें या नहीं, मंडल पंचायतें बनें या नहीं बनें और कैसे बनें, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जिला परिषद एक प्रभावी संस्था बनेगी। उसका अध्यक्ष सीधे चुनाव से लाना सम्भव नहीं है, उसका इनडायरेक्टली इलेक्शन करना होगा। उसके नेक्स्ट बोडी नीचे की जो बने वह आज जिस तरह की पंचायत समितियां हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उससे बड़ी तहसील स्तर की बननी चाहिए। उसका प्रधान बने, एरिया बढ़े और उसकी आर्थिक पावर को भी ज्यादा पावरफुल बनाया जाय। उसकी सीमा में तहसीलें आती हों तो तहसीलदार और सब डिविजन आता हो तो एस.डी.ओ. और जो प्रशासनिक एजेंसीज हैं उनका डवलपमेंट के साथ इनडायरेक्टली रिलेशन बिल्ड हो। उस रिलेशन से जहां एक तरह कोआर्डिनेशन होगा, वहां दूसरी ओर उस क्षेत्र के प्रशासन से जुड़ेंगे लॉ एण्ड आर्डर से इनडायरेक्टली जुड़ेंगे और उसकी स्थिति प्रभावी बनेगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह मंडल पंचायतों का जो आइडिया आया है इस रिपोर्ट के मार्फत, मैं उसको प्रभावी नहीं समझता हूं। आज पंचायत समितियां फण्ड के अभाव में एक तरह से दफ्तर बन कर रह गई हैं। उसके स्थान पर हमने छोटी-छोटी मंडल पंचायतें बना दीं तो जितना काम पंचायत समितियों के मार्फत कर पाये हैं उतना भी नहीं कर पायेंगे। यदि हम उनको ज्यादा कर्जा देंगे तो मंडल पंचायतें ज्यादा इफेक्टिव बनेंगी। इन सारी चीजों को देखते हुए जितना हम इन संस्थाओं को अब तक इफेक्टिव कर पाये हैं उसमें भी कमी करेंगे। ये अण्डर ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

स्टाफ होगी। सारी तहसीलों में आज जो स्टॉफ दिया हुआ है वही हमें इनको भी देना पड़ेगा, मंडलों को देना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार इस स्थिति में होगी कि इन सारी संस्थाओं को इतने सीमित साधनों से सक्षम कर सके। मैं तो इस मत का हूं कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत यूनिट होना जरूरी है। उसके बाद में यदि पंचायत समितियों को हम समझते हैं कि ये जो संस्थायें हैं तो उससे भी बड़ी संस्था तहसील स्तर पर होनी चाहिए। उसका अध्यक्ष का निश्चित रूप से **डायरेक्ट** इलेक्शन होना चाहिए ताकि उसमें जो दलगत चीजें आती हैं, गांव जो लड़ाई के अखाड़े हो गए हैं, प्रधान हर पंचायत में दखल करते हैं, और इलेक्शन पीरियड में जाकर वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उससे अलग रहें और अपने विवेक से, अपने मानस उस क्षेत्र के विकास के बारे में निर्णय हो। इसलिए प्रधान का चुनाव, तहसील प्रधान का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एम.एल.ए. के रोल को कुछ शंका से देखा जाता है। एम.एल.एज. ने क्या गुनाह किया है, वे किस से कम विवेक के आदमी हैं? मैं चाहता हूं कि चाहे पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो दोनों ही संस्थाओं में उनका स्थान होना चाहिए। दोनों को ही उनके

(श्री गोपालसिंह)

ज्ञान से, अनुभव से लाभ होगा, हानि होने की सम्भावना नहीं है ।

इसके साथ-साथ नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों का प्रश्न इसमें लिया गया है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं कहना चाहता हूं कि गांव और शहर के बिल्कुल भिन्न करेक्टर हैं । गांवों के विकास की समस्यायें भिन्न हैं, शहरों के विकास की समस्या और हैं । उनके निराकरण के तरीके और गांवों की समस्या हल करने के तरीके भिन्न हैं, उनके साधन भिन्न हैं। दोनों में सामंजस्य नहीं है । इसलिए जब हम यह मान कर चलते हैं कि विकास में सब का सहयोग हो तो जो भी विकास की संस्था हो, नगरपालिका का भी प्रतिनिधि नहीं रखने में कोई औचित्य मैं नहीं देखता ।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पंचायती राज के बारे में मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में विचार हो रहा है। मेरे मन में मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट पंचायती राज के बारे में प्रस्तुत की है वह कोई बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत नहीं कर सकी । पंचायती राज के स्वरूप के बारे में जो मेहता कमेटी ने अपने प्रस्ताव दिये हैं उनमें पंचायत समितियों के स्थान पर पंचायत मंडल की स्थापना और थ्री टायर सिस्टम के स्थान पर टू टायर सिस्टम की व्यवस्था की है उसे मैं बे बुनियाद मानता हूं। मेरे मन में पंचायती राज की जो वर्तमान व्यवस्था है वह बहुत अच्छी है । पंचायती राज अभी सफल क्यों नहीं हो रहा है इसके अन्दर क्या कठिनाई आ रही हैं, इन कठिनाइयों को देख कर यदि इनमें सुधार के सुझाव दिए जाते तो अच्छा होता उचित होता, । वर्तमान पंचायती राज के सफल होने में मुझे जो कठिनाई लगती है, अपने मन में, उसके लिए मैं कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

वर्तमान में जो पंचायतें हैं, उनका जो स्वरूप है उसमें कोई कमी नहीं है । थ्री टायर सिस्टम बड़ा अच्छा है । उससे ग्रामवासियों को पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलता है और अपना शासन चलाने में वे सफल होते हैं । इसलिए पंचायत समितियों का होना आवश्यक है ।

दूसरा मेरा सुझाव है कि जो ग्राम पंचायतें हैं, उनका जो काम करने का तरीका है उसमें उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी बाधक होती है । आर्थिक दृष्टि से ग्राम पंचायतों को अधिक सुविधायें दी जानी चाहिए ताकि ग्राम पंचायतें अपने गांवों का समुचित विकास कर सकें ।

तीसरा मेरा सुझाव है कि अभी जो एक सेक्रेटरी तीन चार पंचायतों को दिया जाता है उससे ग्राम पंचायतें अपना आसानी से काम नहीं कर पातीं । प्रत्येक ग्राम पंचायत में काम करने के लिए अलग अलग सेक्रेटरी रहना चाहिए ताकि उनके काम में समुचित आसानी हो सके ।

अगला मेरा सुझाव है कि पंच तथा सरपंच को अपने ग्राम के काम के लिए बाहर जाना पड़ता है । इसलिए उन्हें बाहर जाने के लिए या तो यात्रा की सुविधा दी जावे या भत्ते की सुविधा दी जानी चाहिए ।

अगला मेरा सुझाव है कि अभी जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, चुनाव का जो तौर तरीका है उससे गांवों में वैमनस्यता फैलती है, आपस में मनमुटाव फैलता है इसलिए चुनाव के तरीके में बदलाव आना चाहिए। मेरा सुझाव है कि पंचों और सरपंचों के जो चुनाव होते हैं उसमें से केवल पंच का चुनाव होना चाहिए और पंच को सरपंच को चुनने का अधिकार होना चाहिए ।

नैक्स्ट, मेरा सजेशन है कि अभी जो पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं उनमें

(श्री हीरालाल आर्य)

अनुसूचित जाति के कम लोग चुन कर आते हैं इसलिये उनमें भी रिजर्वेशन की व्यवस्था हो सके तो उचित रहेगा ताकि उनका प्रतिनिधि इस पंचायत व्यवस्था में आ सके।

शिक्षा पंचायतों के अधीन चल रही है। मैं चाहूंगा कि इसके कारण अध्यापक सरपंचों को राजी करने में लगे रहते हैं और शिक्षा की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। अध्यापक शिक्षा की ओर अच्छी तरह से ध्यान दे सकें इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षा को पंचायतों से निकाल कर विभाग को दिया जावे। विधायकों और सांसदों का भी पंचायत समितियों और जिला परिषदों में समुचित प्रतिनिधित्व हो और उनका सहयोग भी सक्रिय रूप से हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति का क्षेत्र जो कि वर्तमान में है वह विधान सभा क्षेत्र के अनुरूप कर दिया जाना चाहिए। उसके अन्तर्गत आने वाले समस्त जनहित के कार्यालय जैसे-निर्माण, सिंचाई, पेय जल, रेवेन्यू, पुलिस, न्याय आदि पंचायत समिति या विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत होने चाहिए। उन पर विधायकों का सुपरविजन हो और प्रत्येक कार्य उनके हाथ में हो ताकि उनसे जनता का हित हो सके। मेरा यह सुझाव है। मैं कहता हूँ कि मेहता कमेटी ने पंचायत समितियों को समाप्त करके पंचायत मण्डल करने का जो सुझाव दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जी।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय मंत्री महोदय, जो पहले पंचायत राज मंत्री थे, सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने पंचायतों के चुनाव करवाये उस समय उन्होंने कहा था कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने पर पंचायत समितियों के चुनाव करवा दिये जाएंगे। हमने निवेदन किया था कि आपने सरपंचों के चुनाव तो करा दिये मगर सरपंचों को ग्रुप सचिवों के हाथ की कठपुतली बना दिया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ग्रुप सचिवों को हटा दिया जायेगा लेकिन ऐसा नहीं किया। मुझे बडा दुःख है कि पिछले 18 सालों से पंचायती राज संस्था को एक मात्र जन प्रतिनिधियों के विचार सुनने का फोरम मात्र बना दिया गया। मैं अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत करता हूं लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि अभी दो महीने पहले सिवाना पंचायत समिति में एक मीटिंग में गया था। वहां मैंने पूछा, 9 लाख के बजट में प्रशासनिक व्यय वेतन और विकास के कामों में कितना कितना हुआ तो बी.डी.ओ. साहब ने कहा कि केवल 12 हजार रुपये गत वर्ष विकास कार्यों पर खर्च हुए। मेरा निवेदन है कि इस पर गंभीरता से सदन में विचार किया जाना चाहिये। पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को इस उद्देश्य से बनाया गया था कि विकास के कामों को बल मिलेगा किन्तु आज पंचायत और पंचायत समितियों पर आने वाला प्रशासनिक व्यय इतना हो गया है कि उनकी उपयोगिता कितनी है इस पर विचार किया जाना चाहिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बडा स्वागत करता हूं इस कमेटी की रिपोर्ट का, जिसने इस प्रकार की व्यवस्था दी है कि विकास के कामों के लिये जिला परिषद उत्तरदायी होंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों के ऊपर मंडल पंचायतें और उनके ऊपर जिला परिषद कुछ भी रहें, सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि जिला परिषदों के हाथ में कितने अधिकार रहते हैं, कितने अधिकारों के साथ उन्हें काम करना है और कितनी उनकी क्षमता रहती है? हम कितने साधन जिला परिषदों को सौंपना चाहते हैं? आज तक ऐसा लगता है कि जिलाधीश जिला परिषदों के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनकी इच्छा के अनुसार पंचायतें, पंचायत समितयां और जिला परिषद काम करेंगी। चाहे जिले में सिंचाई का काम हो, सडक, पी.डब्ल्यू.डी. या और कोई विकास का काम हो मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि जिला परिषदों को सभी प्रकार के काम करने के अधिकार

(श्री कौशल किशोर)

अशोक मेहता कमेटी ने प्रदान किये हैं। लेकिन मुझे शक है कि हमारी सरकार इसे जल्दी लागू कर सकेगी। मैं यह जरूर कहूंगा कि डेढ़ वर्ष निकल गया। अब तो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आ गई। अब इस बारे में शीघ्रता करनी चाहिये। ऐसा न हो कि हम विचार करते रहें और बजट सैशन तक निर्णय ही न हो पाये। 4-5 महीने हो गये लेकिन ग्रुप सचिवों के बारे में निर्णय अभी तक नहीं हो सका। ग्रुप सचिव तो एक स्थान पर मैंने देखा सरपंच की मोहर जेब में लिये घूमते रहते है। दरअसल सरपंच को ग्रुप सचिव का गुलाम बना दिया गया है। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संविधान में संशोधन की बात कही, यह बडा विचारणीय पहलू है कि हमारे देश में चौथी सूची बनाई जाय या नहीं सविधान में। संसद, विधान सभा कानून बना सकती है। हम कानून बना कर दूसरी चीज खड़ी करें तो कहीं ऐसा न हो कि हम जिला परिषदों को तीसरी कानून बनाने वाली संस्था बना दें। यह बड़ा गहरा विचार करने वाली बात है। मैं इतना जरूर चाहूंगा कि विकास के काम करने में जिला परिषदें सक्षम हों, आधार बनें। सारे जिले के अधिकारी हैं, जिलाधीश, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एस.डी.ओ. और कलेक्टर ये पांचों प्रशासनिक अधिकारी हैं शिक्षा वाटर वर्क्स या पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी हैं इन सब को जिला परिषद के अन्तर्गत देना पड़ेगा। आज कई बार समस्या होती ह कि प्रधान नहीं है। पंचायत समिति की मीटिंग होती है उसमें 20-25 सरपंच आ गये तो समस्या होती है, अध्यक्षता कौन करे ? बी.डी.ओ. निर्णय कराते हैं कि कहां विकास होगा, कहां स्कूलों में काम कराने हैं। तो तब तक बी.डी.ओ. अध्यक्षता करता रहेगा जब तक पंचायत समिति का स्वरूप तय नहीं होगा। सरपंचों को अपने ग्राम सचिव, कलक्टर, डी.डी.ओ. और ए.डी.डी.ओ. का मोहताज बना दिया है। भीलवाड़ा में 5 महीनों से ए.डी.डी.ओ. का स्थान खाली है। सिटी मजिस्ट्रेट वहां के ए.डी.डी.ओ. हैं, वे वहां की नगरपालिका के प्रशासक भी हैं--

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कृषि उपज मंडी, मार्केटिंग सोसाइटी सब के चैयरमैन हैं। क्या हमने राजस्थान के प्रशासन को नौकरशाही के हाथ में सौंपने का तयकर लिया है ? इस पर विचार करना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घंटी का डर लग रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय शीघ्र लें, उसके बाद विचार जल्दी कर लें, कुछ विचार करें उनकी क्रियान्विति शीघ्र करें और राजस्थान को उस नौकरशाही के चंगुल से मुक्ति प्रदान करें।

श्री हजारीमल सारण : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज पर प्राप्त अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर मैंने समझने का प्रयास किया है। पढ़ने के बाद मैं समझ पाया हूं कि उसमें दो एक सुझावों को छोड़ कर बाकी सब चीजें अच्छी हैं। एक तरफ तो मेहता कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों को पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाय पूरी तरह से, और दूसरी तरफ पटवारी को मण्डल पंचायत सेक्रेटरी बनाने का सुझाव दिया है। इसी तरह से मण्डल पंचायतों में नगरपालिका को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मण्डल पंचायत का कार्यक्षेत्र अलग है। नगरपालिका का प्रतिनिधित्व मण्डल पंचायत में होने का क्या औचित्य हो सकता है ? इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से और रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है। पंचायती राज की रिपोर्ट अच्छी है। लेकिन यह पंचायती राज बहुत बड़ा और फजीता है, और यह फजीता गलतियों पर बना है।

मैं सदन का ध्यान राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट, 1969

(श्री हजारीमल सारण)

की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें काफी अच्छी व्यवस्था थी। जिस वक्त यह एक्ट लागू किया गया था उस वक्त बनाने वालों के सिवाय बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए समझा गया कि पूरा डिसेन्ट्रेलाइजेशन हो गया, लेकिन पहले डिसेन्ट्रेलाइजेशन विकास का ही था पावर्स का नहीं था। न समझने के कारण कमिश्नर खुद दौड़-दौड़ कर मेरे पास सरदारशहर आते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ? इतने अन्धेरे में कोई नहीं रह सकता फिर भी कुल मिलाकर एक प्रयोग के तौर पर, प्रकाशन के तौर पर धीरे-धीरे उसको बढाया गया। उस वक्त की सरकार धीरे धीरे उससे आतंकित होने लगी। जब वह विकास की ओर उठने लगी तो उसको ऐसा अहसास होने लगा कि इनको शक्ति ज्यादा दे दी गई है, हमारी शक्ति की हानि हो गई है या हमारी शक्तियों में दखल आने लगा, तो धीरे-धीरे आदेशों के नाम से, आर्डर्स के नाम से और विज्ञप्तियों से उस एक्ट की सारी मन्शा को कुचल डाला। जिला परिषदें केवल डाकिये का काम करती थी। लेकिन पंचायतें और पंचायत समितियां काफी ठीक थी। धीरे-धीरे उनके पास में कुछ नहीं छोडा।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह रिपोर्ट मैंने पढ़ी है हम इससे अच्छा पंचायती राज कायम नहीं कर सकते हैं। निम्न स्तर का जो अधिकारी है पटवारी उसको उसके नीचे देने को तैयार नहीं है। आज कहते हैं कि पंचायतें फैल हो गई, पंचायत समिति को बहुत नुकसान हुआ। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वह आज बहुत बदनाम हैं। यह सही है लेकिन इसका कारण क्या है ? इसके लिए उत्तरदायी कौन है ? इसके लिए उत्तरदायी सरकार है। जो व्यवस्था चलने को थी उसको सरकार ने जानबूझ कर रौंद डाला। वह ज्यादा शक्ति में न आ जाय इस इरादे से धीरे-धीरे उसका गला घोंट दिया गया और बदनामी का सेहरा पंचायतों और सरपंचों के माथे पर थोप दिया गया। विधायक ने महसूस किया कि जो व्यक्ति प्रधान हो जाता है उसके पास गाड़ी होती है और लाखों रुपयों का बंटवारा उसके हाथ से होता है, उसको बहुत भारी अधिकार हैं, तो उसके पास ज्यादा शक्ति है। यहां तक नौबत आई कि विधायक मंत्री बन गया और उसके क्षेत्र का प्रधान यदि उसके खिलाफ है तो वह महसूस करने लगा कि इसका खात्मा कैसे हो ? इस कारण यह पंचायती राज समाप्त हुआ। वह बदनाम हुआ तो लोगों की आस्था उस पर से उठने लगी।

आज मेहता साहब को देखिये कि वह कितने बड़े आदमी हैं। उन्होंने इतना बडा पोथा लिख डाला जो कि मेरी समझ में नहीं आता है। उन्होंने भी 20 हजार आदमियों की पंचायत को पटवारी को सौंपने पर एतराज किया है। वह उन पर इतना भरोसा नहीं करते हैं कि पटवारी जैसे कर्मचारी को उनके सुपुर्द किया जा सके, तो फिर कैसे यह पंचायती राज आयेगा और गांवों का विकास हो सकेगा ?

अब मैं आखिर में इसके ढांचे पर आता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने फर्माया, ढांचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत तीन टायर भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो टायर रखें तो भी फर्क नहीं पड़ता है और चार टायर बन जायं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि सरकार ईमानदारी से सोचे और शक्ति बांटने का इरादा करे तो किसी टायर का कम महत्व नहीं है। लेकिन जो मंडल पंचायतों की व्यवस्था सोची है मैं उससे इसलिये असहमति व्यक्त करता हूं कि राजस्थान प्रांत के अन्दर 15–20 हजार की आबादी पर एक मंडल पंचायत बनेगी तो हमारे यहां पर 40–40 मील की रेडियस में गांवों की 15–20 हजार की आबादी मिलेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए यह ठीक हो सकता है। मेरी तहसील में घनी आबादी है वहां पर कई मंडल पंचायतें बनेंगी। मेरा तहसील हेडक्वार्टर पर छोटा शहर होते हुए भी एक दफतर एस.डी.ओ. का बना हुआ है, इन्जीनियर का दफतर है,

Page No 104

(104)

(श्री हजारीमल शारण)

अस्पताल का मुख्य आवास है। मेरे यहां गांव से तहसील हैडक्वार्टर के लिए या पंचायत समिति हैडक्वार्टर के लिए कोई आदमी चलेगा तो उसको 6 घंटे लगेंगे क्योंकि 20-30 मील उसको पहुंचना होता है। तो मंडल पंचायतों की जरूरत नहीं है।

इसमें जिला परिषदों और पंचायतों की जो व्यवस्था बनाई गई है वह बहुत ही काम्प्लीकेटेड है, बहुत ही खर्चीली है और बहुत ही दुखदायी है। इसलिये मेरा विचार है कि वर्तमान व्यवस्था पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् की है इसमें जिला परिषद कमजोर होती है; क्योंकि उसको अधिकार नहीं है। उसको और अधिकारों से सुसज्जित करके और नीचे के स्तर के और अधिकार व साधन प्रदान करके मजबूत बनाया जा सकता है। पंचायतों के चुनाव, कार्य क्षेत्र और गठन, पंचायत समितियों के चुनाव, या गठन और जिला परिषद के चुनाव, कार्य क्षेत्र और गठन में परिवर्तन करें, तो विस्तृत विचार का विषय है। पंचायत समितियों को तोड़कर मंडल पंचायतों का नाम देने और मंडल पंचायत जैसी संस्था बनाने का ख्याल बड़े लोगों के दिमाग में कैसे आया, यह तो वही सोच सकते हैं। इसलिए मेरे खयाल से अभी की वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखा जाय और आंशिक संशोधन चुनाव आदि के करके उनको अधिक शक्ति और साधन प्रदान करें। साधन प्रदान करने का मतलब यह है कि टैक्स लगायें वह कितना लगायें गांव वालों या शहर के आदमियों से वसूल होता है, उस में कोई अन्तर नहीं है। सरकार ही टैक्स लगाये और नीचे की संस्था को उससे मुक्त रखे। उनका असेसमेंट है कि वह बहुत निकट रहते हैं। लोगों को उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

न्याय पंचायत का सुझाव दिया।

मैं एक दो मिनट में समाप्त करता हूं।

न्याय पंचायत के सम्बन्ध में पुरानी व्यवस्था थी कि पंचायत क्षेत्र से चुन कर पंच भेजे जाते थे। अब दूसरी व्यवस्था इसमें कर दी है कि पंचायतें ही अपने 2-4 पंचों को न्याय पंचायत का सदस्य बना देंगी जो मेहता कमेटी की रिपोर्ट है उसमें यह सुझाव दिया गया है कि उसका अध्यक्ष जुडिशियरी का आदमी होना चाहिए, कोई मजिस्ट्रेट होना चाहिए मेरी समझ में यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है। मेरा यह सुझाव है, भले ही वर्तमान व्यवस्था जारी रहे लेकिन न्याय पंचायत का अध्यक्ष उस क्षेत्र के ग्रामीणों में से नोमीनेटेड हो। वह किसी के दबाव में नहीं हो। उसे किसी जज के द्वारा नामजद होना चाहिए।

दूसरे पंचायत समितियों के बजाय पंचायत मंडल बनाने की बात है और पंचायत मंडल में नगर परिषद के प्रतिनिधित्व की बात है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि नगर परिषद् के झगड़ों को पंचायत समितियों में नहीं डाला जाये। नगर परिषद और नगर पालिका अलग चीज है। वहां के झगड़े में इसे नहीं डाला जाये। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

एक सुझाव यह है कि पंचायत समिति में कदम-कदम पर दखल है, हस्तक्षेप है, यह ठीक नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है कि निलम्बन की सजा चुने हुए आदमी को दी जाये, उसको हटाया जा सकता है, निलम्बित नहीं किया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

19 वर्ष बाद हमको अपने चुने हुए लोगों में विश्वास करना होगा। नहीं तो प्रजातन्त्र का कोई महत्व नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालकृष्ण थानवी !

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अगर आसन की ऐसी ही व्यवस्था है तो मंत्रीजी बैठ जाये और वह बैठ जाये। आप इतनी देर से बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम आया नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : बहुत पहले नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : तो थानवी जी के बाद में बोल लें।

श्री मदनसिंह दांता : बहुत देर से बैठे हैं।

श्री माधोसिंह दीवान (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। जनता पार्टी को वोट दिया था तो गांव वाले महसूस कर रहे थे कि जिस ने वोट दिया है उसको पावर ट्रांसफर करेंगे। मुश्किल यह है कि पंचायतों के चुनाव हो गये हैं, उसका क्या होगा? उसको न्याय पंचायतों में कन्वर्ट कर दिया जाये। वह पंचायतें भी ऐसी थीं कि चार पांच गांवों को मिलाकर बनाई गई थीं। पंचायत समिति की जगह पंचायत मंडल कर दिया। न्याय पंचायतों की पावर्स पंचायतों को सुपुर्द कर देंगे। उन्होंने यह बिल्कुल सही रूप में आंका है।

दूसरी बात यह है कि पुराना जो सिस्टम है, वह फैल्योर क्यों हुआ? एम.एल.ए. और प्रधान एक ओर हो जाया करते थे। एम.एल.ए. सोचते मेरे पास गाड़ी नहीं, सेक्रेटरी नहीं है। प्रधान के पास गाड़ी और बी.डी.ओ. उसका सेक्रेटरी है। इस तरह से यह ब्यूरोक्रेटिक सेट अप है। बी.डी.ओ. यह महसूस नहीं करता है कि मैं प्रधान का सेक्रेटरी हूं। आपको बहुत मेहनत आयेगी चलाने में। दूसरी बात सेट अप को चलाने के लिए गांव में पैसा इकट्ठा करने के लिए जाए तो गांवों में यह टेन्डेंसी बनी हुई है कि ऊपर से पैसा आ जाय। उसका इलाज यही है कि कुछ सहयोग ऊपर से होगा। आज भी जो सड़कें वगैरह बन रही हैं। उन पर गांव वाले एक तगारी डालने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इस रिपोर्ट से सहमत हूं। रिपोर्ट को उसी रूप में स्वीकार किया जाय जिस रूप में अशोक मेहता कमेटी ने प्रस्तुत की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, अशोक मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत के बजाय मंडल पंचायत बनाने का जो सुझाव दिया है, वह एक ग्राम पंचायत के बजाय ज्यादा ग्राम पंचायतों पर आधारित है। मंडल पंचायत क्षेत्र से उसका क्षेत्र बढ़ता है जो स्वागत योग्य है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि पहले एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र वालों को पहचानते तक नहीं थे पर पंचायत राज के कारण से अब लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं। विभिन्न प्रकार की विभिन्नता आने से और अच्छा ही होगा ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री मूलचन्द डागा : ग्राम पंचायतों से जो डेली वर्क पड़ता है, वह रोजाना का काम लेकर कहां जाएगा? यह पाइन्ट आफ फार्मेशन उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, एन्साइक्लोपीडिया के रूप में काम में नहीं लें।

श्री बालकृष्ण थानवी : वर्तमान ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत कहीं चार गांव हैं, कहीं पांच गांव हैं, इसलिए उनका विकास ठीक नहीं हो रहा है। बड़ी इकाई के आधार पर ग्रामों का विकास हो। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में यही कोशिश की गई है।

अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन में पंचायतों एवं जिला परिषदों के जिम्मे शिक्षा को लाने की बात कही गई है। हमारा आज तक का यह अनुभव रहा है कि जिला परिषदों के हाथ में शिक्षा आने से वह कमजोर हुई है,

(श्री बालकृष्ण थानवी)

परन्तु इस पुराने अनुभव के आधार पर इस नई सिफारिश को गलत मान लिया जाय तो ठीक नहीं होगा। अगर जिला परिषदों को शिक्षा का क्षेत्र सम्भलाया जायगा तो ज्यादा लाभ मिल सकेगा, यह मेरी मान्यता है।

भू-राजस्व भी मण्डल पंचायतों को देने की बात है। अभी थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मण्डल पचायतों को पटवारी तक देने की हिम्मत अशोक मेहता कमेटी ने नहीं की जो कि सही नहीं है। कारण कि पंचायत राज संबंधी इस प्रतिवेदन में लिखा है कि भू-राजस्व का काम भी मण्डल पंचायतों को दिया जायगा। जब तक मण्डल पंचायतें सक्षम नहीं हो जाय तब तक वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी पर उनके सक्षम होते ही भू-राजस्व का काम उन्हें दे दिया जायगा। यह स्पष्ट सिफारिश इस प्रतिवेदन में की गई है।

इसी तरह ग्राम पंचायतों से न्याय पंचायतों को अलग करने की बात है वह उपयुक्त है। जब प्रशासन से न्यायपालिका अलग है तो फिर पंचायतों के साथ न्याय पंचायतों को रखने में कोई तुक नहीं है। यह एक सुन्दर व्यवस्था है।

जिले बहुत बड़े हैं यह भी इस प्रतिवेदन में बताया है। इसलिए नये सिरे से वर्तमान जिलों का विकेन्द्रीकरण करके नये जिले बनाने की व्यवस्था की जानी उचित है। इस बारे में भारत के विभिन्न राज्यों में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी काफी आवाज उठी है कि नये जिले बनाये जाय। अगर हम इसको मन्जूर कर लेते हैं तो नये जिले बनेंगे और उनको ज्यादा बजट मिलेगा जिससे कि विकास की गति बढ़ेगी।

जहां तक सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सवाल है, जैसा कि कोलायत से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि जब तक मुख्य मंत्रीजी सत्ता का विकेन्द्रीकरण मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में नहीं करेंगे तब तक जिला परिषदों में या मण्डल पंचायतों के पास विकेन्द्रीकरण हो कर सत्ता पहुंच जायगी इसकी कोई गारण्टी नहीं है। उनकी जो दलील है, उसमें वजन है। जब तक मुख्य मंत्रीजी अपनी सत्ता का अपने ही सहयोगी मंत्रिमण्डल के सदस्यों में विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे तब तक यह आशा निरर्थक है कि जिला परिषदों और मण्डल पंचायतों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने का उनका मानस बनेगा। ग्राम पंचायत से न्याय पंचायत का अलग होना ठीक है। इसके बारे में, मैं दलील देना चाहूंगा कि हाल ही में ग्राम पंचायतों को न्याय पंचायतों के जो अधिकार दिये गये हैं उसका एक बहुत कड़वा अनुभव मेरे क्षेत्र में लोहावट के सरपंच का है। उसके खिलाफ चुनाव में जिन लोगों ने काम किया अथवा वोट डाले या जिनको उसने अपना विरोधी माना, सरपंच बनने के बाद वे ज्यों ही न्याय पंचायत के अध्यक्ष बने त्यों ही उन लोगों को नोटिस पर नोटिस दिये। उनको विभिन्न प्रकार से तंग किया, उन पर जुर्माने किये . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार से सत्ता का खुलकर दुरुपयोग होता है। इसलिए अगर न्याय पंचायतें ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत रखी गई तो सही न्याय नहीं मिल सकेगा।

अशोक मेहता कमेटी ने जो पंचायत राज पर अपना प्रतिवेदन पेश किया है उसका मैं मोटे तौर पर समर्थन करता हूं और उसको राजस्थान के हित में मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री किशन सिंह भाटी !

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज के बारे में काफी मेम्बरान ने जो बातें कही हैं करीब-करीब सही हैं। सवाल केवल सिन्सियरिटी से व्यवस्था लागू करने का है। इस देश में ब्रिटिश पीरियड से एक संघर्ष चलता आया

(श्री किशनसिंह भाटी)

हैं कि हमारे देश में सिन्सियरिटी से कोई अच्छी व्यवस्था आये अब तक इसके लिये संघर्ष चलता रहा है। हमने आजादी हासिल की, हम देश के अन्दर गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, हम देश को महान बनाना चाहते हैं लेकिन हमारे रास्ते में जो बाधायें हैं या जो लोग हैं जब तक उनको नहीं बदलते हैं तब तक अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। हमारे सामने कई रिपोर्ट आई, अच्छे-अच्छे भाषण भी असेम्बली, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री इन्स्टीट्यूशन में हुए किन्तु जब तक विलेज जो यूनिट है, वहां तक डीसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं करते हैं तब तक सारी व्यवस्था बेकार है। ब्रिटिशर्स के पीरियड को अगर हम देखें तो उनके लिए केन्द्रीयकृत प्रशासनिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था लाजिमी थी।

हिन्दुस्तान के जितने भी जिले हैं वे सारे पालिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकानोमिक पावर के सेन्ट्रेलाइजेशन की एक एजेन्सी हैं। कहने को चाहे आई. ए. एस. कह दीजिये या चाहे उनको टैक्नोक्रेट्स कह दीजिये, एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका है, एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा है वह कुछ एक प्रशासनिक अधिकारियों में सीमित है। एक तरह से गलत शब्द न कहूं और जन प्रतिनिधियों को दोष न आवे तो कथित काम्पीटेन्ट है। जो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव है उनको दरअसल सही मायने में सोकॉल्ड काम्पीटेन्ट आदमी आज भी कह सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। दिल्ली से ग्राम पंचायत लेवल तक उनका शासन है। इस व्यवस्था में अगर परिवर्तन करते हैं तो सारी रिपोर्ट और भाषण एक शैक्षणिक विवाद है। चाहे मुख्य मंत्रीजी आश्वासन दे दें माथुर साहब अच्छे भाषण कर लेते, डागा जी चाहे पार्लियामेंट में रहकर आये हों और उन्होंने भाषण दिये हों, जिस तरह से सुमित्रानन्दन पन्त शानदार कमरों में बैठकर प्रकृति पर अच्छी कविता लिखते थे उसी तरह से अशोक मेहताजी ने यह रिपोर्ट लिखी है। जैसा कि डागाजी ने कहा, दरअसल एक ही झगड़ा है, अगर हमारे दिमाग में सिन्सियरिटी है, गांधीजी के सपनों को हम साकार करना चाहते हैं तो विकेन्द्रित व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो फिर सिद्धराज ढढ्ढा और कम्युनिस्ट नम्बूदरीपाद के अलावा अलग अलग नोट्स एक से ही रहेंगे।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कैलाशजी मेघवाल उधर किस नाराजगी से बैठे हैं?

श्री किशनसिंह भाटी: उपाध्यक्ष महोदय, इतना समय और एण्ड करेंगे।

मैं नटशैल में कह देता हूं। किसी प्रकार की कमेटी बिठा दो, संघर्ष एक ही है, हमको केन्द्रीकृत आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण लाना है।

अब मैं आज के जमाने की बात कहता हूं। पंचायतों में कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए यह बात कही गई। गत 16 महीनों के अपने आचरण को माननीय विधायक लोग देखे, कांग्रेस उसमें दोषी नहीं है, हमारी 18 महीने की व्यवस्था में, मैं चुनौती के साथ कहूंगा और पंचायत मंत्रीजी इसका उत्तर दें, उन संस्थाओं के आर्थिक स्रोत और खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन का राजस्थान में विकेन्द्रीकरण हुआ है या केन्द्रीयकरण बढ़ा है तो केन्द्रीयकरण हुआ है इसका क्या कारण है? मैं तो अपनी अन्तरआत्मा से कहता हूं कि वह बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो आप अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। मंत्रीजी उत्तर देंगे कि डिसेण्ट्रेलाइजेशन बढा है तो I am hopeful आप इसको सिन्सियरिटी से लागू कर सकेंगे। माननीय डागा की व्यवस्था अच्छी है कि वहीं पर तहसीलदार हो और दूसरे आफिसर के हैडक्वार्टर भी वहीं होने चाहिए। डागाजी और रतनलाल जी वर्मा की व्यवस्था एकसी है, माथुर साहब और नम्बूदरीपाद की व्यवस्था एकसी है, लालजी भाई सर्वोदयी और सिद्धराज ढढ्ढा की व्यवस्था एकसी है, और कहने को चौथी व्यवस्था हजारीमलजी

(श्री किशनसिंह भाटी)

वाली मैं भी कह सकता हूं हमने केवल प्रशासनिक अधिकारियों की मन्शा पर छोड़ दिया। आज की परिस्थितियों में अगर हम अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें और विकेन्द्रीकरण हम तीनों शक्तियों का करें तो देश के लिए अच्छी बात होगी। एक तरफ हम अन्त्योदय की बात करते हैं, वह अच्छी स्कीम है, दिल्ली से सर्टिफिकेट लेते हैं, गांवों में सरपंच, विधायक और मंत्रिमंडल का नाम होता है, दूसरी तरफ जो हमारा तरीका है वह चपरासी की नियुक्ति से लेकर राशन कार्ड बनाने, सीमेंट कोटा लेने और पीने के पानी की स्कीम तक जयपुर के अलावा कहीं भी सैंक्शन नहीं हो सकती। इसलिए अशोक मेहता कमेटी की 70-80 पेजेज की रिपोर्ट जो मैंने अभी तक पढ़ी हैं, मैं सारे हेडिंग्स व साइड में नोट्स पढ़ गया, उससे लगा कि हम जो चीज रात दिन कहते हैं वह उसमें है। जो मेडिन स्पीच मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दी उसके बाद में पंचायतों की मांग पर दी, करीब करीब वही सुझाव हमारे इसमें आ गए हैं। हम चाहते हैं कि गांव में पटवारी पंचायत के नियंत्रण में रहे, पुलिस चौकी पर भी उसी तरह नियंत्रण कायम होना चाहिए, एफ.आई.आर. की कापी सरपंच के पास जाय। जब तक इन इन्स्टीट्यूशन पर किसी न किसी तरह का नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हैप हैजर्ड वे में काम होगा। एक तरफ इकानामिक पावर्स नीचे देते हैं, दूसरी तरफ पटवारी जैसी इन्स्टीट्यूशन पर चैक नहीं है। अपोरशनमेंट करो इसमें कलेक्शन फैक्टर है, इकानामिक्स है, जिस गांव की प्रापर्टी जहां पैदा होती है, जिस गांव से रेवेन्यू कलेक्शन होता है माननीय सदस्यों ने कहा है, उस गांव की फारेस्ट्री से, उस गांव की जमीन से, जितनी भी आमदनी के सोर्सेज हैं, मेजर पोर्शन नहीं तो आधा अपोरशनमेंट तो गांव को मिलना चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था हो। स्टेट इसलिए ही एग्जिस्ट करता है कि सोशलिस्ट पेटर्न की सारी डिसपेरिटीज को मिटाने के लिए स्टेट को ऐजेंसी बनाया जाता है, सारे रिसोर्सेज का पूल बनाया जाता है। गांधीवादी तरीके से गांव से शुरुआत होती है डेमोक्रेटिक सेट-अप में ग्रेटर नंबर आफ पीपुल को हमको सर्व करना है और राजस्थान में ग्रेटर नंबर यानि 82 प्रतिशत लोग गांवों रहते हैं। गांव के रेवेन्यू के बगैर स्टेट नहीं चल सकता क्योंकि स्टेट के खजाने में 50 प्रतिशत गांव का रेवेन्यू है, इसलिए गांव का टोटल रेवेन्यू तो इनको दें बाकी इनकम स्टेट से वे ले सकते हैं। माइनिंग्स में, हड्डियों में जितने भी गांव के रिसोर्सेज हैं उनका आधा उनको मिलना चाहिए।

माथुर साहब कह रहे थे कि अपोरशनमेंट की पावर भी सेंट्रलाइज वहीं हो जाती है। चाहे जिला परिषद् करे, चाहे मण्डल पंचायत करे, पंचायत समिति करे, स्लाइट माडीफिकेशन्स के साथ कोई सिस्टम एडाप्ट करें अगर वास्तव में डिसेंट्रलाइजेशन करना है।

अशोक मेहता कमेटी ने हम सदस्यों के सुझावों को माना है। जब हम उस कमेटी के सामने बैठे तो यह बात चली कि सारा रेवेन्यू पंचायतों को दे दें तो फिर स्टेट किस तरह से चलेगा। कमेटी ने माना है कि रेवेन्यू आधी दी जाए और पांच सालों में टोटल ट्रांसफर की जाय लेकिन पटवारी पर कन्ट्रोल नहीं है। गांव में वह भगवान है, होल एण्ड सोल है, चाहे वह चौथी क्लास तक पढ़ा हुआ हो, लेकिन वह हल्काधीश है ऊपर करतार नीचे पटवार है। पटवारी कोई टैक्निशियन नहीं है, कोई मेडिकल कमिश्नर नहीं है, उद्योग कमिश्नर नहीं है आई. ए. एस., आई. पी. एस. नहीं है, वह सरपंच से भी कहीं कम पढ़ा हुआ होता है इसलिए उस पर ग्राम पंचायत का कन्ट्रोल रह सकता है मैं यह नहीं कहता कि ग्राम पंचायत उस पर राज करे लेकिन उस पर किसी न किसी तरह से ग्राम पंचायत का नियंत्रण रहना चाहिए ताकि गांव की जनता की जो 90 प्रतिशत समस्याएं पटवारी डील करता है, वह रेवेन्यू कलेक्शन्स करता है, नेचर कलेमिटज की रिपोर्ट देता है, गिरदावरी करता है और गांव में कौन पैदा हुआ कौन मरा, क्या घटना हुई, इन सब का रिकार्ड रखता

(श्री किशनसिंह भाटी)

है। आजकल इनमें से आधे काम पंचायत करती हैं। इसलिए पंचायत और पटवारी का कोआर्डिनेशन बैठ सकता है। यह सुप्रीम अथॉरिटी जो ग्राम लेवल पर है इसे पंचायत के नीचे दें तो जन प्रतिनिधियों की जो मन्शा डीसेंट्रेलाइजेशन की है वह पूरी हो सकती है।

पंचायती इन्स्टीट्यूशन्स में गांधीजी विचारधारा के अनुसार पुराने जमाने में सबसे मजबूत पंचायत थी। वैल्ट सिस्टम नहीं था शलाकाएं थी। फिर भी तीन रीडिंग्स होती थीं। आज की मार्डन डेमोक्रेसी ने ब्रिटेन की कापी की है। पंचायत के पास पुलिस थी, विधायकों की तीन रीडिंग्स होती थीं, कन्सीडरेशन होता था, पुनःस्थापन होता था। इसलिए हिस्ट्री को देख कर और मार्डन पीरियड में रशियन और चाइनीज के कम्यून सिस्टम को जे. पी., नेहरू व दूसरे नेताओं ने देखकर, थोड़ा गांधीवाद को मिलाकर कम्यूनिटी डेवलपमेंट बनाया फिर ब्लाक डवलपमेंट बनाया फिर समितियां आई। इसलिए बेसिक इन्स्टीट्यूशन्स देश में है। ऐतिहासिक दृष्टि से तब देश गुलाम हुआ है जब ग्रास-रूट आफ डेमोक्रेसी गांव मजबूत नहीं हुआ। इसलिए मैं श्री ढढ्ढा के डिसेंटिंग नोट के साथ अपनी हां मिलाता हूं, ग्राम पंचायत को मजबूत किया जाना चाहिए। मंडल पंचायत अगर कोआर्डिनेटिंग कमेटी होती तो मुझे शंका नहीं होती। जैसलमेर और बाड़मेर पंचायत का रेडियस आज 50-60 मील का है। 10-10 गांवों की एक पंचायत है इसलिए मंडल पंचायत जिला परिषद् और पंचायत के बीच में एजेंसी कोआर्डिनेटिंग का काम करें तो खराब नहीं। यह एक एड सेरेटम रिपोर्ट है, अशोक मेहता कमेटी ने कृषि को लिया, सारे विकास को लिया लेकिन राजस्थान की कन्डीशन्स को शायद भूल गई। राजस्थान में चारों तरफ बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, सारा जोधपुर डिवीजन पानी के लिए एनीमल हजबैंड्री के लिए तड़पता है। उस पर जोर नहीं है, पंचायत की स्कीम बनेगी, मंडल पंचायत बनेगी, इंजीनियर्स सब उनके तहत कहां है? इसलिए ये स्कीम्स मंडल लेवल पर बनें और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा इन्टीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए। एक किसान को, आर्टीजन को लोन चाहिए, ग्राम के विकास के लिए 20-30 विभाग इन्वाल्वड हैं, पी.एच.ई.डी. भी इन्वाल्वड है। 50 तरह की स्कीम्स हैं, हम लोगों को एप्लीकेशन लेकर घूमना पड़ता है। उस साफे वाले को, जो ग्रामीण इल्लीट्रेट है मुक्ति दिलानी है तो एडमिनिस्ट्रेशन का इन्टीग्रेटेड फार्मुला हम एडाप्ट करें। सेन्टर स्टेट्स के बीच में और स्टेट जिलों के बीच में लिए जन करने की एक सुप्रीम बाडी होनी चाहिए। जिस तरह से नेपाल ने एडाप्ट किया, ग्राम पंचायत, राज पंचायत और राष्ट्रीय पंचायत बनाई उसी तरह से हमें डवलपमेंट करना चाहिए। कलेक्टर या उसके इक्वीवेलेन्ट दर्जे का आदमी जिला परिषद् का सचिव होना चाहिए। जैसा डागाजी ने कहा उससे मुझे एतराज नहीं लेकिन डीसेंट्रेलाइजेशन की तरफ आप आयें तो वह उसका सचिव होना चाहिए इसके अलावा टर्मीनोलोजी चेंज होनी चाहिए। जिलाधीश का पदनाम जिला सचिव या जिला सेवक होना चाहिए, लोवर लेबल पर ग्राम सेवक होना चाहिए और राष्ट्रपति का पदनाम राष्ट्र सेवक होना चाहिए। हमारी टर्मीनोलेजी गुलामी की द्योतक है ब्रिटिश पीरियड में वह सूट करती थी। कलेक्टर से लेकर राशन कार्ड के इन्चार्ज तक गवर्नमेंट के के लिए विफिटिंग सिस्टम था। आज के डिफेक्टिव सिस्टम में सेक्रेटरियट के रूल्स को न हम विधायक जानते हैं न मंत्री जानते हैं। भारत में 100 पर्सेन्ट ब्यूरोक्रेसी हावी है। हम रूल्स को जानते नहीं इसलिए वे हावी हैं। वे संगठित हैं। उनके शिकजे में ग्रामीण एवं साधारण नागरिक नित्य के काम हेतु पिसता है। हम थोथे जिन्दा हैं। इसलिए इस तरह का सिस्टम चाहते हैं। इस सिस्टम की, व्यवस्था को बदलना है तो सेक्रेट्रीज को निकालकर गांव तक ले जाइये। सेक्रेटेरियट लिएजन बाडी होनी चाहिए। वह लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन कर ले। इस इन्टीग्रेटेड इन्डिया में आज फेडरल सिस्टम लाना है अमेरिका का तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। क्योंकि यहां तो सारा ही होचपोच है...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें, कृपया ।

श्री किशनसिंह भाटी : जहां तक नई व्यवस्था लाने का प्रश्न है । Everybody from Rajasthan to Delhi is confused.

कोई कहता है कि कृषि पर आधारित करनी चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है एग्रो इन्डस्ट्रियल बेस होना चाहिए । यह जो कन्फ्यूजन है हमें इसको मिटाना है । डीसेन्ट्रलाइजेशन करना है आर्थिक, प्रशासनिक राजनैतिक क्षेत्रों में ।

श्री मदनसिंह दांता : He should have been a minister.

श्री किशनसिंह भाटी : Thank you very much for your compliments. I don't want

श्री मदनसिंह दांता : But we want.

श्री किशनसिंह भाटी : That is your wishful thinking, Thank you.

तो श्रीमान्, मैं यह कह रहा था कि इस व्यवस्था को बदलने से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है लेकिन साथ ही एक खतरा भी है । टोटल फैडरल स्टेट कभी भी रिवोल्ट कर सकती है । जैसे मेरा जिला व अनेक जिले पाकिस्तान बार्डर पर है वे निर्बाध हुए तो कभी भी गड़बड़ी हो सकती है । कभी भी पाकिस्तान से हाथ मिला सकते हैं । तो जो मैंने बात है वह यह है कि हम सारे कन्ट्री को एक सा कैसे बनायें, वह एक सा कैसे दिखे; उसको एक करने का एक ही मैथड है कि एजूकेशन और न्याय सिस्टम थ्रू आउट दी कन्ट्री एक होना चाहिए । जो एजुकेशन सिस्टम है और जो कोर्स है, डिसिप्लिन है वह एक सा होना चाहिए । एजूकेशनल इन्डिपेन्डेन्ट है । They should be governed, consulted and guided by the experts & not by he administrators. प्रशासकों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए । तो कन्ट्री में जो मदर लेंग्वेजेज रहती हैं वह अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन लॉ सिस्टम और कोर्स आफ एजूकेशन पूरे कन्ट्री का एक हो । इसलिए यह कानून और व्यवस्था और एज्जूकेशन दोनों ही चीजें कन्ट्री में इन्टीग्रेटेड रखें और जो हमारी कोआर्डिनेशन की थ्योरी है वह पूरी एक हो । इस तरह का पंचायती सिस्टम एडाप्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन भर अशोक मेहता कमेटी के ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे । लगभग 30 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । उपाध्यक्ष महोदय · · · ·

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं लेकिन एक इनफार्मेशन का प्रश्न जरूर है । मुख्य मंत्री जी का ऐलान था कि आपकी सारी बातें सुनने के बाद मैं अपना मानस तैयार करूंगा और भाषण दूंगा । मुख्य मंत्रीजी का यह ऐलान था जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे । सदन में ऐलान के बाद मुख्य मंत्री जी अनुपस्थित रहें तो मैं समझता हूं कि यह इस सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है । हमको बुरा लगा है क्योंकि हम तो उनका इन्तजार कर रहे हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो एक वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं सदन के उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा था कि आप बोल लेंगे उसके बाद ही मैं अपना मानस बनाऊंगा यह कहा था । भाषण देने के लिए नहीं कहा था ।

श्री मदनसिंह दांता : तो क्या मानस बन गया ?

श्री दिग्विजयसिंह : यह नहीं कहा था कि मैं अपनी बात कहूंगा। यह कहा था कि मैं मानस बनाऊंगा। बस, इतनी-सी बात थी।

मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर पंचायती राज के ऊपर कई कमेटीज बनीं। उन कमेटीज की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे राज्य के अन्दर उनकी रिकमन्डेशन के ऊपर समय समय पर कानून में संशोधन हुए, उन्हीं के आधार पर कुछ कार्यवाहियां भी हुई और उन्ही के सन्दर्भ में डिसेन्ट्रेलाइजेशन भी हमारे यहां 1959 में लागू हुआ राजस्थान के अन्दर पंचायती राज, डीसेन्ट्रेलाइजेशन जिस समय लागू हुआ उस समय तो वाकई बहुत ही सक्षम पंचायती राज के रूप में यह चला लेकिन धीरे-धीरे पंचायती राज इन्स्टीटयूशन में से प्रोग्राम थे वह किन्हीं कारणों से विथड्रा कर लिए गए। प्रोग्राम्स के वियड्रा होने के फलस्वरूप सिर्फ इतना ही काम रह गया, मैं स्पष्ट शब्दों में निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज और पंचायत समितियां खास तौर से बिलकुल इस प्रकार की संस्थाएं रह गयी थी के सिर्फ तनख्वाह बांटने का काम करें। कोई राज का हुक्म आ जायें तो उसको प्रसारित कर दें। यह काम ही रह गए। इसके साथ ही चुनाव 13 वर्ष तक नहीं कराना भी कारण रहा हमारे राजस्थान के अन्दर पंचायती राज के अन्दर निर्जीवता आने का। पंचायती राज के प्रति सब की धीरे-धीरे आस्था उठ गयी।

इस सारी पृष्ठभूमि के अन्दर अशोक मेहता कमेटी राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए बनाई गयी इस पहलू को सोचने के लिए कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर किस प्रकार का पंचायती राज का पैटर्न रखा जाये। उसी के इन्तजार में हम भी बैठे रहे। आशा के अनुरूप बहुत अच्छी यह रिपोर्ट हमारे सामने आई है।

माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न यहां उठाये हैं उन प्रश्नों के संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कई प्रश्न तो अशोक मेहता कमेटी से संबंधित थे और उसके साथ ही जो मौजूदा पंचायती एक्ट है उसमें कुछ खामियां हैं उनके बारे में यहां पर कहा गया। मुख्य बिंदु जो अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज के संबंध में दिये हैं वह कुल मिलाकर 14 हैं। वह यह है कि हमें टू टायर सिस्टम एक्सेप्ट करना चाहिए या थ्री टायर सिस्टम। इसके ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। अशोक मेहता कमेटी ने भी इस बात को कहा है कि हमें डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, मण्डल पंचायतों का गठन करना है और पंचायतों के लिए कहा है कि स्टेचुटरी बाडी इनको हम बनाकर रखें। इसी प्रकार पंचायत समितियों के संबंध में भी उन्होंने अपना दिमाग इसी प्रकार का बनाया है। जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है जैसा मैंने पहले कहा था कि आपके यहां विचार आये हैं इन सब विचारों का संकलन करके राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि इसको इन टोटो स्वीकार किया जाये या आंशिक रूप से स्वीकार करके हम आगे बढ़े। अगर हम इन टोटो स्वीकार करते हैं हमको पूरा एक्ट, जो जिला परिषद्, पंचायत और पंचायत समितियों का एक्ट है वह रिपील करना पड़ेगा। उसके बाद एक नया स्वरूप लेकर हमें सदन के आगे आना पड़ेगा।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस समय आपका अधिक समय नहीं लूंगा इतना ही निवेदन करूंगा ....

श्री मदनसिंह दांता : विरोधी दल में बैठा हूं। मैं ही क्वेश्चन करूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह : जरूर करें।

जो विचार आपने सदन के सामने रखे हैं उनका संकलन करने के बाद सरकार विचार करेगी। यह प्रस्ताव था कि इसके ऊपर दुबारा वाइड थिंकिंग कर लें उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके लिए कोई

श्री दिग्विजयसिंह

न कोई समय निश्चित करके दुबारा इसके ऊपर विचार कर लेंगे ।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था कि जो भी विचार आये हैं वह बहुमूल्य सुझाव हैं और कई सुझाव आपके हैं वह वाकई विचारणीय हैं । इनके ऊपर सरकार विचार जरूर करेगी ।

श्री मदनसिंह दांगा : आपके विचार सुनना चाहते थे कि आपकी क्या ओपीनियम है । वह कहा नहीं ।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था ।

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था . . .

श्री उपाध्यक्ष : आपके जो सुझाव हैं उन पर गम्भीरता से मनन करेंगे ।

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने एक सवाल पूछा था जिसका या तो डिनायल ही हो सकता है या फिर एक्सेप्टेन्स ही हो सकता है । हम डीसेन्ट्रेलाइजेशन की तरफ बढ रहे हैं या क्या हुआ है ?

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन के संबंध में माननीय श्री किशनसिंह जी भाटी कह रहे हैं तो डिसेन्ट्रेलाइजेशन तो हुआ और उसको पहले की सरकार ने खुद ने समाप्त किया । जितनी पावर्स पंचायत समिति को पिछली सरकार ने दी थीं वे सब समाप्त कर दीं । मौजूदा सरकार ने पंचायत राज संस्था का डिसेन्ट्रेलाइजेशन किया है । एक उदाहरण बता दूं हाल ही में काम के बदले अनाज की जो योजना है....

श्री किशनसिंह भाटी : Mine was a specific question. इतना ही प्रश्न है कि डिनाई करें या एक्सेप्ट करें ।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अब हमने पंचायतों को सक्षम बना दिया है और उनको पांच हजार तक की पावर्स दे दी हैं । वे अपने विकास के काम को अब और अधिक अच्छे ढंग से कर सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही समाप्त की जाती है और परसों प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.41 बजे सोमवार दिनांक 13-11-78 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)